यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Ref: ISD/20-21/112

July 11, 2020

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. **BSE Ltd.** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code-532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ

Dear Madam /Sir,

Subject: Notice of 18th Annual General Meeting and Annual Report 2019-20

In compliance with Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the Annual Report 2019-20 containing Notice of Annual General Meeting (AGM) of the Bank through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The schedule of AGM is set out below:

Particulars	Date
Cut-Off Date for E-Voting for Agenda Items	29th July, 2020
Last date to submit documents for appointment of authorised representative	30th July, 2020 (by 5.00 p.m.)
Book Closure	29th July, 2020 to 4th August, 2020 (both days inclusive)
Commencement of E-Voting	1st August, 2020 (9:00 am IST)
End of E-voting	3rd August, 2020 (5:00 pm IST)
Date & Time of AGM	4th August, 2020 at 11.00 AM through VC/OAVM

The Annual Report of the Bank for the year 2019-20 has also been made available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in.

Thanking you.

Yours faithfully,

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Encl.: As above

विजयी संयोजन
A Winning Combination.

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 | Annual Report 2019-20

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra

कार्पोरेशन Corporation

ज़रूरत के समय मदद का हाथ.

यूनियन गारंटीड इमर्जेन्सी क्रेडिट लाइन (यूजीईसीएल)

• शत प्रतिशत गारंटी कवरेज द्वारा समर्थित विशेष ऋण व्यवस्था • विशेष रूप से व्यवसायिक इकाईयों/एमएसएमई उद्यमों/वैयक्तिक मुद्रा ऋणियों के लिए • पात्रता : ₹ 25 करोड़ तक के बकाया ऋण वाले मौजूदा ऋणी • यूजीईसीएल के अंतर्गत दिनांक 29.02.2020 को बकाया ऋण के 20% तक • अवधि : 4 वर्ष. ऋण स्थगन : 1 वर्ष • कोई गारंटी शुल्क या प्रक्रिया शुल्क नहीं • 7.50% की आकर्षक वार्षिक ब्याज दर

शर्तें लागू

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | www.unionbankofindia.co.in

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

विषय सूची

निदेशक मंडल 05
महाप्रबंधकों की सूची 16
उप महाप्रबंधकों की सूची 17
2019-20 की मुख्य बातें 18
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक 20
सूचना 25
निदेशकों की रिपोर्ट 32
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण 42
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 56
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंड अलोन) 90
स्टैंड अलोन तुलन-पत्र 97
स्टैंड अलोन लाभ एवं हानि लेखा 98
स्टैंड अलोन अनुसूचियां 1 से 18 99
स्टैंड अलोन नकदी प्रवाह विवरण 139
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित) 141
समेकित तुलन-पत्र 148
समेकित लाभ एवं हानि लेखा 149
समेकित अनुसूचियां 1 से 18 150
समेकित नकदी प्रवाह विवरण 173
जोखिम प्रबंधन 175
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 176
लाभांश अधिदेश फार्म 375
हरित पहल - शेयरधारकों से अपील 377

CONTENTS

Board of Directors 05
List of General Managers 16
List of Deputy General Managers 17
Highlights of 2019-20 19
Key Financial Indicators 22
Notice 197
Directors' Report 204
Management Discussion and Analysis 215
Corporate Governance Report 231
Independent Auditors' Report (Standalone) 265
Standalone Balance Sheet 272
Standalone Profit & Loss Account 273
Standalone Schedules 1 to 18 274
Standalone Cash Flow Statement 314
Independent Auditors' Report (Consolidated) 316
Consolidated Balance Sheet 323
Consolidated Profit & Loss Account 324
Consolidated Schedules 1 to 18 325
Consolidated Cash Flow Statement 349
Risk Management 351
Business Responsibility Report 352
Dividend Mandate Form 376
Green Initiative - Appeal to Shareholders 377

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

निवेशक सेवायें प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम.आई.डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.

Registrar & Share Transfer Agent

Datamatics Business Solutions Ltd.
Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai - 400 093.

डिबेन्चर ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,
17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,
मुंबई - 400 001.

Debenture Trustee

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor,
17, R. Kamani Marg, Ballard Estate,
Mumbai - 400 001

सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स

भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरी

Secretarial Auditors

Bhandari & Associates
Company Secretaries

लेखा परीक्षक/AUDITORS

सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

C N K & Associates LLP
Chartered Accountants

कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार

Kirtane & Pandit LLP
Chartered Accountants

आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार

R S Patel & Co.
Chartered Accountants

एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

M G B & Co. LLP
Chartered Accountants

बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

B M Chatrath & CO. LLP
Chartered Accountants

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री केवल हांडा
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri Kewal Handa
Non Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director

श्री केवल हांडा को वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.07.2017 को जारी अधिसूचना के तहत बैंक के अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री हांडा वर्ष 2005 से 2012 तक फाइजर लिमिटेड, इंडिया के प्रबंध निदेशक थे, इससे पूर्व आपने फाइजर लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक-वित्त तथा वर्ष 2009 से 2012 तक वाईथ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं.

आपके कार्यकाल के दौरान आपके नेतृत्व में कार्यान्वित नई पहलों और नवोन्मेषी रणनीतियों की वजह से फाइजर इंडिया को भारत की शीर्ष 10 फार्मास्युटिकल कंपनियों में स्थान प्राप्त हुआ. आपने हर चुनौती का निरंतर उत्साहपूर्वक सामना किया, फिर चाहे वह ब्रांडेड जेनेरिक क्षेत्र में फाइजर को भारत की प्रथम बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित करना हो या अपनी पहुँच बढ़ाने हेतु सरकार के साथ विशिष्ट साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाना.

बहुआयामी संगठन का निर्माण आपका मुख्य उद्देश्य रहा है. इसके अंतर्गत आपने महिला सहकर्मियों की नियुक्ति एवं प्रबंधन में उन्हें बनाए रखने हेतु विभिन्न टीमों को प्रोत्साहित किया, विशेषकर आपने भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग में सेल्स पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की, जो इससे पहले अप्रचलित थी. यह आपके द्वारा महिला हितों को ध्यान में रखकर बनायी गई संवेदनशील नीतियों के कारण ही संभव हो सका. ये पहलें अब अध्ययन का विषय हैं और तुर्की में आयोजित अनुसचिवीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्हें प्रदर्शित किया गया.

श्री हांडा को वित्त, वाणिज्य, रणनीति, कारोबार विकास, विलय और अधिग्रहण, बैंकिंग, कॉर्पोरेट मामलों का विविध अनुभव है और आपको श्रेडर स्कॉविल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल), विद्युत ब्लेड्स और राज्य औद्योगिक निवेश निगम, महाराष्ट्र (एसआईसीओएम) आदि जैसी कंपनियों में इंजीनियरिंग, उपभोक्ता और परियोजना वित्त जैसे क्षेत्रों में भी कार्य का अनुभव है.

आपने घरेलू और वैश्विक जेनेरिक कारोबार में कार्य किया है तथा आपको अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे बाजारों में भी कार्य का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में, आप परामर्शदाता के रूप में स्टार्ट अप्स और सामाजिक क्षेत्रों से भी जुड़े हैं.

आप एक योग्य प्रबंध लेखाकार एवं कंपनी सचिव हैं तथा आप वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं. आपने हावर्ड विश्वविद्यालय से फाइजर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं आईआईएम, अहमदाबाद से सीनियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पूर्ण किया है. इसके साथ ही आपने कोलंबिया बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सर्टिफिकेट कोर्स किया है.

आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार- मूल्यांकन समूह द्वारा इंडिया सीएफओ 2004 - बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2007 में भारत शिरोमणि अवार्ड एवं वर्ष 2010 के फार्मा लीडर - फार्मा प्रोफेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Shri Kewal Handa has been appointed as Chairman & Part-Time Non-Official Director of the Bank vide Ministry of Finance notification dated 06.07.2017.

Shri Handa was the Managing Director of Pfizer Limited, India from 2005 to 2012. Prior to this, he has served as Executive Director - Finance, Pfizer Limited and as Managing Director of Wyeth Ltd from 2009 to 2012.

Under his leadership, Pfizer India became one of the top ten pharmaceutical companies in India, due to new initiatives and innovative strategies implemented during his term. He constantly challenged the rules of the game – whether it was making Pfizer India the first MNC to enter into the branded generics space in India or explore a unique partnership with the Government to increase access.

Building a diverse organization is one of his key focuses. As part of this, he has driven the various teams to hire and retain women colleagues in management and most importantly in sales positions – an initiative unheard of in the Indian pharmaceutical industry. He has managed this by sensitization and developing policies that are women friendly. These initiatives are now case studies and were showcased at a ministerial roundtable held in Turkey.

Shri Handa has diverse experience in Finance, Commercial, Strategy, Business Development, Merger & Acquisition, Banking, Corporate Affairs and he has also experience in sectors like Engineering, Consumer and Project Finance in companies like Schrader Scovill, Hindustan Liver Limited (HLL), Vidyut Blades & State Industrial Investment Corporation of Maharashtra (SICOM).

He has worked in the Domestic & Global Generic Businesses and has wide experience in markets like US, South East Asia, Africa, Bangladesh, and Sri Lanka. Currently, he also mentors, start ups and works in Social Sector.

He is qualified Management Accountant and Company Secretary and has a Masters Degree in Commerce. He has completed the Pfizer Leadership Development Program from Harvard University and the Senior Management Development Program from IIM, Ahmadabad. He has also done a Certificate course on Marketing Strategy from Columbia Business School, New York.

He was awarded the 'India CFO 2004 – Excellence in Finance in an MNC' by International Market – Assessment Group, the Bharat Shiromani Award in 2007 and the Pharma Leaders - Pharma Professional of the year 2010.

श्री राजकिरण रै जी.
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri Rajkiran Rai G.
Managing Director &
Chief Executive Officer

श्री राजकिरण रै जी. 01 जुलाई, 2017 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं. इनके कार्यकाल का विस्तार 31.05.2022 तक किया गया है.

19.05.1962 को जन्में, श्री राजकिरण रै जी. को बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है एवं आप औद्योगिक वित्त शाखा, क्षेत्र एवं अंचल कार्यालयों के प्रमुख रहे हैं. आपने अपने करियर की शुरुआत 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में की और देश के विभिन्न भागों में अनेक शाखाओं के प्रमुख के रूप में 17 वर्षों से अधिक कार्य करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त है. महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर उन्हें मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यभार सौंपा गया. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पूर्व आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई अंचल के क्षेत्र महाप्रबंधक थे.

आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू.के.) लि., यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और एक्सिम बैंक तथा ओरिएंटल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं. इसके पहले, आप केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि. के बोर्ड में भी कार्यरत थे.

उपर्युक्त के अलावा, वर्तमान में श्री रै निम्नलिखित पदों पर आसीन हैं :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्मिक प्रबंधन के लिए समुचित प्रशिक्षण एवं समुचित कार्यक्रमों को तैयार करने के संबंध में बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीएस) की परामर्श समिति के प्रमुख.
- भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के उपाध्यक्ष.
- भारतीय बैंक संघ की प्रबंध समिति के सदस्य.
- आईबीए की एचआर एवं आईआर संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष.
- आईबीए की वेतन समझौता समिति के अध्यक्ष.
- कामगार यूनियन के मांग पत्र पर चर्चा हेतु समझौता समिति के अधीन कोर समूह के सदस्य.
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के शासी बोर्ड के अध्यक्ष.
- सतर्कता एवं गैर सतर्कता के संबंध में विभिन्न अनुशासनात्मक मामलों के वर्गीकरण हेतु बैंकों के लिए एक समान प्रणाली का अध्ययन एवं संस्तुति करने की समिति के अध्यक्ष.

- नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि के परामर्श बोर्ड के सदस्य.
- ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान (बर्ड) के शासी निकाय के सदस्य.
- भारतीय रिजर्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईएएफ) के सदस्य.
- भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के उपाध्यक्ष.
- भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के सीईओ के चयन हेतु सर्च कमेटी के अध्यक्ष.

आपने कृषि विज्ञान में स्नातक किया है और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं. बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है. आप में सीखने की जिज्ञासा है एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में विभिन्न कार्यपालक संवर्धन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं.

Shri Rajkiran Rai G. is Managing Director & CEO of Union Bank of India since July 1st, 2017. His tenure has been extended till 31.05.2022.

Born on 19.05.1962, Shri Rai has more than three decades of rich banking experience which includes heading Industrial Finance Branch, Regions and Zonal Offices. Starting his career in 1986 as an Agricultural Finance Officer in Central Bank of India, Shri Rai rose through ranks while heading various branches at different parts of the country for more than 17 years. On his elevation as General Manager, he was given the responsibility of heading Human resource Development Department. He was the Field General Manager of Mumbai Zone of Central Bank of India, when he was elevated to the post of Executive Director of Oriental Bank of Commerce.

He is the Chairman of Union Bank of India (U.K.) Limited, Union Asset Management Company and Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited and Director on the Board of EXIM Bank and Oriental Insurance Company Limited. Earlier, he also served on the Board of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.

Apart from the above, Shri Rai, is presently holding the following positions:

- Head of the Committee to advise the Banks Board Bureau (BBB) on evolving suitable training & development programs for management personal in public sector banks.
- Deputy Chairman, Indian Banks' Association (IBA)
- Member, Managing Committee of IBA.
- Chairman, Standing Committee on HR & IR of IBA.
- Chairman, Wage Negotiation Committee of IBA.
- Member, Core Group under Negotiating Committee for discussions on Charter of Demands with Workmen Unions.
- Chairman, Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS).
- Chairman, Committee to study and recommend a uniform system for the banks for classification of various disciplinary cases as vigilance and non vigilance.
- Member, Advisory Board for Financial Inclusion Fund of NABARD.
- Member, Governing Council of Bankers Institute of Rural Development (BIRD).
- Member, Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) of Reserve Bank of India.
- Vice-President, Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).
- Chairman of Search Committee for Selection of CEO of Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).

Shri Rai is an agricultural science graduate and also a certified member of Indian Institute of Bankers. He has also been conferred Honorary Fellowship by Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) in recognition of his invaluable contribution in the field of banking and finance. A vivid learner, he has benefitted of several executive development programmes at prestigious institutions of the country.

श्री गोपाल सिंह गुसाईं
कार्यपालक निदेशक
Shri Gopal Singh Gusain
Executive Director

श्री गोपाल सिंह गुसाईं ने दिनांक 20.09.2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है.

58 वर्षीय श्री गोपाल सिंह गुसाईं गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट सदस्य हैं. आप ट्रेजरी, इनवेस्टमेंट एवं जोखिम प्रबंधन में भी डिप्लोमा धारक हैं.

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) से कैरियर प्रारम्भ करते हुए श्री गुसाईं के पास 24 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों (फील्ड) में तथा प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव है. आपको ऋण एवं जोखिम प्रबंधन में कार्य करने का गहन अनुभव है. आपने हांगकाँग परिचालनों के मुख्य कार्यपालक, ग्रुप मुख्य रिस्क ऑफिसर, ग्रुप अनुपालन अधिकारी एवं महाप्रबंधक वसूली और महाप्रबंधक कार्पोरेट क्रेडिट जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है.

आप पीएनबी की उस टीम के कोर सदस्य थे, जिसने रिस्क मॉडेल्स एवं सिस्टम्स विकसित किया तथा लार्ज कार्पोरेट क्रेडिट स्ट्रक्चर विचारधारा (संकल्पना) विकसित की. आप केंद्रीयकृत ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली के विकास से जुड़े रहे तथा पीएनबी में ऋण संबंधी कार्रवाइयों के लिए ईएएसई (ईज) कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण किया.

आपको ट्रेकिंग में गहन रुचि है.

Shri Gopal Singh Gusain assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 20.09.2018.

Shri Gopal Singh Gusain, aged 58 years, is a Science graduate from Garhwal University and is an Associate Member of Institute of Cost & Management Accountants of India and Indian Institute of Bankers. He also holds diploma in Treasury, Investment and Risk Management.

As a career banker with the Punjab National Bank (PNB), Shri Gusain has exposure of 24 years of working in field as well as administrative offices. He has worked in credit and risk management function extensively. He has held various positions such as Chief Executive of Hong Kong Operations, Group Chief Risk Officer, Group Compliance Officer and General Manager Recovery, General Manager Corporate Credit.

He was core member of team which developed risk models & systems of PNB and also developed concept of large corporate credit structure. He was involved in developing Centralized Loan Processing System and was over looking EASE implementation in PNB for credit related actions.

He has active interest in trekking.

श्री दिनेश कुमार गर्ग,
कार्यपालक निदेशक
Shri Dinesh Kumar Garg
Executive Director

श्री दिनेश कुमार गर्ग ने दिनांक 02.11.2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया.

58 वर्षीय, श्री गर्ग, इंदौर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में (प्रथम श्रेणी से) स्नातकोत्तर हैं और आपने बी. कॉम ऑनर्स में विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में 5 वां स्थान प्राप्त किया है. आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं.

इस पदोन्नति से पूर्व, आप बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग तथा सिस्टम एवं मैनेजमेंट विभाग में महाप्रबंधक थे, जहां आपके नेतृत्व में विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार एवं ढांचागत परिवर्तन हुए एवं आपने ग्राहकों हेतु कई नए उत्पादों की शुरुआत की.

श्री गर्ग को तीन दशक से अधिक के बैंकिंग कैरियर में, शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों दोनों में गहन कार्य का अनुभव प्राप्त है. देश के कई भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न आकार की शाखाओं के प्रमुख होने के अलावा, आपने बिहार के मुजफ्फरपुर अंचल और मुंबई के दक्षिण अंचल (बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अंचल) के अंचल प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है.

महाप्रबंधक के रूप में, आपने वर्ष 2015-2017 के दौरान नई दिल्ली में स्थित (उत्तर भारत के 7 राज्यों को कवर करने वाले) सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैंक समूह (क्षेत्र महाप्रबंधक) उत्तर-1 के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है. उत्तर-1 के महाप्रबंधक के रूप में कार्यकाल के दौरान, आप कौशल विकास (भारत सरकार) की क्रेडिट फंड योजना की प्रबंधन समिति के सदस्य भी थे.

श्री गर्ग तीन वर्ष से अधिक समय तक विदेश के जापान केंद्र (टोकियो एवं ओसाका) में पदस्थ थे. आपने बैंक ऑफ इंडिया की सिंगापुर शाखा का निरीक्षण और लेखापरीक्षा का संचालन किया है.

Shri Dinesh Kumar Garg assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 02.11.2018.

Shri Garg, aged 58 years, is a post graduate in Commerce (First Class) from Indore University and held 5th Rank in Merit List of the University in B. Com. Honours. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Prior to his elevation, he was General Manager at Bank of India (BOI), heading Business Process Re-engineering and Systems & Management Department of the Bank where he was spearheading improvement in various processes, structural changes and developed various new products and customer offerings.

Shri Garg in his Banking Career of over three decades has worked extensively both in the field and administrative offices. Apart from heading various branches of all sizes in various geographic areas of the country, he also worked as Zonal Manager of Muzaffarpur Zone, Bihar and Mumbai South Zone (largest zone of BOI).

As General Manager, he headed one of the largest and important National Banking Group (Field General Manager) North-1, headquartered at New Delhi (spread over 7 states of North India) during 2015-2017. During his tenure as General Manager, North-1, he was also designated as a member of Management Committee on Credit Fund Scheme for Skill Development (Govt. of India).

Shri Garg also had a stint Abroad at Japan Centre (Tokyo and Osaka) for more than three years. He had also conducted Inspection & Audit of Singapore Branch of Bank of India.

श्री मानस रंजन बिस्वाल
कार्यपालक निदेशक
Shri Manas Ranjan Biswal
Executive Director

श्री मानस रंजन बिस्वाल ने 01.03.2019 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है.

58 वर्षीय श्री बिस्वाल विज्ञान स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. आपने 1985 में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण किया था तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व आप पीएनबी के कॉर्पोरेट कार्यालय में रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख थे.

श्री बिस्वाल एक अनुभवी बैंकर हैं, आपको विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने का 33 वर्ष का अनुभव प्राप्त है. आपने पीएनबी, दुबई शाखा एवं मिडल ईस्ट ऑपरेशन में सीईओ के रूप में 3 वर्ष से अधिक समय तक तथा पीएनबी पूर्वांचल के अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है. आप कॉर्पोरेट स्तर पर पीएनबी के ऋण अनुश्रवण एवं समीक्षा प्रभाग, वसूली प्रभाग, रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख रह चुके हैं.

Shri Manas Ranjan Biswal assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 01.03.2019.

Shri Biswal, aged 58 years is a Graduate in science and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He joined Punjab National Bank (PNB) in 1985 as a Management Trainee and prior to his elevation as Executive Director of Union Bank of India, He was General Manager at the Corporate Office of the PNB heading the Resolution and NCLT Division.

Shri Biswal is a seasoned banker with over 33 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices, Zonal Offices and Corporate Office Level. He has also worked for more than 3 years as CEO of PNB's Dubai Branch and Middle East operations and as Zonal Head of PNB's Eastern Zone. At Corporate level, he has headed the Credit Monitoring and Review Division, Recovery Division, Resolution and NCLT Division of PNB.

श्री बिरुपाक्ष मिश्रा
कार्यपालक निदेशक
Shri Birupaksha Mishra
Executive Director
(w.e.f. 1st April, 2020)

श्री बिरुपाक्ष मिश्रा ने 01.04.2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण से पहले, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से आप पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक में कार्यपालक निदेशक थे.

59 वर्षीय श्री मिश्रा स्नातकोत्तर एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. उन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत 1984 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की एवं महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे. आपका विभिन्न प्रशासनिक व कार्यनिष्पादन क्षमताओं में शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर 36 वर्षों से अधिक का उत्कृष्ट अनुभव है. आपने बैंकिंग के कई क्षेत्रों में कार्य किया है एवं ऋण, ऋण अनुश्रवण, सूचना प्रौद्योगिकी संविभाग आदि का नेतृत्व किया है.

वर्तमान में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक हैं एवं वित्त, वसूली, लेखापरीक्षा एवं अनुपालन वर्टिकल के प्रमुख हैं.

Shri Birupaksha Mishra assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on 01.04.2020. Before joining Union Bank of India, he was Executive Director of erstwhile Corporation Bank w.e.f. 26.12.2018.

Shri Mishra, aged 59 years, is a Post Graduate and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He started his banking career as a Probationary Officer in the year 1984 and rose to a level of General Manager at Central Bank of India. He has a rich experience of more than 36 years in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices and also at the Corporate Office. He has worked in various facets of Banking and has handled different portfolios including Credit, Credit Monitoring and IT etc.

Currently as Executive Director of Union Bank of India, he heads Finance, Recovery, Audit & Compliance Verticals.

डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Dr. Madnesh Kumar Mishra
Government Nominee Director

डॉ. मदनेश मिश्रा 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं. वर्तमान में, आप वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं.

आपको दिनांक 22.07.2016 से बैंक के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से संगठनात्मक व्यवहार में पीएचडी और उत्पादन इंजीनियरिंग में बी. टेक किया है. आपने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है. आप भारत के राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लैब के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मोंट्रीयल में विश्व-डोपिंग विरोधी एजेंसी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक सदस्य थे. वर्तमान में, आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. के बोर्ड के निदेशक, भारतीय पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य एवं प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव के गवर्नर बोर्ड में भी सदस्य हैं.

डॉ. मिश्रा आईएसओ 9001 और आईएसओ 17025 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणित प्रमुख लेखा परीक्षक थे. आपने योग, समत्व और संगठनात्मक रचनात्मकता से संबंधित विषयों पर नौ संगोष्ठियों में लेख भी प्रस्तुत किए हैं. आपने अपनी पीएचडी थीसिस के दौरान व्यक्ति में समत्व को मापने के लिए साइकोमेट्रिक स्केल विकसित किया है.

Dr. Madnesh Mishra is an officer of Indian Revenue Service (IRS) belonging to 1990 batch. At present, he is a Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

He has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 22.07.2016. He has done Ph.D. in Organisational Behaviour from XLRI, Jameshdpur and B.Tech in Production Engineering. He has worked in various capacities in Income Tax Department and on deputation in Ministry of Youth affairs and Sports as Executive Director of Sports Authority of India under Central Staffing Scheme. He was the first Chief Executive Officer of National Dope Testing Lab of Sports Authority of India and founding member of World Anti-Doping Agency representing India at Montreal. At present, he is also a Director on the Board of United India Insurance Co. Ltd., member in the board of Pension Fund Regulatory & Development Authority, Indiaand member in the Board of Governors of Management Development institute, Gurgaon.

Dr. Mishra was certified lead auditor of ISO 9001 and ISO 17025 Quality Management System. He has presented 9 papers in Seminars on topics related to Yoga, Samatva and Organisational Creativity. He has developed psychometric scale to measure Samatva in a Person as his Ph.D. thesis.

श्री अरुण कुमार सिंह
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

Shri Arun Kumar Singh
RBI Nominee Director

वर्तमान में श्री अरुण कुमार सिंह अप्रैल 2019 से, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर हैं तथा राजस्थान राज्य में मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग / गैर बैंकिंग विकास, सरकारी बैंकिंग आदि के क्षेत्र में केंद्रीय बैंकिंग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं.

उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य करने से पूर्व वाणिज्यिक बैंक में कार्य किया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, गैर-बैंकिंग एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है. वह गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण कार्य से लंबी अवधि से जुड़े रहे तथा उन्होंने उत्तर क्षेत्र की ऐसी कई कंपनियों में प्रधान निरीक्षक अधिकारी के रूप में सेवाएँ प्रदान की हैं. उन्होंने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों हेतु प्रधान निरीक्षक अधिकारी / वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है तथा वे प्रक्रिया एवं विकास से संबंधित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (RBS) के साथ-साथ बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा से जुड़े रहे हैं. वह बैंकों के लिए नियामक नीतिओं को तैयार करने में शामिल रहे हैं तथा उन्होंने मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया के तहत नियामक एवं विकास मामलों में सहायता प्रदान की है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नामित निदेशक के रूप में भी सेवाएँ प्रदान की हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक में तकनीकी विकास, खासतौर से ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर मुद्रा प्रबंधन व सरकारी बैंकिंग, उद्यम पहुँच प्रबंधन प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, बोर्ड मीटिंग सोल्यूशन, अन्य आंतरिक ऐप आदि के क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका रही है.

श्री सिंह ने अर्थशास्त्र में स्नातक तथा वित्त एवं मानव संसाधन में एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है. वह भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीआईआईबी) भी हैं.

Shri Arun Kumar Singh is currently Regional Director, Reserve Bank of India at Jaipur since April 2019 and is fulfilling his Central Banking responsibilities in the area of currency management, financial inclusion, financial literacy, banking / non-banking development, Government banking, etc. in the state of Rajasthan.

He had worked in commercial bank before he joined Reserve Bank of India 30 years back and has had a wide & rich experience of working in RBI in various capacities in the areas of Government Banking, Financial Inclusion, Non-Banking and Banking Supervision, Banking Regulation, Monetary Policy, Information Technology, etc. He was actively engaged in regulation and supervision of non-banking financial companies for long period and also served as Principal Inspecting Officer for a number of such companies in the northern region. He has acted as Principal Inspecting Officer / Senior Supervisory Manager for various commercial banks and was associated with Asset Quality Review of banks as well as Risk-based Supervision (RBS) related processes and development. He was involved in framing regulatory policies for banks as well and assisted in regulatory and development issues

under monetary policy formulation process. Besides, he also served as a nominee director on one Regional Rural Bank. During the last one year of his stint in Central Office at Mumbai, he was at the forefront of technology development in Reserve Bank of India, particularly in the area of currency management & Government banking on e-Kuber platform, Enterprise Access Management System, Electronic Document Management System, Board Meeting Solution, other Internal Apps, etc.

Shri Singh has done his Graduation in Economics and MBA in Finance and HR. He is also a Certified Associate of the India Institute of Banking (CAIIB).

श्री राजीव कुमार सिंह
सनदी लेखाकार निदेशक

Shri Rajiv Kumar Singh
Chartered Accountant Director

श्री राजीव कुमार सिंह आईसीएआई के फेलो सदस्य हैं. आप यूनियन बैंक के निदेशक मण्डल में हैं एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं. आप सूचना प्रणाली के प्रमाणित लेखापरीक्षक (यूएसए) आईसीएआई के अर्हित मूल्यांकक तथा आईबीबीआई के पंजीकृत मूल्यांकक हैं.

आप कारोबार के मूल्यांकन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट वित्त और रणनीति, विलयन और अधिग्रहण, रिस्ट्रक्चरिंग, विदेशी विनिमय जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने पिछले 25 वर्षों में, भारत एवं विदेश में जटिल संव्यवहारिक मूल्य विश्लेषण किए हैं. साथ ही, उनके पास आर्थिक हर्जाने सहित मुकदमेबाजी से संबंधित अनेक मामलों में परामर्शदाता या एक्सपर्ट विटनेस के रूप में अनुभव प्राप्त है. श्री सिंह, आर्थिक हर्जाने, ट्रान्सफर प्राइसिंग एवं संव्यवहारिक विवादों से संबंधित अग्रणी मूल्यांकन मामलों में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (एलसीआईए) एवं आईटीएटी सहित भारत और विदेश में एक्सपर्ट विटनेस के रूप में सक्रिय भूमिका में रहे हैं.

श्री सिंह ने मूल्यांकन, बैंकिंग एवं कॉर्पोरेट फाइनेंस से संबंधित विषयों पर प्रस्तुति, निर्देश एवं लेख प्रदान किए हैं. आप आईआईएम बेंगलुरु, आईसीएआई, आईसीएसआई, आईआईसीए, आईसीएएन, वीजीएसओएम (आईआईटी खड़गपुर), आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, एसोचेम, पीएचडी चेम्बर्स एवं अन्य समान फोरम सहित विभिन्न पेशेवर एवं औद्योगिक मंचों पर मूल्यांकन, बैंकिंग एवं वित्त से संबंधित विषयों पर 700 से अधिक संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वक्ता रह चुके हैं. इन्होंने 2008 से भारत और नेपाल में 7000 से अधिक सनदी लेखाकारों/कंपनी सचिवों/एमबीए को प्रशिक्षित किया है. प्रथम संयुक्त तकनीकी निदेशक एवं आईसीएआई के वेल्यूएशन एण्ड मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस पाठ्यक्रम के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उनकी भूमिका यादगार रही. आप भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान में सहायक संकाय एवं मूल्यांकन पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक रह चुके हैं. आप आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड के विशेष अतिथि के सदस्य के रुप में शामिल किए जा चुके हैं एवं आईसीएआई द्वारा बैंकिग एवं वित्तीय क्षेत्र पर गठित कार्य बल के सदस्य भी हैं.

श्री सिंह ने आईसीएआई द्वारा 2010 में जारी भारत में प्रथम कारोबार मूल्यांकन मानक तथा आईसीएआई व आईसीएसआई के प्रथम मूल्यांकन पाठ्यक्रम को डिजाइन एवं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आप IndAS-113 (उचित मूल्य मापन) विकसित करने हेतु गठित आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड के सदस्य रहे हैं. आपने आईसीएआई के प्रथम विदेशी विनिमय व ट्रेजरी प्रबंधन पाठ्यक्रम और मास्टर ऑफ बिजनेस फाइनेंस कोर्स को डिजाइन एवं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Shri Rajiv Kumar Singh is a fellow member of the ICAI. He is on the Board of Union bank of India and is the Chairman of the Audit Committee of the Board. He is a qualified Certified Information system auditor (USA), a qualified valuer from the ICAI and a registered valuer with IBBI.

Shri Singh is a recognized expert on business valuation, banking, corporate finance and strategy, M&A and restructuring, forex risk management and internal controls. Over the past twenty five years he has carried out large number of complex valuation analyses in India and abroad. He also has experience, serving as either an expert witness or consultant in array of valuation related to litigation including economic damages. Shri Singh has been retained and testified as an expert witness in India and abroad including The London Court of International Arbitration (LCIA), and ITAT in leading valuation cases relating to economic damages, transfer pricing and transactional disputes.

Shri Singh has presented, instructed and written on topics related to valuation, banking and corporate finance. He has been a speaker in more than 700 seminars and training

programs on valuation, banking and finance related topics at different professional and industry platforms including IIM Bangalore, ICAI, ICSI, IICA, ICAN, VGSOM (IIT KGP), IIT Roorkee, IIT Delhi, ASSOCHAM, PHD Chambers and other similar forums. Since 2008, he has trained more than 7000 Chartered Accountants/Company Secretaries/ MBAs in India and Nepal. He cherished his role as the first Joint Technical Director and Visiting Professor of Valuation and Masters in Business Finance courses of the ICAI. He is an adjunct faculty and course director of the valuation course of Indian Institute of Corporate Affairs (IICA). He has been inducted as a member of Special Invitees of the Valuation Standards Board of the ICAI and is also a member of the Task Force on Banking & Finance sector constituted by the ICSI.

Shri Singh contributed significantly in developing the first Business Valuation Standards in India issued by the ICAI in 2010, and designing and delivering the first valuation course of the ICAI and the ICSI. He was a member of the Accounting Standards Board of the ICAI constituted for development of IndAS-113 (Fair Value Measurement). He has also contributed significantly in designing and delivering the first Forex and Treasury Management course and Master of Business Finance course of the ICAI.

डॉ मदुरा स्वामीनाथन
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Dr. Madhura Swaminathan
Part-Time Non-Official Director

डॉ. मदुरा स्वामीनाथन को 27.12.2017 से बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की है तथा खाद्य सुरक्षा, कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रही हैं.

डॉ मदुरा स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष तथा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बेंगलोर के इक्नोमिक्स एनालिसिस यूनिट की प्राध्यापक एवं प्रमुख हैं.

आप प्रगतिशील अर्थशास्त्री के रूप में आठ किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें से एक किताब भारत में खाद्य नीति पर है. आपने भारत सरकार की दीर्घावधि अनाज पॉलिसी पर उच्च स्तरीय समिति, यूएन कमिटी ऑन डेवलप्मेंट पॉलिसी एवं इंटरनैशनल पोटेटो सेंटर, लिमा, पेरु के निदेशक मंडल में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं.

Dr. Madhura Swaminathan has been appointed as Part-Time Non-Official Director of the Bank w.e.f. 27.12.2017. She has a doctorate in Economics from the University of Oxford and works on issues pertaining to food security, agriculture and rural development.

Dr. Madhura Swaminathan is the Chairperson of M S Swaminathan Research Foundation and Professor & Head of Economic Analysis Unit of Indian Statistical Institute, Bangalore.

A development economist, she has authored eight books including one on food policy in India. She has served on Government of India's High Level Committee on Long Term Grain Policy, the UN Committee on Development Policy and on the Board of International Potato Centre in Lima, Peru.

डॉ. के. रमेश
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
31.03.2020 तक

Dr. K. Ramesha
Part-Time Non-Official Director
(till 31.03.2020)

डॉ. के. रमेश, अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में मास्टर एवं डॉक्टरेट, ने 80 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की तथा बाद में केरल कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया.

संकाय सदस्य के रूप में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल बैंकिंग में कार्य करने के पश्चात डॉ. रमेश ने 1996 में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे में कार्य ग्रहण किया. फाइनांस एरिया ग्रुप में प्रोफेसर के रूप में डॉ. रमेश स्नातकोत्तर शिक्षण, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और शोध /परामर्श गतिविधियों में सक्रिय हैं. पुणे विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को बैंकिंग और वित्त में मार्गदर्शन देने के अलावा डॉ. रमेश ने व्यावसायिक जर्नल और विख्यात पत्रिकाओं में सामान्य बैंकिंग, एसएमई वित्त, माइक्रो क्रेडिट/एसएचजी, को-ऑपरेटिव बैंकिंग और रिटेल वित्त से संबंधित 50 शोध लेख प्रकाशित किए हैं.

आपने एनआईबीएम में डीन - एज्यूकेशन एवं डीन रिसर्च के रूप में भी कार्य किया है. आपके नेतृत्व में एनआईबीएम में अनेक उच्च/ वरिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और परामर्शदात्री कार्यों का सफल आयोजन किया गया है.

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट में दो दशक से अधिक प्रोफेसर एवं डीन के रूप में कार्य करने के पश्चात डॉ. रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, गुवाहाटी में निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया.

Dr. K Ramesha with first-class Masters and Doctorate in Economics started his career as Lecturer with Department of Economics, University of Mysore in the early eighties and subsequently worked for Kerala Agricultural University as Assistant Professor.

After a brief stint with National Centre for Rural Banking as a member of faculty, Dr. Ramesha joined National Institute of Bank Management (NIBM), Pune in 1996. As a Professor in the Finance Area Group, He actively participated in post graduate teaching, corporate training and research / consulting activities. Apart from guiding Ph.D. students of University of Pune, in the area of banking and finance, he has published around 50 research papers in professional journals and reputed magazines mainly in the areas of general banking, SME finance, micro credit / SHGs, co-operative banking and retail finance.

At NIBM, He also served as Dean – Education and Dean – Research. At NIBM, several top / senior level training programmes, workshops, seminars and consulting assignments were successfully organized / completed under his stewardship.

After serving NIBM as Professor & Dean for more than two decades, he has taken charge as the Director, Indian Institute of Bank Management, Guwahati, another RBI sponsored institute.

डॉ उत्तम कुमार सरकार
शेयरधारक निदेशक
Dr. Uttam Kumar Sarkar
Shareholder Director

डॉ उत्तम कुमार सरकार को दिनांक 28.06.2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन: चयनित किया गया है. आपने कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में पीएच.डी. और एम.टेक की उपाधि प्राप्त की है. आपको शिक्षण क्षेत्र में 28 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है. वर्तमान में, आप भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता में प्रबंधन सूचना प्रणाली समूह के प्रोफेसर हैं.

डॉ. सरकार जून, 2015 से जून, 2018 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड के निदेशक और अप्रैल, 2015 से अप्रैल, 2018 तक आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क के निदेशक मंडल के सदस्य थे. आप फ्लॉरिडा विश्वविद्यालय, यूएसए में अतिथि प्रोफेसर और भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली में सहायक प्रोफेसर थे. आपके अनुसंधान प्रकाशन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं और आप शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं स्वचालन के क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए परामर्शी कार्यों से जुड़े थे.

Dr. Uttam Kumar Sarkar has been re-elected as a Shareholder Director of Union Bank of India w.e.f. 28.06.2018 for a period of three years. He is Ph.D. & M.Tech in Computer Science & Engineering. He has more than 28 years of teaching experience. Presently, he is Professor of Management Information System Group at Indian Institute of Management (IIM), Calcutta.

Dr. Sarkar was a Director on the Board of the Union Bank of India from June, 2015 to June, 2018 and a Member of the Board of Directors of IIM Calcutta Innovation Park from April, 2015 to April, 2018. He was a Visiting Professor at University of Florida, USA and Assistant Professor at Indian Institute of Technology (IIT), Delhi. His research publications appeared in major international journals and he carried consulting assignments for the Government of India in areas including education, food processing, agriculture and automation.

श्री के कदिरेसन
शेयरधारक निदेशक

Shri K. Kadiresan
Shareholder Director

श्री के. कदिरेसन को दिनांक 28.06.2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयर धारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया है. उन्होंने विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर एवं कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है. आप भारतीय जीवन बीमा के दक्षिण अंचल के अंचल प्रमुख हैं, जिसमें तमिलनाडु और केरल राज्य के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी एवं माहे भी शामिल है. इससे पूर्व आप भारतीय जीवन बीमा निगम (पेंशन एवं समूह योजना) के कार्यपालक निदेशक थे.

श्री कदिरेसन को जीवन बीमा उद्योग के महत्वपूर्ण विभागों जैसे विपणन, कॉर्पोरेट संप्रेषण, वित्त व लेखा, मानव संसाधन एवं निवेश परिचालन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है. इससे पूर्व आप भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्णत: स्वामित्व वाली ओवरसीज सहायक कंपनी एलआईसी सिंगापुर प्रा. लि. के प्रथम सीईओ रहे हैं.

Shri K. Kadiresan has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 28.06.2018 for a period of three years. He is a Master of Marketing Management and Master of Arts. He is the Zonal Manager of Southern Zone of Life Insurance Corporation of India, comprising of the States of Tamil Nadu and Kerala as well as the Union Territories viz. Pondicherry and Mahe. Prior to this, he was the Executive Director (Pension & Group Schemes) of Life Insurance Corporation of India.

Shri Kadiresan has over 3 decades of experience in the Life Insurance Industry, in pivotal departments such as Marketing, Corporate Communication, Finance & Accounts, Human Resources & also Investment Operations. He has served as the first CEO of the LIC's wholly owned overseas subsidiary LIC Singapore Pvt. Ltd.

डॉ. जयदेव एम
शेयरधारक निदेशक

Dr. Jayadev M.
Shareholder Director

डॉ जयदेव एम. को दिनांक 28.06.2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आपने कॉमर्स में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी किया है. वर्तमान में, आप आईआईएम बेंगलोर में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं.

डॉ. जयदेव को न केवल भारत के प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है. आपने विभिन्न पुस्तकों एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध संबंधी लेखों का प्रकाशन किया है तथा आपने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार एवं प्रशंसा अर्जित की है. आप बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सहायक कंपनी बीजीएसई फाइनेंशियल्स लिमिटेड, के निदेशक मण्डल के एक सदस्य एवं स्टार्ट-अप वेंचर्स के बोर्ड में थे.

Dr. Jayadev M. has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 28.06.2018 for a period of three years. He is Post Graduate in Commerce and Ph.D. in Business Management. Presently, he is Professor of Finance & Accounting at IIM, Bangalore.

Dr. Jayadev has rich experience of teaching not only in premier institutions in India but also as a Visiting Professor in various universities abroad. He has published various books and research articles in national and international journals and has won various awards and accolades in the field of education. He was a member of Board of Directors of BgSE Financials Limited, subsidiary of Bangalore Stock Exchange Limited and on the Board of start-up ventures.

मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER

यथा / As on 31.03.2020

श्री एम. वी. एस. एन. मूर्ति	Shri M. V. S. N. Murthy

महा प्रबंधक / GENERAL MANAGER

1	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt. Monika Kalia
2	श्री एस. के. महापात्रा	Shri S.K. Mohapatra
3	श्री ब्रजेश्वर शर्मा	Shri Brajeshwar Sharma
4	श्री लाल सिंह	Shri Lal Singh
5	डॉ. के. एल. राजू	Dr. K.L. Raju
6	श्री आई. ए. खान	Shri I. A. Khan
7	श्री एम. वेंकटेश	Shri M. Venkatesh
8	श्री एस. एस. चन्द्रशेखर	Shri S. S. Chandrashekhar
9	श्री बी. श्रीनिवास राव	Shri B.Sreenivasa Rao
10	श्री योगेन्द्र सिंह	Shri Yogendra Singh
11	श्री नितेश रंजन	Shri Nitesh Ranjan
12	श्री पी. सत्यनारायण	Shri P. Satyanarayana
13	श्री अतुल कुमार	Shri Atul Kumar
14	श्री जगमोहन सिंह	Shri Jagmohan Singh
15	श्री प्रवीण शर्मा	Shri Pravin Sharma
16	श्री आशीष पांडे	Shri Asheesh Pandey
17	श्री वी. के. टेंभूर्णे	Shri V.K. Tembhurne
18	श्री कल्याण कुमार	Shri Kalyan Kumar
19	श्री बी. एस. वेंकटेश	Shri B.S. Venkatesha
20	श्री वासुदेवन बीजू	Shri Vasudevan Biju
21	श्री अभिजीत बसाक	Shri Abhijit Basak
22	श्री डी. बी. कांबले	Shri D.B. Kamble
23	श्री टी. वी. वेणुगोपाल	Shri T.V. Venugopal
24	सुश्री मीना आर खन्ना	Sushri Meena R Khanna
25	श्री ए. नारायणन	Shri A. Narayanan
26	श्री शैलेश कुमार सिंह	Shri Shailesh Kumar Singh
27	श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril
28	श्री एन. आर. सामल	Shri N.R. Samal
29	श्री पी. के. सोनी	Shri P.K. Soni
30	श्री सी. एम. मिनोचा	Shri C.M. Minocha

उप महा प्रबंधक / Dy. GENERAL MANAGER

यथा / As on 31.03.2020

1.	श्री एस. एच. कंथारिया	Shri S. H. Kantharia
2.	श्री ए. कृष्णास्वामी	Shri A. Krishnaswamy
3.	श्री वी. के. श्रीवास्तव	Shri V. K. Srivastava
4.	श्री भोला प्रसाद	Shri Bhola Prasad
5.	श्री आर. के. जगलान	Shri R..K. Jaglan
6.	श्री वी. के. सिंहल	Shri V. K. Singhal
7.	श्री आशुतोष कुमार	Shri Ashutosh Kumar
8.	श्री एस. के. पाणिग्राही	Shri S. K. Panigrahi
9.	श्री सी. एम. गुप्ता	Shri C. M. Gupta
10.	श्रीमती एस. के. नारकर	Smt. S. K. Narkar
11.	श्री पी. के. दास	Shri P. K. Das
12.	श्री एस. एस. सरोया	Shri S. S. Saroya
13.	श्री ए. के. सिरोही	Shri A.K. Sirohi
14.	श्री ए. वी. मराठे	Shri A.V. Marathe
15.	श्री दिलीप सरूप्रिया	Shri Dilip Sarupria
16.	श्री ए. ए. जैन	Shri A. A. Jain
17.	श्री के. एस. यादव	Shri K. S. Yadav
18.	श्री अखिलेश कुमार	Shri Akhilesh Kumar
19.	श्री राकेश चोपड़ा	Shri Rakesh Chopra
20.	श्री डी. चिरंजीवी	Shri D. Chiranjeevi
21.	श्री जितेन्द्र सिंह तोमर	Shri Jitendra Singh Tomar
22.	श्री टी. सरावनै	Shri T. Saravanai
23.	श्री एन. आर. जैन	Shri N.R. Jain
24.	श्री राजीव मिश्रा	Shri Rajiv Mishra
25.	श्री सर्वेश रंजन	Shri Sarvesh Ranjan
26.	श्री सुमित श्रीवास्तव	Shri Sumit Srivastava
27.	श्री जी. सी. जोशी	Shri G. C. Joshi
28.	श्री विकास कुमार	Shri Vikash Kumar
29.	श्री अमरेन्द्र कुमार	Shri Amarendra Kumar
30.	श्री के. जे. श्रीनिवास राव	Shri K. J. Srinivasa Rao
31.	श्री पी. के. श्रीवास्तव	Shri P. K. Srivastava
32.	श्री रंजन कुमार	Shri Ranjan Kumar
33.	श्री ओ. पी. कारवा	Shri O. P. Karwa
34.	श्री जी. के. सुधाकर	Shri G. K. Sudhakar
35.	श्री अरुण कुमार	Shri Arun Kumar
36.	श्री एस. पी. कर	Shri S. P. Kar
37.	श्री आर विश्वेश्वरन	Shri R. Viswesvaran
38.	श्री गुरतेज सिंह	Shri Gurtej Singh
39.	श्री एस. के. सिंह	Shri S. K. Singh
40.	श्री महाबीर वर्मा	Shri Mahabir Verma
41.	डा. आर. कोसाराजू	Dr. R. Kosaraju
42.	श्री जितेन्द्र मणिराम	Shri Jithender Maniram
43.	श्री विपन सिंह	Shri Vipan Singh
44.	श्री धीरेन्द्र जैन	Shri Dhirendra Jain
45.	श्री राजीव कुमार झा	Shri Rajiv Kumar Jha
46.	श्री अजय श्रीवास्तव	Shri Ajay Shrivastava
47.	श्री एन. चेजीयन	Shri N. Chezhian
48.	श्री ओ. पी. बलोदी	Shri O. P. Balodi
49.	श्री गोकुलानंद दास	Shri Gokulananda Das
50.	श्री अशोक कुमार दास	Shri Ashok Kumar Dash
51.	श्री राजेश कुमार	Shri Rajesh Kumar
52.	श्री आलोक कुमार	Shri Alok Kumar
53.	श्री आर. एल. मीणा	Shri R. L. Meena
54.	श्री ए. के. परीडा	Shri A. K. Parida
55.	श्री जी. बी. त्रिपाठी	Shri G. B. Tripathy
56.	श्री मनोज कुमार	Shri Manoj Kumar
57.	श्री ए. के. एस. चौहान	Shri A. K. S. Chauhan
58.	श्री नवनीत कुमार	Shri Navneet Kumar
59.	श्री के. एस. अनंत	Shri K. S. Anantha
60.	श्री कबीर भट्टाचार्य	Shri Kabir Bhattacharya
61.	श्री एम. के. नंदा	Shri M. K. Nanda
62.	श्री संजय नारायण	Shri Sanjay Narayan
63.	श्री ई. पुल्ला राव	Shri E. Pulla Rao
64.	श्रीमती शालिनी मेनन	Smt. Shalini Menon
65.	श्री ए. के. चौधरी	Shri A.K. Choudhary
66.	श्री जी. बी. मिश्रा	Shri G. B. Mishra
67.	श्री जी. मुरूगन	Shri G. Murugan
68.	श्री एस. के. भार्गव	Shri S. K. Bhargava
69.	श्री एस. शक्तिवेल	Shri S. Sakthivel
70.	श्री वी. के. शुक्ला	Shri V. K. Shukla
71.	श्री बैज नाथ सिंह	Shri Baij Nath Singh
72.	श्री गुना नन्द गामी	Shri Guna Nand Gami
73.	श्री रमेश वेगे	Shri Ramesh Vege
74.	श्री एस. के. दास	Shri S. K. Dash
75.	श्री बरुण कुमार	Shri Barun Kumar
76.	श्री सी. वी. एन. भास्कर राव	Shri C. V. N. Bhaskara Rao
77.	श्रीमती सौम्या श्रीधर	Smt. Sowmya Sridhar
78.	श्री पी. जी. लोखंडे	Shri P. G. Lokhande
79.	श्री मनोज कुमार	Shri Manoj Kumar
80.	श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar
81.	श्री मुकेश भारती शर्मा	Shri Mukesh Bharti Sharma
82.	श्री विकास कुमार सिन्हा	Shri Vikas Kumar Sinha
83.	श्री हरि ओम वत्स	Shri Hari Om Vats
84.	श्री टी. नञ्जुंडप्पा	Shri T Nanjundappa
85.	श्री संतोष कुमार शुक्ला	Shri Santosh Kumar Shukla
86.	श्री एच. के. दास	Shri H. K. Das
87.	श्री एम. के.श्रीवास्तव	Shri M. K. Srivastava
88.	श्री जी. एल. कुंदलवाल	Shri G. L. Kundalwal
89.	श्री हृषीकेश मिश्रा	Shri Hrishikesh Mishra
90.	श्री एम. आर. महाले	Shri M. R. Mahale

वित्त वर्ष 2019-20 की मुख्य बातें

- बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2019 के ₹741307 करोड़ की तुलना में 7.6% वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2020 को ₹797589 करोड़ रहा.
- कुल जमाराशियाँ 31 मार्च, 2019 के ₹415915 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 8.4% की दर से बढ़कर ₹450668 करोड़ हो गया.
- वैश्विक सकल अग्रिम 31 मार्च, 2019 के ₹325392 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 6.6% की दर से बढ़कर ₹346921 करोड़ हो गया.
- कासा जमाराशियाँ 31 मार्च, 2019 के ₹150141 करोड़ की तुलना में 6.8% की दर से बढ़कर 31 मार्च, 2020 को ₹160373 करोड़ हो गयीं. कासा आधार 31 दिसंबर, 2019 के 34.40% की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 119 बीपीएस बढ़कर 35.59% हो गया.
- शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2019 के ₹10215 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 को 12.0% की दर से बढ़कर ₹11437 करोड़ हो गयी.
- वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 2019 के 2.23% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में सुधार के साथ 2.29% हो गया. घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 2019 के 2.28% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में सुधार के साथ 2.36% हो गया.
- गैर ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2019 के ₹4474 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 को 17.6% की वृद्धि के साथ ₹5261 करोड़ हो गयी.
- परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2019 के ₹7521 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 को 22.1% की वृद्धि के साथ ₹9181 करोड़ हो गया.
- अग्रिमों पर आय वित्तीय वर्ष 2019 के 7.71% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020 में सुधार के साथ 7.81% हो गयी.
- आय पर लागत अनुपात वित्तीय वर्ष 2019 में 48.80% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020 में सुधार के साथ 45.02% रहा.
- सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2019 के 14.98% की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 83 बीपीएस घटकर 14.15% हो गया.
- शुद्ध एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2019 को 6.85% की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 136 बीपीएस घटकर 5.49% हो गया.
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च, 2019 को 66.24% के सापेक्ष 31 मार्च, 2020 को 740 बीपीएस सुधार के साथ 73.64% रहा.
- बासल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पुंजी अनुपात 31 मार्च, 2020 को 10.875% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 12.81% रहा. टियर-I और कॉमन इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात 31 मार्च, 2020 को क्रमश: 10.75% और 9.40% रहा.

Highlights for FY 2019-20

- Global Business grew by 7.6% to ₹797589 crore as on March 31, 2020 compared to ₹741307 crore as on March 31, 2019.
- Total Global Deposits grew by 8.4% to ₹450668 crore as on March 31, 2020 compared to ₹415915 crore as on March 31, 2019.
- Global Gross Advances grew by 6.6% to ₹346921 crore as on March 31, 2020 compared to ₹325392 crore as on March 31, 2019.
- CASA deposit increased by 6.8% to ₹160373 crore as on March 31, 2020 compared to ₹150141 crore as on March 31, 2019. CASA base increased by 119 bps to 35.59% as on March 31, 2020 compared to 34.40% as on December 31, 2019.
- Net Interest Income for the FY20 increased by 12.0% to ₹11437 crore as compared to ₹10215 crore in FY19.
- Global Net Interest Margin (NIM) for FY20 improved to 2.29% as compared to 2.23% in FY19. Domestic Net Interest Margin (NIM) for FY20 improved to 2.36% as compared to 2.28% in FY19.
- Other Income for the FY20 increased by 17.6% to ₹5261 crore as compared to ₹4474 crore in FY19.
- Operating profit for FY20 increased by 22.1% to ₹9181 crore as compared to ₹7521 crore in FY19.
- Yield on advances improved to 7.81% for FY 20 as against 7.71% for FY19.
- Cost to income ratio improved to 45.02% for FY20 as against 48.80% for FY19.
- GNPA ratio declined by 83 bps to 14.15% as on March 31, 2020 compared to 14.98% as on March 31, 2019.
- Net NPA ratio declined by 136 bps to 5.49% as on March 31, 2020 compared to 6.85% as on March 31, 2019.
- Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 740 bps to 73.64% as on March 31, 2020 compared to 66.24% as on March 31, 2019.
- CRAR under BASEL III stood at 12.81% as on March 31, 2020 against the minimum regulatory requirement of 10.875%. Tier –I and CET-1 capital ratio stood at 10.75% and 9.40% respectively as on March 31, 2020.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र.सं.	विवरण % (प्रतिशत में)	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
1	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.60	6.71	6.85	6.82
2	ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53	4.80	4.79	4.72
3	ब्याज स्प्रेड/एडब्ल्यूएफ	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16	2.07	1.91	2.05	2.09
4	गैर-ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16	1.02	0.90	0.96
5	परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62	1.50	1.38	1.44	1.38
6	लागत आय अनुपात	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10	46.42	47.26	48.80	45.02
7	सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73	1.54	1.51	1.68
8	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86	(27.99)	(15.57)	-12.52
9	अंतिम आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12	(1.08)	(0.60)	-0.53
10	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13	(1.07)	(0.59)	-0.53
11	अग्रिमों पर प्रतिफल	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72	7.67	7.71	7.81
12	जमाराशियों की लागत	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00	6.28	5.66	5.57	5.56
13	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	-	-	-	-
14	ऋण जमा अनुपात	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45	78.18	79.27	78.00
15	ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)-जमा अनुपात	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82	83.77	86.96	88.35
16	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III)	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56	11.79	11.50	11.78	12.81
	टियर I					7.54	7.50	8.14	9.02	9.07	9.48	10.75
	टियर II					3.26	2.72	2.42	2.77	2.43	2.30	2.06

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
1	कर्मचारी (संख्या)	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877	37587	37262	37318
2	शाखाएं (संख्या)	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282	4301	4292	4284
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)*	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43	17.83	18.79	20.06
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13	20.15	20.06	20.18	24.60
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51	(13.96)	(7.91)	-7.77
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)*	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96	141.50	155.80	163.16	174.76
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74	1.78	1.75	2.14
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13	(1.22)	(0.69)	-0.68
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08	(69.45)	(25.08)	-12.49
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76	157.40	107.36	67.64

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	:	कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल गैर ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
परिचालन व्यय	:	कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटायें
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
आय लागत अनुपात	:	परिचालन व्यय/गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अर्मूत आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिफल	:	शुद्ध लाभ/कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
अग्रिमों पर आय	:	आग्रिमों पर अर्जित ब्याज/औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	:	कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश/शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम/ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां-अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)-जमाराशि अनुपात		कुल अग्रिम +गैर एसएलआर निवेश-अनुषंगी ईकाइयों में निवेश/ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें
प्रति शेयर बही मूल्य	:	नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.60	6.71	6.85	6.82
2	Interest Expenses/AWF	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53	4.80	4.79	4.72
3	Interest Spread/AWF	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16	2.07	1.91	2.05	2.09
4	Non-Interest Income/ AWF	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16	1.02	0.90	0.96
5	Operating Expenses/ AWF	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62	1.50	1.38	1.44	1.38
6	Cost Income Ratio	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10	46.42	47.26	48.80	45.02
7	Gross (Operating) Profit/ AWF	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73	1.54	1.51	1.68
8	Return on Net Worth	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86	(27.99)	(15.57)	-12.52
9	Return on Terminal Assets	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12	(1.08)	(0.60)	-0.53
10	Return on Average Assets	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13	(1.07)	(0.59)	-0.53
11	Yield on Advances	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72	7.67	7.71	7.81
12	Cost of Deposits	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00	6.28	5.66	5.57	5.56
13	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	-	-	-	-
14	Credit - Deposit Ratio	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45	78.18	79.27	78.00
15	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82	83.77	86.96	88.35
16	Capital Adequacy Ratio (Basel III)	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56	11.79	11.50	11.78	12.81
	Tier I					7.54	7.50	8.14	9.02	9.07	9.48	10.75
	Tier II					3.26	2.72	2.42	2.77	2.43	2.30	2.06

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
1	Employees (Number)	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877	37587	37262	37318
2	Branches (Number)	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282	4301	4292	4284
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43	17.83	18.79	20.06
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13	20.15	20.06	20.18	24.60
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51	(13.96)	(7.91)	-7.77
6	Business per branch (Rs in Crore) *	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96	141.50	155.80	163.16	174.76
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74	1.78	1.75	2.14
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13	(1.22)	(0.69)	-0.68
9	Earnings per Share (in Rupees)	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08	(69.45)	(25.08)	-12.49
10	Book Value per Share (in Rupees)	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76	157.40	107.36	67.64

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fornightly average of total assets
Average Deposits	:	Fornightly average of total deposits
Average Advances	:	Fornightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)

Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity share capital
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital

18वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (**''बैंक''**) शेयरधारकों की **18वीं (अठारहवीं) वार्षिक साधारण बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, 2020 को प्रात: 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थान) पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार:

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

विशेष कारोबार:

मद क्र. 2

31 मार्च, 2020 तक बैंक की संचित हानि का समंजन करना.

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित/रहित निम्नलिखित विशेष संकल्पों को पारित करना.

''संकल्प किया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 (**''अधिनियम''**) की धारा 3(2बीबीए), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (**''बीआर अधिनियम''**) की धारा 17(2), राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद 21, यथा संशोधित, किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और प्रदान की जाती है कि बैंक की 31 मार्च, 2020 को ₹32758,49,47,263.10 (बत्तीस हज़ार सात सौ अठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हज़ार दो सौ तिरसठ रुपये दस पैसे मात्र) की संचित हानि का समंजन बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में समंजन की तारीख को शेष राशि के प्रयोग से कर लिया जाए तथा इसका लेखांकन वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में कर लिया जाए.

''**पुन: संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड या कथित उद्देश्य के लिए बोर्ड की समिति द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से आवश्यक या वांछनीय समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया जाये एवं एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Mangesh Mandrekar

स्थान: मुंबई (मंगेश मांद्रेकर)
दिनांक: 4 जुलाई, 2020 कंपनी सचिव

नोट्स:

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

   बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक का संचालन**

   ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए परिपत्र'') द्वारा जारी साधारण परिपत्र क्र.14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 क्रमश: दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 5 मई 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी परिपत्र'') द्वारा जारी परिपत्र क्र.सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) अधिनियमन, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक साधारण बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक साधारण बैठक के लिए अभिप्रेत स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. मद क्र. 02 में वर्णित विशेष कारोबार जो अपरिहार्य है, को बैंक की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में कार्यान्वित किया जाए.

   बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है.

सी) केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी.

डी) एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्र के अनुसार, वार्षिक साधारण बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाज़ार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

ई) चूंकि वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस लिए रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगा, जैसा कि सचिनीय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है.

एफ़) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक साधारण बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक साधारण बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात 10.45 पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने के लिए विंडो बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकता है. वीसी/ओवीएएम में जुड़ने के लिए सूचना पैरा क्र. 14(vii)(ए), (बी) एवं (सी) में वर्णित विवरणों के साथ https://emeetings.kfintech.com पर विजिट करें. बैठक के पूर्व अथवा बैठक के दौरान तकनिकी सहायता के लिये 1800 345 4001 नंबर पर कौल करे.

जी) सदस्यगण नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों के सहभागिता की अनुमति होगी. बड़े शेयरधारकों (अर्थात ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त की बाधा के बिना वार्षिक साधारण बैठक में शामिल हो सकते हैं. संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक साधारण बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी.

आई) चूंकि वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त की जा रही है और एमसीए परिपत्रों के अनुरुप बैंक द्वारा किसी भी परोक्षी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जे) वार्षिक साधारण बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम 2 अगस्त, 2020 को 5 बजे तक किया जा सकता है. स्पीकर के रुप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक साधारण बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें. बैंक समय की उपलब्धता के अनुसार स्पीकर सत्र को समाप्त कर या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा क्र. 12 के अनुसार अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल एड्रैस से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फॉलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.com भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा. तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रुप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं.

के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंक: https://ris.kfintech.com/email_registration में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं.

एल) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कटऑफ तिथि बुधवार, 29 जुलाई, 2020 से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रैस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपाजिटरी द्वारा प्रदान ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड का अद्यतन करेंगे.

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अत: परोक्षी के नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तद्नुसार, वार्षिक साधारण बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी के नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई

जाएगी. इस कारण, परोक्षी के नियुक्ति के संबंध में फार्म एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक साधारण बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक साधारण बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को investorservices@unionbankofindia.com पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 30 जुलाई 2020 को कार्य-समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

5. बुक क्लोजर

शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2020 से मंगलवार दिनांक 4 अगस्त, 2020** तक (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा.

6. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के आरटीए से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 तक के अदत्त लाभांश को आईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वर्ष 2012-13 से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक :https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx का अवलोकन कर सकते हैं. अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध हैं.

7. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैंडेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपाजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रानिक रुप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (''डीपी'') के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रानिक रुप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. ऐसे परिवर्तनों से शेयरधारक के डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को अवगत कराया जाए.

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें :

डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड,
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,
एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
दूरभाष संख्या.: 022-66712001-6

सी) बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की बेवसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

डी) इलेक्ट्रानिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

ई) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रानिक/ डीमेट रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रुप से उल्लेख करें.

8. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशंस लि. को तत्काल सूचित करें:

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

9. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कोविड-19 महामारी और लॉक डाउन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की भौतिक प्रतियाँ प्रेषित नहीं की जाएगी और यह केवल उन शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी बैंक या डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है. बैंक की वेबसाइट एवं स्टॉक एक्सचेंज पर वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी. ई-मेल आईडी अद्यतन के लिए शेयरधारक भौतिक शेयरों के मामले में रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को या शेयर डिमेट फॉर्म में है तो डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट को संपर्क करें.

10. ई-वोटिंग हेतु कट ऑफ तारीख

संशोधित कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014 के नियम 20 के अनुसार, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के संबंध में शेयरधारकों को वोट देने का अधिकार **बुधवार, 29 जुलाई, 2020** से माना जाएगा.

11. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख अर्थात **बुधवार, 29 जुलाई,** 2020 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

12. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को ई-मेल investorservices@unionbankofindia.com, को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से नवीनतम 2 अगस्त, 2020 को सायं 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे. कृपया यह ध्यान रखें कि सदस्यों के प्रश्नों के जवाब केवल तब ही दिया जाएगा यदि वे कट-ऑफ तिथि अर्थात 29 जुलाई, 2020 तक शेयर धारिता को जारी रखते हैं.

इसके अलावा, कट-ऑफ तिथि को शेयर रखने वाले शेयरधारक https://emeetings.kfintech.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और संबंधित आपतियाँ/मत/प्रश्नों को पोस्ट करने के लिए ''post your queries here'' पर क्लिक कर सकते है. ई-मतदान अवधि के दौरान विंडो को सक्रिय किया जाएगा और 2 अगस्त, 2020 को शाम 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा.

13. भौतिक धारण का अमूर्तीकरण

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक भागीदार को स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं बैंक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है. सदस्य जो इलेक्ट्रोनिक रूप से शेयर रखते है उनसे अनुरोध है कि वह अपना पैन का विवरण अपने डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट को दें. भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को अपना पैन का विवरण प्रस्तुत करें. सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से केवल अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है. भौतिक रूप से शेयर्स को रखने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि अपने रखे हुए भौतिक शेयरों से संबंद्ध सभी जोखिमों को दूर करने के लिए अमूर्तीकरण रूप में बदलने पर विचार किया जाए और पोर्टफोलियों प्रबंधन की सुविधा के लिए वे अपने डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट से संपर्क करें, जहां वे डीमैट खाते को संचालित करते है.

14. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

I. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (''आईसीएसआई'') द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवीय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्र के साथ लिस्टिंग विनियम के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक साधारण बैठक में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक साधारण बैठक में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.

II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में भी रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

III. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे.

IV. वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

V. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार दिनांक **1 अगस्त, 2020 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर सोमवार, दिनांक 3 अगस्त 2020 (संध्या 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए **कट ऑफ तारीख बुधवार, 29 जुलाई 2020** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

VI. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक साधारण बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बनता है एवं **कटऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 29 जुलाई, 2020** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.com पर शेयरधारिता के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक को evoting@kfintech.com पर रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात 3 अगस्त, 2020 सायं 5.00 बजे तक लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं

VII. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

ए) इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रैस बार में https://evoting.karvy.com यूआरएल टाइप करें.

बी) आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लाईंट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

सी) उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.

डी) आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नया पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,$,आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें की आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

ई) आपको नए विवरण के साथ पुन: लॉगिन करना पड़ेगा.

एफ़) सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.

जी) वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास जितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR' / 'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

एच) ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमेट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

आई) उचित विकल्प का चयन कर आप अपना वोट दें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि के लिए 'OK' बटन पर क्लिक करें, अन्यथा आशोधन के लिए 'CANCEL' बटन पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि कर देने पर, इसके बाद आपको अपने वोट में किसी प्रकार के आशोधन की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, आपने संकल्प के लिए वोट किया है कि पुष्टि करने तक आप अनेकों बार लॉगिन कर सकते हैं.

जे) कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ़, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ़/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो info@jmja.in ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, की अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी

इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVENT No 5364' के प्रारूप में रखें.

VIII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, https:/ /evoting.karvy.com पर उपलबध ''अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न'' (FAQs) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 345 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.

IX. इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेंजे या 1800 345 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

X. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात बुधवार, 29 जुलाई, 2020 को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.

XI. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.

XII. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.

XIII. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और परदर्शी बनाने के लिए पेशेवर कंपनी सचिव, मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, को जांचकर्ता के रुप में नियुक्त किया गया है.

XIV. वार्षिक साधारण बैठक शुरु होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

XV. संवीक्षक द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

15. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक साधारण बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट: https://evoting.karvy.com उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

16. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के लिए मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में एक शेयरधारक के साथ ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रुप में कार्य करेगें.

17. बैठक का परिणाम

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्याधीन संकल्प को पारित माना जाएगा.

18. रिकॉर्डडेड ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक साधारण बैठक के रिकॉर्डडेड ट्रांस्क्रिप्ट को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्र. 2: दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बैंक के संचित हानियों का समंजन

केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2020 द्वारा जारी आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन की योजना, 2020 के अध्यधीन आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का 1 अप्रैल, 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित किया गया है. समामेलन को करने का उद्देश्य बदलते परिवेश में अधिक सक्षम एवं बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निर्माण करना एवं बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और कारोबार वृद्धि में परिचालन क्षमता को प्राप्त करना है.

उपर्युक्त को देखते हुए, यह माना जाए कि समामेलित संस्था ने वित्तीय स्थिति पर स्पष्ट एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ नए मार्ग की और अग्रसित होंगे एवं इसकारण बैंक का प्रस्ताव है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को संचित हानियों की राशि ₹32758,49,47,263.10 (बत्तीस हज़ार सात सौ अठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हज़ार दो सौ तिरसठ रुपये दस पैसे मात्र) की संचित हानि का समंजन बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में समंजन की

तारीख को शेष राशि के प्रयोग से कर लिया जाए तथा इसका लेखांकन वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में कर लिया जाए.

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समामेलित संस्था की संचित हानियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पूर्व -कार्पोरेशन बैंक	पूर्व -आंध्रा बैंक	कुल
शेयर प्रीमियम	25,226.18	16,081.95	8,798.74	50,106.86
लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-11,672.67	-13,122.45	-7,963.37	-32,758.49
निवल शेयर प्रीमियम	13,553.50	2,959.50	835.37	17,348.37

शेयर प्रीमियम की उपरोक्त प्रस्तावित कमी को यदि अनुमोदित कर लेखांकन किया जाता है तो इसका प्रभाव यह होगा कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को संचित हानियों की राशि ₹32758,49,47,263.10 (बत्तीस हज़ार सात सौ अठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हज़ार दो सौ तिरसठ रुपये दस पैसे मात्र) तदनुसार कम हो जाएगी.

इस प्रस्तावित समंजन से बैंक की वित्तीय स्थिति का सही रूप प्रदर्शित होगा और विभिन्न अनुपातों यथा प्रति शेयर बही मूल्य, रिटर्न ऑन ईक्विटी, प्रति शेयर आय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा.

इस समंजन से वितरणीय संचयों को बेहतर करने में बैंक को मदद मिलेगी. इससे बैंक अपनी सही आर्थिक स्थिति को भी प्रदर्शित कर सकेगा जो शेयर धारकों को भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि उनके धारण पर बेहतर मूल्य मिलेगा और शेयर धारकों को उचित समय पर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के साथ-साथ अन्य हितों की संभावनाओं का पता लगाने में भी मदद मिलेगी. इस प्रस्ताव से अपने परिवर्तन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में बैंक बेहतर स्थिति में होगा.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 21 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) में संदर्भित चुकता पूंजी को कम करने के लिए शेयर प्रीमियम की किसी भी राशि का समंजन कर सकता है. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) के अनुसार, समय-समय पर, वोट करने योग्य अंशधारियों की वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोटिंग और या जहां परोक्षी की अनुमति हो तो, परोक्षी के द्वारा पारित संकल्प, जो विरोध में दिये गए वोटों का कम से कम तीन गुना हो, से सार्वजनिक निर्गम या राइट्स निर्गम या बोनस शेयर जारी करने या अधिमान्य आबंटन या निजी आबंटन से चुकता पूंजी को कम किया जा सकता है.

चूंकि शेयर प्रीमियम खाते की राशि का प्रस्तावित प्रयोग संचित बैंक की हानियों के समंजन के लिए किया जाएगा और जिसे पूंजी में कमी मानी जाएगी, इसलिए बैंक के शेयर धारकों से विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन का अनुरोध है.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) में प्रावधान है कि जहां बैंक शेयर प्रीमियम और राजस्व आरक्षित खाते में किसी राशि या राशियों का विनियोजन करता है, तो यह ऐसी विनियोजन की तारीख से इक्कीस दिनों के अंदर, रिजर्व बैंक को तथ्य की रिपोर्टिंग करेगा जिसमें ऐसे विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों का उल्लेख रहेगा. निर्धारित समय अवधि के दौरान बैंक इन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा.

शेयर प्रीमियम खाते की कमी जिसमें लाभ एवं हानि खाते में डेबिट शेष का समंजन शामिल है, शेयर प्रीमियम खाते के क्रेडिट को कम करने से बैंक का अपने शेयरधारकों के किसी भी प्रतिफल से उन्मोचन नहीं माना जाता है. तद्नुसार, बैंक की इक्विटि पूंजी संरचना और शेयर प्रीमियम में हुई कमी के फलस्वरूप शेयरधारिता पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

क्र. सं.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते की कमी से पहले		शेयर प्रीमियम खाते की कमी के बाद	
		धारित इक्विटि शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटि शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
1.	प्रमॉटर का होल्डिंग भारत सरकार	5,70,66,60,850	89.07	5,70,66,60,850	89.07
2.	गैर-प्रमॉटर होल्डिंग सार्वजनिक	70,01,83,505	10.93	70,01,83,505	10.93
	कुल	**6,40,68,44,355**	**100.00**	**6,40,68,44,355**	**100.00**

विशेष संकल्प के संदर्भ में बैंक की संचित हानि का प्रस्तावित समंजन सभी लागू विधियों के प्रावधान के अनुरूप रहेगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और रिश्तेदारों में से किसी को भी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा को छोड़कर उपरोक्त प्रस्तावों में हितबद्ध या उससे संबंधित नहीं माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Mangesh Mandrekar

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 जुलाई, 2020

(मंगेश मांद्रेकर)
कंपनी सचिव

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मण्डल को वित्त वर्ष 2019-20 का "लेखापरीक्षित तुलनपत्र" "लाभ एवं हानि खाता", "नकदी प्रवाह विवरण", और "प्रबंधकीय परिचर्चा विश्लेषण" पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 101वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रही है. "कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट" एवं "कारोबारी दायित्व रिपोर्ट" भी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 का एक भाग है.

1. अर्थव्यवस्था अवलोकन

1.1 वर्ष 2019-20 में, एक दशक पहले के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण वैश्विक विकास को कम दर्ज किया गया जो कि पिछले वर्ष की 3.6% की तुलना में 2019 में 2.9% विकास दर दर्ज की गई. बढ़ते हुये व्यापार प्रतिबंधों और संबंधित अनिश्चितता ने पूरे विश्व में कारोबारी माहौल और कार्य-कलापों पर दबाव बनाया है. उभरते हुये और विकासशील बाज़ार दोनों अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही विकसित अर्थव्यवस्था में मंदी आई है.

1.2 वित्तीय वर्ष के अंत में, कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैश्विक विकास का अप्रत्याशित रूप से ह्रास हुआ है. महामारी के कारण वैश्विक लॉकडाउन होने से सभी देशों में आपूर्ति में व्यवधान हुआ जिसके कारण निर्माण और सेवा क्षेत्र में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले. मार्च, 2020 में वैश्विक ऊर्जा की क़ीमतों में गिरावट आई, इक्विटी एवं कर्ज़ बाज़ार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके कारण बेंचमार्क इक्विटी शेयर में गिरावट और बॉन्ड प्रतिफल में मज़बूती आई. सरकार और केंद्रीय बैंकों ने अप्रत्याशित राजकोषीय एवं मौद्रिक उपाय किये ताकि कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन में वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन में 3 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है, जिसमें उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा उन्नत देशों का अनुबंधन शामिल है.

1.3 भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले भी, मंदी का सामना कर रहा था. देश की जीडीपी वित्त वर्ष 19 के 6.1% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2020 में 4.2% बढ़ा. भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 संबंधी व्यवधानों के कारण वित्तीय व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई राजकोषीय और मौद्रिक कार्यवाइयाँ शुरू की गईं.

1.4 नीतिगत स्तर पर, भारत सरकार और विनियामक ने इस वर्ष अनेक उपाय किए हैं. सरकार की ओर से समामेलन की एक बड़ी प्रक्रिया शुरू करते हुए 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का 4 बड़े बैंकों में समामेलन किया गया और 01.04.2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के समामेलन के बाद, आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है. इसी प्रकार, विनियामक स्तर पर, सभी रिटेल संवर्गों में बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड उधार दर (ईबीएलआर) की शुरुआत से मौद्रिक संचारण में सुधार होगा.

2. बैंक का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1919 में स्थापित, 31 मार्च, 2020 तक आपके बैंक की, 29 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों में तथा 3 विदेशी शाखाओं सहित 4,284 शाखाएँ, 6895 एटीएम और 37,318 कर्मचारी शामिल हैं.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य उपलब्धियां :

- शुद्ध ब्याज आय 12% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2020 में ₹11437 करोड़ हुआ.
- परिचालन लाभ 22% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2020 में ₹9181 करोड़ हो गया.
- पीसीआर 31 मार्च, 2019 को 66.24% की तुलना में 31 मार्च, 2020 को बढ़कर 73.64% हो गया.
- शुद्ध एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2019 को 6.85% की तुलना में 31 मार्च, 2020 को घटकर 5.49% हो गया.

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, आपके बैंक में निम्नानुसार कई परिवर्तन / नई प्रक्रियाओं को अपनाया गया है.

2.1 समामेलन: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मुख्य सुधार करते हुये, समामेलन की बड़ी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2020 में शुरु की गई थी. तदनुसार 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बैंकों में समामेलन किया गया. इसी प्रयास के क्रम में 01.04.2020 से आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का समामेलन यूनियन बैंक ऑप इंडिया में किया गया, जिससे यह ईकाई देश के 5वें सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है.

समामेलन का उद्देश्य लागत के युक्तीकरण एवं तकनीकी समावेश के आधार पर शाखाओं के बढ़े हुये नेटवर्क, ग्राहक आधार और तालमेल से अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है. समामेलन के बाद, आपका बैंक 9500 से अधिक शाखाओं, 13300 से अधिक एटीएम, 75,000 से अधिक कर्मचारियों एवं 120 मिलियन से अधिक ग्राहक आधार के साथ और अधिक मज़बूत हो जाएगा. समामेलन के कारण ग्राहक सेवा, उत्पादकता में सुधार के लिए बैंकों में प्रचलित सबसे अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाने पर बल मिलेगा, जिससे उच्च लाभप्रदता होगी.

2.2 ईएएसई (इनहैन्स्ड एसेस अंड सर्विस एक्सलेन्स) : तिमाही आधार पर निर्धारित किए गए प्रत्येक डोमेन में पीएसबी की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2018-19 में (इनहैन्स्ड एसेस अंड सर्विस एक्सलेन्स) ईएएसई शुरु किया गया. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार ने ईएएसई 2.0 की शुरुआत की जो कि ईएएसई 1.0 के आधार पर बनाया गया है और प्रक्रिया एवं व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए 6 थीमों में सुधार के नए बिंदु भी प्रस्तुत किए हैं.

ईएएसई 2.0 के अंतर्गत दिसंबर 2019 तिमाही में आपके बैंक ने 4था स्थान प्राप्त किया है.

कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए, बैंक ने ईएएसई के अंतर्गत कई क्षेत्रों में कार्य किया है जैसे:

- व्यापक और सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन सिस्टम तैयार किया है.
- एनपीए खातों के निपटान के लिए डिजिटल ओटीएस प्लेटफार्म की शुरुआत की गई.
- ऋण खातों की निगरानी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू किए

गए पूर्व चेतावनी सिग्नल सिस्टम में सुधार किये जा रहे हैं.

- बड़ी राशि के खातों के अनुमोदन के बाद विशेषीकृत निगरानी के लिए एजेंसियों के साथ ताल- मेल बैठाया जा रहा है.
- मोबाइल, इंटरनेट, कॉल सेंटर या बैंक मित्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में बढ़ोत्तरी करके वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करना.
- क्रेडिट हामीदारी एवं साइबर सुरक्षा उपाय को मज़बूत करना.

ईएएसई 2.0 दिसंबर 2019 की रैंकिंग हेतु, आपका बैंक "क्रेडिट ऑफ टेक" एवं एमएसएमई के लिए उद्यमी मित्र थीमों में पहले तीन स्थानों में था, जो एमएसएमई क्षेत्र में आवश्यक सहायता प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए "भविष्य कि बैंकिग" नामक थीम के साथ नया ईएएसई सूचकांक ईएएसई 3.0 शुरू किया है. ईएएसई 3.0 के अंतर्गत विशेष ध्यान स्मार्ट, तकनीक सक्षम बैंकिंग पर ध्यान दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य पीएसबी को डिजिटल एवं डेटा आधारित संस्थाएं बनाकर मास बैंकिंग परिदृश्य को बदलना है. आपका बैंक सर्वश्रेष्ठ सेवा एवं ग्राहक अनुभव प्रदान करते हुए अगली पीढ़ी का बैंक बनने हेतु सभी डोमेन, आधारभूत ढांचे और मौजूदा प्रक्रियाओं को और मजबूत कर रहा है.

2.3 यूनियन म्यूचुअल फंड योजनाओं का ऑनलाइन विक्रय:

डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, बैंक अपने संबंधित चैनल भागीदारों के साथ सिस्टम की क्षमताएं बढ़ाने के लिए गहनता से कार्य करता रहा है, ताकि ग्राहक बैंक के तकनीकी इंटरफेस का प्रयोग कर तृतीय पक्ष उत्पाद जैसे बीमा एवं म्यूचुअल फंड ऑनलाइन ख़रीद सकें. बैंक की वेबसाइट और यू- मोबाइल एप के माध्यम से यूनियन म्यूचुअल फंड योजनाएं ख़रीदने की सुविधा शुरु हो चुकी है.

2.4 पीएमएसबीवाई योजना के लिए यू-मोबाइल एप्प आधारित नामांकन: मोबाइल एप्प के माध्यम से पीएमएसबीवाई बीमा कवर ख़रीदने की सुविधा है. यह विकल्प बैंक के नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से पीएमएसबीवाई बीमा कवर ख़रीदने के विकल्प के अतिरिक्त है. 9800 से अधिक ग्राहकों ने यू-मोबाइल के माध्यम से पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकन किया है.

2.5 कोषागार की शुरुआत: एफएक्स रिटेल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म जो बैंक के रिटेल ग्राहकों द्वारा विदेशी विनिमय की ख़रीद/ विक्रय की सुविधा देता है.

2.6 निगरानी एवं वसूली में विशिष्टीकरण: मोबाइल ऋणों की निगरानी के लिए आपके बैंक ने कई पहलें की हैं जैसे;

- ₹100.00 करोड़ से ₹250.00 करोड़ तथा इससे अधिक के खातों की निगरानी के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के नेतृत्व में विशिष्टीकृत कक्ष.
- उच्च मूल्य खातों की डायनेमिक समीक्षा वित्तीय आंकड़ों को कवर करते हुये अद्यतन प्रगति/ विश्लेषण के साथ की जाती है. फिनटेक प्लेटफॉर्मों का लाभ लेते हुये बाहरी डेटा/ सूचना का प्रयोग किया जाता है.
- आरपीए (रोबोटिक प्रक्रिया स्वचलन), मशीन शिक्षण और ओरेकल डेटा बेस का उपयोग एनालिटिक्स के लिए किया जा रहा है. रैम और कॉर्पोरेट जागरूकता को लेते हुए बैंक के 85% अग्रिमों के गैर-एनपीए और गैर-एसएमए पोर्टफोलियो को अब पीएसए (संभावित दबावग्रस्त आस्तियों) के अंतर्गत कवर किया गया है. पीएसए की अवधारणा प्रारंभिक दबाव सिगनल्स (ईएसएस) पर आधारित खातों/संविभाग का कठोर विश्लेषण है.

2.7 आईटी सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आपका बैंक आंतरिक कारोबारी प्रक्रियाओं के केंद्रीयकरण/ स्वचालन/ एकीकरण को अपना रहा है. सर्वश्रेष्ठ आईटी सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क अपनाकर बैंक की आईटी आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं.

2.8 ग्राहकों हेतु बैंकिंग सेवा को व्यवस्थित करने के लिए आपका बैंक अत्याधुनिक तकनीक अपना रहा है. कोर बैंकिंग का संस्करण 7.x से 10.x में माइग्रेशन, एंड्रॉयड और विभिन्न केवाईसी प्रस्तुति प्रक्रिया को केंद्रीयकृत करने के लिए केंद्रीय केवाईसी मोबाइल एप्लिकेशन, डिजिटल माध्यम से बैंकिंग ज्ञान पहुंचाने के लिए ई-लर्निंग मोबाइल एप्लिकेशन, यूपीआई 2.0 का कार्यान्वयन. ऑल-इन-वन मोबाइल एप्लिकेशन- यू मोबाइल, राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एकीकरण, सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम), हज शुल्क संग्रहण, डेबिट कार्ड प्रबंधन सिस्टम (डीसीएमएस), आधार सीडिंग/ डी-सीडिंग, एपीआईएम सोल्यूशन से प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन(पीएमएसवाईएम) नामांकन, और इंटरप्राइज़ फ्राड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन के साथ लेन-देन चैनलों का एकीकरण जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, बीसी चैनल आदि मुख्य पहलें हैं जो वित्त वर्ष 2019-20 में शुरु की गईं.

2.9 कारोबार प्रक्रिया प्रवर्तन के एक भाग के रूप में, बाधा रहित सेवा देने के लिए एंड्रॉयड एवं आईओएस प्लैटफॉर्म पर एचआरएमएस मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ करके अपने मूल्यवान कर्मचारियों के अनुलाभ व भत्तों के तत्काल अनुमोदन एवं संवितरण के लिए आपके बैंक ने तकनीकी नवाचार अपनाया है. यह एप्लिकेशन ने ओटीपी सुरक्षित लॉगिन औथेंटिकेशन मैकेनिज्म पर आधारित है और कार्मिकों को रोज़मर्रा के एचआर से संबंधित कार्यकलाप दिन-रात और फटाफट कर सकने मे सक्षम बना दिया है. बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पेंशन विवरण और चिकित्सा बीमा योजना के लिए इस मोबाइल ऐप का प्रयोग कर सकते हैं.

2.10 सीएसओसी- थ्रेट इंटैलीजेंस सोल्यूशन: बैंक ने उन्नत साइबर थ्रेट हंटिंग प्रोग्राम स्थापित किया है और कार्य-कलापों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की समर्पित टीम तैनात की है.

3. कारोबार की मुख्य बातें :

3.1 बैंक का कुल वैश्विक व्यापार 31 मार्च, 2019 को ₹7,41,307 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2020 को ₹7,97,589 करोड़ हो गया, जो 7.6% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है.

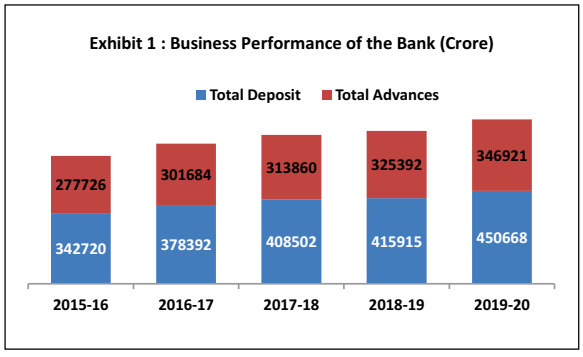

3.2 कुल जमाराशियाँ 31 मार्च, 2019 के ₹4,15,915 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2020 को ₹4,50,668 करोड़ हो गई, जो 8.4% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है. 31 मार्च, 2020 को कुल जमाराशियों में कासा (चालू और बचत खाते) का अंश 35.6 प्रतिशत था. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बचत जमा में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

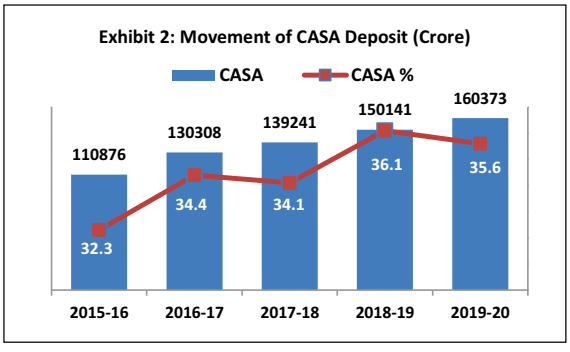

3.3 सकल अग्रिम 31 मार्च, 2019 तक ₹3,25,392 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3,46,921 करोड़ रहा. रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्र 31 मार्च, 2019 के ₹1,73,237 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2020 को ₹1,80,510 करोड़ रहा. रैम क्षेत्र समग्र रूप में 4.1% की वार्षिक दर से बढ़ा.

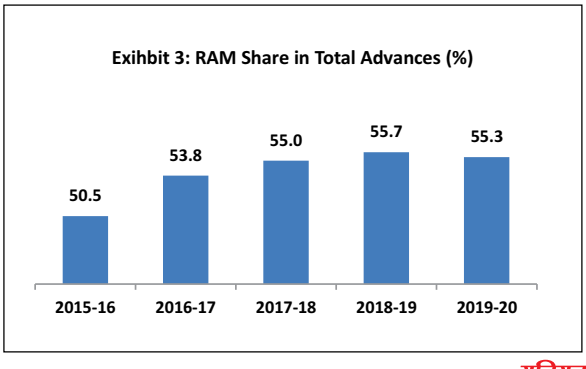

3.4 बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2019 के ₹17,276 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2020 को ₹24,345 करोड़ रहा. आपके बैंक की हांगकांग, डीआईएफसी (दुबई) और सिडनी (आस्ट्रेलिया) में तीन विदेशी शाखाएं हैं. बैंक अपनी पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में भी कारोबार करता है.

4. आय एवं व्यय:

तालिका 1: आय एवं व्यय विवरण (₹ करोड़ में)

क्र.	मानदंड	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19	वार्षिक वृद्धि	
				वास्तविक	(%)
1	अर्जित ब्याज	37231	34067	3164	9.29
2	अन्य आय	5261	4474	787	17.59
3	कुल आय (1+2)	42492	38541	3951	10.25
4	व्यय किया गया ब्याज	25794	23852	1942	8.14
5	शुद्ध ब्याज आय (1-4)	11437	10215	1222	11.96
6	परिचालन व्यय	7516	7168	348	4.85
	जिसमें से स्थापना व्यय	3359	3151	208	6.60
7	कुल व्यय	33311	31020	2291	7.39
8	परिचालन लाभ (3-7)	9181	7521	1660	22.07
9	प्रावधान	12079	10469	1610	15.38
10	शुद्ध लाभ/हानि	-2898	-2948	-	-
11	प्रति शेयर आय (₹)	-12.49	-25.08	-	-

5. लाभप्रदता और दक्षता:

5.1 आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹7,521 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2019-20 में ₹9,181 करोड़ दर्ज किया गया.

5.2 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹2,948 करोड़ की निवल हानि के सापेक्ष वित्त वर्ष 2019-20 में बैंक की निवल हानि ₹2,898 करोड़ रही.

5.3 आपके बैंक का लागत आय अनुपात वित्त वर्ष 2018-19 के 48.80% से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 45.00% हो गया.

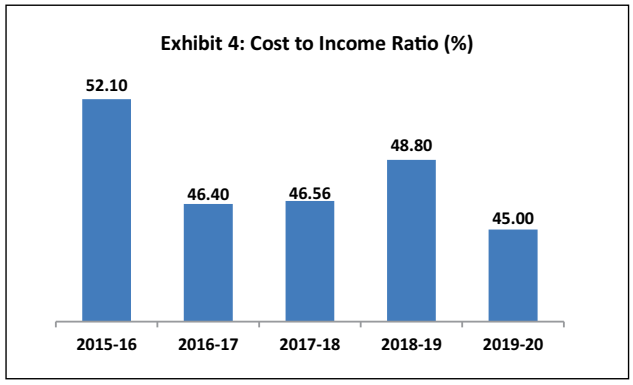

5.4 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (-) 0.53 प्रतिशत रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ (-) 12.5 प्रतिशत रहा.

तालिका 2: दक्षता अनुपात		
मानदंड (%)	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	(-) 0.53	(-) 0.59
इक्विटी पर प्रतिलाभ	(-) 12.5	(-) 15.57

5.5 वित्त वर्ष 2019-20 हेतु बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं :

तालिका 3: उत्पादकता अनुपात		
मानदंड%	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹ करोड़ में)	20.1	19.9
प्रति शाखा औसत कारोबार (₹ करोड़ में)	186.2	172.7
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	24.6	20.2

5.6 लाभांश:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एनपीए हेतु अधिक प्रावधान के कारण आपके बैंक को ₹2,898 की हानि हुई है. तदनुसार, बोर्ड ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया है.

6. शेयरशारकों को प्रतिलाभ :

6.1 बैंक की शुद्ध संपत्ति 31 मार्च, 2019 के ₹18,927 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2020 को ₹23,153 करोड़ हो गई.

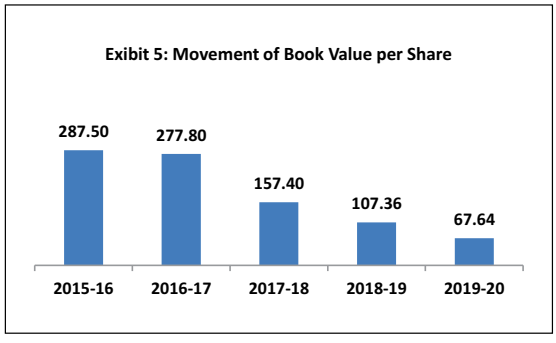

7. आस्ति गुणवत्ता :

7.1 बैंक की 31 मार्च, 2019 को सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) ₹48,729 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2020 को ₹49,085 करोड़ रही. सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का प्रतिशत 31 मार्च, 2019 के 14.98 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2020 को घटकर 14.15 प्रतिशत हो गया.

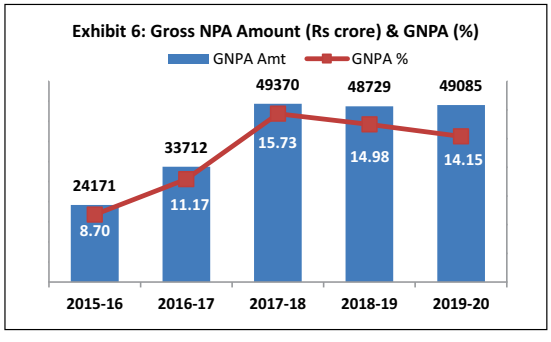

7.2 बैंक का शुद्ध एनपीए 31 मार्च, 2019 के ₹20,332 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2020 को ₹17,303 करोड़ हो गया.

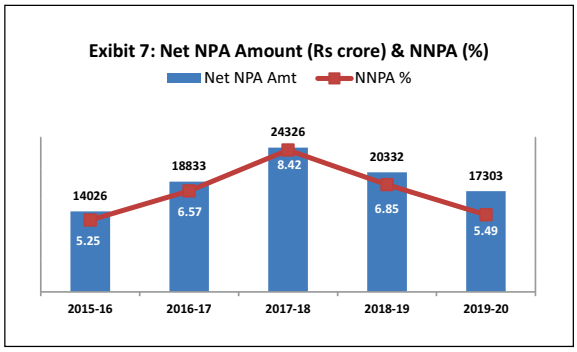

8. पूंजी पर्याप्तता :

8.1 बेसल III मानदंडों के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2019 के 11.78 प्रतिशत के सापेक्ष 31 मार्च, 2020 को 12.81 प्रतिशत रहा. बैंक की कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी I) पूंजी मार्च, 2020 में 9.4 प्रतिशत रही.

तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III (₹ करोड़ में)			
मानदंड	भा.रि.बैं. के न्यूनतम बेंचमार्च 31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां	लागू नहीं	294984	278344
कुल पूंजीगत निधि		37790	32796
सीईटी 1 पूंजी		27713	22328
टियर 1 पूंजी		37790	26388
सीआरएआर (%)	10.875	12.81	11.78
सीईटी 1 (%)	7.375	9.4	8.02
टियर 1 (%)	8.875	10.75	9.48
टियर 2 (%)	लागू नहीं	2.06	2.3

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी I एवं टियर I के अनुपात में 1.875 प्रतिशत का सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सम्मिलित है. टियर II अनुपात हेतु कोई न्यूनतम निर्धारण नहीं है.

8.2 **भारत सरकार से प्राप्त पूंजी:** बैंक ने 30 नवंबर, 2019 को अधिमान्य के आधार पर भारत सरकार को ₹11,768 करोड़ के पूंजी के अंत:प्रवाह के सापेक्ष ₹70.90 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर (₹60.90 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित), 165,98,02,538 इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित किया. 31 मार्च, 2020 को भारत सरकार की हिस्सेदारी 86.75% रही.

9. नेटवर्क:

- 31 मार्च, 2020 तक आपके बैंक का नेटवर्क पूरे देश में 4,281 शाखाओं के साथ फैला हुआ है. बैंक की तीन पूर्णत: विदेशी शाखाएँ भी हैं. 31 मार्च, 2020 तक बैंक के पास 6895 एटीएम का नेटवर्क है.
- आपका बैंक काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी), वाराणसी को प्रायोजित करता है. इसकी 459 शाखाओं का नेटवर्क है, जो पूर्वी यूपी के 8 जिलों, वाराणसी, आजमगढ़,

जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, भदोही और अम्बेदकर नगर में फैली हुई हैं. यद्यपि, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, केजीएसजीबी को 01 अप्रैल, 2020 से बड़ौदा यूपी में समामेलित किया गया है.

10. सचिवालयीन लेखापरीक्षा

सेबी (लिस्टिंग के दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए के प्रावधान और सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के अनुसार बैंक ने मेसर्स भंडारी एवं एसोसिएटस, जो कंपनी सेक्रेटरी कार्य से जुड़ी हुई है, को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया था. उक्त परिपत्र में निर्धारित मामलों के संबंध में और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पूरे वर्ष की सचिवालयीन लेखापरीक्षा कराई गई, जो इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में दिया गया है.

सचिवालयीन लेखापरीक्षा फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धति में कुछ सुधार करने का टिप्पणी/सुझाव दिया है. लेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों की सूची और संबंधित विभाग से प्राप्त जवाब का विवरण नीचे दिया गया है :

- बैंक निदेशक मंडल में कामगार कर्मचारी निदेशक एवं अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में दो रिक्तियां थी जिन्हें भारत सरकार द्वारा, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) एवं 9(3)(एफ) के अंतर्गत नामित किया जाना था.
- बैंक ने सुश्री मोनिका कालिया, एक कंपनी सचिव और सीएआईआईबी को 03 जून, 2019 से बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया था. जबकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा अपने सीएफओ के रूप में एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त किए जाने की आवश्यकता थी.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान धोखाधड़ी की पहचान एवं रिपोर्टिंग तथा बिलों के डिस्काउंटिंग / रिडिस्काउंटिंग से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन नहीं करने पर ₹10 लाख एवं ₹1.50 करोड़ का जुर्माना लगाया है.

सर्वप्रथम प्रबंधन सचिवालयीन लेखापरीक्षा टीम द्वारा की गई टिप्पणियों, अवलोकनों एवं सुझावों के लिए आभारी है. राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते, निदेशक मंडल की संरचना बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा शासित है और संबंधित रिक्ति को भारत सरकार द्वारा भरा जाना है. निदेशक मंडल की रिक्तियों की स्थिति भारत सरकार को नियमित रूप से सूचित की जा रही है. इसके अतिरिक्त बैंक ने 28 मई, 2020 से श्री प्रफुल्ल कुमार सामल, महाप्रबंधक एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है.

11. पुरस्कार एवं उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, आपके बैंक को डिजिटाइजेशन, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि के क्षेत्र में की गई नई पहलों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

सम्मान देने वाली संस्था	पुरस्कार	सम्मान श्रेणी
वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस	ग्लोबल साइटेशन एंड अवार्ड	सीईओ सहित मानव संसाधन उन्मुखीकरण
		सस्टेनेबल एचआर लीडरशिप
नॉलेज मेनेजमेंट लीडरशिप अवार्ड	ज्ञान प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली का प्रयोग	ज्ञान प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली
ईटी नाव की "स्टार ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड"	एक्सिलेन्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अवार्ड: सर्वश्रेष्ठ परिणाम आधारित प्रशिक्षण के लिए एक समग्र पुरस्कार	प्रशिक्षण एवं विकास के लिए उत्कृष्टता
	बैंकिंग क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण पहल	
	वर्ष का प्रशिक्षण प्रदाता	
पिपल लैब्स	आईएसी 2020 कॉर्पोरेट अवार्ड	भावी कार्यस्थल का निर्माण
स्कॉच अवार्ड	हनी नेट गोल्ड,स्कॉच सेमी-फाइनलिस्ट गोल्ड	बैंकिंग
	गोल्ड, सेमी-फाइनलिस्ट	साइबर सुरक्षा जागरूकता समाधान
	गोल्ड, सेमी-फाइनलिस्ट	डाटा सुरक्षा
	सिल्वर, सेमी-फाइनलिस्ट	भेद्यता प्रबंधन
आईडीजी सुरक्षा	सीएसओ 100 अवार्ड	सीएसओ 100 अवार्ड
फिन्नोविटी अवार्ड 2020	फिन्नोविटी अवार्ड 2020	"साइबर सुरक्षा केंद्र" के लिए साइबर सुरक्षा में नवाचार
डीएससीआई (भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद)	विशेष ज्यूरी अवार्ड	संस्था में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धति - दिसंबर 2019

सम्मान देने वाली संस्था	पुरस्कार	सम्मान श्रेणी
आईबीए (इंडियन बैंक एसोसिएशन)	बैंकिंग तकनीक अवार्ड 2020	आईटी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा पहल - 20 फरवरी, 2020
इन्फोसिस क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड 2020	"मॉडर्न तकनीक से लैस इनोवेशन" में रनरअप	अप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेज प्रबंधन (एपीआईएम) तकनीक
स्कॉच समूह	गोल्ड (एमएसएमई संवर्ग के अंतर्गत)	लीडरशिप इन एमएसएमई
एसोचेम	"सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक" का विजेता (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक)	सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक)

12. सोशल मीडिया :

12.1 आपके बैंक ने यूनियन कनैक्ट प्रोजेक्ट के अधीन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसी सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने फॉलोवर की पहुँच का विस्तार किया है.

12.2 आपके बैंक के आधिकारिक फेसबुक द्वारा "98% अति सक्रिय प्रतिक्रिया दर और 5 मिनट प्रतिक्रिया समय को फेसबुक पेज पर एवं ट्विटर हैंडल द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया और "24/7 प्रतिक्रिया को रेट किया गया है.

13. बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों का परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए.

- श्री के रमेश, अंशकालिक एवं गैर सरकारी निदेशक ने 31 मार्च, 2020 को कार्यालय में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया.
- श्री अनिल कुमार मिश्रा, ने 24 अप्रैल, 2019 को कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा किया.
- केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2019 से श्री अरुण कुमार सिंह को बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

14. निदेशकों का उत्तरदायित्व वर्णन

निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाए जाने के संबंध में निम्न बातों की पुष्टि की गयी है:

- लागू लेखामानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखामानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित लेखानीति का पूर्णत: पालन किया गया है.
- तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमानों का इस प्रकार उपयोग किया गया है कि वे वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यकलापों एवं 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ के लिए सही व उचित रहें.
- भारत में बैंकों में लागू विधि के प्रावधानो के अनुरूप पर्याप्त लेखाकंन रिकार्ड के रखरखाव में समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती गयी है.
- खाते संस्था की निरंतरता के आधार पर तैयार किए गए हैं.

15. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट दी गयी है. वित्त वर्ष 2019-20 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है.

16. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

16.1 आपका बैंक समाज में योगदान देने के लिए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रतिप्रतिबद्ध है. इसी प्रयास में, बैंक ने सीएसआर में अपने योगदान को अधिकतम बनाने के लिए वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की है. चूंकि बैंक को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नुकसान हुआ, अत: आपका बैंक वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों में योगदान करने में असमर्थ रहा.

16.2 यद्यपि यूबीएसएफटी ने पिछले वर्षों की अधिशेष निधियों से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹163.49 लाख की राशि का दान के रूप में वितरण किया है.

16.3 यूबीएसएफटी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, शिक्षा, पर्यावरण, कौशल विकास एवं विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में है.

17. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग व अन्य संस्थाओं से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों, माननीय शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों एवं अन्य सभी स्टेकधारकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए आभारी है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन में अपने स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की भी दिल से सराहना करता है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(श्री केवल हांडा)
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 04 जुलाई, 2020

फॉर्म न. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

[सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/सीएफ़डी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) के विनियमनों के नियमन 24 ए के संबंध में]

प्रति,

सदस्य,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (जिसे बाद में "बैंक" कहा जाता है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है. सचिवीय परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि हमें कॉरपोरेट संहिता/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो.

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृतों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने **31 मार्च, 2020** को समाप्त वित्तीय वर्ष की पूरी अवधि के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृतों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है :

i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित);

ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रबंधन) की योजना, 1970;

iii. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1988;

iv. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945;

v. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम एवं उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन;

vi. प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए''), और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

vii. डिपॉजिटरीज़ अधिनियम,1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

viii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश:-

ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 ;

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018;

डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014#;

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008#;

एफ़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं अंश हस्तांतरण एजेंट्स का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993 कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में #;

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साधारण शेयर का असूचीयन) विनियमन, 2009#; एवं

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018#;

नियमन अथवा दिशानिर्देश, जैसी भी स्थिति रही हो, समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं थे.

बैंक में विशेष रूप का लागू अधिनियमों, विधि एवं नियमनों की सूची निम्नानुसार है :

ix. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर संशोधित)

x. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश.

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 [''सूचीयन विनियम''] के लागू वाक्यों के अनुपालन होने की भी जांच की है.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित को छोड़कर, बैंक ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का लागू सीमा तक अनुपालन किया है:

ए) बैंक के निदेशक मंडलों में तेरह (13) निदेशक हैं, जिनमें एक (01) सरकारी नामांकित निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) (बी) और एक (01) भारतीय रिजर्व बैंक के तहत नियुक्त नामिती निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) (सी) के तहत नामित निदेशक सहित चार (04) कार्यकारी निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) (ए), दो (02) नामांकित निदेशक नियुक्त हैं, एक (01) चार्टर्ड एकाउंटेंट निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) (जी), तीन (03) के तहत स्वतंत्र निदेशक और अधिनियम की धारा 9 (3) (एच) के तहत नियुक्त और तीन (03) स्वतंत्र निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत नियुक्ति के सहित सात (07) गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं. हालाँकि, बैंक के निदेशक मंडल में अधिनियम की धारा 9 (3) (ई) और 9 (3) (एफ) के तहत आवश्यक दो (02) कर्मचारी निदेशक शामिल नहीं थे.

बी) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक नें सुश्री मोनिका कालिया, कंपनी सचिव और भारतीय बैंकिंग संस्थान (सीएआईआईबी) की प्रमाणित एसोसिएट, को 03 जून, 2019 से प्रभावी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया. तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2016-17/304 दिनांक 18 मई, 2017 के अनुसार बैंक के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में एक योग्यता प्राप्त सनदी लेखाकर की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था.

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक ने साइबर स्वच्छता और सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफलता के लिए बैंक पर ₹10,00,000 - (केवल दस लाख रुपये), जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है तथा मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स क्राउन अल्बा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में धोखाधड़ी की पहचान और रिपोर्टिंग में देरी के लिए और मैसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के खाते में बिलों के भुनाने/पुन: भुनाने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारिन निर्देशों का अनुपालन न करने के संबंध में ₹1,50,00,000/- (रुपये एक करोड़ और पचास लाख केवल) का जुर्माना लगाया है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

पूर्वगामी के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई थी, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे और कार्यवृत्तों की समीक्षा करते समय कोई असंतोषजनक विचार नहीं देखा गया था.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित घटनाओं / कार्यों को निष्पादित किया है:

i) बैंक के शेयरधारकों ने 28 जून, 2019 को आयोजित अपनी 17 वीं वार्षिक साधारण बैठक में, भारत अथवा विदेश में एक प्रस्ताव दस्तावेज / प्रस्तावित या इस तरह के अन्य दस्तावेज के माध्यम से ₹4900 करोड़ तक इस तरह की संख्या के इक्विटी शेयर निर्मित, प्रस्ताव, जारी करने और आवंटन के लिए अनुमोदित किया था.

ii) 09 सितंबर, 2019 को आयोजित बैंक की बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत निधि जुटाने के लिए पूंजीगत आयोजना को अनुमोदित किया जो राशि ₹17,200 करोड़ से अधिक न हो, जिसके अंतर्गत ₹13,000 करोड़ और / या अतिरिक्त टियर I (एटी I) बॉण्ड, ₹42,000 करोड़ और / या टियर 2 बॉण्ड होंगे; भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी और आवंटन किया गया.

iii) 09 सितंबर, 2019 को आयोजित बैंक की बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, तदनुसार भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2020 को आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया योजना, 2020 में अधिसूचित किया जो 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ.

iv) 30 नवंबर, 2019 को पूंजीगत निधियाँ (सीडीआरसीएफ) जुटाने के लिए निदेशकों की समिति की आयोजित बैठक में ₹70.90/- (₹60.90 प्रीमियम सहित) ₹10/- के अंकित मूल्य का प्रति अंश ₹1,65,98,02,538 (एक सौ पैंसठ करोड़, अट्ठानवे लाख, दो हजार पांच सौ अड़तीस केवल) इक्विटी शेयर के निर्गम और आवंटन के लिए भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने की मंजूरी प्रदान की.

कृते **भण्डारी एंड एसोसिएटेस**
कंपनी सचिव

एस एन भण्डारी
साझेदार
एफ सी एस संख्या : 761; सी पी संख्या.: 366
मुंबई । 26 जून, 2020
आईसीएसआई यूडीआईएन : F000761B000387543

इस रिपोर्ट को हमारे के पत्र के साथ यहाँ तक की तारीख तक पढ़ा जाए जो परिशिष्ट 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है.

प्रति,
सदस्य,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त है.
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है. परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करते हैं.
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है.
4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमनों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन बारे में हमने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं दूसरे लागू विधि, नियमों एवं विनियमनों मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था.
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

कृते **भण्डारी एंड एसोसिएटेस**
कंपनी सचिव

एस एन भण्डारी
साझेदार
एफ सी एस संख्या : 761; सी पी संख्या. : 366

मुंबई । 26 जून, 2020
आईसीएसआईयूडीआईएन :

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

हमने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता विनियम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') समय-समय पर यथा संशोधित, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 15(2) के अनुसार, वर्ष 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के लिए की है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्गदर्शित अभिमत के अनुसार की गई है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणियों के बारे में हमार अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित उपयुक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

आगे हमारा अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के क्रियाकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है.

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W

मनीष संपत
भागीदार
सदस्य सं. 101684

संदीप डी वेलिंग
भागीदार
सदस्य.सं. 044576

राजन बी शाह
भागीदार
सदस्य.सं. 101998

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025

संजय कोठारी
भागीदार
सदस्य.सं. 048215

आनंद चतरथ
भागीदार
सदस्य.सं. 052975

स्थान: मुंबई

दिनांक : 26 जून, 2020

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान व्यापार तनाव बढ़ने, अव्यवस्थित ब्रेक्सिट और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता से प्रेरित वैश्विक वृहत आर्थिक परिदृश्य अत्यधिक अस्थिर था. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास 2018 में 3.6 प्रतिशत घटकर 2019 में 2.9 प्रतिशत रही. फरवरी-मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण अस्थिरता उसके बाद आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और बढ़ गई.

1.2 व्यापार तनाव की छिटपुट घटनाओं, भू-राजनैतिक उत्तेजनाओं, ब्रेक्सिट की अनिश्चितताओं, वैश्विक वृद्धि परिदृश्य में नरमी के कारण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय बाज़ारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति अधिक दिखी. 2019 में वैश्विक व्यापार की मात्रा 0.9 प्रतिशत बढ़ी, जो 2018 के 3.8 प्रतिशत से काफी कम है. प्रमुख केंद्रीय बैंकों की विकासशील मौद्रिक नीति के बावजूद बाज़ार में पर्याप्त गति नहीं आई. हांगकांग में राजनीतिक अशांति का भय और अर्जेन्टीना में ऋण डिफ़ाल्ट की चिंताओं के कारण उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के शेयरों में होने वाली बिकवाली के कारण विशेषरूप से इक्विटी बाज़ार में भारी अस्थिरता देखी गयी.

1.3 कोविड-19 के प्रकोप के बीच, आईएमएफ को आशंका है कि महामंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था, 2020 में सबसे खराब मंदी का अनुभव करेगी, जो कि एक दशक पूर्व वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखी गई मंदी की तुलना में अधिक गंभीर है. जबकि सख्त लॉकडाउन लागू किए जाने और आर्थिक गतिविधियों के संबंधित ठहराव के कारण वैश्विक विकास के नाटकीय रूप से कम रहने का अनुमान है. साथ ही वर्ष 2021 में आंशिक रूप से सही होने का अनुमान है. हालांकि पुन: वापसी के सामर्थ्य की अनिश्चितता के कारण जीडीपी का स्तर महामारी पूर्व के रुझान से नीचे रहने की आशंका है.

1.4 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान व्यापक रूप से फैले रहा है एवं आगे वैश्विक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और पर्यटन में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था पैदा करने में सक्षम हैं. अब 2020 में वैश्विक उत्पादन घटता हुआ दिखाई दे रहा है. आईएमएफ ने वैश्विक विकास को 2020 में 4.9% की गिरावट के साथ 2021 में सुधार के साथ 5.4% अनुमानित किया है.

1.5 फिर भी, सरकार और नियामकों द्वारा किए गए मौद्रिक और राजकोषीय नीति उपायों के कारण निवेशकों का विश्वास धीरे-धीरे बन रहा है.

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत से मांग में कमी का सामना कर रही है. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय उन्नत अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि पिछले वर्ष के 6.8% की तुलना में 4.2% रही। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2019-20 प्रथम तिमाही में 4.8% थी. आगामी तिमाहियों के दौरान, जीडीपी ने क्रमश: 4.3%, 3.5% और 3.0% की वृद्धि दर्ज की. मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों के विघटन ने जीडीपी वृद्धि में गिरावट को तेज कर दिया जो पहले से ही ढलान पर थी. तथापि, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कृषि में लगभग सभी तिमाही में 4.0% की वृद्धि दर्ज हुई. जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.4% था. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि क्रमश: 0.9% और 5.5% रही, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह क्रमश: 4.9% और 7.7% थी.

2.2 वर्तमान व्यापक आर्थिक परिदृश्य काफी हद तक महामारी से प्रभावित है. जहाँ पहले स्तर का प्रभाव घरेलू लॉकडाउन के माध्यम से सीधे भारत में आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा, वहीं दूसरे दौर का प्रभाव वैश्विक व्यापार में भारी मंदी के माध्यम से हमारे निर्यात को प्रभावित करेगा.

3. मूल्य परिदृश्य

3.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई हेडलाइन इंफ्लेशन वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान औसतन 4.7% बढ़ी है जो 6% की अधिकतम अपेक्षित सीमा से कम थी. हालांकि, सब्जियों, फलों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेज उछाल के कारण, हेडलाइन इंफ्लेशन ने प्रतिबद्ध लक्ष्य को लाँघ कर और जनवरी 2020 में 7.6% तक पहुंच गया.

3.2 मुख्य मुद्रास्फीति (भोजन और ऊर्जा को छोड़कर मुद्रास्फीति) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निरंतर मूल्य वृद्धियों के बाद भी औसतन 4.0% की सीमा के भीतर रही.

3.3 मार्च 2020 से, कोविड-19 के महामारी में बदल जाने के कारण मुद्रास्फीति का परिदृश्य बेहद अनिश्चित हो गया है. कच्चे तेल की कीमतें ढह गई हैं, जो सन 2000 की शुरुआत के बाद से नहीं देखा गया था. कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लॉकडाउन मोड में होने से, मांग बेहद कमजोर हुई, जिससे कीमतों में समग्र गिरावट आई है.

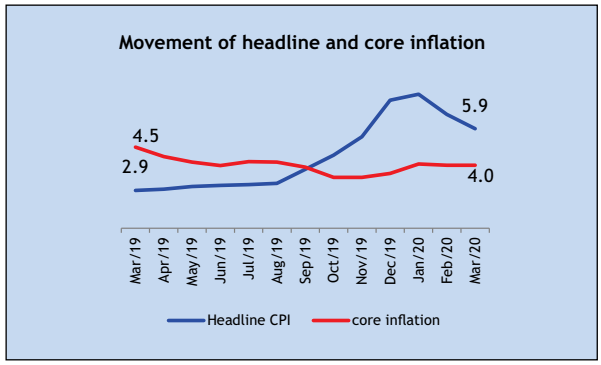

4. स्टॉक मार्केट का निष्पादन

4.1 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू वित्तीय बाजारों ने विविधतापूर्ण प्रदर्शन किया. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निफ्टी में 23.8% की गिरावट आई जबकि सेंसेक्स 26.0% गिरा. वैश्विक प्रवाह और व्यापारिक अस्थिरता ने घरेलू बाजार के रुझान को प्रभावित किया. फिर भी, दर में कमी और तरलता प्रबंधन कार्यों के माध्यम से आरबीआई के समयबद्ध उपायों ने आंशिक रूप से बाजारों को सहारा दिया है. हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में, घरेलू आर्थिक मंदी, वित्तीय गिरावट, भू-राजनीतिक तनाव और कोविड 19 के तीव्र प्रसार से बढ़ी अनिश्चितताओं ने बाज़ार की गति के लिए बढ़ी चुनौती खड़ी की है.

5. आय प्रवाह:

5.1 बेंचमार्क 10 वर्ष की जी-सेक आय में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कमी आई. आय वित्त वर्ष के प्रारंभ में 7.37% से कम होकर 31 मार्च 2020 को 6.67% हो गई. केन्द्रीय वित्त की सतत चिंताएँ, मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी की प्रत्याशा, सरकारी बांड में कम रुचि और यूएस ट्रेजरी आय में दृढीकरण से आय में कमी आई . वैश्विक महामारी के फैलने और बाजार विश्वास में कमी आने से आय प्रवाह अधिक अस्थिर हुआ. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान औसत जी-सेक 6.84% रही.

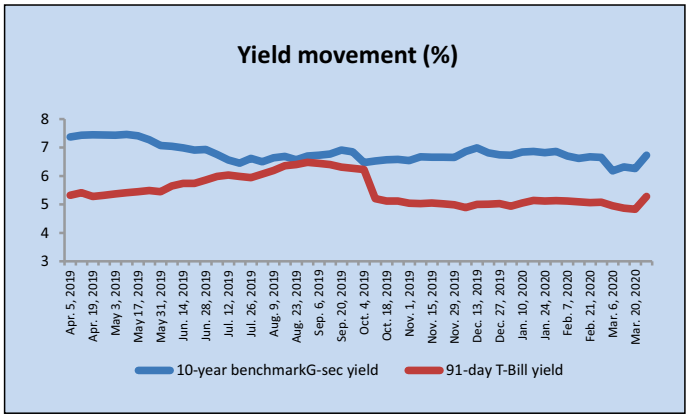

6. बाहरी क्षेत्र

6.1 भारतीय निर्यात विगत वर्ष के यूएसडी 330 बिलियन से 4.8 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2019-20 में यूएसडी 314 बिलियन रहा. यद्यपि विश्व आपूर्ति श्रृंखला एवं वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 के बुरे प्रभाव से निर्यात में कमी आई, व्यापार वैश्विक महामारी से पहले ही खराब स्थिति में था. भारतीय आयात विगत वर्ष के यूएसडी 514 बिलियन से 9.1 प्रतिशत कम होकर यूएसडी 467 बिलियन हो गए. आयात में निर्यात की अपेक्षा अधिक कमी आने से व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कम होकर यूएसडी 153 बिलियन रहा.

6.2 फॉरेक्स बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) निरंतर गिरावट के दबाव में था. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रुपए में 9.34 प्रतिशत की तेज गिरावट आई और यह यू.एस.डॉलर के सापेक्ष 75.60 पर बंद हुआ. व्यापार अनिश्चितताओं, क्रास बार्डर पूँजी प्रवाह एवं उसके बाद कोरोना वायरस के कारण मुद्रा के निष्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा.

6.3 आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से फॉरेक्स शेष में वृद्धि की. अप्रैल 2019 के यूएसडी 414 बिलियन की तुलना में मार्च 2020 में यह यूएसडी 62 बिलियन की वृद्धि कर यूएसडी 476 बिलियन रहा. यद्यपि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में फॉरेक्स शेष में यूएसडी 12 बिलियन की कमी आई.

7. तरलता परिदृश्य :

7.1 2019-20 के दौरान अधिकांश समय तरलता आधिक्य स्थिति रही. एलएएफ के अंतर्गत प्रदर्शित निवल अधिशोषण के अनुसार प्रणालीगत तरलता आधिक्य जून 2019 में ₹51,710 करोड़ था जो कि क्रमिक वृद्धि के साथ सितंबर 2019 में ₹1.22 लाख करोड़, दिसंबर 2019 में ₹2.61 लाख करोड़ और मार्च 2020 में ₹2.86 लाख करोड़ रहा. मुद्रा बाजार अस्थिरता से निपटने के लिए आरबीआई ने समय पर तरलता प्रबंधन उपाय किए हैं. तरलता आधिक्य को एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो परिचालन के माध्यम से अधिशोषित किया गया.

8 आरबीआई के नीतिगत निर्णय

8.1 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई ने मुख्य पॉलिसी रेपो दर 235 बीपीएस घटाई है, जिसमें 160 बीपीएस इनकी छह औपचारिक मौद्रिक नीतियों में तथा 75 बीपीएस की मंदी तथा वैश्विक महामारी के दबाव के परिदृश्य में लाई गई अनौपचारिक सातवीं नीति के द्वारा की गई. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रिवर्स रेपो दर 175 बीपीएस कम होकर 5.75 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत हो गई. छह औपचारिक नीतियों में रिवर्स रेपो दर 85 बीपीएस की कमी तथा सातवीं नीति में 90 बीपीएस की कमी की गई.

8.2 बैंकों की सावधि जमा और उधार दरों में मौद्रिक नीति संचरण में सुधार हुआ है. नए रुपये ऋणों पर डबल्यूएएलआर में 60 बीपीएस (अप्रैल 2019-मार्च 2020) की गिरावट आई है. इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल 2019-मार्च 2020) के दौरान सावधि जमा दर में 38 बीपीएस की कमी आई).

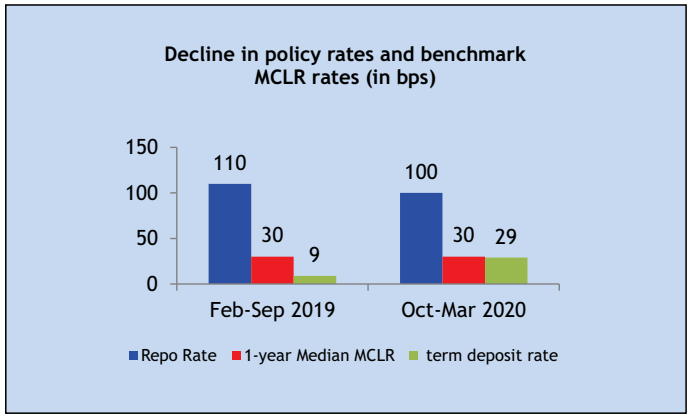

8.3 इसके अलावा, आरबीआई ने नीलामी के रूप में अपरंपरागत कदम उठाए, जिसे 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के रूप जाना जाता है, जिसमें एक साथ अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की खरीद शामिल है. रिजर्व बैंक ने तरलता प्रवाहित करने और मौद्रिक संचरण में सुधार लाने के लिए 1 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि के पांच दीर्घकालिक रेपो नीलामी का भी आयोजन किया. इसने फॉरेक्स मार्केट में संचयी रूप से अमेरिकी डॉलर की तरलता को प्रवाहित करने के लिए दो खरीद-बिक्री विनिमय नीलामी भी आयोजित की.

9. बैंकिंग परिदृश्य:

9.1 बैंकिंग क्षेत्र ने खराब आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता में मंदी के साथ-साथ मांग में कमी की चुनौतियों का सामना करता रहा. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों में मांग कमजोर थी.

9.2 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सावधि जमा दरों में कमी 7.50 से 6.40 प्रतिशत (ऊपरी सीमा), के बावजूद 2019-20 में जमा का प्रवाह जारी रहा. वित्त वर्ष 2020 में 7.9% पर समाप्त होने से पूर्व, वर्ष के दौरान कुल जमा वृद्धि 9% से 11% के बीच बनी रही.

9.3 2019-20 के दौरान ऋण ऑफ-टेक, गैर-खाद्य ऋण में 6.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ शिथिल रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि से कम था. ऋण वृद्धि में शिथिलता सभी बैंक समूहों में व्याप्त थी.

9.4 क्षेत्रवार आधार पर, कृषि, उद्योग, सेवाओं और खुदरा सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि अपने पिछले वर्ष की संख्या से कम थी. वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. वित्त वर्ष 2019-20 में उद्योग, सेवा और खुदरा में क्रमश: 0.7 प्रतिशत, 7.4 प्रतिशत और 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में क्रमश: 6.9 प्रतिशत, 17.8 प्रतिशत और 16.4 प्रतिशत थी

10 संसाधन प्रबंधन:

10.1 आपके बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2020 को 7.6% की वार्षिक समतुल्य वृद्धि के साथ ₹79,7589 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल ₹743107 करोड़ था. 31 मार्च, 2020 तक आपके बैंक की कुल जमा राशि 8.4 प्रतिशत बढ़कर ₹450668 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹415915 करोड़ रुपये थी. चालू और बचत जमा (कासा) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 6.8% बढ़ा है जो कुल जमा का 35.6% है. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक का कुल अग्रिम 31 मार्च, 2019 को ₹3,25,392 करोड़ से 6.6% बढ़कर 31 मार्च, 2020 तक ₹3,46,921 करोड़ हो गया.

तालिका 1: जमा की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.20	यथा 31.03.19	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
कुल जमा	450668	415915	34753	8.36
कासा जमा	160373	150141	10232	6.82
बचत जमा	133958	123628	10330	8.37
चालू जमा	26415	26513	-98	-0.4

11 क्रेडिट प्रबंधन

11.1 रिटेल:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके बैंक का रिटेल ऋण संविभाग वित्तीय वर्ष में 6.0% बढ़ गया. रिटेल ऋण संविभाग में 31 मार्च, 2019 में रु. 57,093 करोड़ से 31 मार्च, 2020 तक ₹60,519 करोड़ की वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में रिटेल के अन्य घटक के साथ, व्यक्तिगत ऋण में भी अच्छी-खासी उछाल आई है. रिटेल क्षेत्र में अधिकतम शेयर वाले आवास ऋण में 4.3% की वृद्धि हुई है. वर्ष के दौरान वाहन एवं शिक्षा ऋण में भी सुधार हुआ है. नए कारोबार को आकर्षित करने हेतु बैंक ने नवोन्मेषी उपाय किए हैं. तदनुसार, बैंक ने psbloanin59minutes पोर्टल पर रिटेल ऋण उत्पाद जैसे आवास, वाहन एवं शिक्षा शुरू किए हैं. इसके साथ ही, कारोबार संग्रहण को अधिक सशक्त बनाने के लिए, आपके बैंक ने टाइ-अप/पार्टनरशिप विस्तार के साथ उत्पाद विशिष्ट अभियान का आयोजन किया है. आपका बैंक संभावित लीड्स से नए कारोबार को प्राप्त करने के लिए डाटा एनालिटिक्स का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहा है. बैंक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर (यूएलपी) के जरिए प्रोसेसिंग दक्षता को बढ़ाने हेतु प्रयासरत है.

तालिका 2: रिटेल ऋण के तहत वर्ष दर वर्ष उत्पादवार वृद्धि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.20	यथा 31.03.19	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
गृह ऋण	29305	28085	1220	4.3
वाहन ऋण	4456	4164	292	7.0
एज्यूकेशन ऋण	3638	3400	238	7.0
बंधक ऋण	4862	4707	155	3.3
व्यक्तिगत ऋण	2325	1445	880	60.9
अन्य	15933	15290	643	4.2
कुल रिटेल	60519	57092	3427	6.0

11.2 कृषि:

11.2.1 कृषि उधार आपके बैंक के लिए सदैव ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है. यथा 31 मार्च, 2020 को बैंक का कृषि अग्रिम समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 16.98 प्रतिशत है. यथा 31 मार्च 2020 को बैंक का कृषि अग्रिम ₹54,111 करोड़ (आरआईडीएफ सहित) था एवं 2018-19 से 3.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

11.2.2 यथा 31 मार्च, 2020 लघु एवं सीमांत किसानों को बकाया ऋण ₹31,448 करोड़ था जो कि एएनबीसी के 8.0 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी का 9.87 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 2.7 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं.

11.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

11.3.1 आपके बैंक का एमएसएमई क्षेत्र में अधिक योगदान है. एमएसएमई को उधारी 4.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2020 को ₹70,381 करोड़ रहा. एमएसएमई के अधीन, 31 मार्च, 2020 को एमएसई उधार ₹53137 करोड़ रहा एवं इसमें 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.

11.3.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, हल्के वाणिज्यिक वाहन वित्त के तहत ₹558 करोड़ के 20207 नए ऋण मंजूर किए गए हैं. 31 मार्च, 2020 तक एलसीवी पोर्टफोलियो ₹2076.5 करोड रहा.

11.3.3 आपके बैंक ने मौजूदा सरल (एमएसएमई प्रस्तावों के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र) संरचना को बेहतर बना दिया है ताकि प्रोसेसिंग के साथ ही एक अधिग्रहण केंद्र भी बनाया जा सकें. मार्च 2020 तक, सरल और सरल लाइट्स की संख्या 48 रहीं. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान तीन नए सरल लाइट्स खोले गए.

11.3.4 बैंक ने लीड जनरेट करने के लिए एवं इसे फलदायी कारोबार में परिवर्तित करने के लिए सरल में रिलेशनशिप मैनेजर को पदस्थ किया है. सरल के केंद्रीकरण और संविभागीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

तालिका 3: एमएसएमई पोर्टफोलियो का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.20	यथा 31.03.19	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
सूक्ष्म	22505	22617	-112	-0.5
लघु	30632	27807	2825	10.2
एमएसई	53137	50424	2713	5.4
मध्यम	17244	16751	493	2.9
एमएसएमई	70381	67174	3207	4.8

11.3.5 **टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म:** आपका बैंक एमएसएमई खंड को उधारी हेतु लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म अंगीकृत करने में अग्रसर बैंक है. ये अनोखे ऑनलाइन प्लैटफॉर्म में अंतर्निहित बाधारहित प्रोसेस है जो एमएसएमई को पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा. हमारे पास पहले से ही 3 आरबीआई पंजीकृत टीआरईडीएस प्लेटफार्म आरएक्सआईएल, टीआरईडीएस और एम1एक्सचेंज हैं. मार्च 2020 के लिए इन प्लेटफ़ॉर्मों पर बोली ₹1590 करोड़ पार कर गयी है.

11.3.6 **psbloansin59minutes.com portal के तहत उपलब्धियां:** आपके बैंक को psbloansin59minutes.com पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादक बैंक का सम्मान प्राप्त है. 31.03.2020 तक, इस पोर्टल के जरिए 11475 एमएसएमई को सैद्धांतिक रुप से मंजूरी दी गई है. जिसमें से ₹3369.24 करोड़ राशि के 7075 प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दे दी गई है. आपका बैंक, पहला बैंक है जिसने एमएसएमई के लिए ₹5 करोड़ तक का वित्त प्रदान किया है.

एमएसएमई अग्रिमों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

11.3.7 **रत्न, आभूषण और डायमंड (जीजेडी) क्षेत्र को वित्त पोषण करने के लिए योजना**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, जीजेडी क्षेत्र को वित्तपोषित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गयी है. इस योजना में, विनिर्माण और ट्रेडिंग गतिविधि से संबद्ध सभी इकाइयाँ अर्थात जीजेडी के खुदरा और थोक व्यापारी पात्र हैं. इस योजना के तहत, मीयादी ऋण एवं कार्यशील पूंजीगत सीमा (निधि एवं गैर निधि आधारित) दोनों प्राप्य किए जा सकते हैं.

11.3.8 एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च श्रेणी की आबंटित संपत्ति खरीदने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना (पीसीजीएस): वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च श्रेणी की आबंटित संपत्तियों की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक ऋण गारंटी योजना पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक द्वारा एक समयबद्ध योजना शुरू की गई है. यह योजना वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च श्रेणी की आबंटित संपत्ति खरीदने के लिए छह महीने की आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करती है. इस योजना में, सरकार पहले डिफ़ॉल्ट के 10% तक की हानि की गारंटी प्रदान करेगी.

11.3.9 यूनियन ई-वे बिल्स सॉल्यूशन का शुभारंभ: आपके बैंक ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, प्रमाणीकरण और गैर-प्रतिदान के डिजिटलीकरण को सक्षम करने के लिए यूनियन ई-वे बिल सॉल्यूशन के माध्यम से जीएसटी इंवॉयस सत्यापन सेवा आरंभ की है. इस सेवा से बैंक को गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक-वे (ई-वे) बिल क्रमांक से प्राप्त ब्यौरे के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त इंवॉयस डाटा का सत्यापन कर सकते हैं. इंवॉयस वैलिडेशन सर्विस का उपयोग धोखाधड़ी को कम करने के लिए किया जाएगा. इस तंत्र के माध्यम से बिलों के वैलिडेशन पर योजना के अधीन बहुत ही प्रतिस्पर्धी ब्याज दर उपलब्ध है.

11.3.10 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कारोबार प्रतिनिधि के लिए ओवरड्राफ्ट और मियादी ऋण सुविधा का शुभारंभ : इस योजना की शुरुआत बीसी संचालन को बनाए रखते हुए बैंक मित्र की वित्तपोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है.

11.3.11 कॉरपोरेट ऋण: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लार्ज कॉर्पोरेट अग्रिम वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.41 वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,46,523 करोड़ रहा. देश के सात औद्योगिक वित्तीय शाखाएं (आईएफ़बी) विशेष रूप से लार्ज कॉर्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है. बैंक ने बड़ी कंपनियों के निवेश श्रेणी की परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण संवितरण किया है, फलस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके वैश्विक संबंधों में वृद्धि के अवसरों में योगदान दिया है.

तालिका 4: एलसीवी के कार्यनिष्पादन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.20	यथा 31.03.19	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
लार्ज कॉर्पोरेट	146523	137695	8828	6.41
जिसमें से आईएफ़बी से कुल अग्रिम	115307	104994	10313	9.82

11.4 प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम:

11.4.1 आपका बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम के तहत, आपके बैंक ने 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 31 मार्च, 2020 तक ₹1,43,205 करोड़ रहा. भारतीय रिजर्व बैंक के 40% अधिदेश के सापेक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 44.93 प्रतिशत है.

सारणी 5: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20	31.03.19	वर्ष-दर-वर्ष (%)	एएनबीसी का (%)	बेंचमार्क वि.व. 2019 (एएनबीसी का %)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	143205	140530	1.90	44.93	40%
कृषि क्षेत्र	54111	52517	3.04	16.98	18%
लघु एवं सीमांत कृषक	31448	28770	9.31	9.87	8%
कमजोर वर्ग को ऋण	41132	39971	2.90	12.9	10%
महिला लाभार्थियों को ऋण	22027	20751	6.15	6.91	5%

सामाजिक उत्थान हेतु विशेष ऋण

11.4.2 आपका बैंक समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक विकास एवं समान अवसर उपलब्ध करने हेतु दृढ़संकल्प है. तदनुसार, बैंक ने विभिन्न कमजोर एवं खासतौर से महिला समाज, अल्पसंख्यक समुदाय एवं स्वयं-सहायता समूहों के अनारक्षित वर्ग को ऋण सुविधाएं प्रदान किया है.

11.4.3 **महिला लाभार्थी:** महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाने को ध्यान में रखकर, आपका बैंक महिला उद्यमियों को ऋण हेतु प्रोत्साहित करता है. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, महिला लाभार्थियों के बकाया ऋण में 6.15% की वृद्धि हुई है जोकि मार्च 2019 के ₹20751 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 में ₹22027 करोड़ दर्ज हुआ. यह बेंचमार्क 5% की तुलना में एएनबीसी का 6.91% है.

11.4.4 **अल्पसंख्यक समुदाय:** आपका बैंक भारत सरकार के निदेशों के अनुसार सिक्खों, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, बौद्धों एवं जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु वित्त प्रदान कर रहा है. दिनांक 31 मार्च 2020 को अल्पसंख्यक समुदाय का बकाया राशि ₹11973 करोड़ रही, जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 8.36 प्रतिशत है.

11.4.5 **कमजोर वर्ग:** आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग को वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. दिनांक 31 मार्च, 2020 तक कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत के बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी की 12.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचकर 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹39971 करोड़ से बढ़कर ₹41132 करोड़ ऋण प्रदान किया है.

11.4.6 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी): ग्रामीण युवाओं की रोजगार संबंधी समस्या को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने उन जिलों में 14 आरसेटी की स्थापना की है जिन जिलों में बैंक "अग्रणी (लीड) बैंक की ज़िम्मेदारी में है. दिनांक 31 मार्च, 2020 तक हमारे आरसेटी में प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 83718 है, जिसमें से 56397 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है.

11.4.7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): यूनियन बैंक काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी), वाराणसी का प्रायोजक है. इसकी पूर्वी यू. पी. के 8 जिलों यथा वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, भदोही और आंबेडकर नगर में 459 सीबीएस शाखाएं हैं. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान केजीएसजीबी का कारोबार 5.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹15740 करोड़ हुआ है. कासा जमाराशियों के 61.7 प्रतिशत सहित जमाराशियाँ ₹12282 करोड़ रहीं. 31 मार्च, 2020 को अग्रिम ₹4372.99 करोड़ रहा. हालाकि, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से केजीएससीबी को बड़ौदा यू.पी. बैंक के साथ विलय कर दिया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रमुख पहल :

11.4.8 यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके) : यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके) हब एवं स्पोक आधारित बैंकिंग है. ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का मजबूत माध्यम है. यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल एवं नासिक में प्रारम्भ किया गया था. 31 मार्च, 2020 को 35.36% कवर कर रही ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं की 895 मैप शाखाएँ हेतु कुल 62 यूनियन समृद्धि केंद्र स्थापित हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्रों के द्वारा कुल 65714 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं.

11.4.9 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई): आपका बैंक उन किसानों के लाभ हेतु पीएमएफ़बीवाई लागू कर रहा है जिन्हें अक्सर मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है और अनेक समस्याओं का सामना करते हैं. पीएमएफ़बीवाई के अंतर्गत आने वाले बटाईदार एवं काश्तकार सहित सभी किसान अधिसूचित फसलों को उगा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 505773 ऋणी और गैर ऋणी किसानों को शामिल किया गया. बैंक ने कृषि के तहत ऋण में वृद्धि हेतु संबंधित क्षेत्र में किसानों को लाभ के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर 32 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएँ बनाई हैं.

वर्ष के दौरान लिए गए नए पहल

11.4.10 यूनियन सम्पूर्ण: आपका बैंक ग्रामीण समुदाय को ज्ञान, संसाधन और नए अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जोकि कृषि एवं सहायक/ अन्य क्षेत्रों से उत्पादन, उत्पादकता एवं उपार्जन हेतु लाभदायी होगा. यह किसानों को तकनीकी, वित्तीय उत्पादों की समझ, समय पर ऋण की जरूरत को पूरा करके उनकी आय दुगुना करने और कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक अपनाने के लिए क्षमता निर्माण करने का एकमात्र सोल्यूशंस है.

11.4.11 यूनियन सम्पूर्ण के अंग:

- ✓ **ई-कियोस्क**: किसानों के लिए बैंकिंग आवश्यकताओं एवं जानकारी सह ज्ञान बैंक हेतु टच स्क्रीन का एकमात्र सोल्यूशंस है.
- ✓ **किसानों हेतु बैठक स्थल:** किसानों को जानकारी, परामर्श, साक्षरता, व्यापक जागरूकता देने का स्थान.
- ✓ **ऋण प्राप्ति केंद्र:** उच्च तकनीक कृषि में सहयोग
- ✓ **ग्राम ज्ञान केंद्र (वीकेसी):** कृषि और सामाजिक विकास में बढ़ोत्तरी हेतु सूचना प्रसार केंद्र.
- ✓ **वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफ़एलसीसी):** समाज के अगम्य और गम्य वर्ग को वित्तीय सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय साक्षरता.

वर्ष के दौरान शुभारंभ किए गए उत्पाद :

- ✓ पशुपालन एवं मछली पालन (सीसीएएचएफ़) हेतु किसान क्रेडिट कार्ड
- ✓ कृषक समुदाय को सीधे लाभ पहुँचाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कृषक उत्पादक संगठन (एफ़पीओ) को वित्तीयन की शुरुआत.

11.5 वित्तीय समावेशन: अयोग्य को सशक्त बनाना: आपके बैंक ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक वहनीय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की है. जेएएम के साथ (जनधन, आधार एवं मोबाइल) ट्रिनिटी गेनिंग ग्राउंड, बैंक ने वर्ष 2019-20 में नवोन्मेष बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अंतरण में लीकेज कम करने जैसे उत्पादक निवेश का लक्ष्य रखा.

सारणी 6 : वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रगति

विवरण	31.03.20	31.03.19	वृद्धि, वित्त वर्ष 2019-20	वृद्धि % वित्त वर्ष 2019-20
कुल पीएमजेडीवाई खाते	11231722	9811604	1420118	14.47%
पीएमजेडीवाई खातों में शेषराशि (करोड़ में)	3030	2404	626	26.04%
आधार पंजीकृत पीएमजेडीवाई खाते	9025041	8117145	907896	11.18%
आधार पंजीकृत पीएमजेडीवाई खातों का %	80.35%	82.73%	-	-
मोबाइल पंजीकृत पीएमजेडीवाई खाते	7201078	5654308	1546770	27.36%
मोबाइल पंजीकृत पीएमजेडीवाई खातों का %	64.11%	59.70%	-	4.41%
पीएमजेडीवाईखातों में जारी रुपे कार्ड्स	6817076	5615288	1201788	21.40%

11.6.1 वर्ष के दौरान, आपके बैंक द्वारा बीसी केन्द्रो पर तुरंत पीएमजेडीवाई खाता खोलने की सुविधा प्रदान की है. अब सभी बैंक मित्र माइक्रो एटीएम, मोबाइल एवं किओस्क के माध्यम से बीसी केन्द्रों पर नागरिकों के ई-केवाईसी खाते तुरंत खोल सकते हैं और इन खातों में एईपीएस के माध्यम से लेनदेन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं. बैंक मित्र ग्राहकों को एपीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी नामांकन कर सकते हैं.

11.6.2 **आधार नामांकन केंद्र**: यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को 10 प्रतिशत बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोलने का निर्देश यूआईडीएआई द्वारा दिया गया है. तदनुसार आपके बैंक ने पूरे भारत की 429 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोले हैं.

12 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

12.6 आपके बैंक की उपस्थिति विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्र हांगकांग, डीआईएफ़सी, दुबई एवं सिडनी में है. कार्पोरेट की बैंकिंग आवश्यकताओं, क्रास बार्डर लेंडिंग एवं ट्रेड फाइनेंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मानजनक स्थान बना रहा.

12.7 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार 33 प्रतिशत बढ़ा है. जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हमारे कुल अग्रिम में 36 प्रतिशत एवं कुल जमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी शाखाओं के परिचालन लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

सारणी 7: विदेशी परिचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.20	यथा 31.03.19	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
विदेशी जमाएँ	3649	2816	833	25.0
विदेशी अग्रिम	20696	14460	6236	36.0
कुल विदेशी कारोबार	24345	17276	7069	33.0

13 ट्रेजरी परिचालन :

13.1 बैंक के ट्रेजरी विभाग में घरेलू ट्रेजरी परिचालन, फारेक्स परिचालन, नियत आय व्युत्पन्न उत्पाद, इक्विटी एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति वर्ग को संभाला जाता है. ट्रेजरी विभाग, अपने ग्राहकों को देशभर में ट्रेजरी सेवाएँ प्रदान करने हेतु सभी तरह की सुविधाओं सहित आर्ट डीलिंग रूम से सुसज्जित है तथा बाजार के नवीनतम प्रगति से तालमेल बनाए रखता है.

13.2 बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप आपका बैंक विवेकपूर्ण संपत्ति प्रबंधक के रूप में कार्य करता है. आपके बैंक का ट्रेजरी विभाग, नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत ऋण, बाजार एवं संपत्ति जोखिम के प्रबंधन द्वारा सर्वोत्कृष्ट लाभ के अर्जन पर जोर देता है. आपका बैंक विभिन्न अल्पावधि मुद्रा बाजार विलेख एवं फॉरेक्स बाजार के द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन का लक्ष्य रखता है. बैंक यथोचित अवधि के साथ समुचित एसएलआर एवं गैर-एसएलआर निवेश बही को बनाए रखने पर जोर देता है, जोकि लाभदायकता को बढ़ाने में सहायक होगा.

13.3 गैर-कोर आस्तियों के विक्रय पर लाभ: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपके बैंक ने ₹278 करोड़ की कुल राशि मुद्रीकृत किया है और शुद्ध पूंजी लाभ ₹255 करोड़ था.

14 आस्ति गुणवत्ता :

14.1 चुनौतीपूर्ण परिवेश के बावजूद, आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹4267 करोड़ की नकद वसूली के अलावा ₹1871 करोड़ के खातों का उन्नयन किया. एनपीए प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित तरीके से तैयार कार्ययोजना के माध्यम से निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप गिरावट पर बेहतर नियंत्रण एवं कमी किया जाना संभव हो सका था. वर्ष 2019-20 में एनपीए में उतार-चढाव निम्नानुसार हैं:

तालिका 8: एनपीए की गतिविधियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
सकल एनपीए (प्रारंभिक)	48729	49370
जोड़े गए	14911	13577
कमी: घटाएँ	14555	14218
(I) उन्नयन	1871	1938
(II) वसूली	4267	4509
(III) राइट-ऑफ	8417	7771
सकल एनपीए (बंद)	49085	48729
शुद्ध एनपीए	17303	20332

वसूली में सुधार के उपाय :

✓ दिनांक 31.12.2018 को ₹50.00 करोड़ एवं तक के संदिग्ध या हानि संवर्ग के एनपीए के निपटान के लिए ''संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के लिए शताब्दी निपटान योजना'' नामक संरचित निपटान योजना परिचालन में है. यह योजना गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन स्वरूप की थी और पात्र एनपीए खातों के त्वरित निपटान का अधिकार क्षेत्र स्तर पर दिया गया था.

✓ आपके बैंक ने दिसंबर 2019 के एनपीए में वसूली के लिए, दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक विशेष अभियान 'मिशन 5000' चलाया था.

14.2 **सक्रिय अनुश्रवण :**

14.3 केंद्रीयकृत कॉल सेंटर: आपके बैंक ने ₹3.00 लाख से ₹5.00 करोड़ तक के खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र एसएमए ऋणियों के अनुश्रवण के लिए केंद्रीयकृत कॉल सेंटर की स्थापना की है. क्रेडिट कार्ड संवर्ग के तहत दबावग्रस्त खातों को भी कॉल सेंटर द्वारा कवर किया गया.

14.4 **विशेषीकृत कक्ष:** अनुश्रवण में सक्रियता दिखाते हुए, आपके बैंक ने ₹100.00 करोड़ से ₹250.00 करोड़ तथा ₹250.00 एवं उससे अधिक के लिए अनुश्रवण कक्ष स्थापित किया गया है.

14.5 **खातों का सूक्ष्म समीक्षा:** आपके बैंक द्वारा उच्च मूल के खातों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है. साथ ही हम, फ़िनिटेक प्लेटफॉर्म से वित्तीय आंक़ड़ो का डाटाबेस बनाने के लिए सूचनाओं को चेनलाइज कर रहे हैं.

14.6 निवारक अनुश्रवण: आपके बैंक ने आंक़ड़ो का समय पर विश्लेषण के लिए पूरी तरह तकनीक का प्रयोग किया है. ग्राहकों के आंक़ड़ो के रखरखाव और अद्यतन करने के लिए आरपीए (रोबोटिक प्रोसैस औटोमेशन), मशीन लॉगिन, ओरेकल डाटा बेस का प्रयोग किया जा रहा है. आपका बैंक संभावित दबावग्रस्त आस्तियों की अवधारणा पर भी कार्य कर रहा है, जिसके तहत खातों/पोर्टफोलियो के अरली स्ट्रैस सिगनल्स (ईएसएस) के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है.

14.7 वेब पोर्टल के कार्य: सूचनाओं को व्यवस्थित और वास्तविक समयानुसार प्रसारण करने के लिए, शाखाओं और वर्टिकल्स हेतु वेब पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें डेश बोर्ड, चूककर्ताओं की सूची तथा ऋण अनुश्रवण के अन्य मानदंडों को शामिल किया गया है. इस पोर्टल को बैंक शाखा/कार्यालय के किसी भी स्टाफ द्वारा देखा जा सकता है. इस जानकारी से चूक के मामलों को तुरंत निपटाने और बैंक के भीतर संस्थागत विलंब को रोका जा सकता है.

15 संबंध बैंकिंग

15.1 आपके बैंक ने वर्ष के दौरान तृतीय पक्ष के उत्पादों के वितरण से ₹129 करोड़ आय अर्जित की किया है.

तालिका 9: वर्ष 2019-20 के दौरान तृतीय पक्ष उत्पाद कारोबार से प्राप्त आय

(₹ करोड़ में)

कारोबार पैरामीटर	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19	% वृद्धि
जीवन बीमा	89.95	84.71	6.19
गैर जीवन बीमा	14.43	13.43	7.37
स्वस्थ्य बीमा	11.79	10.95	7.67
म्यूचुअल फंड	12.63	17.20	-26.6
कुल	**128.8**	**126.3**	**1.98**

वर्ष के दौरान नए पहल:

15.2 यूनियन म्यूचुअल फंड योजनाओं की ऑनलाइन बिक्री - डिजिटलाइजेशन को प्रोन्नत करने के लिए, आपका बैंक अपनी प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाने पर कार्य कर रहा है ताकि ग्राहक जीवन बीमा तथा म्यूचुअल फंड जैसे तृतीय पक्ष उत्पादों को बैंक के वैबसाइट या मोबाइल एप से खरीद सकें. बैंक की वैबसाइट और यू-मोबाइल एप के जरिए यूनियन म्यूचुअल फंड योजना की खरीद करने की सुविधा की शुरूवात हो चुकी है.

15.3 पीएमएसबीवाई योजना में पंजीयन के लिए यू-मोबाइल एप: यू-मोबाइल एप के द्वारा पीएमएसबीवाई बीमा कवर खरीदने का विकल्प विकसित किया गया है. यह बैंक के नेट-बैंकिंग ग्राहकों द्वारा कॉर्पोरेट वैबसाइट में उपलब्ध सेवा के अतिरिक्त है. यू-मोबाइल से पीएमएसबीवाई के तहत 9800 से अधिक ग्राहकों का पंजीकरण हुआ है.

15.4 नए उत्पाद की प्रस्तुति: अगस्त 2019 में "समूह केन्सर" मेडिक्लैम नाम से रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड के साथ आरंभ किया गया है. इस उत्पाद को बहुत पसंद किया गया है और 23240 पालिसियाँ बिक चुकी हैं.

16 सरकारी कारोबार:

16.1 सरकारी कारोबार के माध्यम से संसाधनों का संग्रहण 31 मार्च, 2020 को ₹97650 करोड़ रहा, जो गत वर्ष ₹99375 करोड़ था. बैंक ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के 9283 नए खाते खोले हैं, जो पिछले वर्ष से 28% अधिक हैं. इसके अलावा, आपके बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान बड़ी मात्रा में छोटी बचत योजनाओं में खाते खोले हैं, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 50% वृद्धि हुई है.

16.2 सरकारी कारोबार को बढ़ाने के लिए किए गए नए पहल:

- सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) प्लेस के साथ संबद्धता: आपके बैंक ने विभिन्न पंजीकरण शुल्कों, ऑनलाइन ई-पीबीजी जमा, सुरक्षा जमा का संग्रहण आदि के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस से करार किया है.
- "करतारपुर कॉरीडोर" में डेरा बाबा नानक के पेसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में एक एटीएम की स्थापना की है
- वायु सेना और रेल्वे के पेन्शनरों के लिए, ई-पीपीओ आरंभ किया है.
- ऑनलाइन चालू खाता खोलने के लिए एमसीए के साथ इंटीग्रेशन किया है .
- मोबाइल बैंकिंग के उपयोग से एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलना.
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एससीएसएस खाता ऑनलाइन खोलना
- पीएफ़एमएस के माध्यम से छोटे बचत खातों की रिपोर्टिंग.
- पीएफ़एमएस प्लेटफॉर्म पर 9500 ग्राम पंचायतों को जाड़ना.
- प्रसार भारती का संग्रहण खाता.
- एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड को साख सुविधाएं और केंद्रीयकृत वेतन वितरण, ऑनलाइन क्रेता संग्रहण के लिए पीजी सेवाएँ.
- बीएसएनएल के 7000+ पेंशन खाते खुले.
- 17वीं लोकसभा के 154 एमपीएलएडी खाते खोले गए.
- स्मार्ट स्कीम पुणे, महाराष्ट्र (महाराष्ट्र में एफपीओ को साख सुविधाओं के लिए एमओयू हस्ताक्षरित)

17 **मानव संसाधन प्रबंधन:** आपका बैंक अपने मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे उत्कृष्ठ बना रहा है और इस प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जा रहा है. प्रभावशाली ढंग से कर्मचारियों के नियोजन द्वारा कॉर्पोरेट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्योग ने सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जा रहा है. बैंकिंग उद्योग में हमरे प्रयासों को सराहा जा रहा है और वित्त वर्ष 2019-20 में मानव संसाधन नवोन्मेष, नेतृत्व और प्रशिक्षण के लिए हमें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

17.1 **जन बल :** दिनांक 31 मार्च, 2020 को आपके बैंक का कुल जनबल 37318 था.

सारणी 10: कर्मचारियों की श्रेणी

वर्ष	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ		कुल		कुल स्टाफ संख्या
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	
2018-19	16557	5215	8503	3211	3202	574	28262	9000	**37262**
2019-20	17398	5671	8050	3045	2668	486	28116	9202	**37318**

17.2 **जॉब फैमिली के द्वारा विशिष्टीकरण:** आपके बैंक ने बैंकिंग के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण के लिए, जॉब फॅमिली योजना को सफलतापूर्वक आरंभ किया है. इस योजना के माध्यम से प्राप्त विशिष्टीकरण से बैंक को कई लाभ होंगे, इसके साथ ही कर्मचारियों को अपने पसंदीदा क्षेत्र में कार्य करने का मौका भी मिलेगा.

17.3 **लर्निंग एवं क्षमता में वृद्धि :** आपके बैंक ने कॉर्पोरेट उद्देश्यों के अनुरूप तकनीकी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए, सीखने की नई पद्धति आरंभ की है. आपके बैंक ने यूनियन प्रज्ञा और ई-लर्निंग मोबाइल एप के द्वारा अपने कर्मचारियों को कभी भी और कहीं भी सीखने की सुविधा प्रदान कर, सीखने का दायरा बढ़ाया है. विभिन्न जॉब-रोल के अनुसार यूनियन प्रज्ञा मॉड्यूल में निरंतर विकास किया जा रहा है.

17.4 **यूनियन भविष्य:** बैंक की महत्वाकांक्षी लीडरशिप डेवलपमेंट एंड क्षमता निर्माण कार्यक्रम, यूनियन भविष्य में विगत तीन वित्त वर्षों में 1500 से अधिक कर्मचारियों को तैयार किया गया है.

17.5 **पुरस्कार और सम्मान की नीति:** बैंक की रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निष्पादन के लिए पुरस्कार और सम्मान की व्यापक नीति बनाई गई है. पुरस्कार और सम्मान की यह नीति अच्छे प्रयासों की सराहना और व्यक्तिगत तथा टीम प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों हेतु उपलब्ध है.

17.6 **पदारोहण योजना नीति:** कारोबार के सुचारू संचालन के लिए, आपके बैंक ने पदारोहण योजना नीति बनाया है. इसमें ऐसे पदों को चिन्हित किया गया है जिन्हें रिक्त नहीं रखा जा सकता है और इन्हें भरने के लिए सर्वोत्तम संभावित कर्मचारियों की पहचान की जाती है. इस नीति से, निरंतर क्षमता निर्माण पहलों के द्वारा बैंक के लिए भावी लीडरों की उपलब्धि को बनाए रखा जा सकता है.

17.7 **क्लासरूम प्रशिक्षण:** आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 868 इन-हाउस प्रशिक्षण सत्र, 336 स्थानीय कार्यक्रम और 70 कार्यशालाओं में 36179 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है. इनके अलावा, आपके बैंक ने 315 कर्मचारियों को बाहरी संस्थाओं में उद्योग में हो रहें नवीनतम प्रगति के संबंध में प्रशिक्षण दिया है.

17.8 **कर्मचारी संबद्ध कार्यक्रम:** प्रगति और पहल के क्षेत्र में, कर्मचारी संबद्धता कार्यक्रम बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है. आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, ओपन हाउस, फीडबैक सर्वे, इंक्लूजन ड्राइव्स, प्रतियोगिताओं तथा जागरूकता आदि के रूप में विभिन्न प्रसंग-आधारित कर्मचारी संबद्धता कार्यक्रम का आयोजित किया है.

18 शाखा नेटवर्क

18.1 यथा 31 मार्च 2020 तक पूरे भारतवर्ष में आपके बैंक की 4,281 शाखाएँ एवं 3 समुद्रपारीय शाखा का नेटवर्क है. जिसमें से 59 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित है.

सारणी 11: 31.03.2020 तक शाखा नेटवर्क

	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	मेट्रो	विदेशी	कुल
शाखाओं की संख्या	1245	1286	850	900	3	4284
शाखाएँ (%)	29	30	20	21	--	--

19 डिजिटल नेटवर्क बढ़ाने के उपाय

19.1 डिजिटल फर्स्ट पॉलिसी की सुनिश्चिति में आपका बैंक अग्रणी रहा है. समय के साथ-साथ बैंक ने डिजिटल उत्पादों और पॉलिसियों को विकसित किया है. नए उत्पादों और डिजिटल बैंकिंग विशेषताओं ने उपभोक्ताओं को न केवल रास्ते में बैंकिंग की सुविधा प्रदान की है बल्कि बैंकिंग की यह सुविधा लोगों के घरों में भी उपलब्ध कराई है. शुरुआत में हमारे बैंक का डिजिटली रूपान्तरण इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, डेबिट कार्ड और एटीएम से शुरू हुआ था. डिजिटल इंडिया अभियान से जु?कर, भारत सरकार की कई नई डिजिटल पहलों और विगत कुछ वर्षों के दौरान परिवर्तित नीतियों के साथ हमारी यह यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ी है.

19.2 **मोबाइल बैंकिंग:** सभी बैंकिंग जरूरतों के लिए एकल एप्लिकेशन के उद्देश्य से, भूतपूर्व एम-पासबुक एवं यूपीआई एप को यू-मोबाइल एप

में समामेलित कर दिया गया था. वर्ष 2019 के दौरान चाहे वह नया पंजीकरण हो या नई सेवाओं एवं विशेषताओं को जोड़ना हो दोनों मामलों की प्रगति में वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में यू-मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं की संख्या 33.50 लाख थी जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में विगत वर्ष के 57% से बढ़कर 52.64 लाख हो गई है.

19.3 **ईएएसई 2.0 (वर्धन, पहुँच एवं सेवा, उत्कृष्टता):** वैकल्पिक डिजिटल चैनल के माध्यम से अधिकतम सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक ने वास्तव में नई सेवाओं और विशेषताओं को जोड़ा है.

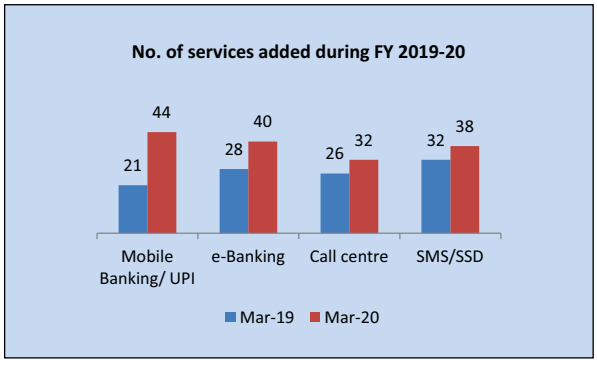

19.4 **डेबिट कार्ड:** विगत दो वर्षो के दौरान, डेबिट कार्ड निर्गमन ईएमवी मैंडेट के कारण सत्त विनियामक अनुपालन का साक्षी रहा है. सोश्ल मीडिया पर बैंक के डिजिटल प्रमोशन के बाद वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डेबिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन में भारी उछाल देखते हुए डेबिट कार्ड के प्रमोशन के लिए हमने मेक माइ ट्रिप, अपोलो फॉरेन्सस पेटल्स और बुक माइ शो के साथ टाई अप भी कर लिया.

सारणी 12: डिजिटल चैनल में वृद्धि (पूर्ण इकाई)

चैनल	31.03.20	31.03.19	वार्षिक वृद्धि	
			पूर्ण	(%)
एटीएम	6895	6650	245	3.7
पीओएस	55246	50905	4341	8.5
नकद विहीन कैंपस	275	232	43	18.5
मोबाइल बैंकिंग (लाख में)	52.64	33.4	19.24	57.6
इंटरनेट बैंकिंग (लाख में)	22.22	19.94	2.28	11.4

नई पहल

19.5 **ऑटोमेटेड डेबिट कार्ड निर्गमन** : बैंक के पास अभी एक ऑटोमेटेड डेबिट कार्ड निर्गमन सिस्टम है जिसमें अयांत्रिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं प?ेगी. वास्तविक समय के आधार पर रेडी किट डेबिट कार्ड सक्रिय किया जा रहा है जो कि पहले T+1 दिन में प्रोसैस किया जाता था. इससे कार्ड को सक्रिय करने में लगने वाले समय को 48 घंटे से कुछ सेकेंड में परिवर्तित कर दिया है.

19.6 **व्यापारिक कारोबार का अर्जन** : आपके बैंक ने व्यापारिक कारोबार के अर्जन हेतु न्यूनतम लागत पर पेटिवो पीओएस टर्मिनल की शुरूआत की है. व्यापारियों के लिए प्रस्तुत आकर्षक लेन-देन आधारित यह पीओएस मॉडल अधिक मात्रा एवं कीमत जेनरेट करने वाले व्यापारियों को शून्य किराए का प्रस्ताव दे रही है.

19.7 **इंटरनेट बैंकिंग** : बाजार के नवीनतम प्रवाह को देखते हुए इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन को कुछ नई विशेषताओं के साथ अद्यतित किया गया है. बीबीपीएस के माध्यम से बिल का भुगतान और आईपीओ के लिए आवेदन करने जैसी सेवाओं को इसमें जोड़ा गया है. इसके अलावा ईएएसई पर जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, इंटरनेट बैंकिंग में 16 नई सेवाओं को उपलब्ध कराया जा चुका है.

19.8 **सोशल मीडिया:**

- 2016 में आए प्रोजेक्ट यूनियन कनैक्ट के तहत फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बैंक की आधिकारिक पेज लॉंच की जा चुकी थी.
- टिप्पणियों एवं गतिविधियों का निरंतर धैर्य के साथ अनुश्रवण करते हुए, फेसबुक पेज पर आपके बैंक को "98% प्रतिक्रिया रेट के साथ अति प्रतिक्रियाशील एवं प्रतिक्रिया देने का समय 5 मिनट" की रेटिंग तथा ट्विटर पर "तत्काल प्रतिक्रया" तथा "24/7 प्रतिक्रियाशील" की रेटिंग दी गई है.

20 **जोखिम प्रबंधन- जोखिम पहचान एवं उसे कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण :**

20.1 जोखिम प्रबंधन के प्रति आपका बैंक सक्रिय रहा है. जोखिम के बारे में बैंक की सोच अपनी जोखिम क्षमता और नियामक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एक स्वस्थ पोर्टफोलियो विकसित करना एवं उसे बनाए रखना है. आपका बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि हमारे कारोबारी कार्य जोखिम प्रबंधन से कदम से कदम मिलकर चले, जिससे शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि हो और उपलब्ध पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

20.2 जोखिम प्रबंधन बैंक में विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तरीय समिति द्वारा शीर्ष स्तर पर समर्थित जोखिम प्रबंधन पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के साथ बोर्ड से नियंत्रित है. बैंक की पर्यवेक्षी समिति एवं आस्ति देयता प्रबंधन के साथ बोर्ड से नियंत्रित है. बैंक का निदेशक मण्डल बैंक की जोखिम नीतियाँ एवं जोखिम रणनीति को अनुमोदन प्रदान करता है. आरएमसी, जोखिम रणनीति एवं नीतियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है, जोखिम के स्तर पर निर्देश की समीक्षा करता है, अधिकतम निर्धारित सीमा,

पोर्टफोलियो विविधिकरण एवं जोखिम रिपोर्टिंग का अनुश्रवण करता है. जोखिम रणनीतियों एवं नीतियाँ बैंक की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को प्रभावी तौर पर संप्रेषित की जाती है.

20.3 आपका बैंक उपयुक्त नीतियों, संगठनात्मक संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, उपयुक्त प्रणालियों, कार्यपद्धतियों, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्रों के जरिए ऋण, मार्केट एवं परिचालन जोखिमों का निवारण करता है. इसकी सुपरिभाषित जोखिम वहन क्षमता एवं स्वतंत्र जोखिम कार्य हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक अपनी जोखिम वहन क्षमता के अंदर परिचालन करता रहें.

ऋण जोखिम प्रबंधन:

20.4 **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी):** सीआरएमसी बैंक के ऋण जोखिम कार्य का पर्यवेक्षण करता है. अपनी आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्य के अनुरूप, बैंक अनुशासित ऋण जोखिम प्रबंधन के माध्यम से एक सुदृढ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करती है. बैंक के पास पहचान, मापन एवं अनुश्रवण के नियंत्रण हेतु सुदृढ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम निर्धारण प्रणाली है. बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न साधन हैं, जिसमें ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियान, ऋण अनुमोदन समिति, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित कीमत एवं संविभाग प्रबंधन शामिल है.

20.5 आपके बैंक के पास रिटेल एवं कॉर्पोरेट ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए सुपरिभाषित आंतरिक रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल है. साथ ही, बैंक ने रेटिंग गुणवत्ता में सुधार लाने, रेटिंग मॉडलों के बेहतर प्रशासन के लिए सशक्त रेटिंग डाटाबेस बनाने हेतु केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीकृत रेटिंग पूल की स्थापना की है. जोखिम मूल्यांकन के बेहतर प्रशासन के लिए, केंद्रीकृत रेटिंग पूल शाखा स्तर पर तैयार किए गए कॉर्पोरेट लेनदारों की रेटिंग के निर्धारण को अंतिम रूप देने का कार्य करता है. आंतरिक क्रेडिट रेटिंग मॉडल के अतिरिक्त, ईएएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए सूचीबद्ध इकाइयों की सक्रिय रेटिंग तथा जोखिम समीक्षा ढांचा प्रस्तुत किया है.

20.6 बैंक ने सभी अग्रिमों के लिए मानकीकृत एवं पूर्ण निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें ऋण अनुमोदन हेतु समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है और विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियाँ कार्यरत हैं.

20.7 **आरडब्ल्यूए संगणना पद्धति**: ऋण एवं अग्रिम के लिए क्रेडिट आरडब्ल्यूए की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकीकृत तरीकों द्वारा की जाती है.

बाजार जोखिम प्रबंधन:

20.8 **आस्ति देयता समिति (एल्को):** एल्को, बैंकिंग एवं ट्रेडिंग कारोबार में बाजार जोखिम को कम करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति एवं बाजार जोखिम नीति प्रस्तुत करती है. एल्को ने, समग्र बाजार जोखिम प्रबंधन को सशक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से अपने बैंक के साथ आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक के प्रस्तावित समामेलन के मद्देनजर संबंधित नीतियों को भी सुव्यवस्थित किया है.

20.9 एल्को नियमित बैठकें करती हैं, जिसमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, मात्रा, सम्मिश्र तथा अवधि की समीक्षा की जाती है. आस्ति देयता प्रबंध समिति आस्तियों और देयताओं का मूल्य निर्धारण भी करती है. एल्को तरलता एवं ब्याज दर जोखिम की पहचान, माप अनुश्रवण, एवं प्रबंधन करती है. बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन एवं दबाव जाँच सुनिश्चित करता है और साथ ही बैंक के लिए आकस्मिक निधि योजना बनाता है. एल्को ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आस्ति उत्पादों के लिए बाह्य बेंचमार्क आधारित मूल्य निर्धारण (ईबीएलआर) लागू किया है, साथ ही आंध्रा व कॉर्पोरेशन बैंक में उपलब्ध विभिन्न आस्ति और देयता उत्पादों के मध्य सामंजस्य भी स्थापित किया है. इसने समामेलित इकाई के लिए एकीकृत मूल्य संरचना भी तैयार की है.

20.10 **तरलता प्रबंधन रणनीतियाँ:** बैंक ने तरलता मानक पर बासेल III के ढांचे के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी तरलता जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों को अंगीकृत किया है. बैंक तरलता कवरेज अनुपात और संरचनात्मक स्थिति के जरिए दैनिक आधार पर अनुश्रवण करता है.

20.11 **बाजार जोखिम पूंजी प्रभार संगणना पद्धतियां:** बाजार जोखिम पूंजी की गणना मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) से की जाती है.

परिचालन जोखिम प्रबंधन:

20.12 परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए व्यापक प्रक्रियाओं और पद्धतियों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा का प्राथमिक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है. बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. बैंक द्वारा प्रस्तुत सभी नयें उत्पादों में परिचालन जोखिम संबंधी मामलों की पहचान, जांच व समाधान के लिए सभी नये उत्पादों को नव-उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. वर्तमान उत्पादों में बदलाव व साथ ही आउटसोर्सिंग गतिविधियों में जोखिम की भी समीक्षा की जाती है. बैंक ने पिछले तेरह वर्षों के दौरान परिचालनगत हानियों से संबंधित आकड़ों का समेकन किया है तथा सुधारात्मक उपाय उठाने हेतु उनका विश्लेषण किया है, ताकि आगे ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति न हो. स्व-मूल्यांकन में जोखिम एवं नियंत्रण (आरसीएसए) के संचालन हेतु प्रक्रिया भी उपलब्ध है, जिससे कि बैंक के विभिन्न उत्पादों की प्रक्रिया में, शेष जोखिमों का निर्धारण किया जा सकें. विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए मुख्य जोखिम संकेतकों की पहचान की गयी है एवं प्रारम्भिक सीमा

निर्धारित की गयी है.

20.13 बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के अंतर्गत, पूंजी संगणना के लिए, मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपना रहा है. बैंक ने मार्च, 2015 से समानांतर आधार पर, परिचालन जोखिम के लिए, "मानकीकृत दृष्टिकोण" (टीएसए) अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया है. हालांकि, समानांतर आधार पर बैंकों के लिए परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार, संगणना के प्रस्तुतीकरण को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के बासेल III ढांचे के/में पुनरीक्षण के कारण, परिचालन जोखिम पूंजी के मापन के लिए "मानकीकृत मापन दृष्टिकोण" को प्रस्तावित किया है. बैंक इस दृष्टिकोण का प्रयोग तब करेगा, जब विनियामक द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी हो जाएंगे. तब तक मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) द्वारा ही परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी प्रभार की गणना जारी रहेगी.

20.14 एक अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन उपाय के तौर पर, बैंक में अपने कार्य संचालन में, अधिक पारदर्शिता रखने के लिए प्रकटीकरण नीति बनाई है. व्यापारिक अव्यवस्था एवं प्रणालीगत असफलता के विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए, कारोबार निरंतरता योजना (बीएसपी) की महत्ता को पहचानते हुए, बैंक में बीसीपी नीति लागू की है, जो उसके स्टाफ, ग्राहकों एवं आस्तियों के हित को बचाने के लिए, अव्यवस्थित माहौल के अंतर्गत एक विस्तृत जवाबी विवरण देता हुआ, ब्लूप्रिंट प्रदान करता है.

समूह जोखिम प्रबंधन:

20.15 हमारे बैंक ने विविध वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, प्रतिभूतियों एवं पूंजी बाजारों, बीमा एवं रिटेल आस्ति व्यापारों में भाग लिया है. बैंक ने प्रतिष्ठित बाहरी परामर्शदाताओं की सहायता के साथ सामान्य एवं दबावग्रस्त स्थितियों के अंतर्गत अपनी सामूहिक इकाइयों, आंतरिक नियंत्रणों एवं न्यूनीकरण उपायों एवं पूंजी निर्धारण में जोखिमों के निर्धारण के लिए एक ढांचा/नीति प्रस्तुत की है. बैंक अपनी समूह जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से समूह-वार दृष्टिकोण लागू करने की ओर अग्रसर है, ताकि कारोबार संचालन में जोखिम के प्रमुख पहलुओं, जो सभी कारोबार समूहों को प्रभावित करते हैं, को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा सके.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

20.16 हमारे बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति है. बैंक के पास धोखाधड़ी समीक्षा परिषद, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड की विशेष समिति धोखाधड़ी मामले की निगरानी करने के लिए हैं ताकि धोखाधड़ी/धोखाधड़ी के प्रयासों के मामलों की जाँच करने एवं धोखाधड़ी के निवारण के लिए प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जा सके. बोर्ड को ₹1 लाख या उससे अधिक राशि के सभी मामलों की रिपोर्टिंग के अलावा, बैंक ₹1 करोड़ के या उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग बोर्ड की विशेष समिति धोखाधड़ी की निगरानी करता है.

20.17 हमारे बैंक ने प्रारंभिक स्तर पर ही धोखाधड़ी का पता लगाने/निवारण करने के लिए लेनदेन की निगरानी के लिए एंटरप्राइज-वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफ़आरएम) लागू किया है.

21 अनुपालन

21.1 आपके बैंक ने एक सुदृढ अनुपालन प्रणाली अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत अनुपालन नीति के साथ कार्यान्वित की है. अनुपालन कार्य का मुख्य उद्देश्य, विनियामक अनुपालन, सांविधिक अनुपालन, सही अभ्यास संहिता के अनुपालन एवं अन्य निर्धारित कोड, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं धनशोधन से बचाव एवं गैर कानूनी गतिविधियों के निधियन से बचाव आदि का पालन करना है.

आपका बैंक ग्राहक सेवा, केवाईसी-एएमएल चेक सहित "बी" श्रेणी की शाखाओं और सम्पूर्ण भारत में विस्तारित क्षेत्रों में आयोजित ऋण प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा का नियमित रूप से परीक्षण सुनिश्चित करता है.

21.2 आपके बैंक ने अनुपालन पैकेज विनियामकों / मंत्रालयों से प्राप्त संप्रेषणों के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बनाया है. आवधिक अनुपालन टेस्ट चेक आवश्यक दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए है. अनुपालन कार्य की भूमिका एवं जिम्मेदारी बैंक के हर टियर में स्पष्ट की गयी है. आपके बैंक के पास विनियामक एवं सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन प्रक्रिया के द्वारा एक सुस्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली है; अनुपालन प्रमाणपत्र शाखाओं द्वारा उच्च कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाता है.

22 लेखा परीक्षा

22.1 आपके बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधन लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा एवं विदेशी शाखा लेखापरीक्षा के संबंध में एक निर्धारित लेखापरीक्षा नीति विद्यमान है, जिसकी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है.

22.2 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 3767 शाखाओं की नियमित लेखापरीक्षा एवं आईएस लेखापरीक्षा संचालित की गयी. विशिष्ट आईएस लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्रीय कार्यालय के 7 वर्टिकलों, 2 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों और 20 शाखाओं में गहन लेखा परीक्षा का आयोजन किया गया. "अधिक जोखिम" वाली शाखाओं की संख्या वित्त वर्ष 2018-19 में 58 से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 31 शाखाओं तक हो गयी. आय में ₹127.31 करोड़ की कमी पाई गई. ऐसे 52 शाखाओं में धोखाधड़ी होने के कारण इन्हें "अत्यधिक जोखिम" वाली श्रेणी में रखा गया है और अन्य किसी भी शाखा को "बहुत अधिक जोखिम" श्रेणी में नहीं रखा गया है.

- ऑफसाइट अनुश्रवण प्रणाली को नए बनाए गए सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के साथ केंद्रीय ओएमसी (ऑफसाइट मॉनिटरिंग सेल) एवं क्षेत्रीय ओएमसी दोनों ही स्तर पर सुधारा गया है.
- आपके बैंक ने सभी लेखापरीक्षा मॉड्यूल जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधन लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, करेंसी चेस्ट, सेवा शाखा आदि की लेखापरीक्षा को लाइव किया है.
- बोर्ड निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) एवं कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा वर्ष के दौरान क्रमश: 13 बार एवं 6 बार बैठक की गयी.

23 साइबर सुरक्षा

23.1 आपके बैंक ने साइबर कार्यों (सीसो कार्यालय) की देखरेख के लिए केंद्रिय कार्यालय में एक अलग वर्टिकल बनाया है. सीसो प्रमुख बैंक के कार्यपालक निदेशक को रिपोर्ट करते है. बैंक ने सक्रियता के साथ नेटवर्क में अंतरिक एवं बाहरी परधि में नियोजित किसी भी असामान्यता को पहचाने के लिए समर्पित दक्षता प्राप्त टीम एवं तकनिकी सुरक्षा समाधान विकसित किया है.

23.2 बैंक के साइबर सिक्योरिटी स्थिति के विकास को देखने के लिए आपके बैंक ने साइबर सिक्योरिटी गवर्नेस संरचना स्थापित की है जिसमें नीतियां तथा कार्यपालक एवं बोर्ड स्तर समितियां शामिल हैं. आपके बैंक ने साइबर सिक्योरिटी नीति एवं सूचना सिक्योरिटी नीति भी तैयार की है और आपके बैंक ने साइबर एवं सूचना सुरक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए संबंधित मानक परिचालन प्रक्रिया विकसित की है. बैंक ने आकस्मिक कार्रवाई को संभालने के लिए प्ले बुक भी विकसित किया है.

23.3 साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी): आपके बैंक ने अपने ग्राहकों एवं कार्मिकों के बीच साइबर सुरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए सीसीएसएपी कार्यक्रम विकसित किया है जिससे सम्पूर्ण साइबर लचीलापन बढ़ गया है.

नयी पहल :

23.4 साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी): साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी) को बैंक की सूचना प्रणालियों का अनुश्रवण, आकलन और बचाव के लिए लागू किया गया है.

23.5 साइबर थ्रेट हंटिंग कार्यक्रम: आपके बैंक ने साइबर थ्रेट हंटिंग कार्यक्रम स्थापित किया है. एवं साइबर हमले का पता लगाने उसे समझने या संदेहजनक गतिविधि को पहचानने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से नियमित अवधिपर एक मॉकड्रिल निष्पादित करता है.

23.6 बैंक वैश्विक खतरे वाले इंटेल सर्विस प्रोवाइडरों से खतरे की खुफिया सेवाओं का भी लाभ उठा रहा है. वे विभिन्न खतरे वाली खुफिया सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे समझौता कार्ड या क्रेडेंशियल विवरण, मुले आईपी, मुले ईमेल आईडी, मुले खाते आदि.

24 तकनीकी उन्नयन:

24.1 सूचना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाने के लिए एक प्रतिक्रियाशील, आघात-सह और सुरक्षित आईटी पारिस्थिति की तंत्र रखना है. आपका बैंक आईटी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आंतरिक व्यापार प्रक्रियाओं के केन्द्रीकरण/स्वचालन/एकीकरण को अपना रहा है. यह बैंक की आईटी परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है.

आपका बैंक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को कारगर बनाने के लिए भी प्रयासरत है. आपके बैंक ने संस्करण 7.x से 10.x तक कोर बैंकिंग का माइग्रेशन किया है, यूनियन परिवार (एचआरएमएस) के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, विभिन्न केवाईसी जमा करने की प्रक्रिया को केंद्रीयकृत करने के लिए केंद्रीय केवाईसी मोबाइल एप्लिकेशन, ई-लर्निंग मोबाइल एप्लिकेशन, यूपीआई 2.0 सोल्यूशंस का कार्यान्वयन और लेन-देन चैनलों का एकीकरण किया है.

व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में, आपके बैंक ने एचआरएमएस एप्लिकेशन लॉन्च करके अपने कर्मचारियों को बाधा मुक्त सेवाएं प्रदान करने में नेतृत्व और नवाचार की परिकल्पना की है. यह एप्लीकेशन अनुलाभों और भत्तों के तत्काल अनुमोदन और संवितरण में मदद करता है.

व्यावसायिक प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे सभी शाखाओं के लिए न्यूनतम 2 एमबीपीएस और सभी कार्यालयों के लिए न्यूनतम 4 एमबीपीएस तक बैंडविड्थ उन्नयन .

आपके बैंक ने दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली के तहत केंद्रीयकृत खाता खोलने के विस्तार, 5 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन के लिए बहुभाषी एसएमएस जो आपके बैंक को विभिन्न चैनलों के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेहतर उत्पाद प्रदान करने में मदद करता है, पर भी ध्यान केंद्रित किया है.

आपका बैंक डिजिटल और स्मार्ट डेटा-चालित अगली पीढ़ी के बैंकिंग में परिवर्तन के लिए सार्वजनिक बैंक सुधारों एन्हेन्सड एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेंस (ईएएसएई) कार्यसूची को लागू करने की प्रक्रिया में है. इसके अलावा, आपके बैंक ने वास्तविक समय लेनदेन प्रसंस्करण की सुविधा के लिए एपीआईएम सोल्यूशन की पहल हेतु शुरुआत की.

आईटी सुरक्षा को बढ़ाने और सूचना संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न सुरक्षा सोल्यूशन लागू किए हैं और स्वचालित टैगिंग के माध्यम से संवेदनशील डेटा के उपचार में सुधार के लिए स्वचालित डेटा वर्गीकरण समाधान को लागू करने की प्रक्रिया में है. आपके बैंक ने अधिक पारदर्शिता के साथ शासन में सुधार के उपाय किए हैं.

आपका बैंक एआई, एमएल और विश्लेषिकी आधारित सोल्यूशन को अपनाने के लिए तैयार रोडमैप द्वारा डेटा-चालित निर्णय लेने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है. आपका बैंक नवीनतम तकनीकों जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड वीएएन (एसडी - वीएएन), ब्लॉक चेन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) और बैंक को अगली पीढ़ी का बैंक, साथ ही जनता का बैंक बनने में मदद करने के लिए बैंक ओपन बैंकिंग की प्रक्रिया में है.

व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा उद्धार प्रबंधन रणनीति के रूप में, बैंक ने बैंक में स्थापित निजी क्लाउड आधारित संरचना पर होस्ट किए गए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए डीआर स्वचालन साल्यूशन लागू किया है, इस प्रकार समस्या की स्थिति में समाधान करने के लिए बैंक की तत्परता को प्रोत्साहित कर रहा है.

आपके बैंक ने समामेलन के मद्देनजर सुचारू और निर्बाध आईटी लैंडस्केप एकीकरण के लिए समय-सीमा के साथ कार्यान्वयन योजना तैयार की है. समामेलन के शून्य दिवस अर्थात 01.04.2020 के लिए प्रभारों के साथ देयता उत्पादों के लिए तीनों बैंकों हेतु कोर बैंकिंग में उत्पादों का सामंजस्य पूरा हुआ.

25 सतर्कता:

25.1 बैंकिंग संस्था, सार्वजनिक धन के संरक्षक होने के नाते, ईमानदारी, अखंडता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं. बैंकों में सतर्कता कार्य भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता के लिए प्रयास करने में मदद करता है और इस तरह संस्था की छवि को बढ़ाता है.

25.2 **सतर्कता जागरूकता पहल:** हमारा बैंक निवारक सतर्कता दौरा करता है जो कि सतर्कता अधिकारियों द्वारा शाखाओं का औचक निरीक्षण होता है, जिसका उद्देश्य समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करना है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2345 निरीक्षण किए गए. पीवीवी के तहत अधिक शाखाओं को कवर करने और क्षेत्र भर में संपूर्ण संरक्षण करने के लिए, हमने अपने सतर्कता सेट-अप का विस्तार किया है और इसमें 11 अंचल सतर्कता सेल और 18 क्षेत्रीय सतर्कता सेल शामिल हैं.

पीवीवी के अलावा, बैंक द्वारा एक परोक्ष निगरानी प्रणाली को अपनाया जाता है जो असामान्य लेनदेन अनियमितताओं आदि का पता लगाने में मदद करता है और इस तरह सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत की जाती है. वर्ष के दौरान, 3367 अलर्ट परोक्ष निगरानी के तहत इंगित हुए थे, जिन्हें उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए नियंत्रकों को संदर्भित किया गया था.

कंट्रोल रिटर्न विभिन्न वैधानिक और विनियामक निकायों (सीवीसी, आरबीआई, एमओएफ, सीबीआई आदि) को नियमित रूप से भी भेजते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमारे सतर्कता मामलों और भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यों पर एक सामान्य जांच और संरक्षण करने के लिए उन्हें सक्षम करने की मांग की जाती है.

सीवीसी के निर्देशों के मद्देनजर, हमारा बैंक हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें स्टाफ सदस्यों, स्कूल जाने वाले बच्चों, समाज के ग्रामीण लोगों और देश के सभी नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के आंतरिक और संपर्क सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह "ईमानदारी - एक जीवन शैली" की थीम के साथ मनाया गया कि अखंडता को हमारे जीवन में एक आवश्यक विशेषता के रूप में विकसित किया जाए और इस प्रकार हमारे समाज और राष्ट्र की उन्नति सुनिश्चित की जाए.

26 दृष्टिकोण

26.1 बैंकिंग आज अवसरों और अनिश्चितताओं दोनों के मोड़ पर खड़ी है. जबकि अवसर आर्थिक पुनरुत्थान की आशा पर आधारित है, अनिश्चितताएं चल रहे संकट और संबंधित असफलताओं से अधिक स्पष्ट है. अवसर की उम्मीद हालांकि नियामकों द्वारा त्वरित और समय पर की गई कार्रवाई से उत्पन्न होती है. इसके अलावा, मौजूदा संकट और 2008 की एक समान घटना के बीच एक बड़े अंतर की रूपरेखा को तैयार करना है, यह एक व्यवस्थित आघात-सहनीयता है, जिसने पुनरुत्थान के लिए आशा प्रदान की है.

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने समामेलन, ईएएसई और डिजिटल एकीकरण के रूप में विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं. आंतरिक सुधारों के साथ प्रबंधन करते हुए, बैंक ने उद्योग की जरूरतों पर सफलतापूर्वक काम किया है.

इसी के साथ, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में व्यापार वृद्धि और नए अवसरों के मामले में धीमी बने रहने की उम्मीद है. बहरहाल, राजकोषीय नीति के समय-समय पर जारी होने और व्यवसायिक रुख में सुधार के साथ दूसरी छमाही से धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है. इसके अलावा, कोविड के बाद दुनिया संस्थानों को अलग तरीके से विकसित करने और एक "नया सामान्य" स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : जुलाई 4, 2020

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

1.3 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि.

1.4 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का इस प्रकार अनुपालन करता है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी बैंक पर लागू होने वाले निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में बैंक के समग्र अनुश्रवण कार्य सहित नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं.

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और निदेशक मंडल के समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं.

2.4 31 मार्च, 2020 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) तथा तीन कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त नौ गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के दो पद रिक्त थे.

2.6 **निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2020 निम्नानुसार है:**

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता $	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
1	श्री. केवल हांडा अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक)	06.07.2007	एसीबी बीसीपीई सीएससीबी सीएसआरसी आईटीएससी आरएमसी एससीएमएफ एसआरसी	शून्य	7	3	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अधीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रुप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 05.07.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नामित. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं:-

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता $	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
			एनआरसी एसटीसीबी				i. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड ii. क्लेरिएंट केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड iii. ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड iv. आर एम ड्रिप & स्प्रिंकलर्स सिस्टम लिमिटेड विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त
2	श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक व सीईओ (कार्यपालक)	01.07.2017	सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी डीपीपीसी ईडीसी एचआरएससी एमसीबी आरसीएनसीबी& डबल्यूडी आरईएमसी एससीएमएफ एसटीसीबी	6725	0	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्त 01.07.2017 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 30.06.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
3	श्री गोपाल सिंह गुसाईं कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	20-09-2018	सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी आईटीएससी एमसीबी आरईएमसी आरएमसी एसआरसी	6725	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 19.09.2021 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : लागत लेखाकार, बैंकिंग एवं वित्त

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता $	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
4	श्री दिनेश कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	02-11-2018	एसीबी सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी आईटीएससी एमसीबी आरईएमसी आरएमसी एससीएमएफ एसआरसी	6725	2	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि या दि.30.09.2021 या अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
5	श्री मानस रंजन बिस्वाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01-03-2019	सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी आईटीएससी एमसीबी आरईएमसी आरएमसी एसआरसी	शून्य	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 28.02.2022 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
6	डॉ मदनेश कुमार मिश्रा सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर - कार्यपालक)	22-07-2016	एसीबी बीसीपीई सीएससीबी डीपीपीसी ईडीसी एचआरएससी आईटीएससी आरईएमसी एससीएमएफ	शून्य	2	0	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे. वह यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के निदेशक भी हैं. विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता $	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
7	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	26-04-2019	एसीबी डीपीपीसी ईडीसी एमसीबी ईडीसी	शून्य	1	0	केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
8	श्री राजीव कुमार सिंह सनदी लेखाकार निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	06-02-2018	एसीबी सीएससीबी आईटीएससी एनआरसी एसआरसी	शून्य	4	2	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अधीन सनदी लेखाकार निदेशक के रुप में, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 05.02.2021 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नामित. आप मचीनो प्लास्टिक लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं. विशेषज्ञता के क्षेत्र : वित्त एवं मूल्यांकन, लेखापरीक्षा
9	डॉ. के. रमेश अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) #	21-10-2019	एनआरसी एससीएमएफ	शून्य	0	0	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष की अवधि यथा 21.10.2019 या बैंक के समामेलन की तारीख अर्थात 31.03.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र एवं जोखिम प्रबंधन
10	डॉ. मदुरा स्वामीनाथन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र गैर कार्यपालक)	27.12.2017	सीईएसडी एचआरएससी एनआरसी आरएमसी एससीएमएफ	शून्य	0	0	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि यथा 26.12.2020 या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नामित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र
11	डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	बीसीपीई एमसीबी आरसीएनसीबी & डबल्यूडी आरएमसी एसआरसी	100	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दि 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुन: निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता $	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
12	श्री के कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	सीईएसडी सीएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरएमसी	200	0	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन, 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुन: निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बीमा एवं प्रबंधन
13	डॉ. जयदेव एम, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससी एमसीबी आरसीएनसीबी & डबल्यूडी एसटीसीबी	200	0	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दि. 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन

डॉ के रमेश, अंश-कालिक गैर-कार्यपालक निदेशक ने निदेशक मंडल में अपना कार्यकाल 24.04.2019 को पूरा किया और दिनांक 21.10.2019 को पुन: नामित किए गए.

$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

एसीबी	-	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
बीसीपीई	-	बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति
सीएसी - I	-	साख अनुमोदन समिति- I
सीडीआरसीएफ	-	पूंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति
सीईएसडी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों का चुनाव समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
सीएसआरसी	-	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
डीपीपीसी	-	अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति
ईडीसी	-	निर्वाचन विवाद समिति
एचआरएससी	-	बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
आईटीएससी	-	बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एनआरसी	-	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
आरसीएनसीबी&डबल्यूडी	-	बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं & जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
आरईएमसी	-	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एससीएमएफ	-	रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति
एसआरसी	-	हितधारकों की संबंध समिति
एसटीसीबी	-	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

2.7 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन

नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरुप	संक्षिप्त परिचय
1.	श्री. अरुण कुमार सिंह	56	26-04-2019	अगले आदेशों तक	बैंकिंग एवं वित्त	वर्तमान में श्री अरुण कुमार सिंह अप्रैल 2019 से, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर हैं तथा राजस्थान राज्य में मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग / गैर बैंकिंग विकास, सरकारी बैंकिंग आदि के क्षेत्र में केंद्रीय बैंकिंग का निर्वहन कर रहे हैं. श्री अरुण कुमार सिंह ने अर्थशास्त्र में स्नातक तथा वित्त एवं मानव संसाधन में एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है. वह भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीआईआईबी) भी हैं.
2	डॉ. के. रमेश	63	21-10-2019	31-03-2020	अर्थशास्त्र एवं जोखिम प्रबंधन	डॉ. के. रमेश अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में मास्टर एवं डॉक्टरेट ने 80 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की तथा बाद में केरल कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया. डॉ रमेश का निदेशक मंडल में कार्यकाल 31.03.2020 को समाप्त हो चुका है.

कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्ण हुआ.

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1	श्री अनिल कुमार मिश्रा	भारिबैं नामित निदेशक	26-04-2019	श्री. अरुण कुमार सिंह को श्री अनिल कुमार मिश्रा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा 26-04-2019 को भारिबैं नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
2	डॉ के रमेश	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	पहला अवधि काल - 24.04.2019 दूसरा अवधि काल - 31.03.2020	कार्यकाल पूर्ण

2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध :

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नहीं है.

2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता :

सेबी (एलओडीआर) विनिमयन, 2015 के विनिमयन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2020 का ब्यौरा निम्नानुसार है.

क्र	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1.	श्री केवल हांडा अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड 2. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड 3. ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड 4. क्लेरिएंट केमिकल्स (इंडिया लिमिटेड) 5. आर एम ड्रिप एवं स्प्रिंकलर्स सिस्टम लिमिटेड 6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसबी एसआरसी एसीबी एसीबी एसआरसी एसीबी एसआरसी	अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
2.	श्री. गोपाल सिंह गुसाईं कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
3.	श्री. दिनेश कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी एसीबी	सदस्य सदस्य
4.	श्री. मानस रंजन बिस्वाल कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
5.	श्री. मदनेश कुमार मिश्रा सरकार नामित निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2. यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस लिमिटेड	एसीबी एसीबी	सदस्य सदस्य
6.	श्री. अरुण कुमार सिंह भारिबैं नामित निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
7.	श्री. राजीव कुमार सिंह सनदी लेखाकार निदेशक	1. मचिनो प्लास्टिक्स लिमिटेड 2. मचिनो प्लास्टिक्स लिमिटेड 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 4. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसी एसआरसी एसीबी	सदस्य सदस्य अध्यक्ष अध्यक्ष
8.	डॉ. उत्तम कुमार सरकार शेयरधारक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य

2.10 **निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा**: निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की बेवसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप, पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में (बैंक के बोर्ड पर किसी भी निदेशक को) वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के पीछे प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है.

2.12 बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करता हैं एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र है.

3 **वार्षिक सामान्य बैठक**

बैंक के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक साधारण बैठक **शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019** को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1.	श्री केवल हांडा	अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक
2.	श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
3.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक
6.	श्री राजीव कुमार सिंह	सनदी लेखाकार निदेशक, निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष

4 **निदेशक मंडल की बैठकें** :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा:

क्र	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या
1	18-04-2019	13	11
2	14-05-2019	12	10
3	15-05-2019	12	12
4	18-06-2019	12	12
5	24-07-2019	12	10
6	02-08-2019	12	10
7	23-08-2019	12	10
8	09-09-2019	12	11
9	18-09-2019	12	10
10	23-10-2019	13	11
11	14-11-2019	13	11
12	06-09-2019	13	13
13	10-01-2020	13	11
14	10-02-2020	13	11
15	25-02-2020	13	11
16	05-03-2020	13	10
17	17-03-2020	13	12
18	27-03-2020	13	12

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	18	18
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	18	18
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	18	18
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	18	18
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	18	18
डॉ मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामिती निदेशक	18	14
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामिती निदेशक	1	0
श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं नामिती निदेशक	17	14
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	18	18
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	10	10
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	18	12
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	18	15
श्री के कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	18	9
श्री जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	18	16

5. **बोर्ड की समितियां**

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

4. रू.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)

6. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

7. निदेशकों की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

8. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)

9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

10. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

11. अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

12. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

13. बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं & जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी&डबल्यूडी)

14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

15. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)

16. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

17. बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

18. चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)

19. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव का निर्णय लेने हेतु समिति (सीईएसडी)

5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में यथा 31.03.2020 को निम्नलिखित सदस्य शामिल है: -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

5.1.3 एमसीबी बैठकों की उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 22 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राज किरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	22	22
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	22	20
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	22	20
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	22	21
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	1	0
श्री अरुण कुमार सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	21	17
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	5	4
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	21	8
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	22	21
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	17	17

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी
- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यतः सनदी लेखाकार निदेशक हो.

अन्य कार्यपालक निदेशक/कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो.

श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक जो कि समिति के

वर्तमान अध्यक्ष हैं.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा.

5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.

2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
   - अंतर-शाखा समायोजन खाते
   - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
   - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
   - धोखाधड़ी
   - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.

3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.

4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.

5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची - II के भाग - सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है.

5.2.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 13 बैठकें हुई. ये बैठकें दिनांक 18.04.2019, 14.05.2019, 17.06.2019, 23.07.2019, 02.08.2019, 20.08.2019, 09.09.2019, 14.11.2019, 07.12.2019, 10.02.2020, 10.02.2020, 05.03.2020 और 16.03.2020 को आयोजित हुई थी तथा उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	13	13
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	13	13
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामिती निदेशक	13	8
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामिती निदेशक	1	0
श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं नामिती निदेशक	12	10
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	13	13

5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा. कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (सीएसआर & एएलएम) पर निर्देशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) किया है.

समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं :

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक एवं
- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक.

श्री केवल हांडा, बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित की है, यह समिति बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है.

5.3.3 आरएमसी समिति की उपस्थिति

वर्ष 2019-20 में समिति की 5 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	5	5
श्री राज किरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	5	5
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	1	1
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	5	4
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	4	2
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	1	1

5.4 ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी.

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

श्री केवल हांडा, बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष है.

5.4.2 कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि :

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना.
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना.
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना.
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना.

5.4.3 एससीएमएफ बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राज किरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	4	1
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	3	2
डॉ. के. रमेश, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	0
डॉ जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	2	2

5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)

5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी हैं. यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

5.5.3 आरईएमसी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राज किरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	4	4

5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

5.6.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गयी है. समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- चार गैर-कार्यपालक निदेशक

इनके अतिरिक्त, इन बैठकों में आंतरिक लोकपाल तथा दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं.

5.6.2 कार्य:

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

i. ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना.

ii. मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.

iii. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना.

5.6.3 सीएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई जिसमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	4
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	4	0
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	4	4
डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	3	2
श्री एस. रवीन्द्रनाथ, विशेष आमंत्रित	4	3
श्री एस. जगन्नाथन, विशेष आमंत्रित	4	4
श्री विजय जसुजा, आंतरिक लोकपाल	4	2

5.7 बोर्ड की एचआर उप-समिति (एचआरएससीबी)

5.7.1 संघटन :

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रुप में भाग लेते हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.7.2 कार्य :

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन :

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
   - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
   - उत्तराधिकार की योजना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
   - पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

5.7.3 एचआरएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	5	5
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	5	5
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	5	3
डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	5	4
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	1	0
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री टी. वी. राव, बाहरी विशेषज्ञ	5	4
श्री आर. आर. नायर, बाहरी विशेषज्ञ	5	1

5.8 हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)

5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है.

श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.8.2 कार्य :

1. बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति, नए/ डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान एवं अनुश्रवण करना.
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गयी सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.
4. बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/ वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना.

5.8.3 एसआरसी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, ये बैठकें दिनांक 18.06.2019, 20.08.2019, 07.12.2019 और 16.03.2020 को आयोजित हुई थी तथा उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	4	4
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	3	3
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	2	2

5.8.4 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री मंगेश मांद्रेकर को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया.

5.8.5 वर्ष 2019-20 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण :

31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है :-

विवरण		31.03.20 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.19 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	106	276
सी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	106	276
डी.	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0

5.9 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

5.9.1 संघटन

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- तीन गैर - कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, महाप्रबंधक)

श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.9.2 कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.

- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पयर्वेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

5.9.3 आईटीएससी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 6 बैठकें हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	6	6
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	6	6
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	6	6
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	6	5
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक	6	3
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	5	5
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	2	1
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	4	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री इशरक अली खान, महाप्रबंधक, डीआईटी	6	6
श्री जी. शिवकुमार, विशेष आमंत्रित	6	4

5.10 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी. वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बोर्ड को अलग नामांकन समिति एवं परिश्रमिक समिति के स्थान पर, कथित दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार बैंक के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है.

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशकों के बोर्ड ने 6.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है

5.10.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र क्र. आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) के निर्देशों, 2019 को जारी किया है. कथित निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को गठित करने की आवश्यकता है. समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- अधिनियम 9(3) (जी) की धारा के अधीन नामित गैर-कार्यकारी निदेशक

- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित तीन गैर-कार्यकारी निदेशक

दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को भी समिति में नामित किया जा सकता है परंतु वह समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-कार्यालयी निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.10.2 कार्य :

बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन किसी व्यक्ति के निदेशक के रुप में चयन हेतु 'योग्य एवं उपयुक्त' निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करना

5.10.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति :

नामांकन समिति (पुनर्गठन से पूर्व) ने वर्ष 2019-20 के दौरान एक बैठक का आयोजन किया था. इसका आयोजन 18.06.2019 को किया गया था तथा इसकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक,	1	1
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	1	1
डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1

पारिश्रमिक समिति (पुनर्गठन से पूर्व) की कोई भी बैठक वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित नहीं की गई.

साथ ही, वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठन के बाद एनआरसी की बैठकें नहीं हुई.

5.11 अनुशासनिक कार्यवाही और पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीसी-V) थीं. वित्त मंत्रालय ने अपने पत्राचार एफ. सं. 16/19/2019-BO.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों की निरंतरता की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की, उनके बोर्ड में समीक्षा करने की सलाह दी.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 24.10.1990 और बुनियादी संरचना को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति-सतर्कता / गैर-सतर्कता को 06.12.2019 से समामेलित करने का निर्णय लिया.

5.11.1. संघटन :

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रुप में मंजूरी दी है -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ वर्तमान में समिति के अध्यक्ष है.

5.11.2. कार्य :

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना
- टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमश: टीईजीएस VII एवं VII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना.
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है.
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करना
- उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा अभ्यावेदन के आधार पर प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना
- महाप्रबंधकों को प्रमुख दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना.

5.11.3. डीपीसी की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई.

5.11.4 डीपीसी - V की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 3 बैठकें हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	3	3
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामिती निदेशक	3	3
श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबै नामिती निदेशक	3	3

5.11.5 डीपीपीसी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 1 बैठक हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामिती निदेशक	1	1
श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबै नामिती निदेशक	1	1

5.12 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.12.1. संघटन :

इस समिति में पूर्व कार्यपालक निदेशकों, मुख्य अनुपालन अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधिकारी और महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक / सहायक महा प्रबंधक - बोर्ड सचिव शामिल हैं.

बोर्ड द्वारा समिति का पुनर्गठन 25.02.2020 से किया गया जो कि निम्नानुसार है:

- प्रबंध निदेशक और सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यकारी निदेशक
- दो गैर कार्यकारी निदेशक

वर्तमान में, बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री राजकिरण रै जी., एसटीसीबी के अध्यक्ष हैं

5.12.2. कार्य :

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

5.12.3. एसटीसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष के दौरान, एसटीसीबी (पुनर्गठन से पहले) 25 बैठके हुई और डुप्लीकेट शेयरों के हस्तांतरण, प्रसारण, डीमैट और निर्गम आदि में भाग लिया. वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठन के बाद एसटीसीबी की कोई बैठक नहीं हुई.

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	25	25
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	25	25
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	25	22
पदवार उपस्थिति		
मुख्य अनुपालन अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी	25	22
उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक - बोर्ड सचिव	25	25

5.13. गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थी अर्थात गैर-सहकारी उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के जानबूझकर चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सकें.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों से संघटन के आधार पर उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया और गैर सहकारी उधारकर्ता की पहचान करने तथा गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के वर्गीकरण के लिए एकल समिति गठित करने का निर्णय किया जो 06.12.2019 से प्रभावी है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

वर्तमान में, श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं.

5.13.1. कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.
- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

5.13.2. आरसीएनसीबी (पुनर्गठन से पूर्व) बैठकों में उपस्थिति :

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

5.13.3. आरसीडबल्यूडीबी (पुनर्गठन से पूर्व) बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	3	3
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री के. कदिरेसन, शेयरधारक निदेशक	1	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	2	2

5.13.4. आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी की बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 1 बैठक हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1	1
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	1	1

5.14 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति (सीएसआरसी)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति का उद्देश्य बोर्ड तथा बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति को पूरा करने में सहायता करना है.

5.14.1 संघटन :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित कोई एक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक.
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत चुने गए एक शेयरधारक निदेशक.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ है, जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं.

5.14.2 कार्य :

1. निदेशक मंडल को सीएसआर नीति तैयार कर अनुशंसित किया जाना एवं आगे की जाने वाली गतिविधियों का संकेत करना.
2. परियोजनाओं का अनुमोदन सीएसआर नीति के तहत समिति द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या अन्य ऐसी इकाई/संस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए.
3. महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के प्रयोग की समीक्षा तिमाही आधार पर करना. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य निष्पादन का तिमाही आधार पर समीक्षा करना.

5.14.3 सीएसआरसी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	3	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1
डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक,	1	1

5.15 ऋण अनुमोदन समिति-1 (सीएसी-1)

5.15.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. हमारे बैंक में यह समिति ₹ 400 करोड़ तक के किसी एक ऋण प्रस्ताव तथा ₹ 800 करोड़ तक के समूह ऋणों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी और यदि ऋण इस सीमा से अधिक है, तो बोर्ड की प्रबंधन समिति इस पर विचार करेगी. सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.15.2 कार्य :

अग्रिम से संबधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-I में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

5.15.3 सीएसी -I की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 23 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	23	23
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	23	19
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	23	22
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	23	21
पदवार उपस्थिति		
महाप्रबंधक प्रभारी ऋण	23	23
महाप्रबंधक प्रभारी वित्त / सीएफओ	23	19
महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन	23	23

5.16 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

5.16.1 संघटन :

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.16.2 कार्य:

समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार हैं. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन है.

5.16.3 सीडीआरसीएफ बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,समिति के अध्यक्ष	6	6
श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक	6	5
श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक	6	6
श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	6	5

5.17 कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)

5.17.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय ने पत्रांक ए?.नं. 9/5/2019-आईआर दिनांक 30.08.2019 द्वारा बैंक को सलाह दी कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण कार्य (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) एवं महाप्रबंधक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति का गठन किया जाएं.

दिनांक 30.08.2019 और 14.11.2019 को संप्रेषित उपर्युक्त वर्णित एमओएफ के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के अनुमोदन के साथ कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएं.

1. गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामिती निदेशक, एवं
3. लंबे समय तक कार्यरत शेयरधारक निदेशक.

कार्यालय में एनईसी का पद खाली होने की दशा में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, एनईसी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे.

5.17.2 कार्य :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन, समीक्षा एवं स्वीकृति

5.17.3 बीसीपीई बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 1 बैठक सम्पन्न हुई जिसकी उपस्थिति निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	1	1

5.18 चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)

5.18.1 संघटन :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के चयन में योग्यता या अयोग्यता अथवा चुने जाने की घोषणा या चुनाव की वैधता आदि के विषय में कोई संदेह या विवाद होने पर उसे निर्णय के लिए चुनाव विवाद समिति के पास भेजा जायेगा. समिति में शामिल होंगे :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप - धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.18.2 कार्य:

चुनाव विवाद समिति, आवश्यकता के अनुसार जांच करेगी और यदि यह पाती है कि वह चुनाव, वैध चुनाव था, तो वह घोषित चुनाव के परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे लगे कि चुनाव वैध नहीं था तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समिति जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर तदनुसार आदेश पारित करेगी, साथ नए सिरे से चुनाव कराने सहित इस प्रकार के आदेश जारी करेगी.

5.18.3 ईडीसी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

5.19 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर निर्णय के लिए बोर्ड की समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान (सीईएसडी)

5.19.1 संघटन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थानों सहित अन्य कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी शेयर धारण करते हैं. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अन्य कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की एक समिति का गठन करना होता है. समिति में शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.19.2 कार्य:

सभी बिन्दुओं अर्थात विभिन्न उम्मीदवारों की शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर एक निर्णय लिया जाएगा. इसके साथ ही, पीएसबी के शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा.

5.19.3 सीईएसडी बैठकों में उपस्थिति

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

6. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	23 जून, 2017 प्रात: 11.30 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	ऑफर दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹4,950 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
असाधारण सामान्य बैठक	16 मार्च, 2018 प्रात: 11.00 बजे	वाई.बी.चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय के विपरीत, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400021,.	₹134.62 के प्रीमियम सहित ₹144.62 की दर से ₹4,524 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 31,28,19,803 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.
सोलहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2018 प्रात: 11:00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020	ऑफर दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹6,850 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
पोस्टल बैलट	14 फरवरी, 2019	--	कर्मचारी शेयर खरीद योजना (यहाँ "यूनियन बैंक - ईएसपीएस" के रूप में संदर्भित है) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को एक या एक से अधिक भाग में ₹10/- (रूपए दस मात्र) प्रति अंकित मूल्य के 8,00,00,000 (आठ करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर सृजित करना, प्रदान करना, जारी तथा आबंटित करना, जो बैंक की मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ परी पसु रैंकिंग के अनुरूप हैं.
असाधारण समान्य बैठक	26 मार्च, 2019 प्रात: 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020	₹68.84 के प्रीमियम सहित ₹78.84 की दर से ₹4,112 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 52,15,62,658 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.
सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	28 जून, 2019 प्रात: 11:00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020	ऑफर दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹4,900 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
पोस्टल बैलट $$	14 नवंबर, 2019	--	सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु भारत सरकार को अधिमान आधार पर कुल ₹ 11,768 करोड़ के अपेक्षित संख्या में प्रत्येक ₹ 10/- (रूपए दस मात्र) अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन हेतु.

$ $ 14 नवंबर, 2019 की पोस्टल बैलट का ब्यौरा :

- पोस्टल बैलट प्रक्रिया के संचालन हेतु श्री विजय अंगने, पेशारत कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 यथा संशोधित तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22 के अधीन निर्धारित अनुसार पोस्टल बैलट एवं ई-वोटिंग की प्रक्रिया का अनुपालन किया गया.
- वोटिंग पैटर्न -

विवरण	वैध मतदाताओं की संख्या			निहित वैध मतों की संख्या			%
	पोस्टल बैलट फॉर्म	ई-वोटर्स	कुल	पोस्टल बैलट फॉर्म	ई-वोटर्स	कुल	
सहमति	521	447	968	24,55,63,975	1,30,96,58,128	1,55,52,22,103	99.48
असहमति	64	10	74	80,90,032	2,960	80,92,992	0.52
कुल	**585**	**457**	**1,042**	**25,36,54,007**	**1,30,96,61,088**	**1,56,33,15,095**	**100.00**

7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिदेशों/परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधान उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं, परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कॉर्पोरेट निकाय हैं, पर उस सीमा तक ही लागू होंगे कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

बैठक शुल्क (फीस) :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17(1) की शर्तों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामिती निदेशक को छोड़कर गैर सरकारी निदेशक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा बैठक में भाग लेने की शुल्क का भुगतान किया जाता है. तदनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना क्र.15/1/2011-बीओ.1 दिनांक 18 जनवरी, 2019 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में सभी गैर कार्यकारी निदेशकों को देय बैठक शुल्क की निम्नलिखित दरें निर्धारित की हैं:

ए. बोर्ड की बैठकें : ₹40,000/- प्रति बैठक.

बी. समिति की बैठकें : ₹20,000/- प्रति बैठक.

सी. बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता हेतु : ₹10,000/- प्रति बैठक. [उपर्युक्त (ए) के अतिरिक्त]

डी. समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु: ₹5,000/- प्रति बैठक. [उपर्युक्त (बी) के अतिरिक्त]

उक्त जानकारी बैंक की वेब साइट पर भी, निम्न लिंक के तहत उपलब्ध है :

http ://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx

यात्रा एवं विराम भत्ता :

अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है.

7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :

बैंक के गैर - कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम: अधिमान्य निर्गम :

बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार (जीओआई) को कुल ₹11,768 करोड़ के इक्विटी शेयर के आबंटन हेतु 14 नवंबर, 2019 को आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की है. बैंक ने भारत सरकार से 27 सितंबर, 2019 और 30 सितंबर, 2019 को शेयर आवेदन पूंजी लंबित आबंटन के रूप में पूंजी के अंत: प्रवाह के तौर पर ₹6,216 करोड़ और ₹5,552 करोड़ प्राप्त किए. बैंक ने भारत सरकार को 30 नवंबर, 2019 को प्रति शेयर ₹70.90 (₹60.90 की प्रीमियम सहित) के मूल्य पर 1,65,98,02,538 इक्विटी शेयर जारी किए हैं.

बॉन्डस: बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बॉन्ड जारी नहीं किया है.

7.5 दंड या आक्षेप :

गत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति :

सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरुपित की है तथा इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है.

7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति :

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरुपित की गयी है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ.

7.9 लाभांश वितरण नीति :

बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है. इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

7.10 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7.11 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई एवं एनएसई को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया.

7.12 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार :

बैंक ने सूचियन विनियम के उप - विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया हैं.

7.13 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का ब्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल ₹48.26 करोड़ का भुगतान किया गया है.

7.14 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

ए. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या : 10 (दस)

बी. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या : 9 (नौ)

सी. वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 1 (एक)

7.15 शाखा नेटवर्क :

- बैंक का सुव्यवस्थित विविध शाखा नेटवर्क है.
- दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बैंक की 4,281 देशी शाखाएं तथा सिडनी, हाँग-काँग और दुबई सहित 3 विदेशी शाखाएं एवं आबू धाबी में बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय है. भारत में शाखाओं की राज्यवार स्थिति मैप में दर्शायी गयी है.
- बैंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूके में भी परिचालन कर रहा है.
- करीब 59% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित हैं.
- दिनांक 31.03.2020 तक बैंक की अपनी नियमित बैंक शाखाओं के अलावा 27 विस्तारित काउंटर, 59 सैटेलाइट कार्यालय और 48 सेवा शाखा भी है.

7.16 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत या विदेश में सभी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट या कोई मियादी जमा राशि कार्यक्रम या फंड को जुटाने हेतु बैंक का प्रस्ताव कोई योजना, सभी का पुनर्रिक्षण के सहित क्रेडिट रेटिंग्स की सूची प्राप्त की गयी है.

मुख्य एजेंसियों की रेटिंग्स					
रेटिंग एजेंसी		बासल III		बासल II	
	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2	लोअर टियर II	अप्पर टियर II	आउटलूक
ब्रिकवर्क	BWR AA	BWR AA+	-	BWR AA+	निहितार्थ विकास एवं पर्यवेक्षण के अधीन
क्रिसिल	-	CRISIL AA+	CRISIL AA+	CRISIL AA+	बढ़ते प्रभाव के साथ रेटिंग पर निगरानी
केयर	CARE AA-	-	CARE AA+	CARE AA	बढ़ते प्रभाव के साथ साख पर निगरानी
इंडिया रेटिंग	IND AA	IND AA+	-	-	रेटिंग की उत्तरोत्तर निरगरानी

मूडी के दिनांक 4 जून, 2020 की रेटिंग के अनुसार:

संवर्ग	रेटिंग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	
आउटलूक	संभावित डाउनग्रेड के लिए समीक्षाधीन रेटिंग
काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग	Baa3/P-3
बैंक जमा राशियां	Baa3/P-3
बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन	ba3
एड. बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन	ba3
काउंटर पार्टी रिस्क मूल्यांकन	Baa3(cr)/P-3(cr)
सीनियर अनसिक्योर्ड एमटीएन	(P)Baa3
सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)Ba3
जूनियर सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)B1
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाँग काँग शाखा	
आउटलूक	संभावित डाउनग्रेड के लिए समीक्षाधीन रेटिंग
काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग	Baa3/P-3
काउंटर पार्टी रिस्क मूल्यांकन	Baa3(cr)/P-3(cr)
वरिष्ठ अप्रतिभूत	(P)Baa3
सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)Ba3
जूनियर सबऑरडिनेट एमटीएन	(P)B1

स्टैंडर्ड एण्ड पूअर - रेंटिंग दिनांक: 12.08.2016 (पिछली समीक्षा तिथि 17.04.2020)

संवर्ग	रेटिंग
स्थानीय करेंसी एलटी	BB+
स्थानीय करेंसी एसटी	B
विदेशी करेंसी एलटी	BB+
विदेशी करेंसी एसटी	B
आउटलुक : स्थायी	

7.17 निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:

बैंक वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, वार्षिक आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों एवं सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन करता है.

7.18 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र:

सेबी के प्रावधानों (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के क्रम में, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं.

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाए गये हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं.

9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 वित्त वर्ष - 1 अप्रैल से 31 मार्च

9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता - बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है : -

बीएसई लिमिटेड (बीएसई), फिरोज जीजीभाय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	UNION-BANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2020 से पहले दोनों शेयर बाजारों को प्रदत्त कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में अरक्षित गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2020 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

आईएसआईएन नं.	शृंखला	मात्रा (रु.करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
आईएनई 692A09233	बॉण्ड सिरीज XV-ए (अपर टियर II)	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	8.48% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 8.98% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो
आईएनई 692A09241	बॉण्ड सिरीज XVI-बी (लोअर टियर II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%
आईएनई 692A09266	बॉण्ड सिरीज XVII-ए (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%
आईएनई 692A09274	बॉण्ड सिरीज XVIII (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%
आईएनई 692A08011	बॉण्ड सिरीज XIX (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
आईएनई 692A08029	बॉण्ड सिरीज XX (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	1000	15.09.2016	स्थाई	9.50% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक

आईएसआईएन नं.	शृंखला	मात्रा (रु.करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
आईएनई 692A08037	बॉण्ड सिरीज XXI (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	1000	04.11.2016	स्थाई	9.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
आईएनई 692A08045	बॉण्ड सिरीज XXII (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	750	24.11.2016	24.11.2026	7.74%
आईएनई 692A08052	बॉण्ड सिरीज XXIII खण्ड - 1 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	250	29.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
आईएनई 692A08060	बॉण्ड सिरीज XXIII खण्ड - 2 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	750	30.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
आईएनई 692A08078	बॉण्ड सिरीज XXIII खण्ड -3 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	500	31.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
आईएनई 692A08086	बॉण्ड सिरीज XXIV खण्ड -3 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	500	03.05.2017	स्थाई	9.08% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक
	कुल	**10,050**			

ये सभी बॉण्ड भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार पर सूचीबद्ध है एवं बैंक ने शेयर बाजार को वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क प्रदत्त किया है.

9.3 लाभांश :

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुसार सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को निर्देशित किया है कि अगले आदेशों तक दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबन्धित लाभ से कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा. इस प्रकार, निदेशक मण्डल ने अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए पूंजी के संरक्षण के लिए इस वर्ष कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है.

9.4 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण :

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	मंगलवार, 23 जून, 2020
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	मंगलवार, 4 अगस्त, 2020 सुबह 11.00 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग या अन्य आडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए, केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) पर
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	रविवार, 13 जुलाई, 2020 को या उससे पूर्व ईमेल द्वारा
बहियों के बंद रहने की तिथि	बुधवार, 29 जुलाई, 2020 से मंगलवार, 4 अगस्त, 2020 (दोनों दिन शामिल)
ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि	शनिवार, 1 अगस्त, 2020 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी)से सोमवार, 3 अगस्त, 2020 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)

9.5 वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 अगस्त, 2020 तक
30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 नवम्बर, 2020 तक
31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 फरवरी, 2021 तक
31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	15 मई, 2021 तक

9.6 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है. सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2018, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अत: शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयर धारिता को डीमैट खाता खोलकर डीमैट रूप में परिवर्तित करा लें.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा **डाटामैट्रिक्स बिज़नेस सोल्यूशन्स लिमिटेड** को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है. निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं.

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) **मेसर्स डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन्स लिमिटेड** यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 093 फोन : 022 - 66712001-6 फैक्स : 022 - 66712011 ई-मेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com	**डिबेन्चर ट्रस्टी** **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड** एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001. फोन -(022) 40807001 फैक्स -(022) 66311776 ई-मेल: adityakapil@idbitrustee.com	**कंपनी सचिव** **निवेशक सेवाएं प्रभाग** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन -(022) 2289 6636 फैक्स -(022) 22025238 ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

9.7 अन्य सूचनाएं :

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डीपी में पंजीकृत है.

9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) कोड, **आईएनई692ए01016** है.

अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभंश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा. **31.03.2020 को**

शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	52,497	1,12,44,511	0.33
डीमैट			
एनएसडीएल	1,36,411	36,31,98,579	10.61
सीडीएसएल	1,16,893	3,04,83,75,762	89.06
कुल	**3,05,801**	**3,42,28,18,852**	**100.00**

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है.

बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के आमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है. परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-20 के दौरान 1,970 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 5,04,350 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है.

9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा :

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)
अप्रैल,19	100.30	82.40	130,60,908	100.40	82.75	1806,44,027	39,487.45	38,460.25
मई,19	86.10	69.25	183,63,107	86.15	69.20	2546,69,958	40,124.96	36,956.10
जून,19	83.70	70.70	141,01,830	83.75	70.75	1727,38,987	40,312.07	38,870.96
जुलाई,19	86.55	66.15	171,92,653	86.60	66.25	2209,25,258	40,032.41	37,128.26
अगस्त,19	67.95	57.60	141,33,217	67.75	57.60	2035,75,230	37,807.55	36,102.35
सितम्बर,19	62.00	52.10	165,41,463	61.95	51.80	2081,21,398	39,441.12	35,987.80
अक्टूबर,19	58.40	48.05	184,88,036	58.40	48.10	2126,33,550	40,392.22	37,415.83
नवम्बर,19	65.70	50.80	186,17,537	65.80	50.85	2775,25,678	41,163.79	40,014.23
दिसम्बर,19	63.95	53.20	143,93,331	63.70	53.20	2964,20,745	41,809.96	40,135.37
जनवरी, 20	55.55	49.25	34,73,918	55.60	49.10	807,91,103	42,273.87	40,476.55
फरवरी, 20	52.35	36.90	97,17,117	52.40	36.80	609,45,853	41,709.30	38,219.97
मार्च, 20	40.00	24.00	175,80,463	40.00	24.40	768,27,317	39,083.17	25,638.90
31.03.2020 को अन्तिम मूल्य	₹28.75			₹28.70			-	
बाजार पूंजीकरण	₹9,840.60 करोड़			₹9,823.49 करोड़			-	

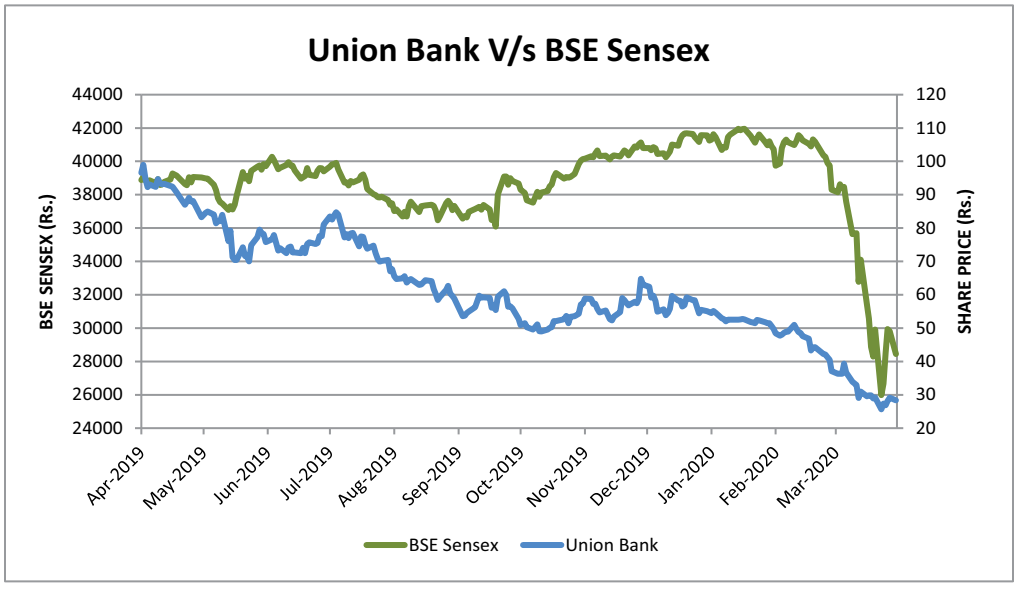

* Source-BSE Website (www.bseindia.com)

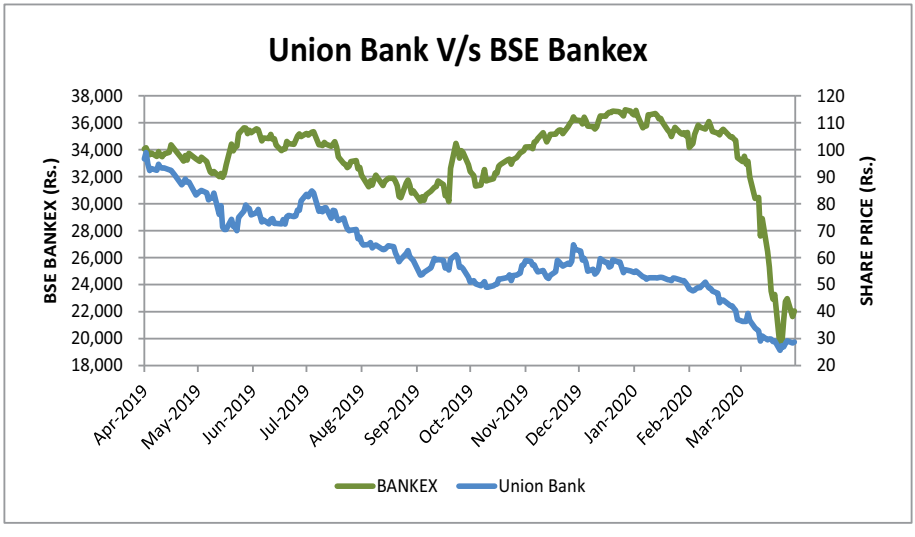

* स्त्रोत-बीएसई वेबसाइट (www.bseindia.com)

9.10 शेयरधारिता का वितरण :

बैंक में सरकार की शेयरधारिता ₹10 प्रति शेयर वाले 296.93 करोड़ इक्विटी शेयरों की है, जो ₹2,969.28 करोड़ की कुल जारी पूंजी में ₹3,422.82 करोड़ है, दिनांक 31.03.2020 तथा 31.03.2019 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :

शेयरधारिता	यथा 31.03.2020				यथा 31.03.2019			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500तक	2,43,784	79.72	3,49,49,201	1.02	2,22,055	80.38	3,17,05,940	1.80
501से1000	25,786	8.43	1,90,07,210	0.56	22,339	8.09	1,61,45,628	0.92
1001से2000	10,372	3.39	1,55,12,686	0.45	8,178	2.96	1,21,47,587	0.69
2001से3000	13,821	4.52	3,37,78,233	0.99	13,151	4.76	3,20,61,696	1.82

शेयरधारिता	यथा 31.03.2020				यथा 31.03.2019			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
3001से4000	4,580	1.50	1,61,74,126	0.47	4,168	1.51	1,47,19,636	0.84
4001से5000	2,501	0.82	1,17,00,838	0.34	2,221	0.80	1,03,89,418	0.59
5001से10000	4,033	1.32	2,64,50,108	0.77	3,480	1.26	2,23,48,850	1.27
10001से अधिक	924	0.30	3,26,52,46,450	95.40	659	0.24	1,62,34,97,559	92.09
कुल	**3,05,801**	**100.00**	**3,42,28,18,852**	**100.00**	**2,76,251**	**100.00**	**1,76,30,16,314**	**100.00**

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है

9.11 शेयरधारिता का पैटर्न :

दिनांक 31.3.2020 तथा 31.03.2019 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31.03.2020		यथा 31.03.2019	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
प्रोमोटर				
भारत सरकार	2,96,92,79,777	86.75	1,30,94,77,239	74.27
निवेशक संस्था				
म्युच्युअल फंड & यूटीआई	8,20,22,624	2.40	9,77,26,053	5.54
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/ राज्य सरकार संस्थान)	1360,49,448	3.97	13,41,36,958	7.61
एफआईआई & विदेशी म्यूचुअल फंड	4,42,41,259	1.29	5,55,60,754	3.15
अन्य				
निजी कॉर्पोरेट निकाय	1,62,77,129	0.48	1,68,96,063	0.96
भारतीय जनता	17,31,41,991	5.06	14,78,97,197	8.39
एनआरआई/ओसीबी/योग्य विदेशी निवेशक	18,06,624	0.05	13,22,050	0.08
कुल	**3,42,28,18,852**	**100.00**	**1,76,30,16,314**	**100.00**

9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2020 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयर	पूंजी का%
1	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	2,96,92,79,777	86.75
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	11,33,18,095	3.31
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- ए/सी एचडीएफसी मिड कैप अपरच्यूनिटीज फंड	5,24,36,308	1.53
4	आईसीआईसीआई प्रुडेनशियल बैलेन्स्ड एडवांटेज फंड	2,79,90,865	0.82
5	दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड	74,57,257	0.22
6	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	69,11,939	0.20
7	जनरल इंश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	51,58,427	0.15
8	वैनगार्ड एमर्जिग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटि इंडेक्स फंड की श्रृंखला	50,65,330	0.15
9	पिमको इक्विटि सिरीज पिमको आरएई फंडामेंटल एमर्जिग मार्केट्स फंड	48,22,978	0.14
10	जुपिटर इंडिया फंड	43,10,206	0.13

9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है :

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का %	अंतरण की प्रस्तावित तिथि
लाभांश 2012-13	80%	06-08-20
अंतरिम लाभांश 2013-14	27%	18-02-21
अंतिम लाभांश 2013-14	13%	05-08-21
लाभांश 2014-15	60%	05-08-22
लाभांश 2015 -16	19.50%	08-08-23

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

9.14 अदावाकृत शेयर :

ए) भौतिक रूप में :

सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन 2015 की अनुसूची VI (पहले सूचीयन करार 5ए-II) अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2019 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2020 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते है.

बी) डीमैट रूप में :

सेबी सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन 2015 की अनुसूची VI (पहले सूचीयन करार 5ए-I) अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2019 को शेष	220	26,905
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	4	491
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	4	491
31.03.2020 को डीमैट उचंत खाते में शेष	216	26,414

ऊपर बताए गए 26,414 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

10. सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्रमांक	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
1	**निदेशक मंडल** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है.	श्री केवल हांडा को बैंक के निदेशक मंडल के गैर- कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तथा बैंक के केंद्रीय कार्यालय में अध्यक्ष का कार्यालय स्थित है.
2	**शेयरधारकों के अधिकार** विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अर्द्ध-वार्षिक सूचना सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है.
3	**लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत** कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही.
4	**आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महाप्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालाकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 जुलाई, 2020

आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 जून, 2020

निवेशकों की गैर अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के
विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक भवन,
12वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय,
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसार हमने **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय 12वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 में अवस्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था.

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in, पर निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित), जहां कहीं भी लागू हो) और बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम		डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री केवल हांडा		00056826	06 जुलाई, 2017
2.	श्री राजकिरण रै जी.		07427647	01 जुलाई, 2017
3.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं		03522170	20 सितंबर, 2018
4.	श्री दिनेश कुमार गर्ग		*लागू नहीं	02 नवंबर, 2018
5.	श्री मानस रंजन बिस्वाल		08162008	01 मार्च, 2019
6.	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा		07584386	22 जुलाई, 2016
7.	श्री अरुण कुमार सिंह		*लागू नहीं	26 अप्रैल, 2019
8.	श्री राजीव कुमार सिंह		03060652	06 फरवरी, 2018
9.	डॉ. मदुरा स्वामीनाथन		08048538	27 दिसंबर, 2017
10.	डॉ. के रमेश (डॉ. रमेश कृष्णप्पा)		07534830	21 अक्टूबर, 2019
11.	डॉ. उत्तम कुमार सरकार		07266221	28 जून, 2018
12.	श्री के. कदिरेसन		*लागू नहीं	28 जून, 2018
13.	डॉ. जयदेव एम.		03574167	28 जून, 2018

*बैंक की स्थापना राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंकिंग कार्यकारी अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) अधिनियम, 1988 के तहत की गयी थी और इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं है. इस प्रकार, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

कृते जेएमजेए एंड एसोसिएट्स एलएलपी,
पेशेवर कंपनी सचिव

सीएस मानसी दमानिया
पदनामित भागीदार
एफ़सीएस: 7447 | सीओपी: 8120
यूडीआईएन:F007447B000330858

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 जून, 2020

प्रति,
निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ : सेबी के विनियमन 17 (8) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के तहत प्रमाणपत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष (2018-19) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू क़ानूनी एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.

(बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियाँ, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

(डी) हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है. -

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(प्रफुल्ल कुमार सामल)	**(राजकिरण रै जी.)**
महाप्रबंधक व सीएफ़ओ	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2020 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण एवं स्टैंडअलोन वितीय विवरण के नोट्स की लेखापरीक्षा की है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं. इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 ट्रेजरी शाखा सहित 20 शाखाओं, 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2,636 शाखाएँ तथा स्थानीय लेखापरीक्षकों शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2 विदेशी शाखाओं के विवरण शामिल हैं. बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षक शाखाओं का चयन किया गया है. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों एवं नकदी प्रवाह विवरण में रिटर्न 1,626 शाखाएँ, 45 क्षेत्रीय कार्यालय के विवरणों का भी समावेश है जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं. लेखापरीक्षा न की गयी इन शाखाओं का अग्रिम, बैंक के अग्रिम का 5.49 प्रतिशत जमाराशियाँ, बैंक की जमाराशियों का 15.45 प्रतिशत, कुल ब्याज आय 5.98 प्रतिशत और कुल ब्याज व्यय 13.81 प्रतिशत है.

2. हमारे मत में एवं हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप है एवं प्रस्तुत है :

   ए. 31 मार्च, 2020 तक बैंक के मामलों में, तुलन पत्र के मामले में सही एवं उचित अवलोकन;

   बी. उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खातों के मामले में हानि का सही शेष; एवं

   सी. उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण के मामले में नकद प्रवाह का सत्य एवं उचित अवलोकन.

अभिमत का आधार :

3. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए)के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं जो आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक शामिल हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किये गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों और हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

मामलों का प्रभाव

4. ए. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के नोट- अनुसूची 18 के नोट 1.4.6 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 महामारी, बैंक के परिचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित है.

   बी. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के नोट- अनुसूची 18 के नोट 3.1 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक में वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण के विचलन पर 31 मार्च 2020 पर समाप्त वर्ष हेतु सामंजस्य के प्रभाव के विषय में वर्णन किया गया है.

   इन मामलों में हमारे सुझाव में कोई संशोधन नहीं है.

मुख्य लेखा परीक्षा मामले :

5. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में सारांश को किस तरह बताया गया है
1.	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण**	
	बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के प्रभावी कामकाज तथा सीबीएस से जुड़े अन्य आईटी प्रणालियों या स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर अत्यधिक निर्भर है. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप से संसाधित किया जाता है तथा वहाँ एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं तथा इससे संबंधित आतंरिक नियंत्रण सही ढंग डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अन्तर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि एप्लीकेशन एवं डेटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे कि वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके. हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है: • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण; • अग्रिम संविभाग पर प्रावधान; • विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरुप; • उचंत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान; • निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग • जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय;	हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है: • यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कर्मियों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है; • क्षेत्रों में कर्मियोंको देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है; • अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेष्णात्मक प्रक्रिया; • सांविधिक शाखालेखापरीक्षा द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गयी. • बाहरी वेंडरों की जाँच रिपोर्ट, जहाँ कभी भी उपलब्ध हो, पर निर्भरता.
2.	**विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान**	
	यथा 31 मार्च, 2020 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 84.88% थे, जो आस्तियों का बड़ा एक वर्ग है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यपूर्ण मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधानों पर आधारित है. बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है.	हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है. हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं. इनमें शामिल हैं: • हमने आय का निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों/निवेशों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में बैंक की आतंरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया एवं उसे समझा है. • गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण;

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में सारांश को किस तरह बताया गया है
		• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; • अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली • हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया. • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है. • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है. • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, के कार्यों की समीक्षा एसए 620 के अनुसार लेखापरीक्षक विशेषज्ञ की सेवाएं लेकर कराई हैं. • इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. • हमने बैंक की आतंरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है. • अंक संबंधी सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन.
3.	**आस्थगित करों की पहचान करना एवं मापना**	
	बैंक ने 31 मार्च, 2020 को ₹7,35,68,800 ('000 में) शुद्ध आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं माप भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में, आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अन्तर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल हैं. हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित इंटरनल की कंट्रोल्स एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्यनिष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन सीमित नहीं हैं: • आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में सारांश को किस तरह बताया गया है
		• एकरूपता, प्रबंधन प्रतिनिधित्व, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आंकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया. • लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में इस आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा.
4.	**कोविड-19 महामारी**	
	कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर संशोधित लेखापरीक्षा की गयी. हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने तथा जहां भौतिक रूप में पहुँच संभव नहीं थी, बैंक की निश्चित शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालय/ कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल के परिसर जाकर लेखापरीखा संचालित नहीं की जा सकती थी, वहाँ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सुदूर लेखापरीक्षा आयोजित की गई. जैसा कि हम व्यक्ति/ भौतिक रूप में/ चर्चा के द्वारा लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य नहीं जुटा सकते थे, तथा शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत नहीं कर सकते थे, हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा प्रावधानों की प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है. तदनुसार, सुदूर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रावधानों में सशोधन किया गया.	कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारत सरकार/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने से बैंक की संबंधित शाखाओं/ क्षेत्रीय एवं अंचल कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल के परिसर में यात्रा करके, भौतिक रूप में पहुँचकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया संभव नहीं हो की अवधि के दौरान केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, अत: हम शाखाओं/ अंचलों/ वर्टिकल कार्यालयों में जा नहीं सकते और संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से लेखापरीक्षा नहीं कर सके. जहाँ भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ बैंक के द्वारा बैंक के निर्दिष्ट ऑडिट पोर्टल सहित डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं सीबीएस के सुदूर पहुँच तथा लेखाबंदी पैकेज से आवश्यक रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेज/ प्रमाणपत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे. इस तरह, हमें ऐसे उपलब्ध कराए गए दस्तावेज, रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड जोकि लेखापरीक्षा आयोजित करने तथा चालू अवधि की रिपोर्टिंग के लिए मान्य लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया आयोजित की गयी थी. तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रावधानों में (नियामक तथा आईसीएआई एड्वाइजरी पर आधारित) निम्नानुसार संशोधन किए हैं: • कुछ शाखाओं/ क्षेत्रों/ अंचलों/ वर्टिकल्स/ कॉर्पोरेट कार्यालय एवं बैंक के अन्य कार्यालय, जहाँ भौतिक रूप से पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ आवश्यक रिकॉर्ड/दस्तावेज/सीबीएस / लेखाबंदी पैकेज एवं अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन सुदूर पहुँच इलेक्ट्रोनिक/ ई-मेल से सत्यापन किया गया है. • दस्तावेज, विलेख, प्रमाणपत्र, शाखाओं के विवरण की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया गया तथा संबंधित रिकॉर्ड हमें ई-मेल बैंक के सुरक्षित नेटवर्क सुदूर पहुँच से उपलब्ध कराए गए हैं. • वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत एवं फोन पर चर्चा/कान्फ्रेंस कॉल, ई-मेल तथा इसी तरह के संचार माध्यमों से पूछताछ की गई तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाए गए हैं. • पदनामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने चर्चा करने की बजाय टेलीफोन/ई-मेल के माध्यम से हमारा लेखापरीक्षा निरीक्षण समाधान हुआ.

अन्य सूचना:

6. बैंक के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नए पूंजी पर्याप्तता प्रारूप (बासल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत पिल्लर III प्रकटीकरण शामिल नहीं हैं.

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण कवर नहीं करता एवं उस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं प्रकट करते.

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं, ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गयी है.

   जब हम अन्य सूचनाओं का अध्ययन करें और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के आरोपित मामलों पर सूचित करना आवश्यक है एवं परिस्थितियों तथा प्रचलित कानून एवं विनियमों के साथ उचित कार्रवाई अपेक्षित है.

प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ एवं वे जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस द्वारा प्रभारित हैं

7. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारियों के संबंध में जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति के सत्य एवं निष्पक्ष विचार देते हैं, वित्तीय निष्पादन एवं भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड हैं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश शामिल हैं. इस जिम्मेदारी में बैंकों की आस्तियों के बचाव के लिए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं , प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो.

   निदेशक बोर्ड भी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेवार होंगे.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधडी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सके.

   मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा, के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

   - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आतंरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.
   - लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो कि सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो परंतु बैंक के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु नहीं हो.
   - प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.
   - लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है तो स्टैंडअलोन वितीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरह ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अबतक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, एकल वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन एवं क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रदर्शन माना जाए.

  वास्तविकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, संभावित बनता है जिससे कि वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित किया जा सके. हम निम्न परिणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गयी किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

  हम अन्य मामलों के साथ-साथ उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेंस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आतंरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

  हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे सम्प्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले, जिनके बारे में माना जाता है कि वो विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहाँ लागू हो, पर प्रभाव डालते हैं.

  गवर्नेंस से प्रभारित संप्रेषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय नहीं करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों.

अन्य मामले:

9. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2638 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि कुल आस्तियां 31 मार्च 2020 को ₹417,84,28,080 ('000 में) है एवं कुल राजस्व उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹40,65,23,562 ('000 में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है. इन शाखाओं का वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

   हमारी राय इस मामले के संबंध में आशोधित नहीं है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

11. उपरोक्त अनुच्छेद 8 एवं 9 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के नियम 30 के उपनियम 3 के अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:

    ए. हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गयी, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.

    बी. हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा

    सी. बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

12. **हम आगे सूचित करते हैं कि**:

    ए) हमारे मत में, जैसा कि अब तक इन बही के जांच से पाया गया है कि कानून द्वारा अपेक्षित खातों की उचित बही बैंक द्वारा रखा गया है तथा हमारे द्वारा न निरीक्षण की गयी शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित हैं;

    बी) इस रिपोर्ट में निहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों एवं हमारे द्वारा निरीक्षण न की गयी शाखाओं से प्राप्त विवरण के अनुरूप हैं;

    सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों से संबंधित खातों पर रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में उन पर विचार किया है; तथा

    डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

13. सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नीति के नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग का दायित्व के संबंध में पत्रांक डीओएस.एआरबी.नं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा अपेक्षित को उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के पत्राचार के साथ पढ़ा जाए, हम उपरोक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामले पर रिपोर्ट करते हैं, जो निम्नानुसार हैं:

ए. हमारे मत में उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिस हद तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं.

बी. हमारे मत में, वित्तीय लेनदेन पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है या ऐसे मामले जिनका बैंक के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

सी. 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्वों के आधार पर, 31 मार्च, 2020 तक कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 164 के उप-नियम (2) के क्रम में निदेशक नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं किया जाएगा.

डी. खातों के रखरखाव और इससे संबंधित मामलों के संदर्भ में योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है.

ई. बैंक ने 19 मई, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रक के कार्यान्वयन के विकल्प को चुना है, पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं.

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101961W/ W-100036

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 105215W/ W-100057

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 107758W

मनीष संपत
भागीदार
सदस्य. सं. 101684

संदीप डी वेलिंग
भागीदार
सदस्य. सं.044576

राजन बी शाह
भागीदार
सदस्य. सं. 101998

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101169W/ W-100035

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 301011E/E300025

संजय कोठारी
भागीदार
सदस्य सं.048215

आनंद चतरथ
भागीदार
सदस्य सं. 052975

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 जून, 2020

31 मार्च 2020 का स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ 000 में)

विवरण	अनुसूची क्र.	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**3,42,28,189**	1,76,30,163
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**30,36,28,257**	24,72,39,911
जमाराशियां	3	**4,50,66,84,524**	4,15,91,52,695
उधार	4	**52,48,62,533**	42,86,38,249
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**13,74,29,182**	8,77,27,404
कुल		**5,50,68,32,685**	4,94,03,88,422
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष	6	**20,11,82,983**	20,79,64,637
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	**34,98,79,210**	22,24,95,100
निवेश	8	**1,52,41,38,968**	1,26,04,66,426
अग्रिम	9	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530
अचल आस्तियां	10	**4,76,25,172**	3,76,22,928
अन्य आस्तियां	11	**23,35,12,283**	24,25,17,801
कुल		**5,50,68,32,685**	4,94,03,88,422
आकस्मिक देयताएं	12	**1,88,20,23,590**	1,98,40,56,969
संग्रहण के लिए बिल		**21,68,26,909**	19,44,12,306
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियां स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बिरूपाक्ष मिश्र)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरूण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के. कदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम.)
निदेशक

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W

(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684) (स्थान : मुंबई)

(संदीप डी. वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576) (स्थान : पुणे)

(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998) (स्थान : अहमदाबाद)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035

(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215) (स्थान : मुंबई)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025

(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975) (स्थान : कोलकाता)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

(₹ 000 में)

विवरण	अनुसूची क्र.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	**37,23,11,238**	34,06,66,589
अन्य आय	14	**5,26,07,868**	4,47,39,467
कुल		**42,49,19,106**	38,54,06,056
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	**25,79,43,716**	23,85,17,482
परिचालन व्यय	16	**7,51,64,147**	7,16,76,254
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		**12,07,89,008**	10,46,86,803
कुल		**45,38,96,871**	41,48,80,539
III. वर्ष का लाभ / (हानि)		**(2,89,77,765)**	(2,94,74,483)
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ / (हानि)		**(8,40,02,080)**	(5,40,61,796)
कुल		**(11,29,79,845)**	(8,35,36,279)
IV. विनियोजन			
संविधिक आरक्षित में अंतरण		**-**	-
पूंजी आरक्षित में अंतरण		**37,46,900**	465,801
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		**-**	-
विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)]		**-**	-
लाभ हानि लेखे में शेष		**(11,67,26,745)**	(8,40,02,080)
कुल		**(11,29,79,845)**	(8,35,36,279)
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य ₹ 10)	18 (13)	**(12.49)**	(25.08)
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियां स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बिरूपाक्ष मिश्र)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरूण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के. कदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम.)
निदेशक

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W

(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684) (स्थान : मुंबई)

(संदीप डी. वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576) (स्थान : पुणे)

(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998) (स्थान : अहमदाबाद)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035

(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215) (स्थान : मुंबई)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025

(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975) (स्थान : कोलकाता)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून, 2020

31 मार्च, 2020 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

			यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 1 - पूंजी :					
I.	**प्राधिकृत:**				
	₹10 प्रति शेयर की दर से 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयर		**3,00,00,000**		30,00,00,00
	(पिछले वर्ष ₹10 प्रति शेयर की दर से 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)				
II.	**निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :**				
	i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 2,96,92,79,777 इक्विटी शेयर, भारत सरकार द्वारा धारित		**2,96,92,798**		1,30,94,772
	(पिछले वर्ष 130,94,77,239 इक्विटी शेयर)				
	ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 4,53,53,90,75 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित		**45,35,391**		45,35,391
	(पिछले वर्ष 4,53,53,90,75 इक्विटी शेयर)				
	कुल		**3,42,28,189**		1,76,30,163
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :					
I.	सांविधिक आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6,67,06,110**		6,67,06,110	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**	**6,67,06,110**	-	6,67,06,110
II.	पूंजी आरक्षित:				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**1,28,49,561**		1,23,83,760	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**37,46,900**	**1,65,96,461**	4,65,801	1,28,49,561
III.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**2,23,48,100**		2,34,18,775	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,04,48,077**		-	
	वर्ष के दौरान कमी	**10,54,713**	**3,17,41,464**	10,70,675	2,23,48,100
IV.	शेयर प्रीमियम :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**15,12,99,685**		11,05,04,372	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**10,10,81,975**		4,08,58,775	
	वर्ष के दौरान कमी	**1,19,871**	**25,22,61,789**	63,462	15,12,99,685
V.	राजस्व आरक्षित :				
	i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4,80,51,955**		5,02,01,980	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**22,88,911**		15,18,975	
	वर्ष के दौरान कमी	**2,64,05,552**		36,69,000	
	कुल	**2,39,35,314**		4,80,51,955	
	ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**2,87,50,000**		2,87,50,000	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**		-	
	कुल	**2,87,50,000**		2,87,50,000	
	iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**12,36,580**		13,78,776	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**4,941**		25,230	
	वर्ष के दौरान कमी	**8,77,657**		1,67,426	
	कुल	**3,63,864**	**5,30,49,178**	12,36,580	7,80,38,535
VI.	लाभ-हानि खाते में शेष		**(11,67,26,745)**		(8,40,02,080)
	कुल		**30,36,28,257**		24,72,39,911

31 मार्च, 2020 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
ए)				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	**40,29,165**		48,93,222	
ii) अन्य से	**26,01,20,865**	**26,41,50,030**	26,02,40,725	26,51,33,947
II. बचत बैंक जमाराशियां		**1,33,95,82,532**		1,23,62,77,873
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	**5,50,64,197**		4,93,85,326	
ii) अन्यों से	**2,84,78,87,765**	**2,90,29,51,962**	2,60,83,55,549	2,65,77,40,875
कुल		**4,50,66,84,524**		4,15,91,52,695
बी)				
i). भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**4,47,01,90,636**		4,13,09,92,220
ii). भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**3,64,93,888**		2,81,60,475
कुल		**4,50,66,84,524**		4,15,91,52,695
अनुसूची 4 - उधार :				
ए) उधार : पूंजी लिखत				
I. शाश्वत बांड		**4,00,00,000**		4,20,00,000
II. अपर टियर II पूंजी		**50,00,000**		1,50,00,000
III. लोअर टियर II पूंजी		**5,55,00,000**		5,55,00,000
बी) भारत में उधार				
I. भारत रिज़र्व बैंक	**-**		9,00,00,000	
II. अन्य बैंकों	**2,01,26,890**		-	
III. अन्य संस्थाओ एवं एजेंसियां	**20,25,29,807**	**22,26,56,697**	4,37,24,431	13,37,24,431
सी) भारत से बाहर उधार		**2,017,05,836**		18,24,13,818
कुल		**52,48,62,533**		42,86,38,249
उपर्युक्त (बी) I में सम्मिलित प्रतिभूत उधार		**16,98,30,000**		9,00,00,000
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :				
I. देय बिल		**90,91,800**		1,17,12,584
II. उपचित ब्याज		**1,85,18,721**		1,77,62,774
III. अन्य (प्रावधान सहित)		**10,98,18,661**		5,82,52,046
कुल		**13,74,29,182**		8,77,27,404
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष :				
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		**2,00,43,578**		1,24,69,951
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में		**18,11,39,405**		19,54,94,686
कुल		**20,11,82,983**		20,79,64,637

31 मार्च, 2020 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

			यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :					
I.	**भारत में स्थित बैंकों में जमा शेष**				
i)	ए) चालू खातों में	**17,58,362**		6,47,718	
	बी) अन्य जमा खातो में	**8,09,64,725**		6,89,63,177	
ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	ए) बैंकों से	**30,00,000**		7,52,49,277	
	बी) अन्य संस्थाओं से	**20,00,00,000**	**28,57,23,087**	-	14,48,60,172
II.	**भारत के बाहर**				
i)	चालू खातों में	**27,89,811**		21,46,551	
ii)	अन्य जमा खातो में	**6,13,66,312**		7,54,88,377	
iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**-**	**6,41,56,123**	-	7,76,34,928
	कुल		**34,98,79,210**		22,24,95,100
अनुसूची 8 - निवेश :					
I.	**भारत में निवेश**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में		**1,05,63,08,142**		94,40,67,258
ii)	शेयरों में		**1,11,28,494**		1,47,17,138
iii)	डिबेंचर एवं बांडों में		**34,03,94,322**		22,63,24,673
iv)	सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		**26,73,168**		26,73,168
v)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)		**8,44,29,894**		4,64,19,714
	कुल		**1,49,49,34,020**		1,23,42,01,951
II.	**भारत से बाहर निवेश**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		**1,65,79,156**		1,50,78,531
ii)	शेयरों में		**4,032**		4,032
iii)	अन्य निवेश (बांडों में)		**25,67,460**		46,88,563
iv)	सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		**1,00,54,300**		64,93,350
	कुल		**2,92,04,948**		2,62,64,476
	कुल		**1,52,41,38,968**		1,26,04,66,427
III.	**i) भारत में निवेश**				
	सकल मूल्य		**1,51,94,38,271**		1,25,78,21,627
	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**2,45,04,251**		2,36,19,676
	निवल मूल्य		**1,49,49,34,020**		1,23,42,01,951
	ii) भारत से बाहर निवेश				
	सकल मूल्य		**2,92,19,128**		2,63,26,886
	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**14,180**		62,410
	निवल मूल्य		**2,92,04,948**		2,62,64,476
	कुल		**1,52,41,38,968**		1,26,04,66,427

31 मार्च, 2020 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)			
ए.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल	**2,77,71,181**	4,47,52,240
	ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	**1,42,93,65,230**	1,31,55,57,669
	iii) मीयादी ऋण	**1,69,33,57,658**	1,60,90,11,621
	कुल	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530
बी.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	**2,64,30,42,762**	2,55,72,10,141
	ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत	**10,75,94,614**	13,46,07,182
	iii) अप्रतिभूत	**39,98,56,693**	27,75,04,207
	कुल	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530
सी.	अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
	I. भारत में अग्रिम:		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**1,14,41,37,429**	1,15,60,83,212
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**46,20,71,183**	28,92,46,543
	iii) बैंक	**3,11,101**	1,90,01,838
	iv) अन्य	**1,34,72,31,537**	1,36,59,84,959
	कुल	**2,95,37,51,250**	2,83,03,16,552
	II. भारत के बाहर अग्रिम:		
	i) बैंकों से प्राप्य	**5,02,64,366**	2,41,18,998
	ii) अन्य से प्राप्य	**-**	-
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**30,46,970**	69,12,500
	बी) सिंडिकेटेड ऋण	**1,78,35,409**	22,66,668
	सी) अन्य	**12,55,96,074**	10,57,06,812
	कुल	**19,67,42,819**	13,90,04,978
	कुल	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :

ए. मूर्त आस्तियां

I. परिसर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**3,86,62,060**		3,83,20,510	
वर्ष के दौरान वृद्धि (पुर्नमूल्यांकन सहित)	**1,04,97,364**		4,00,330	
वर्ष के दौरान कमी	**54,782**		58,780	
	4,91,04,642		3,86,62,060	
घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**1,24,83,397**	**3,66,21,245**	1,10,42,983	2,76,19,077
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**4,35,688**		334,918	
वर्ष के दौरान वृद्धि (पुर्नमूल्यांकन सहित)	**1,33,300**		259,414	
वर्ष के दौरान कमी	**35,058**	**5,33,930**	158,644	4,35,688
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**6,95,420**		695,313	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**72,931**		107	
वर्ष के दौरान कमी	**26,092**		-	
	7,42,259		695,420	
घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**69,969**	**6,72,290**	62,192	6,33,228

31 मार्च, 2020 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

			यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019
IV.	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स सहित)**				
	ए) पट्टे पर दी गयी आस्तियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**2,65,352**		2,65,352	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**2,65,352**	**-**	2,65,352	-
	बी) अन्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**2,79,07,536**		2,59,41,320	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**28,66,289**		23,56,196	
	वर्ष के दौरान कमी	**4,02,191**		3,89,980	
		3,03,71,634		2,79,07,536	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**2,12,21,816**	**91,49,818**	1,92,67,959	86,39,577
बी.	**अमूर्त आस्तियां**				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**25,73,008**		23,34,889	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**7,71,877**		2,40,654	
	वर्ष के दौरान कमी	**-**		2,535	
		33,44,885		25,73,008	
	आज की तारीख तक परिशोधित	**26,96,996**	**6,47,889**	22,77,650	2,95,358
	कुल		**4,76,25,172**		3,76,22,928
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :					
I.	अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)		**1,51,98,653**		1,12,10,982
II.	उपचित ब्याज		**2,54,32,328**		2,43,77,408
III.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		**7,35,68,800**		5,17,20,800
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टांप		**37,137**		37,293
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां		**390**		390
VI.	अन्य		**10,42,25,545**		12,27,53,989
VII.	स्त्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती (निवल प्रावधान)		**1,50,49,430**		3,24,16,939
	कुल		**23,35,12,283**		24,25,17,801
अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :					
I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है		**3,27,49,359**		3,10,49,729
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं		**5,920**		5,920
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		**1,06,54,22,734**		1,20,82,01,442
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी गारंटी				
	ए) भारत में	**28,37,44,747**		35,77,58,253	
	बी) भारत से बाहर	**12,75,79,781**	**41,13,24,528**	62,08,491	36,39,66,744
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं		**31,99,80,156**		33,45,46,514
VI.	अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	**3,91,43,693**		3,48,24,520	
VII.	डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	**1,33,97,200**		1,14,62,100	
			5,25,40,893		4,62,86,620
	कुल		**1,88,20,23,590**		1,98,40,56,969

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :			
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	**25,07,86,979**	23,77,19,210
II.	निवेशों से आय	**10,57,28,598**	9,00,33,427
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	**1,20,02,836**	1,20,12,726
IV.	अन्य	**37,92,825**	9,01,226
	कुल	**37,23,11,238**	34,06,66,589
अनुसूची 14 - अन्य आय :			
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	**56,33,245**	60,00,565
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	**1,46,32,588**	57,37,192
III.	स्थायी आस्तियों के विक्रय से लाभ/(हानि) - (निवल)	**-39,448**	29,650
IV.	विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल)	**55,70,186**	56,49,040
V.	अन्य आय	**2,68,11,297**	2,73,23,020
	कुल	**5,26,07,868**	4,47,39,467
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :			
I.	जमाराशियों पर ब्याज	**24,02,69,067**	22,08,91,673
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारी पर ब्याज	**83,87,571**	85,44,655
III.	अन्य	**92,87,078**	90,81,154
	कुल	**25,79,43,716**	23,85,17,482
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :			
I.	कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**3,35,86,186**	3,15,09,285
II.	किराया, कर और बिजली	**61,87,457**	60,30,253
III.	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**5,05,737**	5,37,202
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	**5,86,817**	4,76,485
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास	**41,12,569**	36,80,394
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	**14,204**	11,038
VII.	प्रबंध/कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक	**11,410**	10,589
VIII.	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**3,98,656**	4,91,116
IX.	विधि प्रभार	**6,05,738**	4,74,027
X.	डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	**15,60,186**	12,18,547
XI.	मरम्मत एवं रखरखाव	**11,94,863**	11,89,184
XII.	बीमा	**57,92,455**	43,28,443
XIII.	अन्य व्यय	**2,06,07,869**	2,17,19,691
	कुल	**7,51,64,147**	7,16,76,254

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं. इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन एएस तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है.

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/आकलन लगाएं. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है.

3. राजस्व की पहचान

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैरनिष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, (तृतीय पक्ष उत्पाद से प्राप्त आय सहित) सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, सरकारी कारोबार पर कमीशन सहित और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

iv) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

vi) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है.

4. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3. के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है:

ए) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह

बी) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

सी) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह

नकद तथा नकद तुल्य मद में नकद शेष और एटीएम, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग या अल्पसूचना की राशियां शामिल हैं. (जिसमें विदेशी मुद्रा में नकदी और नकद समकक्षों पर विनिमय दरों में प्रभार के प्रभाव शामिल हैं)

5. निवेश

5.1. बैंककारी विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

5.1.1. सरकारी प्रतिभूतियां

5.1.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

5.1.3. शेयर

5.1.4. ऋण पत्र एवं बांड

5.1.5. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

5.1.6. अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 6/21.04.141/ 2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

5.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं

5.2.1. ''एचटीएम'' में धारित प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर.

5.2.1.1. अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

5.2.1.2. क्षेत्रीय बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

5.2.1.3. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश परंपरागत लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

5.2.1.4. सहायक/संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, जिन्हें एचटीएम में शामिल किया गया है, को प्रदान किया जाएगा.

5.2.2. ''एएफएस'' तथा ''एचएफटी'' श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां

5.2.2.1. ''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्धह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

5.2.2.2. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिदेशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाज़ार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार,यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार.यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पंजी निधियाँ (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

5.3. अंतर बैंक/भारिबैं रेपो तथा अंतर बैंक/भारिबैं रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

5.4. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

5.4.1. विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर; यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है.

5.4.2. परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में,

5.4.2.1. यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर

5.4.2.2. यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

इस प्रकार शिफ्ट की गई प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणाम रूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

5.4.3 विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

5.5. गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य ह्रास/प्रावधान किया गया है.

5.6. किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

5.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

5.8. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा 'निपटान तारीख' का पालन किया जाता है.

5.9. डेरीवेटिव संविदा

5.9.1. वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

5.9.2. ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं यदि कोई लाभ हो जिसे अनदेखा किया गया हो.

5.9.3. विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है. यदि कोई लाभ हो, तो अनदेखा कर दिया जाता है.

6. अग्रिम

6.1. भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है.

6.1.1. मानक

6.1.2. अवमानक

6.1.3. संदिग्ध तथा

6.1.4. हानि आस्तियों

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र क्र.डीबीआर.बीपी.बीसी सं.2/21.04.048/2015-16 दिनांक जुलाई, 2015 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.

6.2. भारिबै द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैरनिष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है. ऋण आस्तियां गैरनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

6.2.1. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो.

6.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता अनियमित रहता है यथा यदि बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो अथवा यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों.

6.2.3. खरीदे गए /रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहती है;

6.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

6.2.5. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

6.2.6. एमएसएमई खातों के संबंध में जहां भारतीय रिजर्व बैंक वितरण लाभ आगे बढ़ाया है, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 100/21.04.048/2017-18 दिनांक 06 जून, 2018 में दिए गए आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंडों का पालन बैंक द्वारा किया जाएगा.

6.2.7. एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मेंटेन करेगा. उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा.

6.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है:

6.3.1. अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है.

6.3.2. संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.

6.3.3. हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

6.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है:

अवमानक आस्तियां:	i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15% ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो. iii. आरंभ से, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर)
संदिग्ध-सुरक्षित भाग	i. एक वर्ष तक - 25% ii. एक से तीन वर्ष - 40% iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
संदिग्ध-असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्ति	100%

6.5. अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

6.6. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.

6.7. पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.

6.8. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

6.9. पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुकाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

6.10. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को ''अन्य देयताओं और

प्रावधानों'' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया

7. स्थायी आस्तियां एवं ह्रास

7.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास का शुद्ध और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए एसेट को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए रखी गई सम्पत्तियों पर किए गए उप-व्यय पर केवल तभी पूंजी लगाई जाती है जब यह ऐसी परिसंपतियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है. जमीन और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर प्रशंसा का श्रेय रेवल्यूशन रिजर्व को दिया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे रेवल्यूशन रिजर्व में जमा कर दिया जाता है और ''सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण'' पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में लाभ और हानि खाते के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा.

7.2. एप्लीकेशन साफ्टवेयर को पूँजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है. कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर पर ह्रास कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं एटीएम का एक भाग है जिस पर भारिबै के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया जाता है.

7.3. अचल आस्तियों के मूल्य ह्रास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है:

	आस्ति का प्रकार	मूल्य ह्रास की दर
I.	परिसर	5 %
II.	अन्य स्थायी आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10 %
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी लॉकर/स्ट्रांग रूम आदि	15 %
	- परिवहन वाहन	20 %
	-निर्बाध बिजली सप्लाई उपकरण (यूपीएस)	33.33 %
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

7.4. 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्य ह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है.

7.5. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

7.6. वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

7.7. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

8. आस्तियों में क्षति

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित आस्ति सहित) पर हासित हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी ''आस्ति की हास'' पर एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है. आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर ह्रास हानि मानी जाती है. ह्रास हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. ह्रास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई ह्रास हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो ह्रास न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

9. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

10. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी मुद्रा की स्थिति और दर्ज लाभ / हानि का पुनर्मूल्यांकन :

10.1 वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को संशोधित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते से निर्धारित किया जाता है.

10.2 आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

10.3 वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है.

10.4 गारंटी, स्वीतिकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं.

10.5 भारत के बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन इकाई के रूप में माना जाता है.

11. गैर एकीकृत विदेशी परिचालन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है. बैंक के विदेशी मुद्रा परिचलनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

विदेशी शाखाओं को गैर एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i) राजस्व की पहचान

संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है.

ii) आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं.

iii) अचल आस्ति और मूल्यह्रास

ए) अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है.

बी) संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है.

सी) आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक के साथ अनुषंगी देयताएं) वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है.

डी) आय एवं व्यय संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर अनुदित की जाती है.

ई) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व में संचित किया जाता है.

12. कर्मचारी लाभ

ए. अल्पावधि रोजगार लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

बी. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

i. **निर्धारित अंशदान योजनाएं**:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (डीसीपीएस) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

ii. **निर्धारित लाभ योजना**:

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

13 खंडवार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है.

i) ट्रेजरी परिचालन,

ii) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

iii) रिटेल बैंकिंग परिचालन और

iv) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है:

14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये परिसंपत्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानी खाते में एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.

15. प्रति शेयर आय

बैंक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट को सूचित करता है. प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है. प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' पर

एएस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक ''उचित निश्चितता'' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल ''आभासी निश्चितता'' होने पर मान्यता दी जाती है.

17. प्रावधान आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान,आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है.

18. शेयर निर्गम व्यय

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं.

अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है

1.1. पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 31 मार्च, 2020 तक बासल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-I पूँजी, कॉमन इक्विटी टियर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टियर- I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2020 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी- 8.00% (2.50% पूंजी संरक्षण बफर सहित) न्यूनतम टियर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है. हालाँकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. आरबीआई/2019-20/188/ डीओआर.बीपी.बीसी.न. 45/21.06.201/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020 के माध्यम से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625% के पिछले अंश को कार्यान्वित करने में 31 मार्च, 2020 से सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

फ्रेमवर्क के अनुसार पूँजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है :

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात (सीईटी 1) (%) बासल III	9.40	8.02
ii)	टियर I पूंजी अनुपात (%) बासल III	10.75	9.48
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%) बासल III	2.06	2.30
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III	12.81	11.78
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	86.75	74.27
vi)	उगाही की गई इक्विटी पूंजी की राशि: **(₹ करोड़ में)**	11,767.99	4,680.32
vii)	उगाही की गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी की राशि **(₹ करोड़ में)**	शून्य	शून्य
viii)	उगाही की गई टियर- II पूंजी की राशि: **(₹ करोड़ में)**	शून्य	शून्य
	इसमें से ऋण पूंजी लिखतें: **(₹ करोड़ में)**	शून्य	शून्य

नोट :

भारत सरकार ने बैंक की पूंजी ₹11767.99 करोड़ की राशि निवेशित की जिससे बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2019 को अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर ₹10/- के अंकित मूल्य के 1,65,98,02,538 इक्विटी शेयर ₹60.90 के प्रीमियम पर जारी किए हैं.

1.2 निवेश

बैंक निवेश का विवरण एवं बैंक निवेश पर मूल्य ह्रास, संचरण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य	1,54,865.74	1,28,414.85
	(ए) भारत में	1,51,943.83	1,25,782.16
	(बी) भारत के बाहर	2,921.91	2,632.69
ii)	मूल्यह्रास का प्रावधान	2,451.85	2,368.21
	(ए) भारत में	2,450.43	2,361.97
	(बी) भारत के बाहर	1.42	6.24
iii)	निवेशों का निवल मूल्य	1,52,413.89	1,26,046.64
	(ए) भारत में	1,49,493.40	1,23,420.19
	(बी) भारत के बाहर	2,920.49	2,626.45
2	निवेशों पर मूल्यह्रास के पेटे किए गए प्रावधानो का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	2,368.21	2,770.25
ii)	जोडा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	474.16	178.04
iii)	घटाया: वर्ष के दौरान राइट-आफ/राइट-बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	390.52	580.08
iv)	अंतिम शेष	2,451.85	2,368.21

1.2 (ए) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में संव्यवहार सहित क्रमश: रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए है:

(₹ करोड़ में)

क्र.		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	दिनांक 31.03.2020 को बकाया
ए	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	4.86	17,082.93	7,920.58	16,983.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
बी	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	10.49	30,294.00	5,267.25	20,000.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

1.2 (बी) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. **गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र**

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर-निर्धारित प्रतिभूतियां**	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	पीएसयू	3,009.43	549.97	-	717.46	0.58
ii)	वित्तीय संस्थाएं	1,632.27	7.52	-	-	-
iii)	बैंक	1,948.25	1,848.86	-	-	-
iv)	निजी कॉर्पोरेट	12,713.19	5,808.94	803.34	267.67	36.79
v)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	1,272.74	1,272.74	-	-	-
vi)	अन्य	27,323.89	23,772.92	-	-	-
vii)	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान	(2,450.12)	-	-	-	-
	योग**	**45,449.66**	**32,865.95**	**803.34**	**985.13**	**37.37**

**(1) कॉलम 3 के अंतर्गत तुलन-पत्र में अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों का कुल योग के साथ मिलान होना चाहिए :

ए) शेयर

बी) डिबेंचर एवं बॉन्ड

सी) सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम

डी) अन्य

(2) कॉलम 4,5,6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई उपरोक्त राशि का परस्पर एक दूसरे से संबंध नहीं हैं.

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
शेयर	1,112.85	1,472.11
ऋण-पत्र व बॉन्डस	34,039.43	22,632.47
सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	1,272.74	916.65
अन्य	9,024.64	5,110.83
योग	**45,449.66**	**30,132.06**

ii. **गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश**

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में सकल गैर निष्पादक निवेशों में संचालन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
आरंभिक शेष	2234.04	2,347.70
वर्ष के दौरान वृद्धि	425.62	149.42
वर्ष के दौरान कमी	432.60	263.08
अंतिम शेष	2227.06	2,234.04
कुल धारित प्रावधान	**1858.95**	**2,024.27**

1.2 (सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. एचटीएम श्रेणी में 31 मार्च, 2020 आयोजित निवेश का बजार मूल्य ₹1,08,814.44 करोड़ था और उस तारीख तक बही मूल्य से अधिक था. उपर्युक्त से 5% सीमा अलग होगी :

ए) प्रतिभूतियों के वन-टाइम हस्तांतरण को / एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है.

बी) पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री.

सी) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का पुन: क्रय.

1.3. डेरीवेटिव्स

1.3.1 वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	14190.00	14610.43
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि	352.76	136.95
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य*	8.56	2404.30

* आईआरएस डील के एमटीएम के साथ हेजिंग डील पर प्राप्त ब्याज.

नोट:

I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.

II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.

III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

1.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स:

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार) ए) वायदा ब्याज दर खरीद बिक्री	 670.93 660.50	 3,194.44 3,208.46
ii)	31 मार्च 2020 को बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)	शून्य	शून्य

1.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

ए) गुणात्मक प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहो में संव्यवहार करता है:

i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सजेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपौलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरेविटव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन बाजारों (एक्सचेंजो) में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है. हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं.

ए) ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है.

I) फ्रंट ऑफिस- डीलिंग रुम, बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग के ध्यान में लाता है. मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है. आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक बाजार पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं. आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोजर) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है.

ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं.

जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है. इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है. हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय- समय पर की जाती है.

डी) हेज/ अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है.

ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम को कम करने लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है. बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

बी) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटन					
		31-03-2020		31-03-2019	
क्र.	विवरण	करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स	करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
(i)	डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
(ए)	हेजिंग के लिए	515.60	5450.00	644.85	7870.72
(बी)	ट्रेडिंग के लिए	1063.28	8,740.00	1,695.51	6,740.00
(ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन				
ए	आस्तियां (+)	44.16	154.95	26.09	55.90
बी	देयताएं (-)	-37.60	-159.30	23.12	-41.99
(iii)	ऋण एक्सपोज़र (*)	145.87	473.81	154.19	265.95
(iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) (लाख में)				
ए	हेजिंग डेरीवेटिव पर	0.00	10,075.10	0.00	13,615.92
बी	ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.00	297.00	10.66	154.82
(v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 (लाख में)				
ए	अधिकतम				
	(ए) हेजिंग पर	0.00	13,595.57	0.00	15,113.41
	(बी) ट्रेडिंग पर	10.56	1,124.30	15.81	2,435.22
बी	न्यूनतम				
	(ए) हेजिंग पर	0.00	10,011.88	0.00	12,250.94
	(बी) ट्रेडिंग पर	0.00	1.08	10.63	6.33

* ब्याज दर डेरीवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग डील्स पर एक्सपोजर भी शामिल है.

1.4 आस्ति गुणवत्ता:

1.4.1 गैर-निष्पादित आस्तियां

सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए), शुद्ध एनपीए एवं प्रावधानों के संचलन का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	5.49	6.85
ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		
	(ए) आरंभिक शेष	**48,729.15**	49,369.93
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	**14,021.70**	13,453.04
	(सी) वर्तमान एनपीए के शेष में वृद्धि	**889.74**	123.68
	उप - योग (ए)	**63,640.59**	**62,946.65**
	(डी) घटाया :-		
	(i) अप-ग्रेडेशन	**1,870.54**	1,938.45
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	**4,267.27**	4,508.51
	(iii) तकनीकी/ विवेकाधीन राइट-ऑफ	**7,019.94**	4,898.40
	(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त राइट-ऑफ	**1,397.54**	2,872.14
	उप - योग (बी)	**14,555.29**	14,217.50
	(ड.) अंतिम शेष (ए-बी)	**49,085.30**	**48,729.15**
iii)	एनपीए का संचलन (शुद्ध)		
	(ए) आरंभिक शेष	20,332.42	24,326.31
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि	3,097.26	2,141.32
	(सी) वर्ष के दौरान कमी	6,126.54	6,135.21
	(डी) अंतिम शेष	**17,303.14**	**20,332.42**
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचलन		
	(ए) प्रारंभिक शेष	28,396.73	25,043.63
	(बी) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	11,814.18	11,435.40
	(सी) पुनर्संरचना खातो में बढ़ा हुआ प्रावधान	(-)30.86	(-)356.06
	(डी) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ/ राइट बैक	8,397.88	7,726.24
	(ई) अंतिम शेष	**31,782.17**	**28,396.73**

इन प्रावधानों में एनपीए के रुप में वर्गीकृत किये गये पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए ह्रास के प्रावधानों को शामिल किया गया है. एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में दावाकृत खातो में वसूली/प्राप्त ईसीजीसी दावा राशि को शामिल किया गया है और क्रमश: ₹208.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹202.87 करोड़) तथा ₹13.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.48 करोड़) की राशि को समायोजन हेतु लंबित रखा गया है.

1.4.2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जोखिम आधारित निगरानी (आरबीएस) प्रक्रिया के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण तथा कुछ खातों में नोट्स के संबंध में विचलन चिन्हित किया है. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए जोखिम आधारित निगरानी (आरबीएस) प्रक्रिया के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के कुछ खातों में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित अंतर को चिन्हित किया है. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी. बीसी.न.32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 तथा 18 जुलाई, 2017, 17 जुलाई, 2019 एवं 31 अक्टूबर, 2019 को जारी सेबी परिपत्र की पुष्टि करते हुए निम्न तालिका में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में उनके अंतर का उल्लेख किया गया है :

क्र	विवरण	(₹ करोड़ में)
1	बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 को रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	48,729
2	भारिबै द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 को आकलित किया गया सकल एनपीए	49,318
3	सकल एनपीए (2-1) में विचलन	589
4	बैंक द्वारा 31 मार्च, 2019 को रिपोर्ट किया गया शुद्ध एनपीए	20,332
5	भारिबै द्वारा 31 मार्च, 2019 को आकलित किया गया शुद्ध एनपीए	20,921
6	शुद्ध एनपीए (5-4) में विचलन	589
7	बैंक द्वारा 31 मार्च, 2019 को रिपोर्ट किया गया एनपीए के लिए प्रावधान	28,397
8	भारिबै द्वारा 31 मार्च, 2019 को आकलित किया गया एनपीए के लिए प्रावधान	29,984
9	प्रावधान (8-7) में विचलन	1,587
10	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कर पश्चात (पीएटी) रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ	(2,947)
11	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खाते में प्रावधान के विचलन के बाद समायोजित (कल्पित) कर पश्चात शुद्ध लाभ	(3,978)

दिनांक 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए बैंक ने अपने कारोबारी परिणाम के प्रभाव को सम्यक रूप से रिकॉर्ड किया है.

1.4.3 पुनर्गठित खातों का विवरण

	परिसंपत्तियों का वर्गीकरण / विवरण		सीडीआर प्रक्रिया के अन्तर्गत					एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अन्तर्गत				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	01.04.2019 तक पुनर्गठित खाते (वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रारम्भिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	1	18	5	25	5544	15	307	34	5900
		बकाया राशि	52.90	20.05	1518.94	1910.00	3501.89	275.23	15.11	604.76	128.43	1023.52
		उस पर प्रावधान	3.69	0.66	10.23	0.00	14.58	10.62	0.03	10.86	0.02	21.54
2	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नये पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	30153	7490	34	8	37865
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.31	162.14	2.20	0.86	940.52
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79	7.82	0.10	0.04	37.75
3	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	23				23
		बकाया राशि	0.00				0.00	0.98				0.98
		उस पर प्रावधान	0.00				0.00	0.03				0.03
4	वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और /अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में दर्शाया गया	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	152				152
		बकाया राशि	0.00				0.00	17.34				17.34
		उस पर प्रावधान	0.00				0.00	0.23				0.23
5	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातो का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या		0	0	0	0		6617	17	6	6640
		बकाया राशि		0.00	0.00	0.00	0.00		157.17	0.74	0.37	158.29
		उस पर प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.00		7.74	0.01	0.02	7.77
6	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	432.12	1429.69	1861.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	31.03.2020 तक पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	11	7	19	36038	6693	307	42	43080
		बकाया राशि	52.17	0	708.92	829.32	1590.40	1017.08	160.30	483.41	150.85	1811.65
		उस पर प्रावधान	3.69	0	0.08	0.00	3.77	39.80	7.77	7.39	0.02	54.98

	परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण		अन्य					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	01.04.2019 तक पुनर्गठित खाते (वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रारम्भिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	865	1165	2138	334	4502	6410	1181	2,463	373	10427
		बकाया राशि	988.64	422.08	4845.39	768.28	7024.39	1,316.76	457.23	6969.09	2806.71	11549.80
		उस पर प्रावधान	8.78	4.63	68.70	0.59	82.70	23.09	5.32	89.79	0.62	118.81
2	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नये पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	0	0	1	30154	7490	34	8	37686
		बकाया राशि	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61	1091.93	162.14	2.20	0.86	1257.13
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79	7.82	0.10	0.04	37.75
3	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	21				21	44				44
		बकाया राशि	0.58				0.58	1.56				1.56
		उस पर प्रावधान	0.03				0.03	0.06				0.06
4	वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/ अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इस लिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में दर्शाया गया	उधारकर्ताओं की संख्या	154				154	306				306
		बकाया राशि	5.98				5.98	23.32				23.32
		उस पर प्रावधान	0.23				0.23	0.46				0.46
5	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातो का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या		288	12	0	300		6905	29	6	6940
		बकाया राशि		193.68	168.51	0.00	362.19		350.86	169.25	0.37	520.48
		उस पर प्रावधान		0.66	0.02	0.00	0.68		8.40	0.04	0.02	8.45
6	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	6	1	7	0	0	8	3	11
		बकाया राशि	0.00	0.00	1032.76	39.03	1071.79	0.00	0.00	1464.88	1468.72	2933.66
7	31.03.2020 तक पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	287	290	2830	315	3722	36236	6983	3148	364	46821
		बकाया राशि	1006.24	193.35	3868.55	1012.49	6080.64	2075.49	353.66	5060.88	1992.66	9482.69
		उस पर प्रावधान	8.52	0.66	36.35	0.00	45.54	52.01	8.43	43.83	0.02	104.29

1.4.4. भारतीय रिजर्व के परिपत्र क्रमांक **आरबीआई/2018-19/100 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019** के अनुसार, बैंक एवं एनबीएफसी एमएसएमई खातों से संबंधित पुनर्रचना के लिए उचित प्रकटीकरण करेगा :

(₹ करोड़ में)

पुनर्रचना की गयी खातों की संख्या	राशि	धारित प्रावधान (@5%)
40790	1040.87	43.12

1.4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. **आरबीआई /2018-19/100 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11/02/2020** के अनुसार, बैंक एमएसएमई क्षेत्र अग्रिम को पुनर्गठित करने की एकबारगी नीति के संदर्भ में पुनर्गठित किए गए खातों की वास्तविक स्थिति:

(₹ करोड़ में)

पुनर्रचना की गयी खातों की संख्या	राशि	धारित प्रावधान (@5%)
1977	**82.69**	**4.06**

1.4.6 कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने बैंकिंग व्यवसाय के ऋण एवं वसूली क्षेत्र को प्रभावित किया है. यद्यपि इसका वसूली पर असर पड़ा है, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋणों की अदायगी पर अधिस्थगन तथा ब्याज के बोझ को कम करने के अन्य उपायों की वजह से ऋण चूक जोखिम में काफी हद तक कमी आयी है.

कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य के दौरान भी बैंक ने अपनी शाखाओं और डिजिटल उत्पादों के माध्यम से अपना परिचालन जारी रखा है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन मानदंडों की आंशिक ढील के साथ, सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अधिकांश शाखाओं में पूर्ण रूप से बैंकिंग परिचालन फिर से शुरू हो गया है.

आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 की पहली एवं दूसरी तिमाही के दौरान बैंक के राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों से, चालू वित्त वर्ष की तीसरी एवं चौथी तिमाही तक सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है. तथापि, प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंक की पूंजी पर्याप्त है और इसके वर्तमान और भविष्य के परिचालनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है एवं भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और धारणाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र आरबीआई/2018-19/100 डीओआर.नं.बीपी.बीसी.63 /21.04.048 2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार कोविड-19 विनियामक पैकेज के अधीन प्रदान की गयी राहत निम्नानुसार है.

(₹ करोड़ में)

एसएमए / अतिदेय संवर्ग जहां अधिस्थगन / मोहलत प्रदान की गयी है, खातों में बकाया राशि	ऐसे खाते जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है, में बकाया राशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में किया गया प्रावधान	मार्च 2019-2020 के दौरान स्लिपेज के सापेक्ष प्रावधान समायोजन तथा अवशिष्ट प्रावधान
25935.03	**2512.42**	**124.77**	**शून्य**

* ₹17.02 करोड़ बकाया पहले एफआईटीएल खातों को छोड़कर, जहां पूर्ण प्रावधान किया गया है

उपरोक्त के संबंध में, ₹137.52 करोड़ की समग्र ब्याज आय की गणना की गयी है

1.4.7 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के संदर्भ में '386.97 करोड़ की राशि के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क हेतु अतिरिक्त प्रावधान किया हैं

1.4.8. आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए) सेल्स का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	खातों की संख्या	4	7
ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)		
	ए) एनपीए खाते	37.04	797.65
	बी) अपलिखित खाते	0.00	0.00
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य
iii)	कुल प्रतिफल		
	ए) एनपीए खाते	117.29	782.74
	बी) अपलिखित खाते	4.20	11.12
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)		
	ए) एनपीए खाते	80.25	(14.91)
	बी) अपलिखित खाते	4.20	11.12
	सी) एसएमए खाते	शून्य	शून्य

1.4.9 1-एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		अंतर्निहित के रूप में एनपीए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		योग	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
पिछले 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	308.21	321.05	0	0	308.21	321.05
पिछले 5 वर्षों से अधिक लेकिन पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी प्रतिभूति रसीदें	242.77	245.46	0	0	242.77	245.46
8 वर्ष पूर्व जारी प्रतिभूति रसीदें	0	0	10.60	10.60	10.60	10.60
योग	550.98	566.51	10.60	10.60	561.58	577.11

2 - प्रतिभूति रसीदों में एसएमए द्वारा समर्थित निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		अंतर्निहित के रूप में एसएमए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		योग	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य	155.56	341.84	शून्य	शून्य	155.56	341.84

1.4.10 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	ए. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या बी. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2	ए. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातो की संख्या बी. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य

(बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (एआरसी के अलावा)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

1.4.11 मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	1943.69	1464.27

बैंक द्वारा 31 मार्च, 2020 को मानक आस्तियों हेतु किया गया प्रावधान ₹1943.69 करोड़ है. (विगत वर्ष में ₹1464.27 करोड़)

1.4.12 महत्वपूर्ण ऋण पुनर्रचना योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

वैसे खातों की संख्या जहां एसडीआर मांगी गई है	31.03.2020 तक बकाया राशि		खातों के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बकाया राशि तथा जिनके इक्विटी में परिवर्तन लंबित है.		खातों के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उन खातों के बकाया राशि जिनके इक्विटी में परिवर्तन किया गया है	
के रूप में वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.13 वर्तमान ऋण के लचीले संरचना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की भारित औसत अवधि का एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना (वर्ष) के आवेदन करने से पहले	लचीली संरचना (वर्ष) के आवेदन करने के पश्चात
गत वर्ष 2018-19	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य

1.4.14 बकाया एसडीआर योजना के अंतर्गत स्वामित्व परिवर्तन का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी हुइ अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में प्रभावी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया		रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयर की गिरवी के कारण लंबित है		रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयर पर लागू गिरवी प्राप्त कर लिया गया है		रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां नए शेयर के निर्गम या प्रमोटर के इक्विटी के बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन परिकल्पित है	
के रूप में वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.15 क्रियान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व के परिवर्तन का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

ऋण परियोजना खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में प्रभावी परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है	दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्रचना के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.16 दिनांक 31.03.2020 के दबावग्रस्त आस्तियों को बनाए रखे जाने योग्य संरचना के लिए योजना का प्रकटीकरण (एस4ए)

(₹ करोड़ में)

खाते जहां एस4ए लागू किए गए हैं		कुल बकाया राशि	बकाया राशि		लागू उपबंध
आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या		पार्ट ए में	पार्ट बी में	
मानक खाते	**1**	**13.02**	**13.02**	**13.02**	**6.97**
एनपीए	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.5. कारोबार अनुपात

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	6.82	6.85
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	0.96	0.90
iii)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत	1.68	1.51
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	(0.53)	(0.59)
v)	प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	20.06	18.79
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ करोड़ में)**	(0.08)	(0.08)

1.6. आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2020 तक जमाराशि, उधार, अग्रिम एवं निवेश की परिपक्वता का स्वरूप, निम्न पर आधारित है:

- एएलएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश
- आस्ति एवं देयताओं का व्यावहारिक अध्ययन, जिसमें निहित विकल्प के लिए कोई निश्चित परिपक्वता नहीं है.
- तुलन पत्र आस्ति एवं देयताओं में विदेशी मुद्रा

चालू वर्ष 2019-20

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का स्वरूप	जमाराशि	अग्रिम	निवेश/प्रतिभूति	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
अगले दिन	2,684.77	5,206.85	29,337.34	351.85	3,471.89	1,760.66
2-7 दिन	11,862.50	6,232.11	3,630.41	448.24	987.99	481.01
8-14 दिन	9,490.51	4,535.93	393.70	1,016.45	1,126.78	377.90
15-30 दिन	12,365.95	7,424.37	1,367.17	720.67	3,257.45	1,814.17
31 दिन - 2 माह	13,481.26	2,304.49	4,461.56	688.06	3,469.33	1,773.43
2 माह से अधिक और 3 माह तक	15,861.28	8,525.10	17,458.76	557.47	2,353.64	1,240.03
3 माह से अधिक और 6 माह तक	42,821.54	36,556.79	5,029.33	2,662.39	5,324.97	4,395.36
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	51,922.11	21,829.25	4,365.40	8,664.92	6,006.15	8,669.47
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	55,805.55	1,36,492.92	14,065.90	22,865.18	13,220.98	14,643.41
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	39,816.16	40,058.36	9,328.59	7,261.02	6,704.37	8,239.02
5 वर्ष से अधिक	**1,94,556.81**	**45,883.26**	**62,975.74**	**7,250.00**	**2,826.81**	**259.78**
योग	**4,50,668.45**	**3,15,049.41**	**1,52,413.90**	**52,486.25**	**48,750.36**	**43,654.24**

नोट- भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई/2019-20/186 डीओआर.न.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 दिनांक 29 मार्च, 2020 को घोषित विनियामक कोविड-19 मोरेटोरियम को मियादी ऋणों तथा कार्यशील पूंजीगत सुविधाओं में प्रभावी किया गया है तथा अनुसूचित अंतर्वाह कार्यक्रम को 3-6 माह संवर्ग में शिफ्ट किया गया है.

गत वर्ष 2018-19

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का स्वरूप	जमाराशि	अग्रिम	निवेश/प्रतिभूति	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
अगले दिन	1,798.85	3,982.85	14,538.74	1,275.44	4,491.09	3,176.95
2-7 दिन	7,814.46	7,993.48	2,288.99	186.89	2,393.06	239.13
8-14 दिन	6,975.17	7,285.90	-	9,000.00	310.28	75.04

परिपक्वता का स्वरूप	जमाराशि	अग्रिम	निवेश/प्रतिभूति	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
15-30 दिन	6,209.31	11,278.69	2,528.21	1,010.47	2,508.35	1,196.44
31 दिन - 2 माह	13,284.97	8,553.18	3,294.74	1,514.38	3,000.27	2,883.75
2 माह से अधिक और 3 माह तक	16,894.28	6,608.69	1,435.06	2,044.53	1,783.37	1,537.63
3 माह से अधिक और 6 माह तक	26,052.96	12,055.80	2,192.29	2,109.37	5,781.76	3,437.78
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	62,814.38	19,885.19	6,941.06	4,124.40	4,475.32	5,925.14
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	58,027.85	1,34,362.82	13,089.13	8,424.38	9,322.71	11,557.92
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	38,211.22	39,391.16	20,883.14	4,723.98	3,318.24	3,357.25
5 वर्ष से अधिक	**1,77,831.84**	**45,528.89**	**58,855.26**	**8,450.00**	**2,100.99**	**266.11**
योग	**4,15,915.27**	**2,96,932.15**	**1,26,046.64**	**42,863.82**	**39,485.43**	**33,653.13**

1.7 एक्सपोजर

1.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.	संवर्ग	31.03.2020	31.03.2019
ए)	प्रत्यक्ष निवेश	39,297.40	35,466.65
	I. आवासीय बंधक- आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं. - उपर्युक्त के अंतर्गत ₹20 लाख तक व्यक्तिगत आवास ऋण.	29,441.16 12,589.00	29,293.65 13,373.77
	II. वाणिज्यिक रियल इस्टेट- वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं: (जिसमें से एलआरडी)	8,153.42 (1,817.94)	5,314.02 (1,731.82)
	III. सीआरई आरएच	1,702.83	858.98
	IV. एलआरडी (पट्टा किराया छूट) जिसमे से सीआरई जिसमें से सीआरई के अलावा	2,438.95 (1,817.94) (621.01)	2,113.83 (1,731.82) (382.01)
	V. बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र - ए. आवासीय बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	16,866.09	18,783.06
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**56,163.50**	**54,249.71**

1.7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	1028.85	1,304.63
ii.	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	2.90	3.90

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	293.13	293.23
iv.	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स /परिवर्तनीय डिबेचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है.	0.55	0.59
v.	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	594.73	594.67
vi.	शेयरों/ बॉन्डो /डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण	310.98	1296.17
vii.	संभावित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	शून्य	शून्य
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	शून्य	शून्य
ix.	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	शून्य	शून्य
x.	वेंचर पूंजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा.	840.23	377.98
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**3071.23**	**3,871.17**

1.7.3 जोखिम संवर्ग वार कंट्री एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2020	प्रावधान यथा 31.03.2020	शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2019	प्रावधान यथा 31.03.2019
अपर्याप्त	12463.67	शून्य	8093.66	शून्य
अल्प	7570.31	शून्य	7537.68	शून्य
सामान्य	220.16	शून्य	346.92	शून्य
उच्च	9.79	शून्य	5.48	शून्य
अत्यधिक उच्च	शून्य	शून्य	-	शून्य
सीमित	शून्य	शून्य	-	शून्य
ऑफ-क्रेडिट	1.05	शून्य	-	शून्य
योग	**20264.98**	**शून्य**	**15983.74**	**शून्य**

कन्ट्री जोखिम नीति 2019-20 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है.

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है.

1.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को दी गई सीमा से अधिक का ब्यौरा. (पूंजी निधि ₹37917.27 करोड़)

(₹ करोड़ में)

क्र.		उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूंजी निधि का एक्सपोज़र%	31.03.2020 की स्थिति	पूंजी निधि की % स्थिति
1.	एकल उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- व्यक्तिगत ऋण लेने की एक्सपोज़र सीमा टीयर-I कैपिटल फंड का 20% है. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बोर्ड से अनुमोदन के बाद 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र लिया गया.
- समूह निवेश की सीमा- 25%
- बोर्ड की अनुमति से अतिरिक्त एक्सपोज़र लिया जा सकता है.

1.7.5 बेजमानती अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक ओडी.बीपी.बीसी.नं. 83/ 08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सड़क/राजमार्ग परियोजनाएं और टोल संग्रह अधिकार से संबंधित अग्रिम, बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) के तहत वार्षिकी वृत्ति द्वारा समर्थित हैं.

1.8 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड	
दंड के संख्या	2
दंड की राशि	1.60 करोड़

2. **लेखा मानकों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं.**

2.1 **राजस्व पहचान (एएस 9)**

सार्थक लेखा नीति की अनुसूची 17 की लेखा नीति सं. 3.3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर ही माना गया है; तथापि इस प्रकार की आय को शामिल नहीं किया गया है.

2.2 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

(ए) अल्पावधि रोजगार लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं :

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (डीसीपीएस) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना विद्यमान है. यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटिरी को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2019-20 के दौरान एनपीएस में ₹120.24 करोड़ रुपये(पिछले वर्ष ₹100.20 करोड़ रुपये) का अंशदान किया है.

ii. निर्धारित लाभ योजना :

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना :

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है. प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
i)	**पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी** :				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1,222.64	12,158.43	1,244.88	11,803.32
	ब्याज लागत	95.24	945.93	97.47	915.94
	चालू सेवा लागत	59.54	90.78	57.96	103.65
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि - शीघ्र परिवर्तन	86.88	(578.22)	3.20	(36.24)
	वित्तीय धारणा पर बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	25.87	938.90	7.91	125.22
	वर्ष के अंत में देयताएं	1,291.94	12,746.69	1,222.64	12,158.43
ii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी**:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,202.14	12,308.84	1,302.00	12,115.00
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	93.65	957.63	101.95	940.12
	अंशदान	114.25	74.59	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	लाभ भुगतान	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला	1,219.01	12,607.16	1,202.14	12,308.84
	बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि	112.75	360.68	11.11	88.98
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/(हानि)	105.55	285.45	24.14	81.80
iii)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान:**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ**:				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	93.65	957.63	101.95	940.12
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	7.20	75.23	(13.03)	7.18
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	100.85	1032.86	88.92	947.30
v)	**आय विवरण में चिन्हित व्यय:**	59.54	90.78	57.96	103.65
	वर्तमान सेवा लागत	1.59	(11.70)	(4.48)	(24.18)
	ब्याज लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक लाभ या हानि	105.55	285.45	24.14	81.80
	लाभ हानि खाते में चिन्हित व्यय	166.68	364.53	77.62	161.27
vi)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	20.50	(150.41)	(57.12)	(311.68)
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	166.68	364.53	77.62	161.27
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	(114.25)	(74.59)	शून्य	शून्य
	तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/ देयता राशि	72.93	139.53	20.50	(150.41)

	विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
vii)	**अन्य ब्यौरे:**				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है.				
	ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/ हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	37,323	13,839	37,267	15,154
	वेतन प्रति माह	193.54	89.29	113.20	91.04
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	144.39	213.65	80.04	शून्य
viii)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	64.14	198.34	74.78	203.33
	कॉर्पोरेट बॉन्ड	88.78	1,004.11	132.71	1539.48
	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
	राज्य सरकार	161.47	995.87	166.50	735.89
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	35.33	322.26	107.32	1329.07
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	869.29	10,086.58	720.83	8501.07
	योग	1,219.01	12,607.16	1,202.14	12,308.84

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में चिन्हित राशि	**ग्रैच्युटी योजना**				
अनुभव समायोजना	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
वर्ष के अंत में देयताएं	1,291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72	1,110.33
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03	1,251.27
अंतर	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	**ग्रैच्युटी योजना**				
अनुभव समायोजन	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि योजनागत आस्तियां	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)	शून्य
(हानि)/लाभ	7.20	(13.03)	10.64	42.42	29.80

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी:	**पेंशन**				
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
वर्ष के अंत में देयताएं	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15	9,619.00
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89	9,525.70
अंतर	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई परिवर्तन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	938.90	125.22	(37.82)	793.17	1,399.16
योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	75.23	7.18	(21.39)	526.25	155.11

मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2019-20		2018-19	
	ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
पिछली छूट दर	7.79	7.78	7.83	7.76
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.79	7.78	7.83	7.76
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
चालू छूट दर	6.84	6.79	7.79	7.78
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.84	6.79	7.79	7.78
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

(सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2020	31.03.2019
	1. पेंशन	**364.53**	161.27
	2. अवकाश नकदीकरण	**(3.44)**	(3.92)
	3. अवकाश यात्रा रियायत	**116.76**	36.06
	4. बीमारी अवकाश	**शून्य**	शून्य

2.3 क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंड अलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2020	31.03.2019
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**		
1	ट्रेज़री परिचालन	14,211.20	11,440.18
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	11,272.83	11,128.91
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	16,628.94	15,401.50
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	688.87	646.77
5	गैर आबंटित	18.15	187.49
	कुल क्षेत्रवार राजस्व	**42,819.99**	**38,804.85**
	घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व	(328.08)	(264.24)
	परिचालन से आय	**42,491.91**	**38,540.61**
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम (अर्थात लाभ / (हानि) कर से पूर्व)**		

कारोबार क्षेत्र		स्टैंड अलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2020	31.03.2019
1	ट्रेज़री परिचालन	3,666.03	2,767.14
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	823.26	947.37
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग (विशिष्ट मदों से पूर्व)	(6,403.83)	(8,114.53)
4	विशिष्ट मदों को जोड़ना	(2509.98)	-
	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग (विशिष्ट मदों के बाद)	(8913.81)	-
5	अन्य बैंकिंग परिचालन	378.74	285.87
6	गैर आबंटित	18.15	187.49
	कर पूर्व कुल लाभ	**(4,027.63)**	**(3,926.66)**
(सी)	कर हेत प्रावधान	(1129.85)	(979.21)
(डी)	**कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)**	**(2,897.78)**	**(2,947.45)**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेज़री परिचालन	2,11,741.01	1,75,059.13
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,24,530.01	1,27,310.28
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	2,00,931.74	1,78,851.72
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित	13,480.51	12,817.71
	कुल आस्तियां	**5,50,683.27**	**4,94,038.84**
(एफ)	**क्षेत्रवार देयताएं**		
1	ट्रेज़री परिचालन	2,01,928.03	1,68,754.95
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,19,538.72	1,23,368.05
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	1,92,878.19	1,73,313.47
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित	2,552.68	2,115.36
	कुल देयताएं	**5,16,897.62**	**4,67,551.83**
1	**ट्रेज़री परिचालन**	9,812.98	6,304.18
2	**रिटेल बैंकिंग परिचालन**	4,991.29	3,942.23
3	**कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग**	8,053.55	5,538.25
4	**अन्य बैंकिंग परिचालन**	0.00	0.00
5	**गैर आबंटित**	10,927.83	10,702.35
	कुल नियोजित पूंजी	**33,785.65**	**26,487.01**

टिप्पणियां:

1. बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेज़री, रिटेल, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिये गये हैं.
3. पिछले वर्ष के अवधि के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: समूहीकृत/ प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान तिमाही / वर्ष के वर्गीकरण/ प्रस्तुति के अनुरूप हो.

2.4 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस -18)

2.4.1 संबंधित पार्टियों की सूची

(ए) समनुषंगी :

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैक आफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.

(बी) संयुक्त उद्यम:

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(सी) एसोसिएट :

- मूल बैंक अर्थात काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2019-20 के दौरान सेवा ग्रहण करने/ सेवानिवृत्त होने वाले
श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	लागू नहीं
श्री गोपाल सिंह गुसाईं	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए

लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो ''राज्य नियंत्रित उद्यम'' हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस-18 के पैरा 6 के अनुसार, बैंकर ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल है, को प्रकटित नहीं किया गया है.

2.4.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.33	0.30
कार्यपालक निदेशकगण	0.81	0.75
योग	1.14	1.05

2.5 ''लीज'' - परिचालन लीज (एएस-19) पर लिया गया परिसर

नॉन कैंसिलेबेल परिचालन लीज पर लिए गए परिसर की देयताओं का डाटा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1 वर्ष से तक	14.87	16.03
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष तक	84.59	64.92
5 वर्ष के बाद	127.20	121.29
योग	**226.66**	**202.24**

2.6 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेट पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है.

प्रति शेयर अर्जन की गणना नीचे दी गयी है :

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	1,76,30,16,314	1,16,85,73,381
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	1,65,98,02,538	59,44,42,933
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	3,42,28,18,852	1,76,30,16,314
प्रति शेयर मूल अर्जन आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,32,08,18,806	1,17,50,87,824
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,32,08,18,806	1,17,50,87,824
शुद्ध लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में	(2897.77)	(2947.45)
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	(12.49)	(25.08)
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹)	(12.49)	(25.08)
प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹)	10	10

2.7 कर प्रावधान :

2.7.1 आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
	आस्थगित कर आस्ति		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	294.57	253.83
2	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	112.05	61.38
3	अन्य प्रावधानों के कारण	9,239.00	7,243.21
4	अनवशोषित हानि के कारण	0.00	127.13
	योग	**9,645.63**	**7,685.55**
	आस्थगित कर देयताएं		
1	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	806.32	763.39
2	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	1,004.64	1,004.64
3	निवेश पर मूल्यह्रास	477.79	745.44
	योग	2,288.75	2,513.47
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	**7,356.88**	**5,172.08**
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**शून्य**	**शून्य**

2.7.2 प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(1,129.85)	(979.21)

2.8 संयुक्त उपक्रम में निवेश: (एएस-27)

निवेश के अंतर्गत ₹ 65 करोड़ (गत वर्ष ₹ 65 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की हित राशि है. यह कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई है.

2.9 आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

2.10 आकस्मिक देयतायें (एएस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (i) व (vi) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमश: न्यायालय के निर्णय/ विवेचन/ न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

3. अतिरिक्त प्रकटन

3.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत ''प्रावधान एवं आकस्मिकताओं'' का ब्रेक-अप	31.03.2020	31.03.2019
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान/ (रिवर्सल)	372.37	(404.37)
एनपीए के लिए प्रावधान	9,304.20	11,435.39
हार्मोनाइजेशन हेतु प्रावधान (निम्न नोट देखें)	2,509.98	Nil
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/(रिवर्सल)	505.74	140.26
आयकर (आईटी)/ सम्पत्ति कर/ आस्थगित कर देयता (डीटीएल) के लिए शुद्ध प्रावधान	(1,129.85)	(979.21)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	4.16	410.91
- अग्रिमों का पुनर्गठन	(16.76)	(356.06)
- अन्य	529.05	221.76
योग	**12,078.89**	**10,468.68**

नोट- भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जी.एस.आर.154 (ई) दिनांक मार्च 4, 2020 द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक का समामेलन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ है. तदनुसार, विवेकपूर्ण उपाय के तहत बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक की 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार आस्ति वर्गीकरण में विचलन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी बही खातों में मौजूदा आईआरएसीपी परिवर्तन का प्रावधान किया है. बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष के लिए ₹2509.98 की अतिरिक्त समानीकरण राशि का प्रावधान किया है और इसे वित्तीय परिणामों मे असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है.

3.2 काउंटर साइक्लीकल प्रोविजनिंग बफर/फ्लोटिंग प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	प्रारंभिक शेष	293.20	293.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	शून्य	शून्य
iv)	अंतिम शेष	293.20	293.20

3.3 आरक्षिती से आहरण :

बैंक द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान आरक्षिती से ₹2640.56 करोड़ एवं शेयर प्रिमियम खाते से ₹11.99 करोड़ आहरित किया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :

1. एटी-I बॉन्डस के ब्याज के भुगतान हेतु ₹367.91 करोड़
2. ₹2272.65 की धोखाधड़ी के अनधिकृत हिस्से को अन्य आरक्षिती पर डेबिट किया गया
3. भारत सरकार के शेयरों के आवंटन हेतु ₹11.99 करोड़ शेयर प्रिमियम खाते से डेबिट किया गया

3.4 शिकायतों का प्रकटन

ए. ग्राहक शिकायतें

क्र	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	9,713	835
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3,53,594	4,56,303
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	3,60,390	4,47,425
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2,872	9,713

बी. बैक द्वारा जारी एटीएम कार्ड के संबंध में शिकायत

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	57
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1,19,500	2,00,859
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	1,19,500	2,00,916
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

उक्त के अलावा उन शिकायतों का ब्यौरा, जो विशेष रुप से अन्य बैंकों से संबद्ध हैं:

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	77
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	54,644	65,847
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	54,644	65,924
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	3	शून्य
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	1	8
(सी)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	3	5
(डी)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	1	3

डी: अन्य पक्षकार उत्पाद / कारोबार से संबंधित शिकायतें

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2	4
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	29	30
(सी)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	29	32
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2	2

3.5. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	0.00	4,373.42
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	0.00	0.00
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	0.00	4,373.42
वर्ष के अन्त में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	0.00	0.00

3.6 कवरेज अनुपात का प्रावधान (पीसीआर)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
कवरेज अनुपात का प्रावधान (%)	73.64	66.24

3.7 बैंकाश्योरेंस कारोबार का प्रकटन :

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

क्र	आय का स्वरूप	31.03.2020	31.03.2019
	1. जीवन बीमा पॉलिसी	89.95	84.71
	2. गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	14.43	13.43
	3. स्वास्थ्य बीमा	11.79	10.95

3.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:

3.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	45,012.97	38,921.89
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	9.99%	9.35%

3.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	30224.02	27915.00
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत.	9.26%	8.57%

3.8.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	56458.23	56065.45
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत (कुल एक्सपोजर = एफबी: 427225.23 + एनएफबी: 89303.41+निवेश : 47318.54+डेरीवेटिव: 6478.06 = 570325.23 करोड़)	9.90%	10.86%

3.8.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	6,524.45	5,964.54

3.9. क्षेत्र-वार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20)			विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2018-19)		
		कुल बकाया अग्रिम	कुल बकाया अग्रिम	उस सेक्टर में कुल अग्रिमो से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमो से एनपीए का %
ए	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	49,609.81	5,880.39	11.85	48,970.82	3,994.09	8.16
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रुप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण	20,480.16	4,429.81	21.63	19,909.99	3,188.31	16.01
3	सेवाएं	49,937.32	8,066.84	16.15	47,294.20	6,558.02	13.87
4	वैयक्तिक ऋण	16,848.64	723.53	4.29	17,654.57	491.03	2.78
	उप-योग (ए)	**1,36,875.93**	**19,100.57**	**13.95**	**1,33,829.58**	**14,231.45**	**10.63**
बी	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	58,979.67	15,904.60	26.97	54,905.30	20,069.29	36.55
3	सेवाएं	99,677.26	12,515.69	12.56	88,179.22	13,194.48	14.96
4	वैयक्तिक ऋण	51,388.33	1,564.44	3.04	48,477.71	1,233.93	2.55
	उप-योग (बी)	**2,10,045.26**	**29,984.73**	**14.28**	**1,91,562.23**	**34,497.70**	**18.01**
	योग (ए+बी)	**3,46,921.19**	**49,085.30**	**14.15**	**3,25,391.81**	**48,729.15**	**14.98**

नोट- जहां कहीं भी आवश्यक है, गत वर्ष के आंकड़े पुन: समेकित हैं.

उप क्षेत्र, जहां वित्त वर्ष 2019-20 में बकाया अग्रिम, बकाया कुल अग्रिम के 10% से अधिक रहा, निम्नानुसार हैं: **शून्य**

3.10 टीआरईडीएस (ट्रेड्स) एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020
डीबीआर.न.एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडीएस एक्सपोजर	362.27

3.11 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	**48,729.15**	**49,369.93**
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये एनपीए)	14,021.70	13,453.04
वर्तमान एनपीए में वृद्धि	889.74	123.68
उप-योग (ए)	**63,640.59**	**62,946.65**
घटाएं:		
(i) अप-ग्रेडेशन	1,870.54	1,938.45
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	4,267.27	4,508.51
(iii) राइट-ऑफ	8,417.48	7,770.54
उप योग (बी)	**14,555.29**	**14,217.50**
31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	**49,085.30**	**48,729.15**

3.12 स्टॉक का तकनीकी राइट-ऑफ

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारम्भिक शेष	11,496.15	7,411.75
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण राइट-ऑफ	6,760.22	4,898.40
iii)	उप-योग (ए)	18,256.37	12,310.15
iv)	घटाया: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से की गई वसूली (बी)	1,705.93	814.00
v)	अन्तिम शेष (ए-बी)	16,550.44	11,496.15

3.13 कोविड-19 विनियामक पैकेज पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.न.बीपी.बीसी.62/21.04.048/219-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के विवेकपूर्ण ढांचे के अधीन समाधान समय सीमा की समीक्षा हेतु बैंक ने शून्य करोड़ के सकल जोखिम वाले शून्य खातों के संबंध में समाधान की अवधि बढ़ा दी है.

3.14 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
कुल आस्तियां	27,867.10	21,756.88
कुल एनपीए	2,221.59	1,174.72
कुल राजस्व	853.72	1,037.01

3.15 बैंक द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी ऑफ-बैलेंस शीट नहीं है.

3.16 अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य

3.17. सिक्युरीटाइजेशन संबंधी प्रकटन

31 मार्च, 2020 तक सिक्युरीटाइजेशन संव्यवहारों हेतु बैंक में कोई स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) नहीं थी.

3.18 क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप:

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया.

3.19 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1,44,559.87	1,46,005.02
20 बड़े इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	81,900.07	78,839.63
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र में 20 बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत (कुल एक्सपोजर=515822.54 करोड़)	14.36%	15.28%
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य	शून्य

3.20 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	1146.21	973.77
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित की गयी राशि	224.70	202.65
घटाया : डीईएएफ द्वारा दावे के रुप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	31.19	30.21
डीईएएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष	1339.72	1146.21

3.21 अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

यूएफसीई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए ग्राहक के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर एक नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोज़र के लिए कुल प्रावधान ₹18.44 करोड़ किया गया.

3.22 एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए है.

4. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

4.1 एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है.

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{एचक्यूएलए}}{\text{30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए 100% निर्धारित की गयी है. एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है.

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एलसीआर को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 60% की न्यूनतम आवश्यकता के साथ चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया है तथा 1 जनवरी, 2019 को 100% प्राप्त कर लिया है.

	1 जनवरी, 2015	1 जनवरी, 2016	1 जनवरी, 2017	1 जनवरी, 2018	1 जनवरी, 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

एचक्यूएलए:

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रुप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालानात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती है, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं.

एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुन: दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रुप से सीआरआर का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर का आधिक्य, एमएसएफ (एनडीटीएल का 2%) एवं एफएएलएलसीआर (एनडीटीएल का 14.50%) शामिल है. भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित अवधि में एफएएलएलसीआर लिमिट को बढ़ाया है और यह 1 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक यह 14.50% है (दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 15%).

कोविड 19 के कारण तरलता मामलों से संबंधित, 27 मार्च, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास :-

- 30 जून, 2020 तक एनडीटीएल के 2% से 3% तक की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएससी)
- 1 वर्ष (26 मार्च, 2021 तक) के लिए सीआरआर की सीमा को 4% से घटाकर 3% किया गया है

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की गई है. स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारित के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की गई है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्तर 2बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रुप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं

शुद्ध नकदी प्रवाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है. नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन ₹5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीयन ग्राहकों (एनएफसी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है. कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है.

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए ₹1,16,654,42 करोड़ को बनाए रखा है. बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं. इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 92.86% योगदान है. दिनांक 31 मार्च, 2020 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 58% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता की सुविधा उपलब्ध है, स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य /अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 7.14% है,

बैंक का एक्सपोजर मुख्यत: भारतीय रूपए में है. कुल निधियन स्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित सम्पूर्ण निधियन से बना है. रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमश: लगभग 26% और 5% है. कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 37% गैर वित्तीयन कॉर्पोरेट से जमा है. बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलत: बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी एवं साख पत्र शामिल है. कुल भारित नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 69% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है.

बैंक ने मार्च, 2019 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है. 68 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है. 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के 177.01% के सापेक्ष 156.87% है एवं वर्तमान वर्ष 2020 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है. वार्षिक औसत एलसीआर 185.42% है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के तिमाही औसत एलसीआर का औसत है.

4.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

वार्षिक एलसीआर प्रकटन - लेखापरीक्षित					
		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2018-19	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	1,18,142.43	1,16,567.89	83,558.34	81,945.45
नकदी बहिर्प्रवाह					
2	खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	2,71,641.75	23,490.24	2,56,504.76	22,375.80
	(i) स्थिर जमा राशियां	73,478.75	3,673.94	65,493.52	3,274.68
	(ii) घटाई गई स्थिर जमा राशियां	1,98,163.00	19,816.30	1,91,011.24	19,101.12
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	77,683.92	39,110.65	93,799.91	46,891.01
	(i) परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

वार्षिक एलसीआर प्रकटन - लेखापरीक्षित					
		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2018-19	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	(ii) गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	77,683.92	39,110.65	93,799.91	46,891.01
	(iii) बेजमानती ऋण				
4	जमानती थोक निधियां	2,053.63	18.28	3,025.60	696.68
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	35,949.66	6,187.03	25,866.39	3,092.88
	(i) डेरीवेटिव एक्सपोज़र एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.07	0.07	70.89	70.89
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	35,949.59	6,186.96	25,795.50	3,021.99
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	2,302.24	2,302.24	3,158.25	3,158.25
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	36,172.42	1,085.32	42,197.40	1,265.99
8	**कुल नकदी बहिर्प्रवाह**	4,25,803.61	72,193.76	4,24,552.31	77,480.62
नकदी अंतर्प्रवाह					
9	जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	5,434.75	0.00	2,952.84	0.00
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह	2,731.18	2,731.18	3,622.77	3,622.77
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	9,257.43	6,595.25	14,465.45	10,214.13
12	**कुल नकद अंतर्प्रवाह**	**17,423.36**	**9,326.43**	**21,041.07**	**13,836.90**
		कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**	
13	**कुल एचक्यूएलए**	**1,16,567.89**		**81,945.45**	
14	**कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह**	**62,867.33**		**63,643.71**	
15	**तरलता कवरेज अनुपात (%)**	**185.42%**		**128.76%**	

5. अचल आस्तियां:

ए) बैंक द्वारा धारित ₹1.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.98 करोड़) की ह्रासित मूल्य की 1 (पिछले वर्ष 2) अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है.

बी) भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 एवं 30.11.2007 को किया गया था, जिसे 31.03.2020 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों में हुई मूल्य वृद्धि अर्थात दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹456.59 करोड़ और 30.11.2007 के अनुसार ₹1290.68 करोड़ एवं 31.03.2020 के अनुसार ₹1044.81 की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है. एएस-10 (संशोधित) के अनुसार पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से डेबिट किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व घटकर 105.47 करोड़ हो गया.

6. धोखाधड़ी का पता लगाये गये/ रिपोर्ट किये गये मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	पता लगाये गये धोखाधड़ी मामलों की संख्या	ऐसी धोखाधड़ी में अंतर्निहित राशि	31/03/2020 तक बकाया राशि	31/03/2020 तक किया गया प्रावधान	31/03/2020 तक अपरिशोधित प्रावधान
योग	415	9196.98	8595.02	6322.38	2272.65

7. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/ बैंक लेनदेनों का मिलान

(i) विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/ मिलान प्राप्त कर लिया गया है/ किया गया है.

(ii) उचंत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/ कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है.

(iii) उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा.

8. भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है. दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही का नवीनतम प्रोफार्मा वित्तीयन 18 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था. तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र आरबीआई/2018-19/146.डीबीआर.बीपी. बीसी.नं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के आधार पर आईएनडी-एएस कार्यान्वयन को आगे की सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

9. कॉर्पोरेट कर निर्धारण :

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है. लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है. समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है.

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो. वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/ देयताओं की समीक्षा की जाती है.

10. निवेश

i. ''परिपक्वतता तक धारित'' श्रेणी की प्रतिभूतियों से हुई बिक्री से अर्जित लाभ ₹575.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹71.60 करोड़) को प्रारम्भ में लाभ और हानि खाते में ले लिया गया.

ii. ''परिपक्वतता तक धारित'' श्रेणी के संदर्भ में, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति क्रमांक 4 (ii)(ए) में कहा गया है, वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत की आधिक्य राशि ₹291.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹238.47 करोड़) को परिशोधित किया गया है.

iii. शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों व इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयों/ उद्यम पूंजी कोष में किया गया कुल निवेश व शेयरों के सापेक्ष कुल अग्रिम ₹1,869.08 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1,682.61 करोड़ था).

11. पर्यावरण नियंत्रण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ''विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति'' नामक नीति विद्यमान है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और पिछली बार 25.02.2020 को बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी. इस नीति के जरिए, बैंक पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी बहाली के प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक द्वारा विद्युत संरक्षण, पैकेज्ड पेयजल हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न करने, कर्मचारी वचनबद्धता गतिविधियां आदि जैसे हरित पहल संबंधी अनेक उपाय किए गए हैं.

12. चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है एवं लेखा नीति (एएस-5 के अनुसार) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार).

13. जहां-कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकडो को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बिरूपाक्ष मिश्र)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरूण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के. कदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम.)
निदेशक

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036

(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684) (स्थान : मुंबई)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057

(संदीप डी. वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576) (स्थान : पुणे)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W

(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998) (स्थान : अहमदाबाद)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035

(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215) (स्थान : मुंबई)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025

(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975) (स्थान : कोलकाता)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून, 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	कर से पहले निवल लाभ	(4,02,762)	(3,92,666)
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	41,126	36,804
	निवेशों के लिए प्रावधान	37,653	654
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	11,81,418	11,43,540
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	48,499	(24,317)
	स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	90,261	13,695
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	5,805	913
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	394	(297)
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	58,220	1,07,501
	एसोसिएट में लाभ का शेयर	(81)	(0)
	उप योग	**10,60,532**	**8,85,827**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	34,75,318	7,41,364
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	73,449	57,488
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(26,38,769)	(2,22,813)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(29,91,467)	(19,25,091)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	1,34,860	(1,68,181)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	1,31,890	(93,188)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**(7,54,186)**	**(7,24,594)**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(38,587)	(30,981)
	अचल आस्तियों की बिक्री के आगम	1,507	1,758
	सहायक कंपनियों में निवेश में (वृद्धि)/कमी	(35,610)	(7,084)
	संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त लाभांश	81	0
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**(72,609)**	**(36,307)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	11,75,601	4,67,397
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	0	0
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(1,20,000)	(1,54,000)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	10,82,243	(1,27,695)
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,05,025)	(64,324)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**20,32,819**	**1,21,378**
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	**12,06,025**	**(6,39,523)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**43,04,597**	**49,44,120**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**55,10,622**	**43,04,597**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	20,79,646	21,01,647
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	22,24,951	28,42,473
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**43,04,597**	**49,44,120**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	20,11,830	20,79,646
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	34,98,792	22,24,951
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**55,10,622**	**43,04,597**

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

(बिरूपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 'नकदीप्रवाह विवरण' के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 23 जून, 2020 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं.

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W-100036

(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य सं.101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W/W-100057

(संदीप डी वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य सं.044576)

कृते आर एस पटेल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W

(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य सं.101998)

कृते एम जी बी एंड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W/W-100035

(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य सं. 048215)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 301011E/E300025

(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक: 23 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक'), एवं इसकी सहायक कंपनियों (मूल संस्था एवं उसकी कंपनियों को साथ में 'समूह' के रूप में संदर्भित), उसके एसोसिएट्स एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था सहित समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 का समेकित तुलन पत्र तथा समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, महत्वपूर्ण खाता नीतियों के सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद से समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित) शामिल है.

2. हमारी राय व सर्वोतम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों, एक एसोसिएट के पृथक वित्तीय विवरणों एवं नीचे अनुच्छेद 9 में संदर्भित मामले के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरण में बैंक के संबंध में आवश्यक जानकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अपेक्षानुसार है और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और :

   ए. यथा 31 मार्च, 2020 को समूह के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;

   बी. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में हानि की वास्तविक राशि; एवं

   सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

अभिमत का आधार :

3. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक शामिल हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('धारा') की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('भारिबैं') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों और हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

मामलों का प्रभाव

4. ए. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 15 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 महामारी, बैंक के परिचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित है.

   बी. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 7.2 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक में वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण के खातों के विचलन पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु प्रावधानों के सामंजस्य के प्रभाव के विषय में वर्णन किया गया है.

   इन मामलों में हमारे सुझाव में कोई संशोधन नहीं है.

मुख्य लेखा परीक्षा मामले :

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में सारांश को किस तरह बताया गया
1.	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण**	
	बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के प्रभावी कामकाज तथा सीबीएस से जुड़े अन्य आईटी प्रणालियों या स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर अत्यधिक निर्भर है. लेनदेन की व्यापक	हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना

	मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप में संसाधित किया जाता है तथा वहां एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएँ तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन एवं डाटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके. हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है: • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण; • अग्रिम संविभाग पर प्रावधान; • विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप • उचंत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान • निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग • जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय;	शामिल है. हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में शामिल है: • यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है ; • क्षेत्रों में कर्मियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ; • अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया; • सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गई; • बाह्य विक्रेता जांच रिपोर्ट, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, पर अभिमत
2.	**विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान**	
	यथा 31 मार्च, 2020 को ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश कुल आस्तियों का 84.95% आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है. हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है.	हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है. हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल है. इनमें शामिल है: • हमने आय का निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों/निवेशों से संबंधित प्रासंगिक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया एवं उसे समझा है. • गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण; • आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; • अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली

		• हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया. • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है. • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है. • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं तथा जो एक लेखा परीक्षक का कार्य करते हुए एसए 620 के अनुसार बैंक को सेवाएं प्रदान करते हैं, हमने उनके कार्यों की समीक्षा की है. • इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. • हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है. • अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन.
3.	**आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना**	
	बैंक ने 31 मार्च, 2020 को 7,35,68,800 ('000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित इंटरनल की कंट्रोल एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्य निष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है: • आय पर एएस 22- "करों के लिए लेखांकन" के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन. • एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया. • लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा.

4.	**कोविड-19 महामारी**	
	कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर संशोधित लेखापरीक्षा की गयी. हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने तथा जहां भौतिक रूप में पहुँच संभव नहीं थी, बैंक की निश्चित शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालय/ कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल के परिसर जाकर लेखापरीखा संचालित नहीं की सकती थी, वहाँ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सुदूर लेखापरीक्षा आयोजित की गई. जैसा कि हम व्यक्ति/ भौतिक रूप में/ चर्चा के द्वारा लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य नहीं जूटा सकते थे, तथा शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत नहीं कर सकते थे, हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा प्रावधानों कि प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है. तदनुसार, सुदूर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रावधानों में सशोधन किया गया.	कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारत सरकार/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने से बैंक की संबंधित शाखाओं/ क्षेत्रीय एवं अंचल कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के वर्टिकल के परिसर में यात्रा करके, भौतिक रूप में पहुँचकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया संभव नहीं हो की अवधि के दौरान केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, अत: हम शाखाओं/ अंचलों/ वर्टिकल कार्यालयों में जा नहीं सकते और संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से लेखापरीक्षा नहीं कर सकी. जहाँ भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ बैंक के द्वारा बैंक के निर्दिष्ट ऑडिट पोर्टल सहित डिजिटल माध्यम, ई-मेल एवं सीबीएस के सुदूर पहुँच तथा लेखाबंदी पैकेज से आवश्यक रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेज/ प्रमाणपत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे. इस तरह, हमें ऐसे उपलब्ध कराए गए दस्तावेज, रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड जोकि लेखापरीक्षा आयोजित करने तथा चालू अवधि कि रिपोर्टिंग के लिए मान्य लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया आयोजित की गयी थी. तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रावधानों में (नियामक तथा आईसीएआई एड्वाइजरी पर आधारित) निम्नानुसार संशोधन किए हैं: • कुछ शाखाओं/ क्षेत्रों/ अंचलों/ वर्टिकल्स/ कॉर्पोरेट कार्यालय एवं बैंक के अन्य कार्यालय, जहाँ भौतिक रूप से पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ आवश्यक रिकॉर्ड/दस्तावेज/सीबीएस / लेखाबंदी पैकेज एवं अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन सुदूर पहुँच इलेक्ट्रोनिक/ ई-मेल से सत्यापन किया गया है. • दस्तावेज, विलेख, प्रमाणपत्र, शाखाओं के विवरण की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया गया तथा संबंधित रिकॉर्ड हमें ई-मेल बैंक के सुरक्षित नेटवर्क सुदूर पहुँच से उपलब्ध कराए गए है. • वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत एवं फोन पर चर्चा/कान्फ्रेंस कॉल, ई-मेल तथा इसी तरह के संचार माध्यमों से पूछताछ की गई तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाए गए है. • पदनामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने चर्चा करने की बजाय टेलीफोन/ई-मेल के माध्यम से हमारा लेखापरीक्षा निरीक्षण समाधान हुआ.

अन्य सूचना:

5. बैंक के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. सूचनाओं में मुख्य वित्तीय संकेतक, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और जोखिम प्रबंधन में सूचनाएं शामिल है, परंतु समेकित वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं एक नए पूंजी पर्याप्तता प्रारूप (बासल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत पिल्लर III प्रकटीकरण शामिल नहीं है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं प्रकट करते.

समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं, ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गई है.

जब हम अन्य सूचनाओं का अध्ययन करें और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के आरोपित मामलों पर सूचित करना आवश्यक है एवं परिस्थितियों तथा प्रचलित कानून एवं विनियमों के साथ उचित कार्रवाई अपेक्षित है.

प्रबंधन की जिम्मेदारियों एवं वे जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस द्वारा प्रभारित हैं

6. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारियों के संबंध में जिम्मेदार हैं जो समेकित वित्तीय स्थिति के सत्य एवं निष्पक्ष विचार देते हैं, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड हैं, एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देशों शामिल हैं. इस जिम्मेदारी में समूह की आस्तियों के बचाव के लिए जो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमियतताओं को पहचानने एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे व धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 21 - "समेकित वित्तीय विवरण", एएस 23 -"एसोसिएटस में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का लेखांकन" एवं एएस 27 - "संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी किए गए हैं.

समेकित विवरण परिणामों को तैयार करने में, समूह संस्था के संबंधित बोर्ड के निदेशक भी संबंधित समूह संस्था की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार पर प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो समूह संस्था का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं होता पर ये करना ही होता है.

समूह संस्थाओं के वे बोर्ड निदेशक संबंधित समूह संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए भी जिम्मेवार होंगे.

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

- समेकित वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो कि सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो परंतु बैंक के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु नहीं हो.
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.
- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए समूह की समार्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अबतक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है.
- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, एकल वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या एकल वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें.

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक मत के लिए समूह में शामिल इकाइयों या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में उपयुक्त लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें. हम ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से समेकित वित्तीय विवरणों में हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य इकाइयों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं. हम अपनी लेखा परीक्षण मत के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं.

वास्तविकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, संभावित बनाता है कि वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित किया जा सकता है. हम परिणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

हम ऐसी संस्थाओं के संचालन हेतु उनसे संप्रेषण करते हैं जिनमें समेकित वित्तीय विवरण शामिल है, जिनके बारे में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. अन्य मामलों के अलावा अन्य मामलों में, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों सहित हम लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

हम गवर्नेस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

गवर्नेस से प्रभावित संपोषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो.

अन्य मामले:

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 3 सहायक कंपनियां एवं एक संयुक्त उपक्रम, जिनके वित्तीय विवरणों से यथा 31 मार्च, 2020 को कुल संपत्ति ₹5,99,49,023 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹82,91,880 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्ति वर्ष पर शुद्ध नकदी इनफ्लोज राशि ₹2,54,700 (हजार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मत अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है.

एक एसोसिएट के समेकित वित्तीय विवरण ₹8,00,591 (हजार में) में कर के पश्चात समूह की हानि का शेयर भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उसके वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किया गया है एवं समेकित वित्तीय विवरण में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मत उस एसोसिएट कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर पूर्णत; आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण समूह के महत्व लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, को अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो समूह के समय के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है.

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें एवं प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित वित्तीय विवरण अशोधित नहीं है.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन उपर्युक्त पैराग्राफ 8 और 9 में इंगित किया गया है और यह भी उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण सीमाओं के अधीन है एवं जैसा कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 30 की उपधारा 3 में अपेक्षित है, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

    ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

    बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा

    सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमरी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101961W/ W-100036

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 105215W/ W-100057

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 107758W

मनीष संपत
भागीदार
सदस्य. सं. 101684

संदीप डी वेलिंग
भागीदार
सदस्य. सं.044576

राजन बी शाह
भागीदार
सदस्य. सं. 101998

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101169W/ W-100035

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 301011E/E300025

संजय कोठारी
भागीदार
सदस्य सं.048215

आनंद चतरथ
भागीदार
सदस्य सं. 052975

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 जून, 2020

31 मार्च 2020 का समेकित तुलन पत्र

(₹ 000 में)

	अनुसूची सं.	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**3,42,28,189**	1,76,30,163
सहायक कंपनी द्वारा जारी किए गए अधिमानी शेयर पूंजी	1ए	**10,40,035**	10,40,035
शेयर आवेदन राशि	1बी	**-**	-
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**30,46,25,800**	24,96,86,320
अल्पमत हित	2ए	**-**	-
जमाराशियां	3	**4,52,43,61,458**	4,17,50,48,090
उधार	4	**52,71,40,581**	43,27,55,957
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**16,36,94,456**	10,96,44,782
कुल		**5,55,50,90,519**	4,98,58,05,347
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष	6	**20,11,89,238**	20,80,03,964
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	**35,12,98,743**	22,36,26,807
निवेश	8	**1,54,25,14,860**	1,28,39,12,095
अग्रिम	9	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041
अचल आस्तियां	10	**4,77,54,993**	3,77,44,558
अन्य आस्तियां	11	**23,55,58,383**	24,47,16,882
कुल		**5,55,50,90,519**	4,98,58,05,347
आकस्मिक देयताएं	12	**1,89,11,29,374**	1,99,23,22,620
संग्रहण के लिए बिल		**21,68,26,909**	19,44,12,306
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियां समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बिरूपाक्ष मिश्र)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरूण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के. कदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम.)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684) (स्थान : मुंबई)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057
(संदीप डी. वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576) (स्थान : पुणे)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998) (स्थान : अहमदाबाद)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215) (स्थान : मुंबई)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025
(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975) (स्थान : कोलकाता)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि खाता

(₹ 000 में)

		अनुसूची सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	**37,47,92,188**	34,31,36,675
	अर्जित ब्याज	14	**5,78,92,725**	5,04,17,077
	कुल		**43,26,84,913**	39,35,53,752
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	**25,83,68,112**	23,89,60,929
	परिचालन व्यय	16	**8,18,78,753**	7,85,61,749
	प्रावधान एंव आकस्मिक व्यय		**12,28,46,342**	10,53,65,154
	कुल		**46,30,93,208**	42,28,87,832
III.	**सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ / (हानि)**		**(3,04,08,295)**	(2,93,34,080)
	जोड़ें: सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) का अंश		**(8,00,591)**	1,10,586
	पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ / (हानि)		**(3,12,08,886)**	(2,92,23,494)
	अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से (घटाएँ): अल्पमत हित		**-**	-
	वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ / (निवल हानि)		**(3,12,08,886)**	(2,92,23,494)
	जोंड़ें: आगे लाया गया लाभ / (हानि)		**(8,40,02,080)**	(5,40,61,797)
	विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**(11,52,10,966)**	(8,32,85,291)
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित में अंतरण		**-**	-
	पूंजी आरक्षित में अंतरण		**37,46,900**	4,65,801
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		**(22,22,996)**	2,50,988
	लाभांश कर			
	विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम 1961, की धारा 36(I)(viii)]		**-**	-
	लाभ और हानि लेखे में शेष		**(11,67,34,870)**	(8,40,02,080)
	कुल		**(11,52,10,966)**	(8,32,85,291)
	प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य ₹10)	18 (13)	**(13.45)**	(24.87)
	प्रमुख लेखा नीतियां	17		
	खातों से संबंधित नोटस	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बिरूपाक्ष मिश्र)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरूण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के. कदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम.)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684) (स्थान : मुंबई)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057
(संदीप डी. वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576) (स्थान : पुणे)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998) (स्थान : अहमदाबाद)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215) (स्थान : मुंबई)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025
(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975) (स्थान : कोलकाता)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून, 2020

31 मार्च, 2020 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

			यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 1 - पूंजी :					
I.	**प्राधिकृत:**				
	₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर)		**3,00,00,000**		3,00,00,000
II.	**निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :**				
	i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 2,96,92,79,777 इक्विटी शेयर, भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 130,94,77,239 इक्विटी शेयर)		**2,96,92,798**		1,30,94,772
	ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 2,96,92,79,777 इक्विटी शेयर, जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 4,53,53,90,75 इक्विटी शेयर)		**45,35,391**		45,35,391
	कुल		**3,42,28,189**		1,76,30,163
अनुसूची 1ए - सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर पूंजी:					
	17 मई, 2018 को दाई-ईची लाइफ हॉलडिंग इंक को 20 वर्षो की अवधि के लिए प्रति ₹10 (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा जारी) के 10,40,03,544 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर-मोचनीय अधिमानित शेयर		**10,40,035**		10,40,035
	कुल		**10,40,035**		10,40,035
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :					
I.	**सांविधिक आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6,67,06,110**		6,67,06,110	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**	**6,67,06,110**	-	6,67,06,110
II.	**ए) पूंजी आरक्षित:**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**1,28,49,561**		1,23,83,760	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**37,46,900**	**1,65,96,461**	4,65,801	1,28,49,561
III.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**2,23,48,099**		2,34,18,775	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,04,48,077**		-	
	वर्ष के दौरान कमी	**10,54,713**	**3,17,41,463**	10,70,676	2,23,48,099
IV.	**शेयर प्रीमियम :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**15,18,14,744**		11,07,36,572	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**10,10,81,975**		4,11,53,104	
	वर्ष के दौरान कमी	**1,19,871**	**25,27,76,848**	74,932	15,18,14,744
V.	**राजस्व आरक्षित :**				
	i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4,95,62,378**		5,14,63,438	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**65,913**		17,83,612	
	वर्ष के दौरान कमी	**2,64,07,222**		36,84,672	
		2,32,21,068		4,95,62,378	
	ii) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**2,87,50,000**		2,87,50,000	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**		-	
		2,87,50,000		2,87,50,000	

31 मार्च, 2020 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**16,57,508**		14,35,492	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**7,88,869**		3,89,442	
वर्ष के दौरान कमी	**8,77,657**		1,67,426	
कुल	**15,68,720**	**5,35,39,788**	16,57,508	7,99,69,886
VI. लाभ-हानि खाते में शेष		**(11,67,34,870)**		(8,40,02,080)
कुल		**30,46,25,800**		24,96,86,320
अनुसूची 2ए - अल्पमत हिस्सेदारी:				
प्रारंभिक शेष			-	-
जोड़े/(घटाएं) :- वर्ष के दौरान वृद्धि/(घटाएं)			-	-
कुल अल्पमत हिस्सेदारी			-	-
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	**40,29,164**		48,93,222	
ii) अन्य से	**26,08,99,292**	**26,49,28,456**	26,08,18,398	26,57,11,620
II. बचत बैंक जमाराशियां		**1,33,97,54,267**		1,23,63,78,180
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	**5,50,64,197**		4,93,85,326	
ii) अन्य से	**2,86,46,14,537**	**2,91,96,78,734**	2,62,35,72,964	2,67,29,58,290
कुल		**4,52,43,61,458**		4,17,50,48,090
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**4,46,98,15,910**		4,13,05,46,355
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**5,45,45,549**		4,45,01,735
कुल		**4,52,43,61,459**		4,17,50,48,090
अनुसूची 4 - उधार :				
ए. उधार : पूंजी लिखत				
I. शाश्वत बॉण्ड	**4,00,00,000**		4,19,96,235	
II. अपर टियर II बॉण्ड	**50,00,000**		1,50,00,000	
III. टियर II बॉण्ड	**5,55,00,000**	**10,05,00,000**	5,55,00,000	11,24,96,235
बी. भारत में उधार				
i. भारत रिज़र्व बैंक	**-**		9,00,00,000	
ii. अन्य बैंकों से	**2,01,26,890**		-	
iii. अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियां	**20,25,29,807**	**22,26,56,697**	4,37,24,431	13,37,24,431
सी. भारत से बाहर उधार		**20,39,83,884**		18,65,35,291
कुल		**52,71,40,581**		43,27,55,957
उपर्युक्त (बी) (i) में सम्मिलित प्रतिभूति उधार		**16,98,30,000**		9,00,00,000

31 मार्च, 2020 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	**90,91,800**	1,17,12,584
II. उपचित ब्याज	**1,87,68,475**	1,76,87,750
III. अन्य (प्रावधान सहित)	**13,58,34,180**	8,02,44,448
कुल	**16,36,94,456**	10,96,44,782
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष		
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	**2,00,49,833**	1,25,09,278
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में	**18,11,39,405**	19,54,94,686
कुल	**20,11,89,238**	20,80,03,964
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
I) भारत में		
i) बैंकों में जमा शेष		
ए) चालू खातों में	**18,05,138**	8,41,356
बी) अन्य जमा खातों में	**8,18,56,025**	6,96,10,177
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों से	**30,00,000**	7,52,49,276
ख) अन्य संस्थाओं से	**20,00,00,000**	-
	28,66,61,163	14,57,00,809
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	**32,71,268**	24,37,621
ii) अन्य जमा खातो में	**6,13,66,312**	7,54,88,377
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**-**	-
	6,46,37,580	7,79,25,998
कुल	**35,12,98,743**	22,36,26,807
अनुसूची 8 - निवेश :		
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	**1,06,39,73,894**	95,14,01,238
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	**33,24,311**	29,13,256
iii) शेयरों में	**1,50,40,400**	1,83,96,592
iv) डिबेंचरों एवं बांण्डों में	**34,96,85,608**	23,36,80,999
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों / एसोसिएट में	**13,33,044**	21,33,636
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीद आदि में)	**8,66,98,811**	5,06,38,028
कुल	**1,52,00,56,068**	1,25,91,63,749
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	**1,97,96,374**	1,84,14,343
ii) शेयरों में	**4,032**	4,032
iii) अन्य निवेशों में (बांण्डों में)	**26,58,385**	63,29,971
iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	**-**	**-**
कुल	**2,24,58,791**	2,47,48,346
कुल	**1,54,25,14,859**	1,28,39,12,095

31 मार्च, 2020 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

			यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
III.	**भारत में निवेश**			
	सकल मूल्य		**1,54,45,60,320**	1,28,27,83,425
	घटाएं : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**2,45,04,251**	2,36,19,676
	भारत में निवेश का निवल मूल्य		**1,52,00,56,069**	1,25,91,63,749
IV.	**भारत से बाहर निवेश**			
	सकल मूल्य		**2,24,72,971**	2,48,10,756
	घटाएँ : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		**14,180**	62,410
	भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य		**2,24,58,791**	2,47,48,346
		कुल	**1,54,25,14,860**	1,28,39,12,095
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)				
I	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	**2,77,71,181**	4,47,52,240
	ii)	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	**1,43,15,38,030**	1,31,36,34,224
	iii)	मीयादी ऋण	**1,71,74,65,092**	1,62,94,14,577
		कुल	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041
II	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिम सहित)	**2,66,12,07,087**	2,57,76,13,096
	ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	**10,79,52,661**	13,46,07,182
	iii)	अप्रतिभूत	**40,76,14,554**	27,55,80,763
		कुल	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041
ए.	**भारत में अग्रिम**			
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**1,14,41,37,430**	1,15,60,83,212
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	**46,20,71,183**	28,92,46,543
	iii)	बैंक	**36,40,361**	1,90,01,837
	iv)	अन्य	**1,34,72,57,818**	1,36,18,56,830
		कुल	**2,95,71,06,792**	2,82,61,88,422
बी.	**भारत के बाहर अग्रिम**			
	i)	बैंकों से प्राप्य	**5,02,64,366**	2,41,18,998
	ii)	अन्य से प्राप्य	**-**	-
ए)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल		**30,46,970**	69,12,500
बी)	सिंडीकेटेड ऋण		**1,78,35,410**	22,66,668
ग)	अन्य		**14,85,20,764**	12,83,14,453
		कुल	**21,96,67,510**	16,16,12,619
		कुल	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041

31 मार्च, 2020 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां				
ए. मूर्त आस्तियां				
I. परिसर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**3,87,33,046**		3,83,91,626	
वर्ष के दौरान वृद्धि (पुनर्मूल्यांकन सहित)	**1,05,09,663**		4,00,960	
वर्ष के दौरान कमी	**54,782**		59,540	
	4,91,87,927		3,87,33,046	
घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**1,25,38,799**	**3,66,49,128**	1,10,87,147	2,76,45,899
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**4,41,727**		3,40,815	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,73,445**		2,86,702	
वर्ष के दौरान कमी	**72,057**	**5,43,115**	1,85,790	4,41,727
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**6,95,419**		6,95,313	
वर्ष के दौरान वृद्धि (पुनर्मूल्यांकन सहित)	**72,931**		106	
वर्ष के दौरान कमी	**26,092**		-	
	7,42,258		6,95,419	
घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**69,969**	**6,72,289**	62,192	6,33,227
IV. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स सहित)				
ए) पट्टे पर दी गयी आस्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**2,65,352**		2,65,352	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**		-	
वर्ष के दौरान कमी	**-**		-	
	2,65,352		2,65,352	
घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**2,65,352**	**-**	2,65,352	-
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**2,81,49,974**		2,61,63,736	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**28,94,675**		23,82,689	
वर्ष के दौरान कमी	**4,12,490**		3,96,451	
	3,06,32,159		2,81,49,974	
घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**2,14,26,833**	**92,05,326**	1,94,54,804	86,95,170
बी. अमूर्त आस्तियां				
i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**27,87,339**		25,20,414	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**8,07,761**		2,69,796	
वर्ष के दौरान कमी	**5,312**		2,871	
	35,89,788		27,87,339	
आज की तारीख तक परिशोधित	**29,04,654**	**6,85,135**	24,58,804	3,28,535
कुल		**4,77,54,993**		3,77,44,558

31 मार्च, 2020 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :			
I.	अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	**1,51,98,653**	1,12,10,982
II.	उपचित ब्याज	**2,60,94,473**	2,50,57,040
III.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	**7,35,68,800**	5,18,92,547
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टांप	**37,137**	37,293
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	**390**	390
VI.	अन्य	**10,54,20,089**	12,39,33,737
VII.	सोत पर प्रदत कर/कर की कटौती (निवल प्रावधान)	**1,51,13,899**	3,24,59,951
VIII.	समेकन के काराण गुड विल	**1,24,942**	1,24,942
	कुल	**23,55,58,383**	24,47,16,882
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं :			
I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	**3,27,51,216**	3,10,51,486
II.	अंशतों प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	**5,920**	5,920
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	**1,07,31,67,076**	1,21,33,87,376
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी गारंटी		
	i) भारत में	**28,37,44,747**	35,77,58,253
	ii) भारत से बाहर	**12,75,88,034**	62,16,444
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	**32,11,51,392**	33,45,46,514
VI.	संभाव्य देयताओं की अन्य मदें	**20,550**	28,78,539
VII.	अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	**3,93,03,240**	3,50,15,988
VIII.	डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	**1,33,97,200**	1,14,62,100
	कुल	**1,89,11,29,374**	1,99,23,22,620
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :			
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	**25,15,29,336**	23,86,85,708
II.	निवेशों से आय	**10,73,57,712**	9,14,87,668
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	**1,20,56,370**	1,20,62,072
IV.	अन्य	**38,48,771**	9,01,227
	कुल	**37,47,92,188**	34,31,36,675
अनुसूची 14 - अन्य आय :			
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	**54,57,357**	58,13,676
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	**1,42,00,368**	64,04,735
III.	स्थायी आस्तियों के बिक्री से लाभ/(हानि) - (निवल)	**(39,448)**	29,650
IV.	विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल)	**55,70,186**	56,49,040
V.	विविध आय	**3,27,04,262**	3,25,19,976
	कुल	**5,78,92,725**	5,04,17,077

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एंव हानि खांतो के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :			
I.	जमाराशियों पर ब्याज	**24,04,91,500**	22,10,04,369
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	**84,40,287**	88,06,906
III.	अन्य	**94,36,324**	91,49,654
	कुल	**25,83,68,112**	23,89,60,929
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :			
I.	कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**3,46,38,509**	3,23,72,266
II.	किराया, कर और बिजली	**62,89,256**	61,39,982
III.	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**5,11,944**	5,43,293
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	**6,68,012**	6,12,089
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास	**41,71,977**	37,38,197
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	**46,646**	41,781
VII.	प्रबंध/कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक	**11,410**	10,589
VIII.	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**4,11,311**	4,99,558
IX.	विधि प्रभार	**6,90,230**	5,59,406
X.	डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	**15,76,962**	12,36,173
XI.	मरम्मत एवं रखरखाव	**12,68,087**	12,58,143
XII.	बीमा	**56,09,563**	41,99,079
XIII.	अन्य व्यय	**2,59,84,845**	2,73,51,193
	कुल	**8,18,78,753**	7,85,61,749

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1 प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं. इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन एएस तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धत्ति के सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से पहचाना जाता है.

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3. समेकन का आधार

ए) बैंक की तीन सहायक कंपनियां मैसर्स यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम, मेसर्स स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड और एक सहयोगी मेसर्स काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक है. समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

2) **सहायक कंपनियों का समेकन :** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों के पंक्ति पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे.

3) **एसोसिएट्स का समेकन:** एसोसिएट में निवेश भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन के आधार पर लेखांकित किया गया है.

4) **संयुक्त उपक्रम का समेकन:** भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन- 27'' के अनुसार संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का आनुपातिक समेकन किया गया है.

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुई.

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो के रुप में पहचाना गया है.

डी) समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:

i) सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि

ii) मूल सहायक कंपनी का संबंध अस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी.

iii) अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुकसानों में अच्छा कर सकता है.

4 राजस्व निर्धारण

ए) बैंकिंग निकाय

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों (एसडीवी) का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

iv) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री

बी) गैर - बैंकिंग संस्था

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (सेवा कर/जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रुप में मान्य है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रुप में मान्य है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रुप में लिया जाता है. इस प्रकार की पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां कालातीत हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा के रुप में परिवर्तित हुआ है.

ii) लिंक्ड फंड से आय

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड कोष से वसूल किया गया है.

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, तो शामिल है. मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है. (लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण को, जब एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर तब संबंधित योजना में गणना की जाती है). दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावें हैं.

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है.

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता अस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है.

आस्ति प्रबंधन

i) निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है.

iii) ब्याज उपचित आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है

iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

5 निवेश

i) वर्गीकरण

बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप "ए" की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बॉन्ड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) **मूल्यांकन का आधार**

मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

ए) "एचटीएम" में निवेश की गई प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

ई) "एएफएस" व "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, यदि हो तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि 6 (ए) अनदेखा किया गया है.

एफ) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिदेशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर रु.1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/बॉन्ड्स	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, ह्रास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.
- यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

सी) विक्रय के लिये उपलब्ध ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा ''निपटान तारीख'' का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

ii) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को ''अन्य देयताओं और प्रावधानों'' में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है.

8. स्थायी आस्तियां एवं मूल्यह्रास एवं परिशोधन

i) स्थायी आस्तियों को, मूल्यह्रास और क्षतियों की राशि यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. खर्च में खरीदी की लागत और सभी व्यय जैसे साइट तैयारी करने तथा इन्स्टॉलेशन लागत और अस्ति के लिए तैयार होने से पूर्व व्यय किए गए पेशेवर शुल्क को शामिल किया गया है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है.

01.04.2017 से प्रभावी संशोधित लेखांकन मानक 10- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया गया है एवं लाभ व हानि खाते के माध्यम से नहीं.

ii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है:

	आस्ति का प्रकार	मूल्यह्रास की दर
I.	परिसर	**5%**
II.	अन्य स्थायी आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	**10%**
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि	**15%**
	- परिवहन वाहन	**20%**
	- यू पी एस. उपकरण	**33.33%**
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

iii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूँजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है. कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर पर ह्रास कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है जिस पर भरिबै के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया गया है.

iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है.

v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

vii) पट्टे पर ली गई अस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

viii) देश के बाहर स्थित स्थायी आस्तियों एवं सहायक कंपनी/एसोसियेट्स की स्थायी सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यह्रास लगाया गया है.

9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर,

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत की वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइक्लिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी जाती हैं.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमश: फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग ''विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व'' खाते में रखा जाता है.

12. कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (डीसीपीएस) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

ii. **निर्धारित लाभ योजना:**

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

13. खंड-वार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है. कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

13.1 ट्रेजरी परिचालन,

13.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

13.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और

13.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

14. लीज़ संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है.

15. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत 7 (ए) में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है.

16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक उचित निश्चितता न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल आभासी निश्चितता होने पर मान्यता दी जाती है.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणित हो सकती है.

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1 बैंक (पैरेंट) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के विवरण वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2020 को बैंक (पैरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि.	यूनाईटेड किंगडम	100%

2 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

संयुक्त उपक्रम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	25.10%

3 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	भारत	35%

31 मार्च, 2020 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹1272.75 करोड़ रहा, जिसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में माना गया है.

4 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका समेकन के लिये उपयोग किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च 2020, तक के हैं.

5 31.03.2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कं. प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड और काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं.

6 निरंतर आधार पर उचंत खातों, सुदृढ़ जमाराशि, समाशोधन समायोजन, बैंक समामेलन वक्तव्य और विभिन्न अंतर-शाखा / कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है.

उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है.

7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

7.1 ए. पूंजी

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिये निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 31 मार्च, 2020 तक बासल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं. दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2020 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 8.00% (2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/188 डीओआर.बीपी.बीसी.नं. 45/21.06.201/2019-20 दिनांक मार्च 27, 2020 के माध्यम से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625% के पिछले अंश को कार्यान्वयित करने में मार्च 31, 2020 से सितंबर 2020 तक की देरी के कारण उपरोक्त अनुपात की उपलब्धि के लिए इसे सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है.

संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

क्र.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) (%) बासल III	9.33	8.10
ii)	टीयर I पूंजी अनुपात (%) बासल III	10.67	9.56
iii)	टीयर II पूंजी अनुपात (%) बासल III	2.04	2.30
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III	12.71	11.86
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	86.75	74.27
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी : **(₹ करोड़ में)**	11767.99	4680.32
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी की राशि : **(₹ करोड़ में)**	शून्य	शून्य
viii)	उगाही गई टीयर-II पूंजी की राशि: **(₹ करोड़ में)**	शून्य	शून्य
	इसमें से डेब्ट केपिटल इंस्ट्रूमेंट : **(₹ करोड़ में)**	शून्य	शून्य

7.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप:	31.03.2020	31.03.2019
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	372.37	(404.37)
एनपीए के लिए प्रावधान	9462.39	11525.80
सामंजस्य के लिए प्रावधान (नीचे नोट का संदर्भ लें)	2509.98	-
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	508.09	138.26
आयकर/आस्थगित कर के लिये प्रावधान	(1110.39)	(999.75)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	4.16	410.91
- पुनर्संरचित अग्रिम	(16.76)	(356.06)
- अन्य	554.79	221.73
योग	**12284.63**	**10536.52**

नोट: भारत सरकार की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 जी.एस.आर.154 (ई) दिनांक मार्च 4, 2020 के अनुरुप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक का समामेलन अप्रैल 1, 2020 से लागू हुआ था. तदनुसार, बैंक ने विवेकपूर्ण उपाय के रुप में मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के बीच आस्ति वर्गीकरण में विचलन के प्रभाव के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक के लिए अपनी खाता बही को अनुरुप बनाने के लिए प्रावधानीकरण किया है. बैंक ने एक अतिरिक्त ₹2509.98 करोड़ की राशि का अनुकूलीकरण प्रावधान किया है तथा इसे कुल एनपीए प्रावधान में शामिल किया है.

7.3 काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफ़र / फ्लोटिंग प्रोविजन

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i)	प्रारंभिक शेष	293.20	293.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	शून्य	शून्य
iv)	**लेखाबंदी शेष**	**293.20**	**293.20**

8. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

(ए) अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी.

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित कर रहा है, जो एक निश्चित अंशदान योजना है, उन नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए है जो मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं. योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करते हैं. उक्त के बराबर बैंक भी अंशदान को इस योजना में शामिल करते हैं. संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रियाओं के पूरी न होने तक ये अंशदान बैंक के पास ही रहता है. बैंक उस वर्ष में ऐसे वार्षिक अंशदान की पहचान करता है जिससे वे संबंधित हैं. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) प्राप्त होने पर, समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को हस्तांतरित कर दी जाती है.

1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बैंक में परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास के द्वारा किया जाता है. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में 120.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 100.20 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है.

ii. निश्चित लाभ योजना:

उपादान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण निश्चित लाभ योजनाएं हैं. ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक -15 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर बनाए जाते हैं. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
i)	**परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दिखाने वाली तालिका:**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1,222.64	12,158.43	1,244.88	11,803.32
	ब्याज लागत	95.24	945.93	97.47	915.94
	चालू सेवा लागत	59.54	90.78	57.96	103.65
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि	86.88	(578.22)	3.20	(36.24)
	वित्तीय धारणा में यथोचित परिवर्तन बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि	25.87	938.90	7.91	125.22
	वर्ष के अंत में देयताएं	1,291.94	12,746.69	1,222.64	12,158.43
ii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,202.14	12,308.84	1,302.00	12,115.00
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	93.65	957.63	101.95	940.12
	अंशदान	114.25	74.59	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,219.01	12,607.16	1,202.14	12,308.84
	अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	112.75	360.68	11.11	88.98
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/(हानि)	105.55	285.45	24.14	81.80
iii)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान:**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	93.65	957.63	101.95	940.12
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	7.20	75.23	(13.03)	7.18
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	100.85	1032.86	88.92	947.30

	विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
v)	**आय विवरण में चिन्हित व्यय :**				
	वर्तमान सेवा लागत	59.54	90.78	57.96	103.65
	ब्याज लागत	1.59	(11.70)	(4.48)	(24.18)
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ				
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (अर्जन) या हानि	105.55	285.45	24.14	81.80
	लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय	166.68	364.53	77.62	161.27
vi)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	(20.50)	(150.41)	(57.12)	(311.68)
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	166.68	364.53	77.62	161.27
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	(114.25)	(74.59)	शून्य	शून्य
	तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिन्हित राशि	72.93	139.53	20.50	(150.41)
vii)	**अन्य विवरण :**				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है.				
	उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	37,323	13,839	37,267	15,154
	वेतन प्रति माह	193.54	89.29	113.20	91.04
	आगामी वर्ष के लिये अंशदान	144.39	213.65	80.04	शून्य
viii)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	64.14	198.34	74.78	203.33
	कॉर्पोरेट बांड/एफडीआर	88.78	1,004.11	132.71	1539.48
	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
	राज्य सरकार	161.47	995.87	166.50	735.89
	सम्पत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	35.33	322.26	107.32	1329.07
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	869.29	10,086.58	720.83	8501.07
	योग	1,219.01	12,607.16	1,202.14	12,308.84

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	उपदान योजना				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
वर्ष के अंत में देयता	1,291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72	1,110.33
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03	1,251.27
अंतर	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपदान योजना				
अनुभव समायोजन	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
योजना देयता पर (अर्जन)/हानि	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)	शून्य
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	7.20	(13.03)	10.64	42.42	29.80

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
वर्ष के अंत में देयताएं	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15	9,619.00
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89	9,525.70
अंतर	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)
पहचानी गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
योजनागत देयताएं (अर्जन)/हानि	938.90	125.22	(37.82)	793.17	1,399.16
योजनागत आस्तियों (हानि) /अर्जन	75.23	7.18	(21.39)	526.25	155.11

मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2019-20		2018-19	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन

पिछली छूट दर	7.79	7.78	7.83	7.76
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.79	7.78	7.83	7.76
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
वर्तमान छूट दर	6.84	6.79	7.79	7.78
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	6.84	6.79	7.79	7.78
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान पला एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

(सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

सं.	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	31.03.2020	31.03.2019
1	पेंशन	364.53	161.27
2	अवकाश नकदीकरण	(3.44)	(3.92)
3	अवकाश किराया रियायत	116.76	36.06
4	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

9. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

9.1. कारोबार क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2020	31.03.2019
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**		
1	ट्रेजरी परिचालन	14,211.20	11,440.18
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	11,272.83	11,128.91
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	16,628.94	15,401.50
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	688.87	646.77
5	गैर आबंटित	794.73	1,002.26
	कुल क्षेत्रवार राजस्व	**43,596.57**	**39,619.62**
	घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व	(328.08)	(264.24)
	परिचालन से आय	**43,268.49**	**39,355.38**
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम (अर्थात कर पूर्व लाभ/(हानि)**		
1	ट्रेजरी परिचालन	3,666.03	2,767.14
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	823.26	947.37
3	कार्पोरेट/थोक बैंकिंग (विशिष्ट मद के पूर्व)	(6,403.83)	(8,114.53)
	आगे: विशिष्ट मद	(2,509.98)	-

	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2020	31.03.2019
	कार्पोरेट/थोक बैंकिंग (विशिष्ट मद के बाद)	(8,913.81)	-
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	**378.74**	**285.87**
5	गैर आबंटित	(105.44)	180.99
	कर पूर्व कुल लाभ	**(4,151.22)**	**(3,933.16)**
(सी)	कर के बाद	(1,110.39)	(999.75)
(डी)	**कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि**	(3,040.83)	(2933.41)
	जोड़ा: एशोसियट में लाभ का शेयर		
	समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेजरी परिचालन	2,11,741.01	1,75,059.13
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,24,530.01	1,27,310.28
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	2,00,931.74	1,78,851.72
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित आस्तियां	18,306.29	17,359.41
	योग	**5,55,509.05**	**4,98,580.54**
(एफ)	**क्षेत्रवार देयताएं**		
1	ट्रेजरी परिचालन	2,01,928.03	1,68,754.95
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,19,538.72	1,23,368.05
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	1,92,878.19	1,73,313.47
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित देयताएं	7,174.70	6,308.42
	योग	**5,21,519.64**	**4,71,744.89**
(जी)	**नियोजित पूंजी (क्षेत्रवार आस्तियां-क्षेत्रवार देयताएं)**		
1	ट्रेजरी परिचालन	9,812.98	6,304.18
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,991.29	3,942.23
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	8,053.55	5,538.25
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित देयताएं	11,131.59	11,050.99
	कुल नियोजित पूंजी	**33,989.41**	**26,835.65**

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

2. सीधे तौर पर आवंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.

3. पिछले अवधि के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: समूहीकृत / प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान बारह महीनों/तिमाही के वर्गीकरण /प्रस्तुति के अनुरुप हो.

10. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18)

10.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए) सहायक कंपनियां

- यूनियन असेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.

बी) संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कं. लि.

सी) एसोसिएट

- पैरेंट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा, काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यग्रहण/सेवानिवृत्त
श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	लागू नहीं
श्री गोपाल सिंह गुसाईं	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो ''राज्य नियंत्रित उद्दम'' के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

10.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - प्रदत्त पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.33	0.30
कार्यपालक निदेशक	0.81	0.75
योग	**1.14**	**1.05**

11. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना

की गई है. डाइल्यूट अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	**1,76,30,16,314**	1,16,85,73,381
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	**1,65,98,02,538**	59,44,42,933
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	**3,42,28,18,852**	1,76,30,16,314
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या	**2,32,08,18,806**	1,17,50,87,824
विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या	**2,32,08,18,806**	**1,17,50,87,824**
निवल लाभ/(हानि) रुपए करोड़ में	**(3120.88)**	**(2922.36)**
मूल अर्जन प्रति शेयर (रु)	**(13.45)**	**(24.87)**
विघटित अर्जन प्रति शेयर (रु)	**(13.45)**	**(24.87)**
मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (रु)	**10**	**10**

12. करों के लिये प्रावधान:

आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	294.57	253.83
2	स्थाई आस्तियों पर मूल्यह्रास	112.05	61.38
3	अन्य प्रावधानों के कारण	9,239.00	7,243.21
4	असमायोजित हानि एवं कर क्रेडिट के कारण	0.00	144.31
	योग	**9,645.63**	**7,702.73**
	आस्थगित कर देयताएं		
1	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	806.32	763.39
2	36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां	1,004.64	1,004.64
3	निवेश पर मूल्यह्रास	477.79	745.44
	योग	**2,288.75**	**2,513.47**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	**7,356.88**	**5,189.26**
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**शून्य**	**शून्य**

13. आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

14. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

15. कोविड - 19 महामारी के प्रकोप ने बैंकिंग कारोबार के ऋण एवं वसूली घटकों को प्रभावित किया है. यद्यपि इसका वसूली पर असर पड़ा है, तथापि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ऋणों की अदायगी पर अधिस्थगन तथा ब्याज बोझ को कम करने के अन्य उपायों की वजह से ऋण चूक जोखिम में काफी हद तक कमी आई है.

    कोविड - 19 के वर्तमान परिदृश्य के दौरान भी बैंक ने अपनी शाखाओं और डिजिटल उत्पादों के माध्यम से अपना परिचालन जारी रखा है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन मानदंडों में आंशिक ढील के साथ, सभी निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए अधिकांश शाखाओं में पूर्ण रूप से बैंकिंग परिचालन फिर से शुरू हो गया है.

    आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान बैंक के राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों से चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही तक सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है. तथापि, प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंक की पूंजी पर्याप्त है और इसके वर्तमान और भविष्य के परिचालनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है तथा भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और धारणाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

16. जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(बिरूपाक्ष मिश्र)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(अरूण कुमार सिंह)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

(के. कदिरेसन)
निदेशक

(जयदेव एम.)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036

(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684) (स्थान : मुंबई)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057

(संदीप डी. वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576) (स्थान : पुणे)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W

(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998) (स्थान : अहमदाबाद)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035

(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215) (स्थान : मुंबई)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025

(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975) (स्थान : कोलकाता)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 जून, 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	कर से पहले निवल लाभ	(4,23,128)	(3,92,210)
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	41,720	37,382
	निवेशों के लिए प्रावधान	37,653	654
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	11,97,237	11,52,581
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	48,735	(24,520)
	स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	90,261	13,695
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	8,379	913
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	394	(297)
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	58,220	1,07,501
	एसोसिएट में लाभ का शेयर	8,006	(1,106)
	उप योग	**10,67,475**	**8,94,593**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	34,93,134	7,21,638
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	97,640	1,01,419
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(26,23,681)	(2,90,189)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(30,69,474)	(19,37,834)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	1,34,887	(1,74,279)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	1,31,890	(93,188)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**(7,68,129)**	**(7,77,840)**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(39,384)	(31,545)
	अचल आस्तियों की बिक्री के आगम	1,663	1,834
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**(37,721)**	**(29,711)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	सहायक कंपनी द्वारा जारी शेयर प्रीमियम (निवल) सहित अधिमानी शेयर कैपिटल से प्राप्त आगम	0	13,343
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	11,75,601	4,67,284
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	0	0
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(1,19,962)	(1,54,000)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	10,63,809	(86,480)
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज: पूंजीगत लिखत	(1,05,025)	(64,324)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**20,14,423**	**1,75,823**
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	**12,08,572**	**(6,31,728)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**43,16,308**	**49,48,036**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**55,24,880**	**43,16,308**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	20,80,040	21,01,735
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	22,36,268	28,46,301
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**43,16,308**	**49,48,036**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	20,11,892	20,80,040
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	35,12,987	22,36,268
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**55,24,880**	**43,16,308**

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

(बिरूपाक्ष मिश्रा)
कार्यपालक निदेशक

(मानस रंजन बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक

(दिनेश कुमार गर्ग)
कार्यपालक निदेशक

(गोपाल सिंह गुसाईं)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 23 जून, 2020 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के समेकित लाभ हानि खाते तथा समेकित तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं.

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W-100036

(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य सं.101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W/W-100057

(संदीप डी वेलिंग)
भागीदार
(सदस्य सं.044576)

कृते आर एस पटेल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W

(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य सं.101998)

कृते एम जी बी एंड कं.एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W/W-100035

(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य सं. 048215)

कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 301011E/E300025

(आनंद चतरथ)
भागीदार
(सदस्य सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक: 23 जून, 2020

जोखिम प्रबंधन

पूंजी नियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन - पिलर III

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बासल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं.

https://www.unionbankofindia.co.in/Hindi/basel-disclosures-iiiHindi.aspx

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट-2019-20

अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. कंपनी का ब्यौरा:

क्र. सं.	मापदंड	ब्यौरा
1	कंपनी का नाम	**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
2	पंजीकरण की तारीख	1919
3	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	लागू नहीं है
4	कॉर्पोरेट का पता वेबसाइट ई-मेल आईडी	यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 दूरभाष: 022-22892000 www.unionbankofindia.com busrespnsehead@unionbankofindia.com
5	वित्त वर्ष	2019-20

II. उत्पाद/सेवाएँ

1. सेक्टर जिससे कंपनी जुड़ी है :

क्र. सं.	सेक्टर
ए	बैंकिंग सेवाएँ
बी	सरकारी कारोबार
सी	व्यापारी बैंकिंग
डी	एजेंसी कारोबार - बीमा, म्यूचुअल फ़ंड, सम्पदा प्रबंधन आदि.

2. प्रदत्त सेवाएं :

बैंक की उत्पाद एवं सेवाओं को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है :

ए) जमाराशियाँ : चालू जमाराशियाँ, बचत बैंक जमाराशियाँ, मीयादी जमा, आवर्ती जमा

बी) ऋण एवं अग्रिम:

क्र. सं.	विवरण
1	रिटेल ऋण : यूनियन होम, यूनियन माइल , यूनियन एज्यूकेशन, यूनियन मोर्गेज इत्यादि
2	कृषि ऋण: यूनियन ग्रीन कार्ड, मियादी जमा आदि.
3	एमएसएमई ऋण: यूनियन ट्रेड, यूनियन ट्रेड प्लस, यूनियन इंटरप्राइज, यूनियन नारी शक्ति आदि.
4	कॉर्पोरेट ऋण : कार्यशील पूंजी ऋण, प्रोजेक्ट/मियादी ऋण आदि.

ग) अन्य उत्पाद:

नकदी प्रबंधन सेवाएं	विप्रेषण सेवाएं
बीमा सेवाएं	एसडीवी लॉकर्स
म्यूचुअल फंड	मर्चेन्ट बैंकिंग
क्रेडिट/डेबिट कार्ड	संपदा प्रबंधन

III. परिचालन:

उन क्षेत्रों की कुल संख्या, जहां कंपनी द्वारा कारोबार किया गया:

1. राष्ट्रीय क्षेत्रों के नाम (यथा 31.03.2020) :

क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय	:	11
क्षेत्रीय कार्यालय	:	63
शाखाएं (देशी)	:	4281
एटीएम	:	6872

2. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के नाम : हाँग काँग, दुबई एवं सिडनी में 3 विदेशी शाखाएं हैं. लंदन में बैंक की पूर्ण स्वामित्व की सहायक संस्था है.

IV. कर्मचारी:

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	स्थायी कर्मचारियों की संख्या	37218
2	संविदागत कर्मचारी	22
3	अस्थायी कर्मचारी	-
4	महिलाओं का प्रतिशत	24.66%
	ए) गवर्नेंस स्ट्रकचर के अनुसार	6.25%
	बी) उच्च प्रबंधन में (कारोबार एवं क्षेत्र प्रमुख)	6.93%

V. सह-संस्थाएं :

नाम	**यूनियन एएमसी प्राइवेट लिमिटेड**	**स्टार यूनियन दाईची**	**यूनियन बैंक लंदन प्राइवेट लिमिटेड**	**काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक -**
संगठन फॉर्म	लिमिटेड	लिमिटेड	लिमिटेड	आरआरबी, अनुसूचित बैंक
मुख्य लक्ष्य / उद्देश्य	म्यूचुअल फंड का वितरण	जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री	बैंकिंग	बैंकिंग
निधि का स्त्रोत/राशि	100%	25.10%	100%	15%

VI. इस रिपोर्ट से संबंधित नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण:

कारोबार दायित्व से संबंधित नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार निदेशक :

डीआईएन नंबर	
नाम	**श्री दिनेश कुमार गर्ग**
पदनाम	**कार्यपालक निदेशक**

कारोबारी उत्तरदायित्व प्रमुख के ब्यौरे :

डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं है
नाम	**श्री शैलेश कुमार सिंह**
पदनाम	**महाप्रबन्धक, जीबीओडी, केंद्रीय कार्यालय**
दूरभाष नं	**022-22896666**
ई-मेल आईडी	gm.gbod@unionbankofindia.com

अनुभाग बी : मैनेजमेंट और प्रोसैस प्रकटीकरण

क्र. सं.	प्रश्न	कॉर्पोरेट गवर्नेंस	उत्पाद एवं सेवाएँ	कर्मचारी कल्याण	हितधारक का हित	मानव अधिकार	परिवेश सुरक्षा	सरकारी नीति का समर्थन	कुल वृद्धि	ग्राहक केन्द्रित
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं										
1	प्रत्येक सिद्धान्त को कवर करने वाली पॉलिसी/पॉलिसियों का नाम बताएं.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	पॉलिसी/पॉलिसियों के कवर से संबंधित कोर तत्व	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	प्रत्येक सिद्धान्त से संबन्धित पॉलिसी/पॉलिसियां जिन्हें दिशानिर्देशों और प्रक्रियों में परिणत किया गया है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		हाँ, बैंक की सतत विकास एवं कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कारोबार की सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक जिम्मेदारियों के राष्ट्रीय स्वैछिक दिशानिर्देशों पर आधारित है.								
4	प्रत्येक सिद्धान्त से संबन्धित पॉलिसी/पॉलिसियों के कार्यान्वयन के लिए जनबल, आयोजना एवं वित्तीय संसाधनों की सीमा तक आबंटन किया गया है.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	विभिन्न सिद्धांतों को अपनाने के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड और मानक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	गवर्नेंस, लीडरशिप तथा ज़िम्मेदारी									
7	बोर्ड/उच्च प्रबंधन द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त पॉलिसियों के नाम	1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता 2. उत्पाद एवं सेवाएं 3. कर्मचारी कल्याण 4. पर्यावरण नीति 5. ग्राहक अधिकार नीति 6. सतत विकास एवं कारोबार जिम्मेदारी नीति								
8	बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की विशेष समिति/यों के नाम और पॉलिसी/पॉलिसियों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनायी गई हैं	बोर्ड और बोर्ड की विभिन्न उप-समितियां जैसे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति/बोर्ड की प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति आदि समग्र रूप से पॉलिसी के कार्यान्वयन की देख-रेख और सभी नीतियों का अनुमोदन करती हैं.								
9	उपर्युक्त पॉलिसी और समाविष्ट इनपुट के सापेक्ष कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (100 शब्दों में)	बैंक का एक अलग विभाग है जो परिचालन इकाइयों द्वारा अपनायी जाने वाली कारोबार ज़िम्मेदारी नीति के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करता है. बोर्ड द्वारा समय-समय पर इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है.								

सिद्धान्त 1- कॉर्पोरेट गवर्नेंस

क्र.सं.	आवश्यक संकेतक	
1.	गवर्नेंस संरचना/उच्च प्रबंधन द्वारा दिशानिर्देशों के मुख्य एवं मूल तत्वों से सम्पूर्ण कारोबार के कार्यनिष्पादन से संबंधित विगत माह/वर्ष में की गई समीक्षा?	दिनांक 25.02.2020 को समीक्षा की गयी.
2.	दिशानिर्देशों पर **नेतृत्व टीम** द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के जरिए **कवरेज का % :** ए. रिपोर्टाधीन वर्ष में बी. आज की तारीख तक कुल	 36.63% 1526
3.	वर्ष में, आपूर्तिकर्ताओं एवं वितरकों (मूल्य द्वारा) का % : ए. दिशानिर्देशों के अनुरूप कवर किए गए जागरूकता कार्यक्रम ? बी. क्या कारोबार के लिए जवाबदेही/संपोषित नीति उपलब्ध है?	लागू नहीं
4.	वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ आयोजित बैठकों / संवादों की संख्या?	2
5.	वर्ष में, एनजीआरबीसी के किसी पहलू पर प्राप्त शिकायतों की संख्या: ए) शेयरधारकों/निवेशकों से बी) ऋणदाताओं से	शून्य
6.	वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या?	शून्य
7.	वर्ष में विनियामक और न्यायिक संस्थानों द्वारा आपके कारोबार पर लगाए गए गैर-विवाद जुर्माना/दंड का मूल्य?	160.00 लाख
8.	इस वर्ष में दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के शिकायतों/मामलों की संख्या जिससे बैंक का हित प्रभावित हुआ है?	शून्य
9.	केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए किसी भी लाभों / रियायतों से उत्पन्न अपूर्ण दायित्व (वित्तीय, सामाजिक आदि) का ब्यौरा (100 शब्दों में).	शून्य

क्र.सं.	लीडरशिप संकेतक	
1.	दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी कर्मचारियों को जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा किए गए कवरेज का % : ए. रिपोर्टाधीन वर्ष में बी. आज की तारीख तक कुल	 36.63% 1526
2.	**सामाजिक एवं पर्यावरणीय लेखापरीक्षकों द्वारा कवर किए गए आपूर्तिकर्ताओं / वितरकों (मूल्य द्वारा) का % :** ए. रिपोर्टाधीन वर्ष में बी. आज की तारीख तक कुल	लागू नहीं
3.	क्या वर्ष में, जवाबदेही कारोबार आचरण पर रिपोर्ट तैयार की गई थी: ए. आवश्यक/वैश्विक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार. बी. पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सी. तृतीय पक्ष द्वारा आश्वासित	हाँ, मई, 2019 के दौरान हाँ हाँ लागू नहीं

4.	इस वर्ष, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध विनियामक एवं न्यायायिक संस्थाओं द्वारा आपके कारोबार पर लगाए गए गैर-विवाद जुर्माना/दंड का ब्यौरा दें.	भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार मूल साइबर हाइजीन के प्रबंधन एवं सुरक्षा नियंत्रण की अपेक्षाओं का अनुपालन न होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दंड लगाया गया है. मेसर्स रोटोमैक ग्रुप कंपनी के खाते में दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर यह दंड लगाया गया है.
5.	उपर्युक्त लगाए गए जुर्माना/दंड पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई का उदाहरण (तीन तक) प्रदान करें.	अब सुव्यवस्थित साइबर हाइजीन एवं सुरक्षा नियंत्रण विद्यमान है. क्षेत्र कर्मियों को यह सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करें .
6.	भ्रष्टाचार एवं बैंक के हितों को प्रभावित करने वाले शिकायतों/मामलों पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाई के उदाहरण (तीन तक) प्रदान करें.	शून्य

सिद्धान्त 2 - उत्पाद एवं सेवाएं

क्र.सं.	आवश्यक संकेतक	
1.	तीन उच्च वस्तुओं/सेवाओं (वर्ष में राजस्व) की जानकारी दें, जिसमें पर्यावरणीय/सामाजिक महत्व, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है.	मुख्य रूप से यह सिद्धान्त विनिर्माण कंपनियों पर लागू होता है. बैंक कुछ ऐसी सेवाएं और उत्पाद प्रदान कर रहा है जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम नहीं है.
2.	पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव में (मूल्य सहित सर्वोच्च तीन) सुधार हेतु विशिष्ट प्रौद्योगिकी में निवेश का ब्यौरा.	
3.	वर्ष में, (मानकों/कोड़ों/नीतियों/पॉलिसी लेबल के आंतरिक/बाह्य सस्टेंबिलिटी का अनुपालन करते हुए) आपूर्तिकर्ताओं से स्रोत की गई इनपुट मटेरियल एवं सर्विसेस का %	मुख्य रूप से यह सिद्धान्त विनिर्माण कंपनियों पर लागू होती है. बैंक कुछ ऐसी सेवाएं और उत्पाद प्रदान कर रहा है जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम नहीं है.
4.	वर्ष में, उपभोग किए गए कुल कच्चे माल का प्रतिशत (मूल्य द्वारा) जिसे रिसाइकिल या रियूज किया गया हो (50 शब्दों में इसकी जानकारी दें): ए. <5% बी. 5% से 25% के बीच सी. >25%	
5.	आपके उत्पादों की अवधि समाप्त होने पर उसे सुरक्षित रूप से इकट्ठा, रियूज, रिसाइकिल और निपटान करने की प्रक्रिया का वर्णन करें. (100 शब्दों में)	

क्र. सं.	लीडरशिप संकेतक	
1.	**वस्तुएं और सेवाएँ जिसमें पर्यावरणीय एवं सामाजिक मूल्य शामिल हों, का ब्यौरा दें:** ए. वर्ष में प्रति यूनिट उत्पन्न प्रयुक्त संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल) बी. वर्ष में स्त्रोत की गई, उत्पादन एवं संवितरण को समाहित करके संसाधनों के उपयोग में कमी. सी. संपोषित मानकों/कोडों/लेवलों जिनका अनुपालन किया गया. डी. उत्पाद का जीवन चक्र मूल्यांकन पूर्ण	मुख्य रूप से यह सिद्धान्त विनिर्माण कंपनियों पर लागू होता है. बैंक कुछ ऐसी सेवाएं और उत्पाद प्रदान कर रहा है जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम नहीं है.
2.	**आपके उत्पादों का निम्नलिखित पर प्रभाव संबंधी जानकारी दें :** ए. किन हितधारक समूह को? बी. प्रत्येक समूह के लिए किस चैनल के द्वारा? सी. कितनी अवधि में?	
3.	स्टेकधारकों से प्राप्त फीडबैक का उपयोग सुधार हेतु किस ढंग से किया गया **इसका उदाहरण (तीन तक) प्रदान करें?**	

सिद्धान्त 3 - कर्मचारी कल्याण

क्र. सं.	आवश्यक संकेतक	
1	भेदभाव के कारण उत्पन्न शिकायतें : ए. इस वर्ष प्राप्त किए गए शिकायतों की संख्या	10
2	वर्ष की समाप्ति पर उपर्युक्त में से निपटान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या ?	1
3	प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ (घों) के सदस्य जो स्थायी कर्मचारी है का % ?	92.54%
4	इस वर्ष में, आपके प्रतिष्ठानों/वैल्यू चेन में किए गए लेखापरीक्षा का % : ए. बाल श्रम बी. बलपूर्वक/अनैच्छिक श्रम	कोई नहीं
5	आपके प्रतिष्ठानों/वैल्यू चेन में पहचान किए गए बालश्रम के मामलों की संख्या: ए. निपटान बी. लंबित समाधान	कोई नहीं
6	बलपूर्वक/अनैच्छिक श्रम की पहचान किए गए मामलों की संख्या: ए. निपटान बी. लंबित समाधान	कोई नहीं
7	आपके कर्मचारियों का % जिन्हें पिछले वर्ष में विधिक रूप से निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन से अधिक भुगतान किया गया है?	100%
8	आपके स्थायी कर्मचारियों में किए गए सबसे कम वेतन भुगतान का अनुपात दें ?	10:1
9	इस वर्ष के दौरान वेतन के भुगतान में विलंब वाले मामलों की संख्या: ए. निपटान बी. लंबित समाधान	शून्य
10	यथा 31.03.2019 तक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या: ए. निपटान बी. लंबित समाधान	ए. निपटान - 9 बी. लंबित शिकायतें - 1

11	इस वर्ष में घटित निम्नलिखित की संख्या: ए. कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं. बी. मृत्यु मामले सी. अपंगता मामले	 ए. 8 बी. 0 सी. 0
12	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुद्दों एवं उपायों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों (सभी वर्गों के) का %: ए. इस वर्ष में बी. आज की तारीख तक कुल	100%
13	प्रशिक्षण एवं कौशल अपग्रेडेशन प्रदान किए गए कर्मचारियों का %: ए. इस वर्ष में बी. आज की तारीख तक कुल	 ए. 77.7 % बी. 100 %

क्र. सं.	लीडरशिप संकेतक	
1	सकारात्मक कार्रवाई द्वारा समर्थित कर्मचारियों की श्रेणियाँ (तीन तक की सूची) तथा गत वर्ष से इस वर्ष में कोई बदलाव आया हो?	नहीं
2	गैर-स्थायी कर्मचारियों का %, जो किसी भी स्थायी प्लैटफ़ार्म/संस्थाओं से जुड़े हैं.	कोई नहीं
3	आपके प्रतिष्ठानों/वैल्यू चेन में नियोजित रूप से काम करने वाले बच्चों का %: ए. रिपोर्टिंग वर्ष में बी. आज की तारीख तक कुल	कोई नहीं
4	आपके प्रतिष्ठानों/आपूर्ति में सहायता के लिए बलपूर्वक/अनैच्छिक श्रम का % : ए. रिपोर्टिंग वर्ष में बी. आज की तारीख तक कुल	कोई नहीं
5	आपूर्तिकर्ताओं (मूल्य द्वारा) का % जिन्होंने विगत वर्ष अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया था	कोई नहीं
6	उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिस्थितियों से रोकने के लिए उठाए गए किन्हीं (तीन) उपायों के उदाहरण दें.	1. प्रशिक्षण एवं जागरूकता 2. अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्रवाई
7	आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों (मूल्य द्वारा) का % जिनका स्वास्थ्य और सुरक्षा आचरण अनुपालन हेतु मूल्यांकन किया गया है.	100%
8	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का % जो रोजगार में वापस आ गए.	लागू नहीं
9	कर्मचारियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र-जीवन स्तर में लाए गए संतुलन के मुद्दों (तीन तक) का वर्णन करें (100 शब्दों में)	कोई नहीं
10	कार्य क्षेत्र-जीवन स्तर में संतुलन के लिए अपनाए गए मुद्दों का उदाहरण (तीन तक)	कोई नहीं

सिद्धान्त 4 - स्टेकहोल्डरों का हित

क्र. सं.	आवश्यक संकेतक	
1	**ऐसे हितधारक समूह** की जानकारी दें जिनकी पहचान आपके कारोबार में मुख्य रूप से सहायक है?	बैंक के लिए, स्टेकधारक प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंक को इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने में एवं कारोबार में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है. बैंक मुख्यत: स्टेकधारक समूहों जैसे कि ग्राहकों, शेयरधारकों, निवेशकों, कार्मिकों, एनजीओ एवं समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है.
2	उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक हितधारक संवर्ग के साथ संबंध उत्तरदायी **पदों/विभागों के कार्यों** का वर्णन करें?	विभिन्न वर्टिकल/बैंक के विभाग
3	**ऐसे हितधारक समूहों की संख्या प्रस्तुत करें** जो गत वर्ष पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर औपचारिक रूप से सहायक थे?	पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के दौरान देश में अधिक संख्या में सहभागिता.
4	वर्ष में, प्रयुक्त **इनपुट सामग्री और सेवाओं** (मूल्य द्वारा) का % जो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं और उत्पादकों से खरीदे गए थे?	शून्य

क्र. सं.	लीडरशिप संकेतक	
1	प्रत्येक हितधारक समूह के साथ संबद्ध **अवधि?**	लगातार
2	**हितधारक से इनपुट** को कैसे कारोबार में **शामिल** किया गया इसके **उदाहरण** (तीन तक) दें.	प्रत्येक माह आयोजित होने वाली बैठकों, कॉल सेंटर, सामाजिक नेटवर्क एवं अन्य चैनलों के माध्यम से प्राप्त फीडबैक
3	प्रत्येक हितधारक समूह में **असुरक्षित एवं सीमांत समूहों की सूची दें.**	लागू नहीं
4	कारोबार हेतु लिए गए **निर्णयों और कार्यों के उदाहरण** दें ताकि **असुरक्षित/सीमांत समूहों के हितों का समाधान** हो सकें.	लागू नहीं

सिद्धान्त 5 - मानव अधिकार

क्र. सं.	आवश्यक संकेतक	
1	कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षित किया गया है ए) वर्ष में बी) आज की तारीख तक कुल	**77.69%**
2	कर्मचारी संवर्ग जिन्हें कारोबार के मानवाधिकार नीतियों द्वारा कवर किया गया है - स्थायी/संविदा/अस्थायी.	**स्थायी**
3	गत वर्ष के प्रतिकूल मानवाधिकार के प्रभाव की जटिलताओं को टालने की दृष्टि से इस वर्ष तृतीय पक्ष साझेदारों के साथ कारोबार करार एवं संविदाओं के समीक्षा की संख्या.	**1**
4	मानवाधिकार मुद्दों हेतु शिकायत निवारण समिति द्वारा हितधारकों का समूह.	**75 (यौन उत्पीड़न समिति)**
5	हितधारकों की संख्या, जो मानवाधिकार से संबंधित प्रतिवेदना और/या शिकायत की सूचना दे. ए) वर्ष में प्राप्त बी) लंबित समाधान	ए. **10** बी. **1**

क्र. सं.	लीडरशिप संकेतक	
1	संविदागत कर्मचारी और बहुमूल्य चैन साझेदारों का प्रतिशत, जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों पर जागरूक/प्रशिक्षण दिया गया है : ए) वर्ष में बी) आज की तारीख तक कुल	**शून्य**
2	बाह्य हितधारक समूह एवं प्रतिनिधियों का ब्यौरा, जिन्हें कारोबार के मानवाधिकार नीतियों द्वारा कवर किया गया हैं?	**शून्य**
3	हितधारक समूह, जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों हेतु शिकायत तंत्र से अवगत किया गया है: ए) वर्ष के दौरान बी) आज की तारीख तक कुल	**शून्य**
4	विगत वर्ष में मानवाधिकार के प्रतिकूल प्रभाव की जटिलता को दूर करने के लिए किए गए सुधारात्मक कार्रवाई (तीन तक).	**शून्य**
5	मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आशोधित कारोबार प्रक्रिया के उदाहरण (दो तक) प्रदान करें.	**शून्य**
6	वर्ष के दौरान संचालित किसी मानवाधिकार की ड्यू-डिलिजेन्स के स्वरूप एवं कवरेज का विवरण प्रदान करें.	**शून्य**

सिद्धान्त 6 - पर्यावरण की सुरक्षा

क्र. सं.	आवश्यक संकेतक	
1	कारोबार द्वारा **पर्यावरण एवं समुदाय पर आने वाले संभाव्य/वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव के महत्वपूर्ण जोखिम:** ए) वर्ष में निर्धारित बी) उपर्युक्त पर्यावरण जोखिम के लिए न्यूनीकरण एवं अनुकूलन के उपाय उपलब्ध है?	बैंक ऐसे वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करने के लिए प्रयासरत है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन पर्यावरणीय लाभ एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है.
2	आपके कारोबारी गतिविधियों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए **रिडक्शन, रिसाइक्लिंग एवं रियूज पहल में किए गए उत्कृष्ट आचरण (तीन तक)** का ब्यौरा दें.	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित हरित पहल किए हैं - पैकेज वाले पीने का पानी का उपयोग नहीं करना - ई-वेस्ट कलेक्शन बिन स्थापित करना - उपयोग न होने पर लाइट, पंखा आदि को बंद करके बिजली की बचत करना.
3	अन्य कारोबार के साथ आपके कारोबार द्वारा अन्य कारोबार/एनजीओ/ सरकारी एजेंसी/ अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर/डेवलपमेंट संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त चिन्हित पर्यावरण संबंधी किसी भी जोखिम सुअवसरों के समाधान हेतु किए गए **सामूहिक कार्रवाई का उदाहरण दें.**	यूबीएसएफटी ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, समुदाय विकास, स्वच्छता, दिव्यांग क्षेत्र के अंतर्गत ₹40.42 लाख की 8 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है.
4	वर्ष में सीपीसीबी/एनजीटी/एसपीसीबी से प्राप्त किसी भी कारण से/कानूनी नोटिस से संबंधित **प्रतिकूल आदेश का ब्यौरा दें.**	शून्य

क्र.सं.	लीडरशिप संकेतक	
1	वर्ष में **पर्यावरण प्रभावित आंकलन पर सूचना:** ए) क्या पब्लिक डोमेन में परिणाम को संप्रेषित किया गया है? बी) किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई किसी कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें.	बैंक एक जिम्मेदार इकाई के तौर पर पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों से भली-भांति परिचित है. बैंक ने पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए कई पहल शुरू की हैं. बैंक कार्बन दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सतत कदम उठा रहा है. हाँ, ग्राहक बैठकों के द्वारा, स्थानीय विशेष मेलों, उत्सवों एवं बड़े आयोजनों जैसे महत्वपूर्ण दिन. बैंक ने वर्ष के दौरान देश की अपनी सभी शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में पर्यावरण एवं उसकी जागरूकता से संबन्धित विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित किया है.
2	कारोबार के लिए निर्धारित प्रत्येक भौतिक पर्यावरण जोखिम हेतु जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ एवं उपाय : ए) उपाय का विवरण (100 शब्दों में) बी) लक्ष्य एवं उसका उपलब्धि मूल्य.	बैंक एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के तौर पर पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों से अवगत है. बैंक ने पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए कई पहल शुरू की हैं. बैंक कार्बन दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सतत कदम उठा रहा है. 1. बैंक ने ऐसे वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित करने का प्रयास किया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन पर्यावरण लाभ एवं सामाजिक विकास की ओर अग्रसर हों. 2. बैंक उन उद्योगों, जो ओजोन घटाने वाले उत्पादों को बनाते हैं को उधार न देकर उत्कृष्ट आचरणों को कार्यान्वित कर रहा है. 3. बैंक के पास वे नीतियाँ भी है, जो उन उद्योगों/क्षेत्रों के निधिकरण को हतोत्साहित करती हैं, जिससे पर्यावरण को हानि पहुँच सकती है जैसे कि आइरन ओर माइनिंग, न्यूजपेपर प्रिंट, हाइड्रो पावर उत्पादन आदि. चूंकि यह एक सतत चलने वाली गतिविधि है इसलिए वर्तमान में इसके लिए कोई अलग लक्ष्य नहीं है.

3	**भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में आपके विशिष्ट योगदान का विवरण** (2015 में यूएनएफ़सीसीसी सीओपी21 को प्रस्तुत)	शून्य
4	पहचाने गए भौतिक पर्यावरण जोखिमों के निवारण के लिए बनाए गए **नए कारोबार-उत्पाद-सेवाएँ:** ए. सृजित किए गए व्यापार की जानकारी (100 शब्दों में) बी. इनके द्वारा प्रदत्त राजस्व का %	लागू नहीं
5	उद्योग के उत्कृष्ट आचरण के सापेक्ष रिडक्शन, रिसाइक्लिंग एवं रियूज पहल में किए गए उत्कृष्ट आचरण का ब्यौरा दें (100 शब्दों में).	बैंक एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के तौर पर पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों से अवगत है. बैंक द्वारा लिए गये अन्य पर्यावरण मैत्रीपूर्ण पहल है: • ऊर्जा दक्ष प्रणालियों का कार्यान्वयन जैसे कि सीएफएल फिटिंग्स एवं एलईडी फिटिंग्स. • एलईडी साइनेज का कार्यान्वयन • बीईई प्रमाणन वाले एयर कंडीशनर एवं सीएनजी वाली कार का प्रयोग • बैंक की बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जमीनी पानी के स्तर को बचाने एवं जमीनी पानी के स्तर को उठाने में सहायक होता है. • हमारी शाखाओं में सोलर पॉवर प्रणाली का कार्यान्वयन.

सिद्धान्त 7 - पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी

क्र. सं.		आवश्यक संकेतक
1	गवर्नेंस स्ट्रक्चर द्वारा इन दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के अनुरूप **सार्वजनिक जनसलाहकार नीति की समीक्षा :** ए. अवधि बी. पिछली समीक्षा का माह/वर्ष	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कारोबारी ईको सिस्टम एवं समुदायों में सकारात्मक प्रभाव लाने का सक्रिय समर्थक है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ उद्योग के लिए कुछ निश्चित लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार के मत का समर्थन नहीं करता, बल्कि यह समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ निश्चित श्रेष्ठ प्रैक्टिस का भी समर्थन करता है. वार्षिक 2020
2	**कारोबार एवं उद्योग चेम्बर एवं संघ** जिनके आप सदस्य/संबद्ध हैं.	• भारतीय बैंक संघ (आईबीए) • भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान (आईआईबीएफ़) • द एसोसियटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) • भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (एफ़आईसीसीआई) • भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई) • भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)
3	विनियामक प्राधिकारियों से आपके कारोबार द्वारा **गैर-प्रतिस्पर्धात्मक आचरणों हेतु प्राप्त प्रतिकूल आदेशों का ब्यौरा.**	शून्य
4	**राजनीतिक पार्टियों** को दिये गए **मौद्रिक अंशदान** (यदि कोई) है.	शून्य

क्र. सं.		लीडरशिप संकेतक
1	**पब्लिक डोमेन** में उपलब्ध **जन नीति स्थिति.**	हाँ, www.unionbankofindia.co.in पर
2	विगत वर्ष में **आपके एडवोकेसी प्रयासों के कारण** किसी भी **पॉलिसी में परिवर्तन** के **उदाहरण** (तीन तक).	शून्य

3	विनियामक अधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों पर कारोबार आधारित **गैर-प्रतिस्पर्धात्मक आचरण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण.**	शून्य

सिद्धान्त 8 - समावेशी वृद्धि

क्र. सं.	आवश्यक संकेतक	
1.	आपके कारोबार परिचालन के संचालन के लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन: ए) वर्ष में संपन्न की संख्या? बी) एक स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित की संख्या.	 शून्य 3-बीसीजी,बीसीएसबीआई,सीआरआईएसआईएल
2.	उत्पादों, प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं या कार्यक्रमों (तीन तक) के उदाहरण जो समाज के कमजोर एवं सीमांत वर्गों के लाभ में योगदान करते हों.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा बीमा योजना अटल पेंशन योजना
3.	वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित, जिसके लिए आर एंड आर लागू है: ए) इन परियोजनाओं से प्रभावित या विस्थापित व्यक्तियों की संख्या? बी) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित व्यक्तियों को सकल राशि का भुगतान?	लागू नहीं
4.	स्थानीय समुदाय से प्राप्त शिकायतें: ए) वर्ष के दौरान प्राप्त संख्या बी) निपटान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	 353549 2872
5.	अविकसित क्षेत्रों में निवेशों (मूल्य द्वारा शीर्ष तीन) का विवरण (100 शब्दों में).	शून्य
6.	वस्तुएं एवं सेवाओं (तीन तक) के उदाहरण, जो स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को शामिल करती है.	लागू नहीं
7.	वर्ष के दौरान पारंपरिक ज्ञान से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रतिकूल आदेश या निर्णय का विवरण (100 शब्दों में).	लागू नहीं
8.	सीएसआर पहल द्वारा कवर किए गए प्रमुख विषयों का सारांश (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार) या कारोबार के सीएसआर पॉलिसी का लिंक (100 शब्दों तक).	यूबीएसएफटी ने वर्ष 2019-20 के दौरान रु 40.42 करोड़ की राशि के शिक्षा, हेल्थकेयर, सामुदायिक विकास, आदि के अंतर्गत 8 प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन किया है. (बैंक द्वारा लिए गए सीएसआर गतिविधियों के तहत विवरण निम्नानुसार है).

क्र. सं.	लीडरशिप संकेतक	
1.	इन सामाजिक प्रभाव के आकलन के संबंध में ए) पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए परिणाम बी) किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए किए गए किसी भी कार्य का ब्यौरा (100 शब्दों में).	हाँ लागू नहीं
2.	**ऐसे लाभकारी उत्पादों, प्रौद्योगिकी या प्रक्रियाओं से लाभान्वित होने वालों की संख्या.**	अधिकसंख्य जनता

3.	वर्ष के दौरान परियोजनाओं के संबंध में, जिसके लिए आर एंड आर लागू है: ए) क्या आर एंड आर पैकेज परियोजना-प्रभावित लोगों के परामर्श से विकसित किया गया था? बी) पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करायी गयी सकल राशि की जानकारी.	लागू नहीं
4.	समुदायों से प्राप्त प्रतिवेदनाओं/शिकायतों के समाधान के लिए जानकारी का सम्प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त चैनल/प्लैटफार्म (100 शब्दों में).	ईमेल, इंटरनेट, एसएमएस, सोशल नेटवर्क, प्रचार, वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यूबीएसएफटी अभियान.
5.	इन अविकसित क्षेत्रों में अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य के उदाहरण (100 शब्दों में).	लागू नहीं
6.	ऐसे उदाहरण जहां कारोबार के लिए इस स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का समुदाय के साथ साझा किया जाता है.	लागू नहीं
7.	असुरक्षित एवं कमजोर संवर्ग द्वारा अलग किए गए आपके सीएसआर प्रोजेक्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार) के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या.	शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय कल्याण एवं दिव्यांग क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकाधिक लोगों को कवर किया गया है.
8.	स्थानीय और राष्ट्रीय विकास में आपकी समुदायिक पहल के क्या योगदान हैं, उदाहरण दें.	वृहद स्तर तक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो कमज़ोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर, पर्याप्त अग्रिम सुविधायें, उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर मुख्य वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध कराती है. बैंक ने तीन वर्ष 2016-19 तक वित्तीय समावेशन के लिये तीन वर्षों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना तैयार की है जिसका विज़न है:- "वंचितों तक उचित लागत पर "निरन्तर प्रक्रिया" के तहत सेवायें पहुंचाना तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा, लाभ से वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना ".

1. वित्तीय साक्षरता :

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरुकता लाने के लिये, 14 अग्रणी जिलों के साथ 18 गैर- अग्रणी जिलों में कुल 32 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोले गये हैं. सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ़एलसी एवं शाखाओं द्वारा समय-समय पर विभिन्न कैंपों का आयोजन किया गया है. बैंक अपने 32 एफ़एलसी केन्द्रों तथा ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां कर रहा है.

2 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) :

देश में सभी परिवारों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना-प्रधानमंत्री जन धन योजना को अगस्त 2014 में आरम्भ किया है. इस योजना में जो 6 स्तम्भ शामिल है, वे हैं: सबकी पहुंच, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ बेसिक बैंकिंग खाता, दुर्घटना बीमा और रुपे डेबिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट गारंटी निधि, सूक्ष्म वित्त और अन्त में असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना.

3 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):

बैंक ने देश के उन 14 जिलों में 14 आरसेटी की स्थापना की है, जहां ग्रामीण युवाओं को मुफ्त भोजन और आवास के साथ अल्पकालीन आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान की जा सके. वर्तमान में निम्न स्थानों पर बैंक के आरसेटी कार्यरत हैं.

- उत्तर प्रदेश : आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी
- बिहार : खगरिया, समस्तीपुर
- मध्य प्रदेश: रीवा, सीधी, सिंगरौली
- केरल: एर्णाकुलम, इडुक्की

हमारे आरसेटी में मार्च 2020 तक 83718 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 56386 लोगों ने अपना कार्य स्थापित कर लिया है, इस प्रकार स्थापन दर 67% है.

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):

- पीएमएमवाई के तहत हमारा बैंक ग्रामीण, शहरी व महानगरीय क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों को वित्त प्रदान करता है जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में है.

- पीएम मुद्रा योजना विभिन्न नए व वर्तमान उद्यमियों को बैंकिंग चैनल से ऋण लाभ लेने का अवसर प्रदान करता है. इससे ऋण हेतु बैंक का ग्राहक आधार बढ़ जाता है.

5. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक मुद्रा ऋण की स्थिति (राशि करोड़ में)

ऋण की श्रेणी	स्वीकृत		संवितरित	
	खाते	राशि	खाते	राशि
शिशु	53256	135.38	53256	113.76
किशोर	121434	2628.16	121434	2342.04
तरुण	21306	1637.96	21306	1423.55
कुल	195996	4401.50	195996	3879.35

7. स्टेंड-अप इंडिया योजना के तहत कार्य-निष्पादन : (राशि करोड़ में)

क्र. सं.	**श्रेणी**	**05.04.2016 से 31.03.2020 तक संचयी प्रगति**		
		स्वीकृत		**संवितरित**
		खातों की संख्या	राशि	राशि
1	अनुसूचित जाति (केवल पुरुष और महिला)	115	17.56	15.48
2	अनुसूचित जनजाति (केवल पुरुष और महिला)	50	6.39	6.01
3	महिला उद्यमी	1247	257.85	215.78
4	कुल	1412	281.80	237.27
5	अल्पसंख्यक	205	34.85	29.11

8. 31 मार्च, 2020 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति :

योजना का नाम	**पुरुष ग्राहक**	**महिला ग्राहक**	**कुल नामांकन**
अटल पेंशन योजना	**454176**	**218684**	**672860**
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना	**966659**	**615391**	**1582050**
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	**2522078**	**1776023**	**4298101**
कुल	**3942913**	**2610098**	**6553011**

सिद्धान्त 9 - ग्राहक केन्द्रित

क्र. सं.	**आवश्यक संकेतक**	
1.	उदाहरण (तीन तक) जहां आपके कारोबार के वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रतिकूल प्रभाव को पब्लिक डोमेन में दर्शाया गया है.	शून्य
2.	कारोबार के वस्तुओं एवं सेवाओं का % मूल्य, जो निम्न की जानकारी देता है. ए) उत्पाद से संबंधित पर्यावरण एवं सामाजिक मानदंड. बी) सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग.	शून्य
3.	डाटा गोपनीयता के मामले में उपभोक्ता के शिकायतों की संख्या: ए) वर्ष में प्राप्त. बी) लंबित समाधान.	शून्य

4.	विज्ञापन के संबंध में उपभोक्ता के शिकायतों की संख्या: ए) वर्ष के दौरान प्राप्त. बी) लंबित समाधान.	शून्य
5.	अनिवार्य सेवाओं के वितरण के संबंध में उपभोक्ता के शिकायतों की संख्या: ए) वर्ष के दौरान प्राप्त. बी) लंबित समाधान.	 353549 2872

क्र. सं.	लीडरशिप संकेतक	
1.	आपके कारोबार की वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रतिकूल प्रभाव पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाई: ए) विवरण (100 शब्दों में) बी) पब्लिक डोमेन में संप्रेषित.	लागू नहीं
2.	कारोबार द्वारा उपयोग किए गए राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय उत्पादों के लेबल/प्रमाणन की की सूची.	लागू नहीं
3.	चैनल प्लैटफॉर्म, जहां कारोबार के वस्तुओं एवं सेवाओं की सूचनाएं दी जाती हैं.	ई-मेल, इंटरनेट, एसएमएस, सोशल नेटवर्क
4.	उत्पादों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के बारे में असुरक्षित एवं सीमांत उपभोक्ताओं को सूचना एवं शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम (100 शब्दों में).	लागू नहीं
5.	डाटा की गोपनीयता एवं विज्ञापन प्रणाली से संबंधित प्राप्त शिकायतों के संबंध में कौन सी सुधारात्मक कार्रवाई की गई जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके. (100 शब्दों में).	लागू नहीं
6.	क्या कोई ऐसी प्रक्रिया विद्यमान है कि जिससे आवश्यक सेवाओं के भंग/बंद होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को इसके जोखिम की सूचना दी जा सके. (100 शब्दों में).	लागू नहीं

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र

भारत की घरेलू उत्पाद, रोजगार और सामाजिक इक्विटि में एमएसएमई अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है. कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है. एमएसएमई शिल्प से लेकर सेवाओं और बड़ी औद्योगिक गतिविधियों तक लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों में फैला हुआ है. यह उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, लबादा, चमड़ा, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएँ, आतिथ्य, पर्यटन, स्वास्थ देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है.

एमएसएमई बैंक के लिए चुने गए विशेष क्षेत्रों में से एक है जिसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुसंख्यक प्रभाव पड़ेगा. फलस्वरूप बैंक शुरू से ही एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसके अतिरिक्त, बैंक हमेशा से ही सरकार द्वारा शुरू की गई एमएसएमई योजनाओं को लागू करने हेतु अग्रणी रहा है, जो निम्नानुसार है.

1 59 मिनट में पीएसबी ऋणों की मंजूरी:

हमारा बैंक उन सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक है, जिन्होंने इस क्रम में 9337 प्रस्तावों की मंजूरी की है, जिसमें से रु 2065.10 करोड़ की 5565 प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी गई.

2 आरएक्सआईएल, एम1 एक्सचेंज और टीआरईडीएस (TReDS) के लिए ए.टीआरईडीएस (A.TReDS) लिमिटेड के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी

डिजिटल प्लैटफार्म पर एमएसएमई के चालान में छूट हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रिसीवेबल एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) मींड़ सोल्यूशंस (प्राइवेट) लिमिटेड (एम1 एक्स्चेंज) ए.टीआरईडीएस लिमिटेड (invoicemart.com) के साथ टीआरईडीएस (प्राप्य ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम) के भागीदार के रूप में भागीदारी करने में अत्यंत खुशी है.

यह वित्त का एक नवोन्मेषी क्षेत्र है और सरकार द्वारा एमएसएमई की मदद पर जोर दिया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है. देश के समग्र आर्थिक विकास और रोजगार उत्पन्न करने विशेष रूप से अपने व्यापार प्राप्य को तरल निधि में परिवर्तित करने की उनकी क्षमता के संदर्भ में एमएसएमई द्वारा मुख्य भूमिका निभाए जाने के बावजूद, पर्याप्त वित्त प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

टीआरईडीएस एक डिजिटल प्लैटफार्म है जो एमएसएमई इकाइयों को नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दर पर उनके प्राप्यों के बदले वित्तीयन प्राप्त करने में सहायता करता है, जहां विभिन्न वित्तप्रदाता पीएसयू/ कॉर्पोरेट क्रेताओं द्वारा स्वीकृत बीजकों पर बोली लगाते हैं. टीआरईडीएस, एमएसएमई इकाइयों को अपनी प्राप्तियों को सिस्टम पर पोस्ट करने की अनुमति देगा एवं ऑनलाइन बोली लगाने की प्रक्रिया के अनुसार प्रतिस्पर्धी दरों पर उनका वित्तपोषण करेगा. इससे उन्हें न केवल वित्तीयन प्राप्त होने का पक्का आश्वासन प्राप्त होगा बल्कि कॉर्पोरेट संस्थाओं पर बकाया राशि का समय से भुगतान करने हेतु अंकुश भी लगाया जा सकेगा.

यह एमएसएमई के लिए सहायक होगा और एमएसएमई को त्वरित भुगतान के लिए कॉर्पोरेट को प्रोत्साहित करेगा. इस यूनिक प्लेटफार्म के जरिए एक ही समय में एमएसएमई को पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ इस अंतर्निहित परेशानी मुक्त प्रक्रिया के लिए व्यवसायों को अंगीकृत करना आसान होगा.

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक हमारा बैंक टीआरईडीएस के तहत ₹1590.65 करोड़ से अधिक का निवेश कर चुकी है.

- **सरल :** गुणवत्ता में सुधार, टर्न अराउंड टाइम और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए एमएसएमई के अंतर्गत केन्द्रीकरण पहल के रूप में, एमएसएमई ऋणों के लिए एक प्रोसेसिंग प्रणाली सरल की स्थापना की गयी है. वर्ष 2019-20 के दौरान 3 सरल लाइट खोले गए. सरल का नेतृत्व सहायक महाप्रबंधक एवं सरल लाइट का नेतृत्व मुख्य प्रबन्धक द्वारा किया जाता है. मार्च 2020 के अंत तक, कुल 48 सरल पूर्ण रूप से परिचालित हैं.

वर्ष 2019-20 में बैंक द्वारा की गई कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर):

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी सीएसआर गतिविधियों को सम्पन्न करने में सदा ही अग्रणी रहा है. इसके लिए बैंक द्वारा वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) की स्थापना की है ताकि वह अपने सीएसआर उत्तरदायित्व को पूर्ण कर सके. बैंक की मुख्य सीएसआर गतिविधियों का निर्वहन उक्त ट्रस्ट (यूबीएसएफटी) द्वारा ही किया जाता है. इसके बोर्ड की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाती है जिसमें वाइस चेयरमैन ट्रस्टी के रूप में कार्यपालक निदेशक, अन्य ट्रस्टी के रूप में बैंक के महाप्रबंधक एवं एक स्वतंत्र ट्रस्टी कार्यरत होते हैं. यूबीएसएफटी बोर्ड द्वारा बैंक के जरूरतमन्द क्षेत्र के अनुसार निर्देश जारी किया जाता हैं एवं प्रत्येक तिमाही में इसकी समीक्षा भी की जाती हैं. बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन यूबीएसएफटी के मुख्य कार्यपालक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है. यूबीएसएफटी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है जबकि प्रशासनिक कार्यालय मुंबई में है.

बैंक द्वारा अपने निदेशकों की एक सीएसआर समिति बनायी गयी है जो बैंक एवं यूबीएसएफटी की सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा तिमाही वार करती है. इस समिति की अध्यक्षता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत चयनित एक शेयर धारक निदेशक द्वारा की जाती है

सामाजिक उत्थान एवं वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यूबीएसएफटी का गठन किया गया है. यूबीएसएफटी ने 8 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय के विकास इत्यादि में कुल रुपये 40.42 लाख की राशि खर्च की गयी.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यूबीएसएफटी का क्षेत्र वार अनुमोदन एवं संवितरण ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्षेत्र वार अनुमोदन एवं संवितरण:-

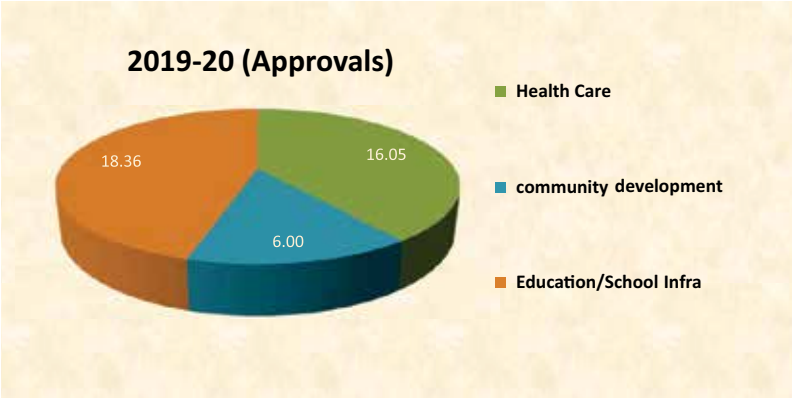

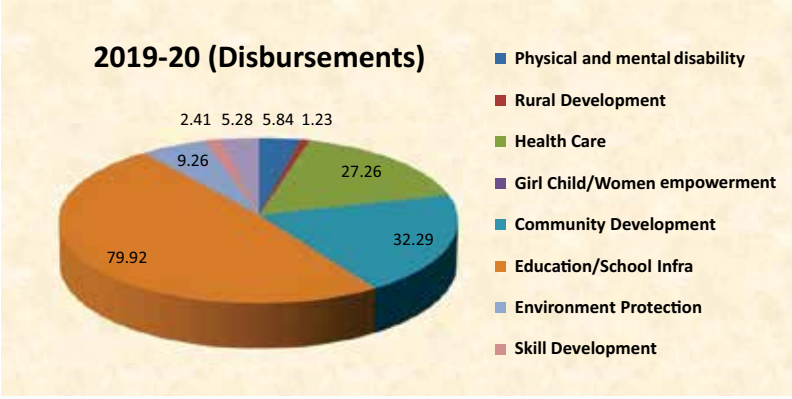

कर्नाटक सरकार पॉलीटेक्निक मंगलुरु को, कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए सहायता.

शिक्षा क्षेत्र

- नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, कोटद्वार के मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की टंकी, वॉटर कूलर, रसोई घर में सुधार, शौचालय को बेहतर करने के लिए सहायता.
- नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, कोटद्वार को मूलभूत सुविधाएं जैसे वॉटर कूलर, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं महिला शौचालय को स्थापित करने के लिए सहायता

- सरकारी कॉलेज, कोटद्वार को मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सहायता.

हेल्थकेयर सेक्टर

- जरूरतमंद लोगों को आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने के लिए, सेवाभारती सोसायटी, भोपाल को एम्बुलेंस खरीदने हेतु आर्थिक मदद.
- जरूरतमंद लोगों को आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने के लिए, करीमुलहक मानोब सेवा सदन सोसाइटी.

एम्बुलेंस खरीदने हेतु सेवा भारती ट्रस्ट, भोपाल को दिनांक 24.06.2019 को एम्बुलेंस प्रदान करना.

सामुदायिक कल्याण

- कोल्हापुर और गोवा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए सहायता.
- बेलगावी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री देने के लिए सहायता.

वर्ष 2019-20 के दौरान नई पहल :

ए) आधार नामांकन केंद्र:- यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को यूआईडीएआई द्वारा 10% बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है. तदनुसार, हमने पूरे भारत की 430 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोले हैं. वर्तमान में 430 बैंक शाखाएं आधार नामांकन हेतु सक्रिय हैं.

बी) विभाग द्वारा डिजिटल पहल :

- तत्काल पीएमजेडीवाई खाता खोलने की सुविधा सभी बीसी पॉइंट पर शुरू की गयी है.
- हमारे सभी बैंक मित्र, माइक्रो एटीएम, मोबाइल या कियोस्क के द्वारा बीसी पॉइंट पर ही नागरिकों के तत्काल ई-केवाईसी पीएमजेडीवाई खाते खोल सकते हैं और ऐसे तत्काल खातों में एईपीएस (AePS) के माध्यम से लेनदेन की सुविधा भी प्रदान की जाती है.
- बैंक मित्र ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे एपीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के लिए भी नामांकित कर सकते हैं.
- ग्राहकों को एटीएम और बीसी पॉइंट के माध्यम से रु. 10,000/- तक के ओवरड्राफ्ट के आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है.
- ओवरड्राफ्ट और नामांकन के लिए पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों को पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई हेतु एसएमएस भेजे जा रहें हैं.

I. फिनेकल 10.X में माइग्रेशन

कोर बैंकिंग का संस्करण 7.X से 10.X में माइग्रेशन का कार्य दिनांक 01.03.2018 को आरंभ किया गया था और यह परियोजना बैंक के सभी 4470+ घरेलू शाखाओं / कार्यालयों और 5 विदेशी शाखाओं / कार्यालयों में क्रमश: 13.05.2019 और 25.11.2019 को लाइव हो गयी. फिनेकल 10 एक व्यापक, एकीकृत और मॉड्यूलर समाधानों की सुविधा प्रदान करता है, जो न केवल शाखा की दैनिक चुनौतियों का समाधान करेगा बल्कि, परिचालन दक्षता से उत्पादकता भी बेहतर करेगा. फिनेकल 10 में एकीकृत ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM), हस्ताक्षर सत्यापन प्रणाली (SVS) और सिंगल साइन ऑन (SSO) जैसी प्रमुख मदों को शामिल किया गया है. कस्टमर क्रिएशन, खाते की जानकारी और व्यापार वित्त जैसे मेनू के सेट में भी पूर्ण परिवर्तन हुआ है.

II. मानव संसाधन प्रबंधन (यूनियन परिवार) मोबाइल एप्लिकेशन

बैंक ने अपने मूल्यवान कर्मचारियों के लिए, दिनांक 17.07.2019 को एण्ड्रोइड और आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर एचआरएमएस मोबाइल एप्लिकेशन आरंभ किया है, जिसमें सभी कर्मचारियों से संबंधित आवश्यक मॉड्यूल जैसे अवकाश का आवेदन, भत्तों के लिए आवेदन, दौरे / यात्रा बिलों का दावा करना आदि शामिल हैं. यह एप्लिकेशन ओटीपी आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण (भ.नि. क्र. /पासवर्ड और एसएमएस ओटीपी) से सुरक्षित है. इसमें कर्मचारी 24 X 7 आधार पर अपने मानव संसाधन संबंधित दिन-प्रतिदिन के कार्यों को पूरा कर सकते हैं. बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पेंशन विवरण और चिकित्सा बीमा योजना के लिए, इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं. बैंक के प्रयोगकर्ता आस्तियों और देयताओं के प्रबंधन, ब्रीफ़केस प्रतिपूर्ति, करियर योजना, सफाई व्यय, कॉलेज शुल्क प्रतिपूर्ति, वाहन भत्ता, पाठ्यक्रम शुल्क, मनोरंजन व्यय की प्रतिपूर्ति तथा त्योहार अग्रिम आवेदन आदि के लिए इस मॉड्यूल का प्रयोग कर सकते हैं.

III. मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में निम्नलिखित नई सुविधाओं को शामिल किया गया है: निरंतर वृद्धि प्रक्रिया और एनपीसीआई दिशानिर्देशों के एक भाग के रूप में यू-मोबाइल:

- वर्चुअल की-पैड का कार्यान्वयन.

- क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल, बीबीपीएस और भारत क्यूआर, फास्टैग रिचार्ज जोड़े गए हैं.
- जो यूनियन बैंक के ग्राहक नहीं हैं, उनके लिए "नया खाता खोलने के लिए आवेदन" लिंक.
- मोबाइल के माध्यम से ग्राहक की शिकायतों / सेवा अनुरोधों के लिए यू-मोबाइल के साथ ओसीआरएम का एकीकरण.
- अंगुलियों के इशारों पर निधियों के अंतरण की सुविधा हेतु, त्वरित भुगतान का कार्यान्वयन- निधियों का तत्काल अंतरण विकल्प.
- किसी भी समय गृह ऋण पर ब्याज का प्रमाणपत्र.

IV. सी-केवाईसी मोबाइल एप्लिकेशन

सेविंग बैंक खाता, जीवन बीमा आदि खाता खोलते समय, हमेशा केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता के स्थान पर, एक बार केंद्रीकृत प्रक्रिया में बदलने के लिए, दिनांक 24.12.2019 को केंद्रीय केवाईसी मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया.

V. ई-लर्निंग मोबाइल एप्लिकेशन

बैंक ने अपने मूल्यवान कर्मचारियों के लिए बैंक से संबंधित पाठ्यक्रमों और नवीनतम प्रौद्योगिकी रुझानों की उपलब्धता के लिए, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर ई-लर्निंग मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है. यह पारंपरिक शिक्षण की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्योंकि यह संचार के डिजिटल मोड के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करता है.

VI. अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस प्रबंधन (एपीआईएम) समाधान

बैंक ने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग कर, फिनेकल के माध्यम से वास्तविक समय पर लेनदेन प्रसंस्करण की सुविधा के लिए एपीआईएम समाधान आरंभ किया है, जो फिनेकल 10 में उपलब्ध है. बैंक ने एपीआईएम के माध्यम से निम्न कार्य सफलतापूर्वक किया है :

- **राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** एडवांस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट (एपीआईएम) समाधान के माध्यम से 19.12.2019 को चालान आधारित कर-संग्रहण के लिए, राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एकीकरण किया है. ग्राहक वास्तविक समय के आधार पर, राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन से प्राप्त चालान के पेटे भुगतान प्राप्त कर सकेंगे.
- **हज शुल्क संग्रह सेवा:** एपीआईएम समाधान के माध्यम से हज शुल्क संग्रहण सेवा को भी फिनेकल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है.
- **डेबिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली (डीसीएमएस):** डेबिट कार्ड सक्रियता: आमतौर पर डेबिट कार्ड को सक्रिय करने में 24-48 घंटे लगते थे, जो फिनेकल के साथ एपीआईएम एकीकरण करके वास्तविक समय में होने लगा है. अब डेबिट कार्ड ग्राहक को आवंटित करते समय वास्तविक समय आधार पर सक्रिय किया जा सकता है.

VII. यूपीआई 2.0

मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में यूपीआई 2.0 को 29.06.2019 से आरंभ किया गया है. यह उन्नत सुरक्षा नियंत्रण और यूपीआई के संव्यवहारों का बेहतर समाधान सुनिश्चित करेगा.

VIII. एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (ईएफआरएम)

संव्यवहारों की बेहतर ट्रैकिंग और किसी भी धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए, ग्राहकों के संव्यवहारों और व्यवहारिक पैटर्न की निगरानी के लिए, बैंक ने ईएफआरएम समाधान आरंभ किया है और सभी संव्यवहार चैनलों यथा- इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, बीसी चैनलों को एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन के साथ एकीकृत किया है.

IX. विभिन्न भुगतान चैनलों को सुगम बनाने के लिए विभिन्न ईएएसई एजेंडाओं का क्रियान्वयन

- सीबीएस
- एटीएम
- मोबाइल बैंकिंग
- इंटरनेट बैंकिंग
- वित्तीय समावेशन

X. बैंक मित्रों (बीसी) के कार्यों में निम्न कार्यों को शामिल किया गया है:

- बीसी केन्द्रों में डेबिट कार्ड के माध्यम से नकद जमा.
- बीसी केन्द्रों में चेक बुक के लिए अनुरोध, चेक के भुगतान से संबन्धित जानकारी और चेक का भुगतान रोकने के लिए अनुरोध.
- ईएएसई एजेंडा के रूप में बैंक मित्र के माध्यम से एनईएफटी लाइव किया गया.
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सक्षम करना.

XI. आंचलिक सीबीएस सहायता केंद्र : शाखाओं/कार्यालयों की तुरंत सहायता के लिए, दिनांक 29.06.2019 से 4 स्थानों : दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और बेंगलुरु में जोनल सीबीएस हेल्पडेस्क बनाए गए हैं. जिसमें फिनेकल 10 की अच्छी जानकारी रखने वाले 5 सामान्य बैंकिंग के अधिकारियों को पदस्थ किया गया है.

XII. ग्राहकों को बहु-भाषी एसएमएस

सभी संवर्ग के ग्राहकों की सुविधा के लिए, 5 क्षेत्रीय भाषाओं - हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और पंजाबी में, संव्यवहारों के लिए बहुभाषी एसएमएस दिनांक 21.11.2019 से भेजे जा रहे हैं.

XIII. स्विफ्ट में निम्नलिखित नई मदों को शामिल किया गया है :

- स्विफ्ट के माध्यम से चालान सत्यापन- स्विफ्ट इंडिया के माध्यम से जीएसटीएन से चालान सत्यापन सेवा को दिनांक 17.07.2019 से लाइव किया गया है.
- वैश्विक भुगतान नवाचार (ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन)
- भुगतान नियंत्रण प्रणाली (पीसीएस) - पीसीएस एक वास्तविक समय समाधान है, जो स्विफ्ट भुगतान संदेशों का पता लगाने और सत्यापित करने के लिए, स्विफ्ट के सुरक्षित नेटवर्क से भुगतान संदेश की जांच करता है और यह बैंकों के लिए नियंत्रण का एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच है. यह बैंकों को उच्च जोखिम भुगतानों का पता लगाने और रोकने में मदद करता है और साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में व्यावसायिक व्यवधान और वित्तीय नुकसान को कम करता है.
- एलएयू (स्थानीय प्रमाणीकरण उपयोगिता) - यह कूटलेखन उपयोगिता सीबीएस और स्विफ्ट प्रणाली के बीच कार्य करता है और संदेशों के प्रसारण के दौरान उसकी सत्यता और गोपनीयता का ध्यान रखता है. एलएयू को कोषागार प्रणाली और स्विफ्ट प्रणाली के बीच क्रियान्वित किया जाता है.
- DCS (डेटा सेंटर सिक्योरिटी सॉल्यूशन) -इसका प्रयोग, फाइलों के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए, स्विफ्ट सर्वर में क्रियान्वित किया जाता है.

XIV. आधार वाल्ट

यूआईडीएआई से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक आधार वाल्ट सिस्टम को क्रियान्वित करने जा रहा है जिससे अलग सुरक्षित सिस्टम पर आधार नंबर और आधार संबंधित आधार डाटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा.

XV. बैंक के एटीएम टर्मिनल पर जेसीबी कार्ड को सक्षम करना

बैंक के एटीएम स्विच को दिनांक 22.07.2019 से जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) कार्ड की स्वीकार्यता हेतु एनपीसीआई के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया गया.

XVI. एटीएम स्विच का ईएमवी प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ.

XVII. वित्तीय समावेशन गेटवे पर एईपीएस 2.05 का क्रियान्वयन करना जिससे सुरक्षा मजबूत हो सके.

XVIII. एनपीसीआई के साथ MAC-ing का क्रियान्वयन

बैंक एवं एनपीसीआई के बीच सुरक्षा मजबूत करने के लिए, एनपीसीआई एवं बैंक स्विच के बीच MAC-ing को दिनांक 28.06.2019 से क्रियान्वित किया गया है जिससे बैंक एवं एनपीसीआई के बीच भेजे जाने वाले संदेशों की अखंडता सुनिश्चित हो सके.

सरकारी कारोबार पहल :

1. **सरकारी ई - बाजार स्थल (GeM)- कारोबार का भविष्य**

- ➢ बैंक ने सरकारी ई बाजार स्थल (GeM), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ एक "समझौता ज्ञापान" हस्ताक्षरित किया है. सरकारी विभाग/संस्था एवं पीएसयू को वांछित "वस्तुओं एवं सेवाओं" की ऑनलाइन खरीद को बढ़ावा देने के लिए GeM वन स्टॉप पोर्टल बनाया गया है. यह पारदर्शिता, दक्षता एवं सरकारी खरीद में तेजी के उद्देश्य से बनाया गया है.
- ➢ "प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के स्वप्न" एवं "व्यापार करने में आसानी" की पहल को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से पेपरलेस, केशलेस प्रणाली संचालित मंच है.
- ➢ "वित्त मंत्रालय" के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सरकारी संस्थाओं को वस्तुओं एवं उत्पाद की आपूर्ति हेतु GeM पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य है.
- ➢ GeM वेब पोर्टल पर उपलब्ध मुख्य सेवाएं :

• पंजीकरण फीस का संग्रहण	• ई-निष्पादन बैंक गारंटी
• बयाना राशि	• प्रतिभूति जमा
• राज्य GeM पूल खाता	• पेमेंट गेटवे

2. लघु जमा योजना - निम्नलिखित सरकारी योजनाओं को डिजिटल मोड के अंतर्गत लाया गया है :

- पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना(पीपीएफ) - खाता खोलना, मोबाइल बैंकिंग में ऑनलाइन खाता परिचालन एवं जोड़ना
- सुकन्या समृद्धि योजना(एसएसवाई)- खाता खोलना, मोबाइल बैंकिंग में ऑनलाइन खाता परिचालन एवं जोड़ना.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना(एनपीएस)- मोबाइल बैंकिंग में ई-एनपीएस के माध्यम से खाता खोलना.

3. **पीजी एवं भीम यूपीआई एवं QR:** सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, हर वो संस्था जिसका वार्षिक टर्न ओवर 50 करोड़ से अधिक है उनको भुगतान सुविधा भीम यूपीआई एवं QR माध्यम से देनी अनिवार्य है. बैंक ने कई संस्थाओं को सुविधा प्रदान की है जिसमे विशेषकर सरकारी संस्थाओं जैसे एचआईएल, जीएनआईडीए एवं एनएचपीसी को पेमेंट गेटवे एवं ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए भीम यूपीआई/ क्यूआर सेवाएँ प्रदान की है.

4. **निधि प्रबंधन प्रणाली:** हमने कई सरकारी संस्थाओं के साथ वसूली एवं भुगतान के लिए प्रणाली आधारित तंत्र को बिना किसी मैनुअल छेड़छाड़ के इंटीग्रेट किया है. यह बैंक के लिए गैर ब्याज आय का प्रमुख स्त्रोत है साथ ही कासा को बढ़ाने में मदद मिलती है.

5. **ग्राम पंचायत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना:** भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने निर्देश दिये हैं कि राज्य के सभी ग्राम पंचायत को अपने वेंडर एवं सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र के माध्यम किया जाए जिससे पीआरआईए सॉफ्ट एवं पीएफएमएस ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से होने वाले भुगतान की पारदर्शिता /जबाबदेही की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके. हमारे बैंक द्वारा इस पहल में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं एवं 9000 से अधिक ग्राम पंचायतों को पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर लाया गया है.

2019-20 के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 101वां स्थापना दिवस उत्सव

देश में सबसे विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) में 11 नवंबर 2019 को अपना 101वां स्थापना दिवस मनाया. एक सदी से भी अधिक समय से पूरे देश में लाखों ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक के इस महत्त्वपूर्ण अवसर की शोभा बढ़ाने के लिये वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव, भारत सरकार एवं श्री रवि मित्तल, अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग उपस्थित थे.

100 सालों के परिचालन में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विस्तृत श्रृंखला वाले उद्योगों और क्षेत्रों जैसे निर्यात, कृषि, व्यापार, बुनियादी ढांचे और अन्य विशिष्ट व्यापार श्रेणियों को क्रेडिट दिया है. 70 मिलियन से अधिक ग्राहकों के आधार के साथ बैंक का परिचालन 4281 शाखाओं में फैला हुआ है.

इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर बोलते हुए, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने कहा, "मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सेवा के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे करने पर हृदय से बधाई देता हूं. वर्तमान परिदृश्य में निरंतर नवाचार और तकनीकी उन्नति के साथ व्यवस्थित, दक्ष और पारदर्शी बैंकिंग परिचालन समय की मांग है. इस संबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक बेंचमार्क स्थापित किया है.

जिन वजहों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग उद्योग में इतने लंबे समय से डटा हुआ है, उनकी व्याख्या करते हुये श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि "साल दर साल यूनियन बैंक का शानदार प्रदर्शन जारी है, जो हमारे सभी हितधारकों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता. हम अपने उन ग्राहकों, जिन्होंने 100 वर्षों के दौरान हम पर भरोसा बनाए रखा है और हमारे 38000 स्टाफ सदस्यों की समर्पित टीम को उनके अपार योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं. हमारे मूल मंत्र प्रत्येक अवसर को दृढ़ उत्साह के साथ अपनाने में मदद करते हैं, और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम समय के साथ आगे बढ़ने के लिये उन पर कार्य करें. यह मील का पत्थर हमारे मूल विश्वासों को अक्षुण्ण रखते हुए नए नवाचारों को अपनाने के हमारे अथक प्रयासों का एक प्रमाण है."

भारत में बैंकिंग प्रणाली ने हाल में बहुत से बदलाव देखे हैं, परिणामत: प्रतिमान बदल गए हैं- बड़े पैमाने पर मानकीकृत परिचालन और प्रक्रियाओं की बजाय अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस व्यक्तिगत, और ग्राहक

केंद्रित यूज़र अनुभव पेश किया जा रहा है. उत्पादों और सेवाओं को अधिक लचीला, आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिये, नवाचार हो रहा है, जो शानदार ग्राहक अनुभव देने पर केंद्रित है. इस बहुआयामी, ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकिंग के भविष्य की फिर से कल्पना करने में सहायता करते हुए, अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा रहा है.

इस अवसर के उपलक्ष्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित 3 उत्पादों का अनावरण किया:

1. **यूनियन संपूर्ण -** किसानों की आय दुगना करने के लिये, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र के संपूर्ण विकास और कृषि क्षेत्र को एक स्थान पर सभी सुविधाएं देने के लिये तकनीक उन्मुख व्यापक इकोसिस्टम.
2. **ई-वे बिल्स-** इन्वॉइस वेलिडेशन सर्विस, यह जीएसटी काल का महत्त्वपूर्ण स्तंभ है. डिजिटल प्रणाली से गुणवत्तापूर्ण हामीदारी, तेजी से संवितरण और देश में समग्र रूप से सुगमता से कारोबार सुनिश्चित करता है.
3. **एटीएम जियो लोकेटर-** मोबाइल बैंकिंग एप, यू-मोबाइल के अंदर ही, एटीएम की रियल टाइम स्थिति बताता है. यू-मोबाइल उपयोगकर्ता 3 अलग-अलग दूरी की सीमा (0-3किमी), (3-5किमी) और (5-10किमी) में सक्रिय एटीएम का पता कर सकता है.

सह-उत्पत्ति के लिये सीआईएफएल के साथ एमओयू :

(श्री राजकिरण रै जी., एमडी एवं सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ श्री केशव पोरवाल, एमडी, सीआईएफएल)

बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिये मेसर्स कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (सीआईएफएल) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर की घोषणा की है जो कि आरबीआई द्वारा पारिभाषित मॉडल के अनुसार सह-उत्पत्ति मॉडल के अंतर्गत पेशेवर रूप से प्रबंधित एनबीएफसी है.

यह व्यवस्था दोनों क्रेडिट भागीदारों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सीआईएफएल द्वारा सुविधा स्तर पर क्रेडिट के संयुक्त योगदान को दर्ज करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि ऋण ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप मिश्रित उत्पादों को अपनाकर एनबीएफसी के परिचालन की कम लागत और बैंकों से निम्न लागत निधि का लाभ ऋण ग्राहकों को मिलेगा. यह व्यवस्था संबंधित बाजार में क्रेडिट ऑफ-टेक में भी वृद्धि करेगी और कम लागत पर क्रेडिट की समय पर सुपुर्दगी का अवसर भी देगी.

सह प्रवर्तन मॉडल प्राथमिक क्षेत्र की सहायता के लिए एक बेहतरीन संबल होगा एवं बैंक और एनबीएफसी को साथ मिलकर इस पद्धति के माध्यम से ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

Bankbazaar.com के साथ साझेदारी :

(श्री राजकिरण रै जी., एमडी एवं सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ श्री आदिल शेट्टी, सीईओ Bank Bazaar.com)

बैंक ने आवासीय **ऋण कारोबार** के डिजिटल स्रोतों के लिए BankBazaar.com के साथ साझेदारी समझौता किया है. यह साझेदारी डिजिटल क्षेत्र के वित्तीय सेवाओं के बढ़ते चलन के अनुरूप है. **बैंक बाजार** की उपस्थिति के साथ एक अग्रणी **फिनटेक भागीदार**, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने पारंपरिक एवं भौतिक बैंकिंग चैनलों से परे अपनी पहुँच बढ़ाता है. यूनियन बैंक इसी स्तर की सेवाओं की सोच के साथ पिछले 100 वर्षों से डिजिटल चैनल के माध्यम से उनके ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है.

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस :

बैंक ने मुंबई के अपने केंद्रीय कार्यालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का आयोजन किया. समान अवसर नीति प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा उनके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में सभी कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने एवं कार्यस्थल को सुलभ एवं समावेशी बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु गतिविधियों का आयोजन किया.

जब उन्होंने आज काम पर रिपोर्ट किया तो विकलांगता से संबंधित मुद्दों एवं समाधानों पर सभी कर्मचारियों के लिए एक पॉप प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई एवं विभिन्न सहायक उपकरणों को प्रचलित करने के लिए एक "अनुभव काउंटर" स्थापित किया गया था. सुलभ खेल उपकरण एवं खेल जैसे ब्रेल ताश के पत्ते, विशेष शतरंज का बोर्ड और रींगिंग क्रिकेट बॉल के साथ सहायक तकनीकों जैसे जेएडबल्यूएस, टॉकबैक को प्रदर्शन के लिए रखा गया था.

बैंक ने जागरूकता फैलाने एवं इस कारण के लिए समर्थन एकत्र करने हेतु अखिल भारतीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया.

हरित पहल अभियान :

बैंक ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह को हरित पहल द्वारा चिन्हित किया एवं कार्बन फूड प्रिंट्स को कम करने एवं पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए हरित पहल की श्रृंखला की शुरुआत की. 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरित पहल अभियान का उदघाटन किया गया जिसमें हरित पहल संकल्पना, ई-पत्रिका का शुभारंभ एवं देश के सभी 63 क्षेत्रों के माध्यम से वृक्षारोपण को शामिल किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ "इकोथॉन" के माध्यम से श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अगुवाई में अपनी यूनियन बैंक की टीम के साथ नरीमन पॉइंट में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से मरीन ड्राइव तक हरित मार्च का आयोजन के साथ किया गया.

ई-वेस्ट कलेक्शन बिन्स लगाना :

शताब्दी वर्ष समारोह के भाग के रूप में बैंक ने अपनी मुंबई मुख्य शाखा, कॉर्पोरेट कार्यालय, नरीमन पॉइंट, मुंबई में एक ई-वेस्ट कलेक्शन पॉइंट बनाया. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अपने सभी मुख्य कार्यालयों एवं शाखाओं में इस तरह के ई- वेस्ट कलेक्शन पॉइंट बनाने की योजना है.

8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह :

(फोटो में बाएं से - पद्मश्री डॉ इन्दिरा हिंदुजा - प्रसिद्ध स्त्रीरोग एवं बांझपन विशेषज्ञ, श्री पी वी भारती, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ई- कॉर्पोरेशन बैंक, श्री राजकिरण रै जी., एमडीएंडसीईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्री स्वाति मयेकर - सनदी लेखाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं सुश्री नीरजा - प्रख्यात लेखक और कवयित्री)

बैंक ने मुंबई में बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उन सभी महिला विजेताओं को सम्मानित किया जिन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था. सम्मानित महिलाएं है - डॉ इन्दिरा हिंदुजा - प्रसिद्ध स्त्रीरोग एवं बांझपन विशेषज्ञ, श्री स्वाति मयेकर - सनदी लेखाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता समानता एवं सुश्री नीरजा - प्रख्यात लेखक और कवयित्री हैं.

एक विशेष पुस्तक, विशेषकर महिलाओं को समर्पित "यूनियन अग्रसर" नामक द्विमासिक गृहपत्रिका का विमोचन भी किया गया.

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान

i. इन्फोसिस फिनेकल क्लाइंट **इनोवेशन अवार्ड 2020 -** एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी.

ii. बैंक ने "**सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल 2018 / 19- बड़े बैंक**" की श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित भारतीय बैंक संघ (IBA) का पुरस्कार प्राप्त किया. यूनियन बैंक को वित्तीय समावेशन के अधीन प्रयासों और प्रौद्योगिकी के उपयोग में ग्राहक केन्द्रित सेवाएं एवं उत्पाद प्रदान करने तथा देश के डिजिटल बैंकिंग से वंचित या इसका कम प्रयोग करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता को प्रोत्साहित करने हेतु यह पुरस्कार 5वीं बार प्राप्त हुआ है.

iii. सार्वजनिक बैंकों में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल के लिए **"इकोनॉमिक्स टाइम्स बीएफएसआई एक्सिलेन्स अवार्ड 2019"**.

iv. वित्तीय समावेशन पहल में अग्रणी बैंक के लिए **एबीपी न्यूज बीएफएसआई अवार्ड 2019**.

v. वित्तीय समावेशन पहल के लिए **स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2018**.

गवर्नेंस नाउ द्वारा **"बीएफएसआई - अवार्ड फॉर डिजिटल फाइनेंसियल इंक्लुजन इनिसिएटिव"**.

vi. नॉलेज मैनेजमेंट लीडरशिप अवार्ड : बैंक को एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण पद्धति के उपयोग के लिए प्रतिष्ठित "नॉलेज मैनेजमेंट लीडरशीप अवार्ड" से सम्मानित किया गया.

NOTICE OF 18th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **18th (Eighteenth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India **("Bank")** will be held on **Tuesday, 4th August, 2020 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business::

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2020,** Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:

Item No. 2

To set off the accumulated losses of the Bank as of 31st March, 2020.

To consider and if thought fit, pass with or without modifications, the following resolution as a special resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **("Act")**, Section 17(2) of the Banking Regulation Act, 1949 **("BR Act")**, Para 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of Rs.32758,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two Hundred Sixty Three and Ten Paise only) as at 31st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard."

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Place : Mumbai

Date : 4th July, 2020

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda no. 2 of the meeting is annexed hereto.

2. **HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

   a) In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the item no. 02 being unavoidable, be transacted at the 18th AGM of the Bank.

   b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The

Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.

c) Kfin Technologies Private Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

d) In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at https://emeetings.kfintech.com.

e) As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.

f) Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VC/OAVM please visit https://emeetings.kfintech.com with the credentials as mentioned in the notice para no. 14(vii)(a), (b) & (c). The helpline toll free no. 1800 345 4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.

g) Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come- first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the AGM through VC/OAVM Facility.

h) Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

i) Since the AGM is being held through VC/OAVM the physical attendance of members is dispensed with and no proxies would be accepted by the Bank pursuant to MCA Circulars.

j) Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by 5 PM on 2nd August, 2020. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit https://emeetings.kfintech.com by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session considering availability of time; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 12 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address investorservices@unionbankofindia.com. Such questions by the Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.

k) The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink : https://ris.kfintech.com/email_registration.

l) Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s Datamatics Business Solutions Limited before the cut-off date Wednesday, 29th July, 2020., in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding share shall update their records at the earliest to send the Notice and Annual report

3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investorservices@unionbankofindia.com, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Thursday, 30th July, 2020.

5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed **from Wednesday, 29th July, 2020 to Tuesday, 4th August, 2020** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2011-12 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2012-13, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant ("DP") so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at the following address:

Datamatics Business Solutions Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093.
Tel. No.: 022 – 66712001-6

c) The format for providing Bank account details is annexed to the Annual Report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in

d) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

e) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

8. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

9. COPIES OF ANNUAL REPORT

Considering COVID-19 pandemic and lock down restrictions, copies of the Annual Report 2019-20 in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

10. CUT OFF DATE FOR E-VOTING

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of agenda items no. 1 & 2 shall be reckoned as on **Wednesday, 29th July, 2020.**

11. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Wednesday, 29th July, 2020** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible vote.

12. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested to write to the Bank by email at investorservices@unionbankofindia.com, which should reach the Bank before the date of the AGM latest by 5 PM on 2nd August, 2020 so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the AGM. Please note that members questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. 29th July, 2020.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit https://emeetings.kfintech.com and click on "post your queries here" to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by 5 pm on 2nd August, 2020.

13. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI has mandated submission of permanent account number (PAN) and bank details by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN details to their Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Bank's RTA. Securities of listed entities would be transferred in dematerialised form only, effective from 1st April, 2019. In view of the same members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

14. Business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means:

I. Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI

Circular, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.

II. The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system ("remote e-voting") during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.

V. The remote e-voting period commences on **Saturday, 1st August, 2020 (9:00 am IST) and ends on Monday, 3rd August, 2020 (5:00 pm IST).** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-Off Date of Wednesday, 29th July, 2020** may cast their vote by remote e-voting for agenda item no. 1 & 2. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

VI. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on **cut-off date i.e. Wednesday, 29th July, 2020**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at investorservices@unionbankofindia.com, along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at evoting@kfintech.com sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. before 5.00 pm on 3rd August, 2020.

VII. The process and the manner for remote e-voting are as under:

(a) Launch internet browser and type the URL: https://evoting.karvy.com in the address bar.

(b) Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.

(c) After entering the details appropriately, click on LOGIN.

(d) You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(e) You need to login again with the new credentials.

(f) On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.

(g) On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

(h) Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.

(i) Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

(j) Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are

required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at info@jmja.in and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVENT No. 5364'

VIII. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://evoting.karvy.com under help section or call on 1800 345 4001 (toll free).

IX. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFintech or send an email to evoting@kfintech.com or call 1800 345 4001 (Toll Free).

X. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, 29th July, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.

XI. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFintech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

XII. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

XIII. M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XIV. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.

XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him in writing.

15. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM alongwith the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of KFintech i.e. https://evoting.karvy.com. The voting results and consolidated scrutinizer's report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

16. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda Items No. 1 & 2. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting to be conducted during the Meeting.

17. OUTCOME OF THE MEETING

The resolutions shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

18. RECORDED TRANSCRIPT

Recorded transcript of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 2: Set Off the Accumulated Losses of the Bank as of 31st March, 2020

Pursuant to the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 issued by Central Government vide gazette notification dated March 4, 2020, Andhra Bank and Corporation Bank have been amalgamated into Union Bank of India w.e.f. 1st April, 2020. Amalgamation was done to create more efficient and bigger public sector bank in the changing environment to meet the credit needs of a growing economy and to achieve operational efficiency by scale of business.

In view of the aforesaid, it deems fit that the amalgamated entity shall begin on its new path with a true and fair view of its financial position and thus, the Bank proposes to set off the accumulated losses of Rs.32758,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two

Hundred Sixty Three and Ten Paise only)as at 31st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.

Breakup of Accumulated losses of the Amalgamated Entity as on 31st March, 2020 is as under:

(Rs. in crores)

Particulars	Union Bank of India	E-Corporation Bank	E-Andhra Bank	Total
Share Premium	25,226.18	16,081.95	8,798.74	50,106.86
Debit Balance of P&L Account	-11,672.67	-13,122.45	-7,963.37	-32,758.49
Net Share Premium	13,553.50	2,959.50	835.37	17,348.37

The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, whichas on 31st March, 2020 stood at Rs.32758,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two Hundred Sixty Three and Ten Paise only)will accordingly stand reduced.

The proposed set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book value per share, Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS).

The said set off will help the Bank to improve its distributable reserves. The Bank will also be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.

In terms of Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank may appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in Section 3(2BBA) of the Act. Further, in terms of Section 3(2BBA) of the Act, the Bank may, from time to time and after any paid-up capital has been raised by public issue or rights issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement, by resolution passed at an annual general meeting of the shareholders entitled to vote, voting in person, or, where proxies are allowed, by proxy, and the votes cast in favour of the resolution are not less than three times the number of the votes, if any, cast against the resolution by the shareholders so entitled and voting, reduce its paid-up capital in any way.

As the proposed utilization of Share Premium Account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought.

Section 17(2) of the Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium or Revenue Reserve Account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

The reduction of Share Premium Account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium Account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium Account will remain unchanged.

Sr. No	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding	Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding
1.	Promoter's Holding Government of India	5,70,66,60,850	89.07	5,70,66,60,850	89.07
2.	Non-Promoter Holding: Public	70,01,83,505	10.93	70,01,83,505	10.93
	Total	**6,40,68,44,355**	**100.00**	**6,40,68,44,355**	**100.00**

The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 4th July, 2020

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors are pleased to present the 101st Annual Report of the Bank for the Financial Year 2019-20 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2019-20.

1. Economy Overview:

1.1 In the year 2019-20, global growth recorded its weakest pace since the global financial crisis a decade ago, registering a growth of 2.9% in 2019 compared to 3.6% in the previous year. Rising trade barriers and associated uncertainty weighed on business sentiment and activity globally. Both emerging and developing market economies as well as advanced economies slowed down.

1.2 Towards end of the financial year, global growth has hit unprecedented depths of despair amidst Covid-19 outbreak. Global Lockdown due to the pandemic saw major indices of manufacturing and services across countries declining to record lows on the back of supply-side disruptions. Global energy prices plunged, Equity and debt markets saw sell-offs dramatically in March 2020 which led to crashing of benchmark equity indices and tightening of bond yields. Governments and Central Banks have taken unprecedented fiscal and monetary policy measures to mitigate the adverse impact of Covid-19. International Monetary Fund (IMF) projects global output in 2020 to contract by 3 per cent with output of advanced countries contracting more than emerging market and developing economies.

1.3 Turning to Indian economy, even before the onset of Covid-19 pandemic, the country was experiencing slowdown. The country's GDP grew at 4.2% in FY 20 lower than that of 6.1% in FY19. Several fiscal and monetary actions were initiated by the Government and RBI respectively, to lessen the adverse impact on financial system due to COVID-19 related disruptions.

1.4 On the policy front, the year saw many measures undertaken by the government and the regulator. On part of the government, a mega amalgamation exercise was undertaken and 10 Public Sector Banks (PSBs) were amalgamated into 4 large entities, and your Bank is poised to emerge as the 5th largest PSB in the country with amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India, with effect from 01.04.2020. Similarly, on the regulatory front, the introduction of External Benchmark Linked Lending Rates (EBLR) to all Retail Segments will go a long way in improving the monetary transmission.

2. Bank's Performance

Established in the year 1919, your Bank has 4,284 branches including 3 overseas branches, 6895 ATMs across 29 States and 5 Union Territories and 37,318 employees as on March 31, 2020.

Key achievements during FY 2019-20:

- Net Interest Income for FY 20 increased by 12% Y-o-Y to Rs.11437 crore.
- Operating profit for FY 20 increased by 22% Y-o-Y to Rs.9181 crore.
- PCR improved to 73.64% as on March 31, 2020 compared to 66.24% as on March 31, 2019.
- Net NPA ratio declined to 5.49% as on March 31, 2020 from 6.85% as on March 31, 2019.

During FY 2019-20, your Bank has undergone many transformations/ adopted new processes as given below.

2.1 **Amalgamation:**

Initiating major reforms in the PSBs, a mega amalgamation exercise had been taken up in FY 2020. Accordingly, 10 PSBs have been amalgamated into 4 Banks. As part of this initiative, Andhra Bank and Corporation Bank have been amalgamated into Union Bank of India, w.e.f. 01.04.2020, making the amalgamated entity, the 5th largest PSB in the country.

The amalgamation exercise aims to reap the economies of scale from increased branch network, customer base and synergies on account of cost rationalization & technological assimilation. After amalgamation, your Bank shall become stronger with more than 9500 Branches, 13300 plus ATMs, an employee strength of over 75,000 and with a customer base of over 120 million. The amalgamation will also provide impetus for adoption of the best practices among the banks to improve customer service, productivity, leading to higher profitability.

2.2 **EASE(Enhanced Access and Service Excellence):**

Enhanced Access and Service Excellence (EASE) was launched by Government of India in 2018-19 to increase the efficiency of PSBs across every domain and being measured on quarterly basis. For FY 2019-20, EASE 2.0 was launched by Government of India which is built on the foundation of EASE 1.0 and introduces new reform Action Points across 6 themes to strengthen processes and systems.

Under EASE 2.0. your Bank secured 4th position in

December 2019 quarter.

The Bank has worked on number of areas to improve efficiency under EASE like:

- Providing a comprehensive and robust risk management system.
- Introduced an online digital OTS platform for settlement of NPA accounts.
- Improving on Early warning signal system introduced in last financial year for monitoring of loan accounts.
- Forging tie ups with 'Agencies for Specialised Monitoring' for post sanction monitoring of large value accounts.
- Delivering better banking services through alternate channels by increasing the services being offered through mobile, internet, call centre or Bank Mitras.
- Strengthened credit underwriting and cyber security measures.

For EASE 2.0 December 2019 ranking, your bank was among top three under the themes "Credit Off-take" and "UdyamiMitra for MSME" which displays bank's commitment for nation building by providing necessary support to the MSME sector.

The Government of India has launched new EASE index EASE 3.0 for FY 2020-21 with the theme "Banking of the Future". Under EASE 3.0 focus would be on Smart, tech-enabled banking which aims to transform PSBs into digital & data driven organizations and alter the mass banking landscape. Your Bank is further strengthening its processes across all domains, building and expanding the infrastructure to become the Bank of next generation, providing best in class services and customer experience.

2.3 **Online sales of Union Mutual Fund Schemes-** In order to promote digitization, the bank has been working closely with respective channel partners to develop system capabilities to enable customers buy third party products like Insurance and Mutual Fund online using the Bank's technology interfaces. Facility to buy Union Mutual Fund schemes through Bank's website and U-Mobile App has been commenced.

2.4 **U-mobile App based enrolment for PMSBY Scheme –** Facility to buy PMSBY insurance cover through UMobile App has been enabled. This is in addition to an option to buy PMSBY insurance cover through corporate website for Bank's net banking customers. More than 9800 customers have enrolled under PMSBY through U-Mobile.

2.5 **Launched the Treasury -** FX Retail, an electronic trading platform designed by Clearing Corporation of India Ltd(CCIL) which provides for buying/selling of foreign exchange by retail customers of the bank.

2.6 **Specialization in Monitoring and Recovery -** Your Bank has taken many proactive steps for monitoring of loans like;

- Specialised cell for monitoring of accounts in the range of Rs 100.00 cr to Rs 250.00 cr and Rs 250.00 cr and above, both headed by Senior Executives.
- Dynamic review of High value accounts is being done with updated developments/analysis covering financials. The external data/information is being used leveraging Fintech platforms.
- RPA (Robotic Process Automation), machine learning and use of Oracle Data base is being used for analytics. 85% of non-NPA and non-SMA portfolio of Bank advances covering RAM & Corporate advances has now been covered under PSA (Potential Stress Assets).Concept of PSA involves rigorous analysis of accounts/portfolio based on Early Stress Signals(ESS).

2.7 Your Bank is adopting the centralization /automation / integration of internal business processes in order to enhance quality of IT services. It is taking substantial measures in securing the IT assets of the Bank by implementing best-in-class IT Security and Risk Management Framework.

2.8 Your Bank is also striving to streamline the banking services for customers with cutting edge technology. Migration of Core Banking from version 7.x to 10.x, Central KYC mobile application to centralize the multiple KYC submission process, e-Learning mobile application for delivery of banking knowledge through digital mode, implementation of UPI 2.0. an all-in-one mobile banking application- UMobile, integration of Rajasthan State Beverages Corporation Ltd., Government eMarketplace (GeM), Haj fee collection service, Debit Card Management System (DCMS),Aadhaar Seeding/De-seeding, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan (PMSYM) enrolment with APIM solution, and integration of transaction channels i.e. Internet Banking, ATM, Mobile Banking, BC channels with Enterprise Fraud Risk Management Solution are some of the major initiatives taken during the FY 2019-20.

2.9 As a part of business process transformation, your Bank has envisaged technology innovations in providing hassle free services by launching HRMS mobile application on android and iOS platform for its valuable employees for immediate sanctioning and disbursement of perks and allowances. This application is secured with OTP based login authentication mechanism to enable the employees 24*7 access to carry out their day-to-day HR related activities on the fly. Bank's retired employees can

also access this mobile app for pension details and medical insurance scheme.

2.10 **CSOC - Threat Intelligence Solution:** The Bank has instituted Advanced Cyber Threat Hunting Program and deployed a dedicated team of experts to monitor the activities.

3. Business Highlights:

3.1 The global business of the Bank Increased to Rs. 7,97,589 crore as on March 31, 2020 from Rs. 7,41,307 crore as March 31, 2019, reflecting an annual growth of 7.6 per cent.

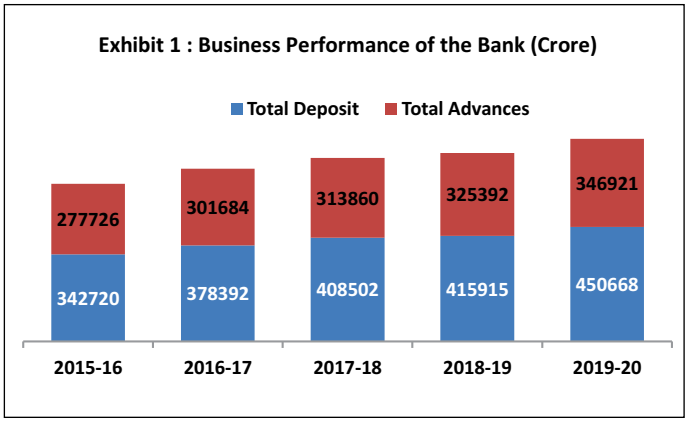

3.2 Total Deposits increased to Rs.4,50,668 crore as on March 31, 2020 from Rs.4,15,915 crore as on March 31, 2019, noting an annual growth of 8.4 per cent. CASA (current account and saving account) share in total deposit stood at 35.6 per cent as on March 31, 2020. The saving deposit grew by 8.4 per cent in FY 2019-20.

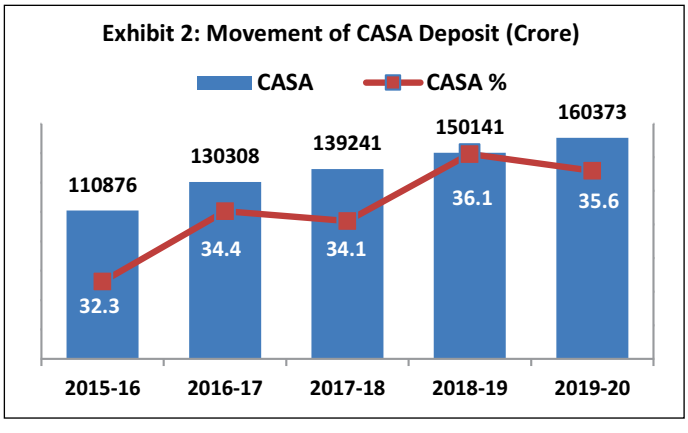

3.3 Gross Advances stood at Rs. 3,46,921 crore as on March 31, 2020 compared to Rs. 3,25,392 crore as on March 31, 2019 recording an annual growth of 6.6 per cent.The RAM (Retail, Agriculture and MSME) sector stood at Rs. 1,80,510 crore as on March 31, 2020 compared to Rs. 1,73,237 crore as on March 31, 2019. RAM Sector as a whole grew at an annual rate of 4.1 per cent.

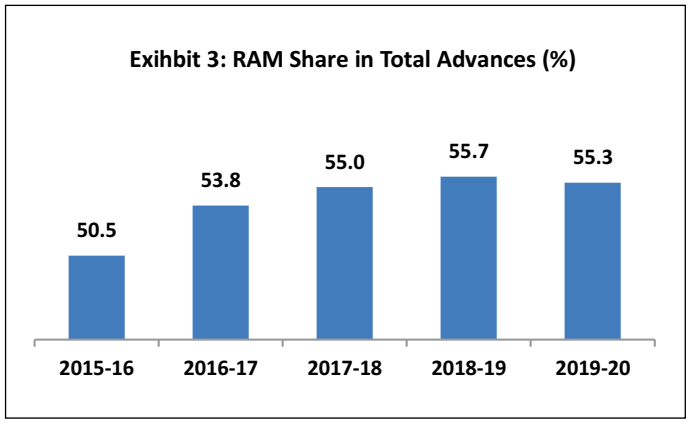

2.4 Overseas business of the Bank stood at Rs.24,345 crore as on March 31, 2020 compared to Rs.17,276 crore as on March 31, 2019. Your Bank has three overseas branches at Hong Kong, DIFC (Dubai) and Sydney (Australia). Your Bank also operates in the United Kingdom through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd.

4. Income and Expenditure:

Table 1: Income and Expenditure Statement

(Rs.crore)

Sl.	Parameter	FY 2019-20	FY 2018-19	Annual Growth	
				Absolute	(%)
1	Interest Earned	37231	34067	3164	9.29
2	Other Income	5261	4474	787	17.59
3	Total Income (1+2)	42492	38541	3951	10.25
4	Interest Expended	25794	23852	1942	8.14
5	Net Interest Income (1-4)	11437	10215	1222	11.96
6	Operating Expenses	7516	7168	348	4.85
	w/w Establishment Expenses	3359	3151	208	6.60
7	Total Expenditure	33311	31020	2291	7.39
8	Operating Profit (3-7)	9181	7521	1660	22.07
9	Provisions	12079	10469	1610	15.38
10	Net Profit/Loss	-2898	-2948	-	-
11	Earnings per share	-12.49	-25.08	-	-

5. Profitability and Efficiency:

5.1 Your Bank reported an Operating Profit of Rs. 9181 crore in FY 2019-20 as compared to Rs 7,521 crore in FY 2018-19.

5.2 Net loss of the Bank stood at Rs. 2898 crore in FY 2019-20 compared to loss of Rs. 2,948 crore in FY 2018-19.

5.3 Cost-to-income ratio of your Bank stood at 45.0 per cent in FY 2019-20 compared to 48.80 per cent in FY 2018-19.

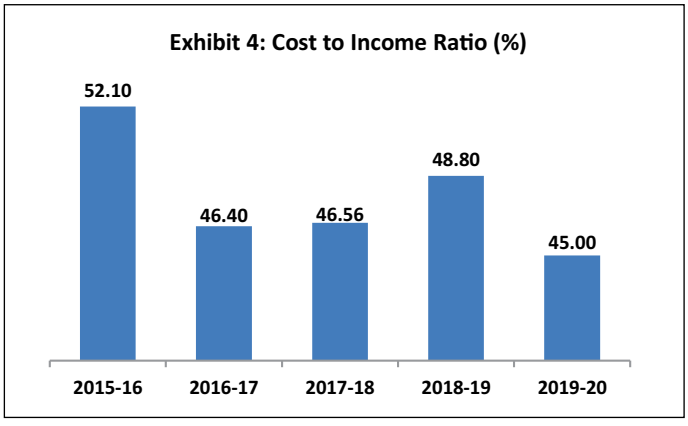

5.4 During FY 2019-20, Return on Average Assets stood at (-) 0.53 per cent, whereas Return on Equity stood at (-) 12.5 percent.

Table 2: Efficiency Ratios (₹crore)

Parameter (%)	FY 2019-20	FY 2018-19
Return on Average Assets	(-) 0.53	(-) 0.59
Return on Equity	(-) 12.5	(-) 15.57

5.5 The following are the key productivity ratios of the Bank for FY 2019-20.

Table 3: Productivity Ratios (₹crore)

Parameter (%)	FY 2019-20	FY 2018-19
Business per Employee (Rs. crore)	20.1	19.9
Business per Branch (Rs. crore)	186.2	172.7
Gross Profit per Employee (Rs. lakh)	24.6	20.2

5.6 Dividend:

Due to higher provisions for NPA, your Bank has reported loss of Rs.2,898 crore in FY 2019-20. Accordingly, the Board has not recommended any dividend.

6. Shareholders' Return:

6.1 The Bank's net worth increased to Rs. 23,153 crore as on March 31, 2020 compared to Rs.18,927 crore as on March 31, 2019.

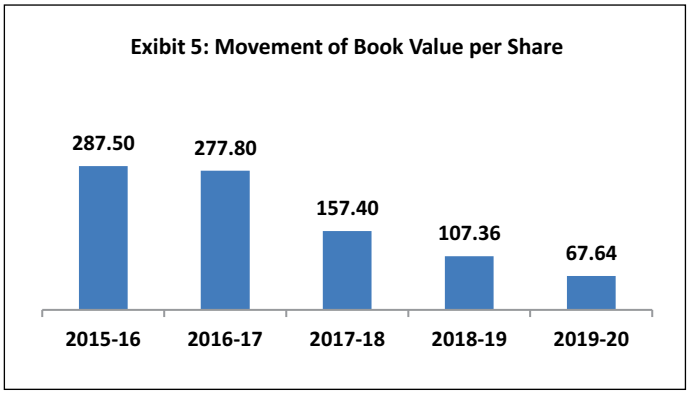

7. Asset Quality:

7.1 Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank stood at Rs.49,085 crore as on March 31, 2020 compared to Rs.48,729 crore as on March 31, 2019. GNPA as per cent to gross advances decreased to 14.15 per cent as on March 31, 2020 compared to 14.98 per cent as on March 31, 2019.

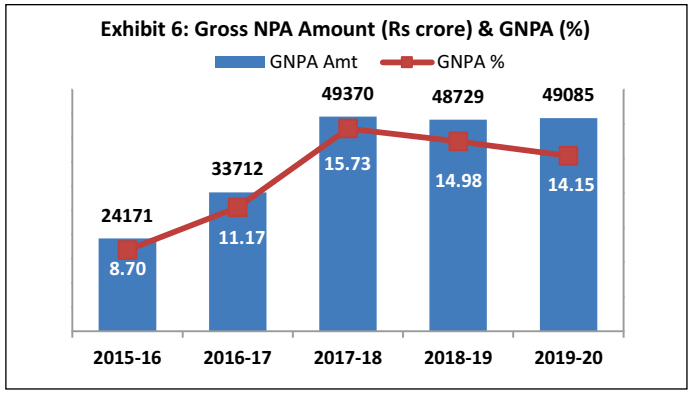

7.2 Net NPA of the Bank declined to Rs.17,303 crore as on March 31, 2020 compared to Rs. 20,332 crore as on March 31, 2019.

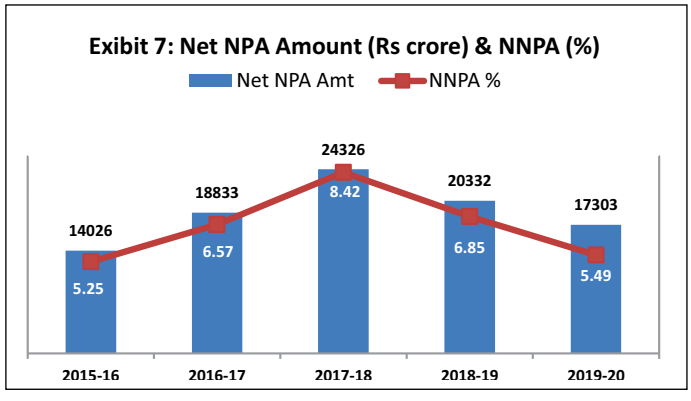

8. Capital Adequacy :

8.1 The Capital Adequacy Ratio as per BASEL III norms stood at 12.81 per cent as on March 31, 2020 from 11.78 per cent as on March 31, 2019. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank stood at 9.4 per cent in March 2020.

Table 4: Capital Adequacy Ratios - Basel III (₹crore)			
Parameters	**RBI Minimum Benchmark March 31, 2020**	**March 31, 2020**	**March 31, 2019**
Total Risk Weighted Assets	NA	294984	278344
Total Capital Funds		37790	32796
CET 1 Capital		27713	22328
Tier 1 Capital		37790	26388
CRAR (%)	10.875	12.81	11.78
CET 1 (%)	7.375	9.4	8.02
Tier 1 (%)	8.875	10.75	9.48
Tier 2 (%)	NA	2.06	2.3

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 1.875 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

8.2 Capital infusion by Government of India:

- The Bank issued and allotted 165,98,02,538 equity shares on preferential basis to the Government of India, against the Capital infusion of Rs.11,768 crore at an issue price of Rs. 70.90 per share (including a share premium of Rs. 60.90 per share) on November 30,2019. The shareholding of GoI now stands at 86.75% as on March 31,2020.

9. Network

- Network of your Bank is spread across the country with 4,281 branches as on March 31, 2020. The Bank also has three full fledged overseas branches. The Bank has network of 6895 ATMs as on March 31, 2020.
- Your Bank sponsors Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. It has network of 459 branches, spread over 8 districts of Eastern U.P. namely Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Bhadohi and Ambedkar Nagar. However, as per the notification by the Government of India, KGSGB has been merged with Baroda U.P Bank, w.e.f April 01, 2020.

10. Secretarial Audit:

Pursuant to provisions of Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation") and the SEBI circular no. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 8, 2019, the Bank had appointed M/s Bhandari & Associates, practicing Company Secretaries to act as the Secretarial Auditor of the Bank for the financial year 2019-20. The secretarial audit of the Bank was conducted for the full year in respect of the matters as prescribed in the said circular and as set out in the Secretarial Audit Report for the financial year 2019-20, which is provided as an annexure to this report.

The Secretarial Audit Firm has not given any qualification in their report but has given some observations/suggestions to improve the Corporate Governance practices followed by the Bank. A gist of the same is given here under:

- There were two vacancies on the Board of the Bank w.r.t. Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- The Bank had appointed Ms. Monika Kalia, a Company Secretary and CAIIB as Chief Financial Officer (CFO) of the Bank with effect from June 03, 2019. However, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the Bank was required to appoint a qualified Chartered Accountant as its CFO.
- The Reserve Bank of India has imposed penalty of Rs. 10 lac and Rs. 1.50 crore for delay in fraud identification and reporting and non-compliance of RBI's directions in relation to Discontinuing/ Rediscounting of Bills during the FY 2019-20.

At the outset the management is thankful for the comments, observations and suggestions of the Secretarial Audit team. Being a Nationalised Bank, the composition of the Board is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and the subject vacancy is required to be filled in by the Government of India. The position of vacancies on the Board is being intimated on regular basis to Government of India. Further, the Bank has appointed Mr. Prafulla Kumar Samal, General Manager a qualified Chartered Accountant as its CFO w.e.f. May 28, 2020.

11. Awards & Accolades:

During FY 2019-20, your Bank received various awards for its new initiatives taken in Digitization, Financial Inclusion, HR management, Customer Service etc.

Awarded By	Awards	Awarded For
World HRD Congress	Global Citation & Award	CEO with HR Orientation
		Sustainable HR Leadership
Knowledge Management Leadership Awards	Use of Best Training Methods for Knowledge Management	Best Training Methods for Knowledge Management
ET Now "Stars of the Industry Awards"	Excellence in Training & Development Award: An Overall Award for Best Result Based Training	Excellence in Training & Development
	Best Training Initiative for Banking Sector	
	Training Provider of the Year	
People Labs	IAC2020 Corporate Awards	Creating Workplace of Tomorrow
SKOCH Awards	Honey Net - GOLD, as Semi-finalist for SKOCH	Banking
	GOLD, as Semi-finalist	Cyber Security Awareness Solution
	GOLD, as Semi-finalist	Data Security
	SILVER, as Semi-finalist	Vulnerability Management
IDG Security	CSO 100 AWARDS	CSO 100 AWARDS
Finnovity Award 2020	Finnovity Award 2020	Innovation in cyber security for "Cyber Defence Centre
DSCI (Data Security Council of India)	Special Jury award	Best Security Practices in organization – December 2019
IBA (Indian Bank's Association)	Banking Technology Award 2020	IT Risk Management & Cyber Security Initiative. – 20th Feb 2020
Infosys Client Innovation Awards 2020	Runner up in 'Modern Technologies led innovation'	Application Programming Interface Management (APIM) technology.
SKOCH Group	GOLD (Under MSME Category)	Leadership in MSME
ASSOCHAM	Winner in "Best MSME Bank (Public Sector Bank)"	Best MSME Bank (Public Sector Bank)

12. Social Media:

12.1 Your Bank has expanded the reach across all the major social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn and YouTube under project Union Connect.

12.2 Your Bank's official Facebook page has been rated as "Very Responsive with 98% response rate and 5 minutes response time" by Facebook. Bank's Twitter handle has been rated as "immediate response" and "Responsive 24/7".

13. Changes in the Directors on the Board of the Bank:

The following changes took place in the Board of directors of your Bank during the financial year 2019-20.

- Shri K Ramesha, Part Time Non Official Director completed his second term in the office on March 31, 2020.
- Shri Anil Kumar Mishra, RBI Nominee Director completed his term in the office on April 24, 2019.
- Shri Arun Kumar Singh has been appointed as RBI Nominee Director of the Bank w.e.f. April 24, 2019 by the Central Government.

14. Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2020:

- The applicable accounting standards have been followed and there is no material departure from prescribed accounting standards.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2020.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing Banks in India.
- The accounts have been prepared on going concern basis.

15. Corporate Governance

The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2019-20 has no audit qualifications.

16. Corporate Social Responsibility (CSR):

16.1 Your Bank is committed to its Corporate Social Responsibility by contributing to the society. In this endeavor, Bank has set up the "Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) in the year 2006 for spearheading CSR activities. During FY 2019-20, your Bank was unable to contribute any fund towards CSR as the Bank suffered a loss during FY 2018-19.

16.2 However, UBSFT has disbursed donations amounting to Rs.163.49 lacs during FY 2019-20 from the surplus funds of the previous years.

16.3 The major activities undertaken by UBSFT during the year are under sectors such as Rural Development, Healthcare, Community development, Education, Environment, Skill development & Heritage preservation.

17. Acknowledgement:

The Board places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission and other institutions for the valuable guidance and support received from them. The Board also acknowledges unstinted support of the financial institutions, correspondent Banks, valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders. The Board also expresses its deep appreciation for the dedicated service and contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

(Kewal Handa)
Chairman

Place: Mumbai
Dated: 4th July, 2020

FORM NO. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2020

[Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

To,
The Members,
Union Bank of India
Central Office, Mumbai

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Union Bank of India** (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2020** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on March 31, 2020 according to the provisions of:

i. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as 'the Act');

ii. The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Management) Scheme, 1970;

iii. The Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1988;

iv. The Reserve Bank of India Act, 1945;

v. The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made there under to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

vi. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

vii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

viii. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014#;

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008#;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client#;

   g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009#; and

   h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018#;

The Regulations or Guidelines, as the case may be were not applicable for the period under review.

The list of Acts, Laws and Regulations specifically applicable to the Bank are given below:

ix. The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time)

x. Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time.

We have also examined compliance with the applicable clauses of 'the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["Listing Regulations"]'.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above, to the extent applicable except to the following:

a) The Board of Directors of the Bank comprises of thirteen (13) Directors, constituting of four (04) Executive Directors appointed under section 9(3)(a) of the Act, two (02) Nominee Directors including one (01) Government Nominee Director appointed under section 9(3)(b) of the Act and one (01) Reserve Bank of India Nominee Director appointed under section 9(3)(c) of the Act, seven (07) Non-executive Directors including one (01) Chartered Accountant Director appointed under section 9(3)(g) of the Act, three (03) Independent Directors appointed under section 9(3)(h) of the Act and three (03) Independent Directors appointed under section 9(3)(i) of the Act. However, the Board of Directors of the Bank did not comprise of two (02) Employee Directors as required under section 9(3)(e) and 9(3)(f) of the Act.

b) The Bank has during the period under review appointed Ms. Monika Kalia, a Company Secretary and a Certified Associate of Indian Institute of Banking (CAIIB) as Chief Financial Officer (CFO) of the Bank with effect from June 03, 2019. However, in accordance with the Reserve Bank of India circular RBI/2016-17/304 dated May 18, 2017 the Bank was required to appoint a qualified Chartered Accountant as its Chief Financial Officer (CFO).

c) The Reserve Bank of India ('RBI') has imposed a penalty on the Bank of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lacs only) for failure to ensure compliance with requirements to maintain basic cyber hygiene and security controls as stipulated by RBI extant directions and Rs. 1,50,00,000/- (Rupees One Crore and Fifty Lacs only) for delay in fraud identification and reporting in account of M/s. Rotomac Global Private Limited and M/s. Crown Alba Writing Instruments Private Limited and non-compliance of the RBI directions in relation to Discontinuing / Rediscounting of Bills by Banks in account of M/s. Rotomac Global Private Limited.

We further report that -

Subject to foregoing, the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice was given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance for meetings and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

During the period under review, decisions were carried through unanimously and no dissenting views were observed, while reviewing the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank has undertaken following events/actions:

i) The Shareholders of the Bank had at their 17th Annual General Meeting held on June 28, 2019 approved for to create, offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of Equity Shares of the Bank, upto Rs. 4,900 crores.

ii) The Board of Directors of the Bank at their meeting held on September 09, 2019 has approved the capital plan for financial year 2019-20 to raise capital funds by an amount not exceeding Rs. 17,200 crores by way of preferential issue to Government of India for an amount upto Rs. 13,000 crores and capital raising by issue of Additional Tier I (AT I) Bonds and/or Tier 2 Bonds upto Rs. 4,200 crores.

iii) The Board of Directors of the Bank at their meeting held on September 09, 2019 considered and gave its in-principle approval for the amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India. Subsequently, the Government of India had vide Gazette Notification dated March 04, 2020 in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80 has notified the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into the Union Bank of India Scheme, 2020 w.e.f. April 01, 2020.

iv) The Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) at its meeting held on November 30, 2019 has issued and allotted 1,65,98,02,538 (One Hundred and Sixty Five Crores Ninety Eight Lacs Two Thousand Five Hundred Thirty Eight) Equity Shares of face value of Rs. 10/- each at an issue price of Rs. 70.90 (including a premium of Rs. 60.90) to the Government of India, being the shareholder of the Bank, by way of Preferential issue.

For **Bhandari & Associates**
Company Secretaries

S. N. Bhandari
Partner
FCS No: 761; C P No. : 366
Mumbai | June 26, 2020
ICSI UDIN: F000761B000387543

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

Annexure - A

To,

The Members,

Union Bank of India

Central Office, Mumbai

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2020 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Bhandari & Associates**
Company Secretaries

S. N. Bhandari
Partner
FCS No: 761; C P No. : 366
Mumbai | June 26, 2020
ICSI UDIN: F000761B000387543

Independent Auditor's Certificate on Corporate Governance

To The Members of Union Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate governance by Union Bank of India, for the year ended on March 31, 2020, as stipulated in the relevant provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') amended from time to time as referred to in Regulation 15 (2) of the Listing Regulations for the year April 01, 2019 to March 31, 2020.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations, as applicable.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For C N K & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W / W-100036

(Manish P. Sampat)
Partner
(M. No.101684)
Place: Mumbai

For Kirtane & Pandit LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W / W-100057

(Sandeep D Welling)
Partner
(M. No.044576)
Place: Pune

For R S Patel & Co.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

(Rajan B Shah)
Partner
(M. No.101998)
Place: Ahmedabad

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

(Sanjay Kothari)
Partner
(M.No.048215)
Place: Mumbai

For B M Chatrath & Co Ltd.
Chartered Accountants
FRN:301011E/E300025

(Anand Chatrath)
Partner
(M No.052975)
Place: Kolkata

Date: 26th June, 2020

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

1.1 Global macroeconomic landscape was highly volatile during FY 2019-20 driven by escalation of trade tensions, disorderly Brexit and volatility in crude oil prices. As per International Monetary Fund's World Economic Outlook report, global growth lowered to 2.9 per cent in 2019 from 3.6 per cent in 2018. Volatility was further intensified with outbreak of COVID-19 pandemic in February-March, 2020 and related slump in economic activities thereafter.

1.2 Risk aversion was strongly witnessed in financial markets during the FY 2019-20 amidst sporadic bouts of turbulence around trade tensions, geo-political flashpoints, uncertainty surrounding Brexit and a subdued global growth outlook. Global trade volume grew by 0.9 per cent in 2019, significantly lower from 3.8 per cent in 2018. Markets were not adequately moved despite expansionary monetary policy stances of leading Central Banks. Equity markets, in particular, experienced high volatility with stocks of Emerging Market Economies (EMEs) undergoing sell-offs on fears of political unrest in Hong Kong and debt default concerns in Argentina.

1.3 Amid the Covid-19 outbreak, IMF expects that global economy would experience its worst recession since the Great Depression in 2020, more severe than that seen during the global financial crisis a decade ago. While imposition of strict lockdown and related stagnation of economic activity is projected to shrink global growth dramatically, a partial recovery is projected for 2021. However, the level of GDP is expected to remain below the pre-pandemic trend, with considerable uncertainty about the strength of the rebound.

1.4 Pandemic led disruptions are wide spread and set to intensify further causing massive dislocations in global production, supply chains, trade and tourism. Global output is now seen as contracting in 2020. IMF projects global growth to decelerate by 4.9% in 2020 with recovery at 5.4% in 2021.

1.5 Nevertheless, investor confidence is gradually building-up due to monetary and fiscal policy actions undertaken by Governments & regulators.

2. Domestic Economy

2.1 Indian economy has been experiencing demand slow down since the beginning of the FY 2019-20. As per second advance estimates of National Income released by the Central Statistical Organisation (CSO), GDP growth for FY 2019-20 stood at 4.2% compared to 6.8% in previous year. Real GDP growth stood at 4.8% in Q1 FY2019-20. During subsequent quarters, GDP registered a growth of 4.3%, 3.5% & 3.0%, respectively. Disruption of economic activities as a result of the lockdown in the last week of March, exacerbated the fall in GDP growth which was already in downtrend. Nevertheless, agriculture was supporting the growth for almost all the quarters by growing at 4.0% during FY 2019-20 up from 2.4% in same period previous year. Industry and services sector growth was 0.9% and 5.5% respectively during the FY 2019-20 compared to 4.9% and 7.7% respectively in FY 2018-19.

2.2 The current macroeconomic scenario is largely driven by the effects of pandemic. While the first level impact would be on economic activity in India directly through domestic lockdown, second round effects would operate through a severe slowdown in global trade impacting our exports.

3. Price scenario

3.1 Headline inflation as measured by the Consumer Price Index (CPI) increased by average 4.7% during the FY 2019-20 which was below the target upper tolerance level of 6%. However, headline inflation breached the committed target and peaked to 7.6%

in January 2020 due to sharp spike in prices of vegetables, fruits and petroleum products.

3.2 Core inflation (inflation excluding food& energy) remained range-bound during the FY 2019-20 at average 4.0% propelled by a series of cost pushes.

3.3 Since March 2020, inflation outlook has become highly uncertain due to the COVID-19 outbreak turning into a pandemic. Crude oil prices have collapsed to lows not seen since early 2000s. With several major economies in lockdown mode, demand conditions weakened sharply causing overall decline in prices.

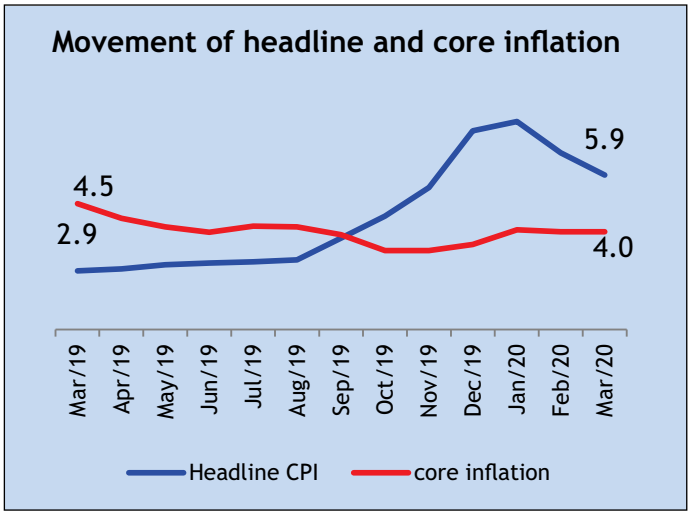

4. Stock market performance

4.1 Domestic financial markets exhibited divergent movements during the FY 2019-20. While Nifty declined by 23.8%, Sensex fell by 26.0% during the FY 2019-20. Global spill over and trade volatilities weighted on domestic market sentiments. Nonetheless, timely actions of RBI through rate reduction and liquidity management operations have partially supported the markets. However, in the last quarter of the FY 2019-20, growing concerns about the domestic economic slowdown, fiscal slippages, geo-political tensions and heightened uncertainties caused by the rapid spread of COVID-19 posed significant challenges to market movements.

5. Yield Movement:

5.1 Benchmark 10 year G-sec yield softened during FY 2019-20. The yield declined from 7.73% at the beginning of the FY, to 6.67% as on March 31, 2020. Yield volatility was observed due to persistent worries about the Centre's finances, expectation of a rise in inflation prints, subdued appetite for government bonds and hardening of US treasury yields. Yield movement was very volatile after spread of pandemic and related decline in market confidence. Avg. G-sec yield for the FY 2019-20 was at 6.84%.

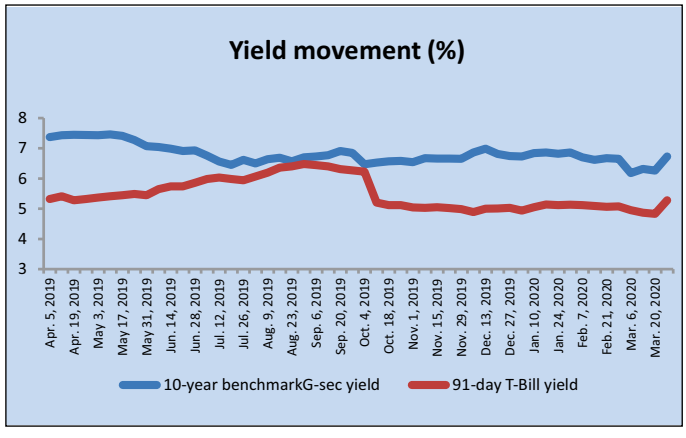

6 External Sector

6.1 Indian exports shrank by 4.8 per cent during FY 2019-20 to USD 314 billion from USD 330 billion previous year. Though the adverse impact of COVID-19 on global supply chains and economic activity has lowered the exports, trade was at discouraging note even before the pandemic. Indian imports contracted by 9.1 per cent during FY 2019-20 to USD 467 billion from USD514billion previous year. With imports declining more than exports, the trade deficit narrowed to USD153 billion in FY 2019-20.

6.2 In the forex market, the Indian rupee (INR) has been under continuous downward pressure. During FY 19-20, the rupee witnessed sharp decline of 9.34 per cent and ended at 75.60 against US dollar. Trade uncertainties, cross-border capital movements and then Corona virus strongly weighted on currency performance.

6.3 RBI has added significantly to the forex reserves during FY 2019-20. From USD 414 billion as on April, 2019, forex reserves stood at USD 476 billion

of March 2020, cumulative addition of USD 62 billion. However, over the same period previous year, forex reserves were depleted by USD 12 billion.

7. Liquidity conditions

7.1 Surplus liquidity conditions persisted in large part of 2019-20. Systemic liquidity surplus, as reflected in net absorptions under the LAF, averaged Rs.51,710 crore in June 2019 and progressively increased to Rs.1.22 lakh crore in September 2019 to Rs.2.61 lakh crore in December 2019 and Rs 2.86 lakh crore in March 2020. RBI has taken timely liquidity management moves to deal with the money market volatility. The surplus liquidity was absorbed through reverse repo operations under the LAF.

8 RBI's policy decisions

8.1 During FY 2019-20, RBI has reduced the key policy Repo rate by 235 bps. While 160 bps reduction was through its six conventional monetary policies, 75 bps reduction was through its unconventional seventh policy announced on the backdrop of slow down and pandemic stress. Reverse repo rate was reduced by 175 bps from 5.75 per cent to 4.00 per cent during the FY 2019-20. Reverse repo rate was reduced by 85 bps in six conventional policies while 90 bps was reduced through its seventh policy.

8.2 Monetary policy transmission to banks' term deposit and lending rates has improved. The WALR on fresh rupee loans declined by 60 bps (April 2019-March 2020).Similarly, term deposit rate was reduced by 38 bps during the FY 2019-20 (April 2019-March 2020).

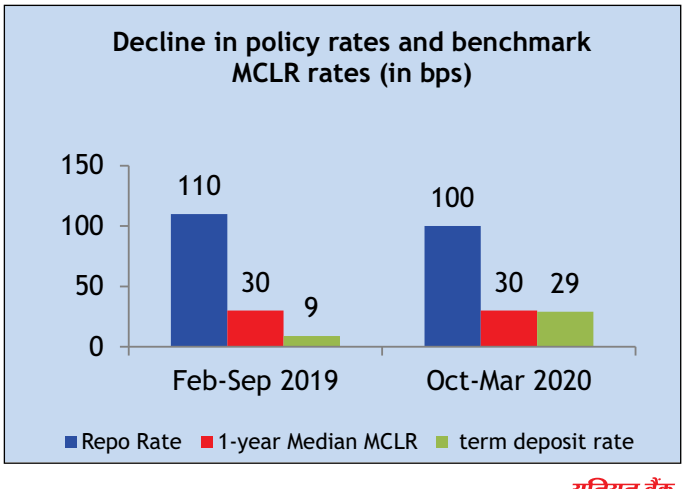

8.3 Besides, the RBI undertook unconventional operations in the form of auctions what is termed as 'operation twist' involving the simultaneous sale of short-term government securities and purchase of long-term securities. The Reserve Bank also conducted five long term repo auctions of 1 year and 3 years tenors to inject liquidity and improve monetary transmission. It also conducted two sell-buy swap auctions to inject cumulatively US dollar liquidity into the forex market.

9. Banking environment:

9.1 The banking sector continued to face the challenges of poor asset quality, sluggishness in profitability as well as lower demand. Both corporate and retail demand was weak during the FY 2019-20.

9.2 Despite reduction in term deposits rates from 7.50 to 6.40 per cent (upper bound) during the FY 2019-20, inflow of deposits continued in 2019-20. During the year, the aggregate deposits growth has remained in the range of 9% to 11%, before ending at 7.9% in FY20

9.3 Credit off-take during 2019-20 was muted with non-food credit growth at 6.1 percent lower than 13.3 per cent in the corresponding period of the previous year. The slowdown in credit growth was spread across all bank groups.

9.4 On sectoral basis, credit growth in all the key sectors, including agriculture, industry, services and retail was lower than its previous year numbers. Agriculture grew by 4.2 per cent in FY 2019-20, compared to growth of 7.9 per cent in same period previous year. Industry, services and retail grew by 0.7 per cent, 7.4 per cent and 15.0 per cent respectively in FY 2019-20 compared to 6.9 per cent, 17.8 per cent and 16.4 per cent respectively in the previous year.

10. Resources management:

10.1 Total business of your Bank grew to Rs.797589 crore as on March 31, 2020 from Rs.743107 crore in previous year recording 7.6% y-o-y growth. Total deposits of your Bank grew by 8.4 per cent to Rs.450668 crore as on March 31, 2020 from Rs.415915 crore in previous

year. Current and Savings deposits (CASA) comprise 35.6% of total deposit, grew by 6.8% during the FY 2019-20. Total advances of your Bank grew by 6.6% during the FY 2019-20 from Rs. 3,25,392 crore as on March 31, 2019 to Rs. 3,46,921 crore as on March 31, 2020.

Table 1 : Composition of Deposits

(₹ in crore)

Parameter	As of March 31st , 2020	As of March 31st , 2019	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Total Deposits	450668	415915	34753	8.36
CASA Deposits	160373	150141	10232	6.82
Saving Deposits	133958	123628	10330	8.37
Current Deposits	26415	26513	-98	-0.4

11 Credit Management

11.1 Retail:

Your Bank retail lending portfolio grew by 6.0% in the FY 2019-20. The retail loan portfolio grew from Rs.57,093 crore as on March 31, 2019 to Rs.60,519 crore as on March 31, 2020. With in retail, personal loan growth has made a significant jump in FY 2019-20. Home loans, having the highest share in retail, grew by 4.3%. Vehicle and education loans also improved during the year. The Bank has taken innovative measures to attract new business. Accordingly, it has introduced retail loan products such as home, vehicle and education on psbloanin59minutes portal. For further strengthening the business mobilization, your Bank has launched product specific campaigns along with expansion in tie-ups/partnerships. Your Bank has been leveraging data analytics extensively to garner new business from potential leads. Bank strives to maximize the processing efficiency through centralized processing centres (ULP).

Table 2: Product wise Y-o-Y growth under Retail Lending is as under:

(₹ in crore)

Parameter	As of March 31st , 2020	As of March 31st , 2019	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Home Loan	29305	28085	1220	4.3
Vehicle Loan	4456	4164	292	7.0
Education Loan	3638	3400	238	7.0
Mortgage Loan	4862	4707	155	3.3
Personal loan	2325	1445	880	60.9
Others	15933	15290	643	4.2
Total Retail	60519	57092	3427	6.0

11.2 Agriculture:

11.2.1 Agriculture lending has always been the priority area for your bank. Agriculture advances constituted 16.98 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 31, 2020. Bank's Agriculture advances as on March 31,2020 were at Rs.54,111crore (Including RIDF) and grew by 3.04 per cent over 2018-19.

11.2.1 Outstanding credit to small and marginal farmers as of March 31, 2020 stood at Rs. 31,448 crore which constituted 9.87 per cent of ANBC against the benchmark of 8.0 per cent of ANBC. During FY 2019-20, 2.7 lakh fresh Kisan Credit Cards were issued.

11.3 Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

11.3.1 Your Bank has keen focus on delivering to MSME sector. Lending to MSMEs stood at Rs.70,381 crore as on March 31, 2020 registering an annual growth of 4.8 per cent. Within MSME, MSE lending stood at Rs.53137 crore, as on March 31, 2020, registering a growth of 5.4 per cent.

11.3.2 During the FY 2019-20, 20207 new loans have been sanctioned under Light Commercial Vehicle finance(LCV) amounting to Rs. 558 crore. As on March 31,2020 LCV portfolio stood at Rs. 2076.5 crore.

11.3.3 Your Bank has revamped existing SARAL (Central Processing Centres for MSME proposals) Structure to make it an acquisition centre in addition to processing. As of March 2020, number of SARAL and SARAL Lites stood at 48. Three new SARAL lites were opened during the FY 2019-2020.

11.3.4 Bank has deployed Relationship Managers in SARALs for lead generation and conversion into productive business. Major focus has been on Centralization and Verticalization of SARALs.

11.3.5 **TReDS platform:** Your Bank has been one of the pioneers in adopting the TReDS platform for lending to MSME segment. These unique online platforms have inbuilt hassle free processes for ensuring adequate financial support to MSMEs. We are already on board with 3 RBI registered TReDS platforms viz. RXIL, Invoicemart and M1xchange. Bidding on these platforms has crossed the Rs.1590 Crore for March 2020.

Table 3: Breakup of MSME Portfolio				
				(₹ in crore)
Parameter	As of March 31st , 2020	As of March 31st , 2019	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Micro Advances	22505	22617	-112	-0.5
Small Advances	30632	27807	2825	10.2
MSE Advances	53137	50424	2713	5.4
Medium Advances	17244	16751	493	2.9
MSME Advances	70381	67174	3207	4.8

11.3.6 **Achievements under psbloansin59minutes.com portal:** Your Bank has also been one of the best performing banks on psbloansin59minutes.com portal. As of 31.03.2020, 11475 MSMEs have been given In-Principle sanction through this portal. Of these, 7075 proposals amounting to Rs. 3369 crore were sanctioned. Your bank is the first to extend upto 5 crore finance to MSME's.

New initiatives to boost MSME Advances

11.3.7 **Scheme for Financing Gems, Jewellery and Diamond (GJD) Sector:** During FY 2019-20, a new scheme for financing the GJD sector is being introduced In this scheme, all the units engaged in Manufacturing and Trading activity i.e. Retail & Wholesale Traders of GJD are eligible under the scheme. Under this scheme, both term loan and working capital limits can be availed (fund and non-fund based).

11.3.8 **Partial Credit Guarantee Scheme(PCGS) for Purchase of High Rated Pooled Assets from NBFCs / HFCs:** In line with Ministry of Finance guidelines on Partial Credit Guarantee Scheme to Public Sector Banks for purchase of high rated pooled assets from financially sound NBFCs / HFCs, a dedicated scheme has been introduced by your Bank. The scheme provides one time six months partial credit guarantee for purchase of high rated pooled assets from financially sound NBFCs/ HFCs. In this scheme, Government would provide guarantee to an extent up to first loss of 10% of default.

11.3.9 **Launch of Union e-Way Bills Solution:** Your Bank has introduced the GST invoice validation service through Union e-Way Bills solution to enable digitization of trade documentation, authentication and non-repudiation. This service allows the Bank to validate invoice data provided by a Supplier against details available within the Goods and Service Tax Network and Electronic-Way (E-Way) Bill number. Invoice Validation Service is intended to be used for fraud mitigation. The scheme offers a very competitive rate of interest on validation of bills through this mechanism.

11.3.10 **Introduction of overdraft and term loan facility for Business Correspondent Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):** The scheme is introduced to serve the financing requirements of Bank Mitra to sustain BC operations.

11.3.11 **Corporate Credit:** During FY 2019-20, the large corporate advances stood at Rs.1,46,523 crore recording growth of 6.41 per cent on Y-o-Y basis. Seven industrial Finance Branches (IFBs) across the country are catering exclusively the needs of large corporate clientele. The Bank has made judicious disbursements to investment grade projects of large corporate, thus participating in the growth opportunities in the Indian economy and its global linkages.

Table 4: Summary of performance of LCV				
				(₹ in crore)
Parameter	As of March 31st , 2020	As of March 31st , 2019	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Large Corporate	146523	137695	8828	6.41
w/w Total Advances IFBs	115307	104994	10313	9.82

11.4 Priority Sector Advances:

Your Bank remains committed towards extending credit facility to the needy segments of the society. Under priority sector advances, your Bank has registered a growth of 1.9 per cent, which stood at Rs. 1,43,205 crore as on March 31, 2020. Priority sector constituted 44.93 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the RBI mandate of 40%.

Table 5: Priority Sector Advances					
					(₹ in crore)
Parameters	**31.03.20**	**31.03.19**	**Y-o-Y (%)**	**% to ANBC**	**Benchmark FY 2019 (% of ANBC)**
Priority Sector Credit	143205	140530	1.90	44.93	40%
Agriculture Sector	54111	52517	3.04	16.98	18%
Small & Marginal Farmers	31448	28770	9.31	9.87	8%
Credit to Weaker section	41132	39971	2.90	12.9	10%
Credit to Women Beneficiaries	22027	20751	6.15	6.91	5%

Specific Lending for Social Upliftment

11.4.2 Your Bank has continued its focus on social development and equal opportunities for all segments of the society. Accordingly the Bank extended credit facilities to various weak and unreserved sections of the society specifically women, minority community and self-help group.

11.5.4 **Women Beneficiaries:** With a view to promote women entrepreneurs and to make them self-reliant, your Bank encourages credit to women entrepreneurs. During FY 2019-20, Total outstanding loans to women beneficiaries has increased from Rs.20751 crore in March 2019 to Rs. 22027 crore in March 2020 recording growth of 6.15%. This constituted 6.91 per cent of ANBC against benchmark of 5.0 per cent.

11.5.5 **Minority Communities:** Your Bank is extending finance to the minority communities viz. Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians, Buddhists and Jains in line with Government of India directives on welfare of minority communities. As on March 31,2020 the outstanding credit to minority stood at Rs.11,973 crore, which constitutes 8.36 per cent of Priority sector advances.

11.4.5 **Weaker Section:** Your Bank has been actively participating in financing for weaker sections of society. Finances to weaker section has increased from Rs.39971 crore to Rs.41,132 crore, as on March 31, 2020, registering a growth of 2.9 per cent. Outstanding credit stood at 12.9 per cent of ANBC against benchmark of 10 per cent.

11.4.6 **Rural Self Employment training Institute (RSETI):** With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, the Bank has established 14 RSETIs in districts where the bank has "Lead Bank Responsibility". As of March 31, 2020, total number of candidates trained in our RSETIs is 83718, out of which 56397 candidates have been settled.

11.4.7 **Regional Rural Bank (RRB):** Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi – sponsored by Union Bank has network of 459 CBS Branches, spread over 8 districts of Eastern U.P. namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Bhadohi and Ambedkar Nagar. Business of KGSGB stood at Rs.15740 crore - growth of 5.8 per cent during FY 2019-20. Deposits stood at Rs.12282 crore with 61.7 per cent as CASA deposits. Advances stood at Rs.4372.99 crore, as of March 31,2020. However as per the notification by the Government of India, KGSGB has been merged with Baroda U.P Bank, w.e.f April 01, 2020.

Key Initiatives to strengthen Priority sector:

11.4.8 **Union Samridhi Kendra (USK):** Union Samridhi Kendra (USK) is a Hub and Spoke Model based banking. It holds strong potential to transform the credit delivery mechanism in Rural and Semi Urban areas. As on March 31, 2020 total 62 USKs are established with 895 mapped branches covering 35.36% of total Rural and Semi Urban Branches. In the FY 2019-20, 65714 proposals were sanctioned through these centralized processing Centers.

11.4.9 **Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY):** Your Bank is implementing PMFBY for the benefit of farmers who face climatic adversities very often and suffer a lot. All farmers including share cropper and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas are covered under PMFBY. A total of 505773 loanee and non-loanee farmers were covered during the financial year 2019-20. Bank has

formulated 32 Area Specific Schemes, based on the available potential for the benefit of the farmers in the respective areas to augment lending under agriculture.

New initiatives undertaken during the year

11.4.10 **Union Sampurna:** Your Bank is committed towards imparting knowledge, resources and providing continuous support to rural community in capturing the new and additional opportunities which will be beneficial for increasing production, productivity and earnings from the Agriculture and allied/other sector. It is one stop solution for supporting farmers for doubling income through diversified sources by enriching them with technology, understanding of financial products, timely credit requirement and capacity building for adoption of advance techniques in the field of agriculture.

11.4.11 **Components of Union Sampurna:**

- ✓ **E-Kiosk:** Touch screen one stop solution for banking needs and information cum Knowledge bank for farmers.
- ✓ **Meeting place for Farmers:** venue for enriching information, counseling, literacy, mass awareness for farmers.
- ✓ **Loan acquisition centre:** Support in High tech Agriculture.
- ✓ **Village Knowledge centre (VKC):** Information dissemination centre for improving agriculture and community development.
- ✓ **Financial Literacy & Credit Counselling Centre(FLCCs):** financial literacy to ensure financial services reach the unreached and under-reached section of the society

Product launched during the year:

- ✓ Kisan Credit Card for Animal Husbandry and Fishery (CCAHF)
- ✓ Financing to Farmers Producers Organisation (FPO) launched during the F Y 2019-20 for the direct benefit of farming community..

11.5 Financial Inclusion: Empowering the underserved: Your Bank has ensured that the poor and needy populace has access to affordable credit. With the JAM (Jandhan, Aadhar and Mobile) trinity gaining ground, the Bank has been in its mission to reduce leakages in financial transfers via innovative banking methods as well as to effectively garner small savings towards productive investment throughout FY 2019-20.

Table 6 : Progress under Financial Inclusion

(₹ in **crore**)

Particulars	31.03.20	31.03.19	Progress	Progress % FY 2019-20
Total PMJDY A/Cs	11231722	9811604	1420118	14.47%
Balance in PMJDY A/Cs (inCrs)	3030	2404	626	26.04%
Aadhaar Seeded PMJDY A/Cs	9025041	8117145	907896	11.18%
% of Aadhaar Seeded PMJDY A/Cs	80.35%	82.73%	-	-
Mobile Seeding-PMJDY A/Cs	7201078	5654308	1546770	27.36%
% of Mobile Seeded PMJDY A/Cs	64.11%	59.70%	-	4.41%
RuPay Cards issued in PMJDY A/Cs	6817076	5615288	1201788	21.40%

11.6.1 During the year, your Bank enabled the facility of opening PMJDY Account instantly through BC points. Now all the Bank Mitras can open instant e-KYC PMJDY account of citizens through the Micro ATM, Mobile or Kiosk then & there at BC point and even transaction facility is provided through AePS to such instant accounts. Bank Mitras can also enroll customers to Social security schemes viz. APY, PMSBY and PMJJBY.

11.6.2 **Aadhaar Enrollment Centre:** As per UIDAI guidelines, all commercial banks have been instructed to open Aadhaar Enrollment Centre in 10 % of Bank Branches. Accordingly, Your Bank opened Aadhaar Enrolment Centre in 429 Branches across India.

12 International Banking

12.6 Your Bank has presence in the world's major financial centers of Hong Kong, DIFC, Dubai and Sydney. Your bank is building value in international markets by meeting the banking requirement of Corporate, Cross-border lending and trade finance.

12.7 International business of your Bank has increased by 33.0 per cent during FY 2019-20. While our total advances increased by 36 percent, total deposits grew by 25 per cent during the FY 2019-20. Operating profit of foreign branches increased by 25 per cent during the FY 2019-20.

Table 7: Overseas Operations

(₹ in crore)

Parameters	As of March 31st , 2020	As of March 31st, 2019	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Overseas Deposits	3649	2816	833	25.0
Overseas Advances	20696	14460	6236	36.0
Total Overseas Business	24345	17276	7069	33.0

13 Treasury Operations:

13.1 The treasury division handles domestic treasury operations, forex operations, fixed income derivatives products, equity and other alternate asset classes. Treasury is equipped with a state of the art dealing room with all facilities to extend all types of treasury services to its clients spread across the country and keep pace with latest developments in the markets. A basket of financial products are offered to the Bank's clients like forwards, options, interest rate swaps and currency swaps facilitated by advanced technology platforms.

13.2 Your Bank aims to act as prudent liquidity manager in line with Bank's corporate goal. Treasury department of your Bank focuses on generating optimum profit while managing the credit, market and liquidity risks as per policy guideline. Your Bank also aims at better cash management by different short-term money market instruments and forex market. Bank focuses on maintaining a decent SLR & Non-SLR investment book with appropriate duration which will help in enhancing profitability.

13.3 Profit on Sale of Non-Core asset: During the FY 2019-20, your Bank had monetized gross amount of Rs. 278 crore and net capital gain were Rs. 255 crore.

14 Asset quality:

14.1 During FY 2019-20, your Bank made a cash recovery of Rs. 4267 crore in addition to up gradation of accounts to the tune of Rs.1871 crore. Control over slippages and better reduction was possible through continuous efforts and well-designed strategy for NPA management. Movement of NPA for FY 2019-20 is as under:

Table 8: Movement of NPA

(₹ in crore)

Particulars	FY 2019-20	FY 2018-19
Gross NPA (Opening)	48729	49370
Additions	14911	13577
Less: Reductions	14555	14218
(I) Upgradations	1871	1938
(II) Recoveries	4267	4509
(III) Write-off	8417	7771
Gross NPAs (Closing)	49085	48729
Net NPAs	17303	20332

Measures to improve recovery:

- ✓ A structured settlement scheme named as Centenary Settlement Scheme for Doubtful and Loss assets (CSSDL) is operational for settlement of NPAs in doubtful & loss category as on 31.12.2018 with outstanding upto & including Rs.50.00 crore. The scheme was non-discriminatory & non-discretionary in nature and delegation was given at field level for quick settlement of the eligible NPA accounts.
- ✓ Your Bank has launched a special campaign 'Mission 5000 ' from 01.01.2020 to 31.03.2020 for recovery of NPAs as of December 2019.

14.2 **Proactive Monitoring:**

14.3 Centralized Call Centre: Your Bank has set up Centralized Call Centre for monitoring of SMA borrowers under Retail and MSME sector within the range of 3.00 lakh to 5.00 Crore. Stressed accounts under credit card portfolio have been also covered by call centres.

14.4 Specialised cell: By taking a proactive step in monitoring, your Bank has set up monitoring cell for accounts in the range of Rs 100.00 cr to Rs 250.00 cr and Rs 250.00 cr and above.

14.5 **Dynamic Review of accounts:** Quality Dynamic review of high value accounts is undertaken by your Bank regularly. We are also channelizing information from Fintech platform for building database of financials.

14.6 **Preventive Monitoring:** Your Bank is extensively using the technology for timely analysis of data. RPA (Robotic Process Automation), machine learning and Oracle Data base is being used for streamlining and updating the customer data. Your Bank has also come up with the concept of Potential Stress Assets under which rigorous analysis of accounts/portfolio is conducted based on Early Stress Signals (ESS).

14.7 **Function of the Web Portal:** For streamlining & real time dissemination of information, a web portal has been made available for branches and verticals covering Dash Board, Defaulters List & all other parameters of Credit Monitoring. The portal can be accessed by each and every staff of the branch/ office across the Bank. This information helps in handling the default cases swiftly and prevents any institutional delay within the Bank.

15 Relationship Banking

15.1 Your Bank earned income of Rs. 129 crore through distribution of third party products, during the year

Table 9:Income from third party business during FY 2019-20

(₹ in crore)

Business Parameter	FY2019-20	FY2018-19	% Growth
Life Insurance	89.95	84.71	6.19
Non Life Insurance	14.43	13.43	7.37
Health Insurance	11.79	10.95	7.67
Mutual Fund	12.63	17.2	-26.6
Total	128.8	126.3	1.98

Initiatives during the year:

15.2 **Online Sales of Union Mutual Fund Schemes -** In order to promote digitization, Your Bank developed system capabilities to enable customers buy third party products like Insurance and Mutual Funds online using the Bank's website and Mobile App. Facility to buy Union Mutual Fund schemes through Bank's website and U-Mobile App has been commenced.

15.3 **U-mobile App based enrolment for PMSBY Scheme:** Option to buy PMSBY insurance cover through U-Mobile App has been developed. This is in addition to an option to buy PMSBY insurance cover through corporate website for Bank's net banking customers. More than 9800 customers have enrolled under PMSBY through U-Mobile.

15.4 **Launch of new products:**"Group Cancer "mediclaim was launched in association with Religare Health Insurance Co Ltd in Aug 2019. The product has received overwhelming response and sold 23240 policies.

16 Government Businesses:

16.1 Resource mobilization through Government Business stood at Rs. 97650 crore as of March 31, 2020 compared to Rs. 99375 crore of previous year. Bank has opened 9283 new accounts under National Pension system recording 28% growth over previous year. Also, your Bank has made considerable progress in opening small savings accounts during FY 2019-20 which grew by 50% over the previous year.

16.2 New initiatives to increase Government Business:

- Integration with Government e-Marketplace (GeM): Your Bank has integrated with GeM for collection of various registration fees, issuance of online e-PBG online deposit, collection of and security deposit.
- Installed an ATM at Passenger Terminal Building (PTB) Dera Baba Nanak at "Kartarpur Corridor".
- e-PPO implementation for Air Force and Railway pensioners.
- Integration with MCA for online current account opening.
- Online account opening of NPS using mobile banking.
- Online account opening of SCSS through internet Banking
- Reporting of Small Saving Schemes through PFMS.
- On-boarding of 9,500 Gram Panchayats on PFMS platform.

- Collection Account of Prasar Bharti.
- Credit facility to HIL (India) Limited & Centralized salary disbursement, PG Services for online buyer collection.
- Mobilised 7000+ Pension accounts of BSNL.
- Mobilised 154 MPLAD accounts of 17th Lok Sabha.
- SMART Scheme Pune, Maharashtra (MoU Signed for Credit Facility to FPOs in Maharashtra)

17 Human Resource Management: Your Bank strives to offer the best-in-class employment experience by investing in its human capital and taking measures to constantly reinvent its people processes. Best practices from the industry are adopted to meet the corporate objectives of the Bank through effective employee engagement. The industry has recognized and lauded your Bank's efforts through numerous awards received during FY 2019-20, for HR Innovation, Leadership, and Training.

17.1 **Manpower Strength:** The total Manpower of your Bank as on March 31, 2020 stood at 37318.

Table 10: CATEGORY OF EMPLOYEES

Year	Officers		Clerks		Sub-Staff		Total		Total Staff Strength
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	
2018-19	16557	5215	8503	3211	3202	574	28262	9000	37262
2019-20	17398	5671	8050	3045	2668	486	28116	9202	37318

17.2 **Specialization through Job Families:** Your Bank has successfully introduced the Job family Scheme to develop a pool of specialists in every field of banking. Specialization achieved through this scheme shall bear many benefits for the Bank, while giving employees the opportunity to working their chosen field.

17.3 **Learning & Competency Development:** Your Bank has implemented innovative learning by use of technology platforms in alignment of its corporate objectives. Your Bank has increased the horizon of E-learning platform on principle of anywhere and anytime learning for continuous development of its employees by having a dedicated portal 'Union Prajna' and launching the E-learning Mobile App. The learning modules in Union Prajna are constantly developed in line with different job roles.

17.4 **Union Bhavishya:** Bank's ambitious leadership development and capacity building program, Union Bhavishya, has groomed over 1500 employees in the past three financial years.

17.5 **Policy on Rewards & Recognition:** Your Bank has introduced an umbrella policy on Rewards & Recognition to direct focus on performance to meet the strategic goals of the Bank. This policy defines the scope of reward and recognition schemes being implemented in the Bank for all employees with the intent to appreciate good effort and involvement by individuals and teams.

17.6 **Policy on Succession Planning:** Your Bank has developed and introduced the policy on Succession Planning in the interest of business continuity. This entails identifying Key Positions which cannot be left vacant and identifying high potential individuals or HPIs for manning them. This Policy shall serve as a mechanism for the steady flow of future leaders for the Bank, through continuous capability building initiatives.

17.7 **Classroom Trainings:** Your Bank has conducted 868 in-house training sessions, 336 locational programs and 70 workshops covering 36179 employees during FY 2019-20. Further, your bank has provided trainings to 315 employees to learn the latest developments in the industry at external institutes.

17.8 **Employee Engagement Programs:** Employee engagement is a vital differentiator when it comes to growth and innovation. Your Bank has organized different theme-based employee engagement programs during FY2019-20 in the form of open houses, feedback surveys, inclusion drives, competitions, and awareness programs.

18 Branch Network

18.1 Branch network of your Bank is widely spread across the country with 4,281 branches and 3 overseas branches as on March 31, 2020. Out of these 59 per cent of the branches are located in rural and semi-urban center.

Table 11: Branches Network As on 31.03.2020

	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Foreign	Total
No of Branches	1245	1286	850	900	3	4284
Branches (%)	29	30	20	21	--	--

19 Measures to enhance Digital Network

19.1 Your Bank has pioneered in ensuring digital first policy. Bank has evolved over time with digital products and policies. New products and digital banking features have given consumers the convenience of not only banking on the go but also from the comfort of their home. Our Bank's digital transformation initially began with Internet banking, SMS Banking, Debit cards and ATMs. Coupled with Digital India campaign, the journey has been progressive in line with Govt. of India's many new digital initiatives and policy changes over the last few years.

19.2 **Mobile Banking:** With an aim towards a single application for all banking needs, the erstwhile m-Passbook and UPI apps were merged to U-Mobile app. The progress during 2019 was incremental both in terms of new registrations and addition of new services and features. The total no of U-Mobile users increased to 52.64 lakhs in FY 2019-20 from 33.50 lakhs users in FY 2018-19 thereby registering a growth of 57% over the previous year.

19.3 **EASE 2.0 (Enhance, Access and Service, Excellence):** With focus on providing maximum services through alternate digital channels, your Bank has substantially added new services and features during the FY 2019-20.

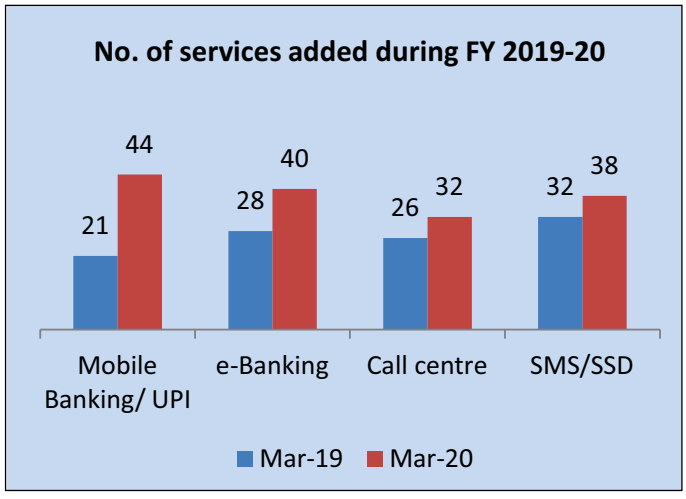

19.4 **Debit Cards:** During the last two years, debit card issuance has witnessed stricter regulatory compliance owing to EMV mandate. We have witnessed a huge surge in the number of debit card transactions during FY 2019-20 post Bank's digital promotion on Social Media and also tie-ups with Make my trip, Apollo Pharmacy, Ferns n Petals and Book my show for debit card promotion.

Table 12: Growth in Digital Channels (Unit absolute)

(₹ in crore)

Channels	31.03.20	31.03.19	Annual Growth	
			Absolute	(%)
ATM	6895	6650	245	3.7
PoS	55246	50905	4341	8.5
Cashless Campus	275	232	43	18.5
Mobile Banking (lakhs)	52.64	33.4	19.24	57.6
Internet Banking (lakhs)	22.22	19.94	2.28	11.4

New initiatives

19.5 **Automated Debit card Issuance:** Bank has now automated debit card issuance system without manual intervention. The ready kit debit cards are now activated on the go which was earlier processed in T+1 day. This has reduced the activation time considerably from 48 hours to few seconds.

19.6 **Acquisition of merchant business:** Your Bank has introduced low cost Paytivo PoS terminals for acquiring merchant business. Attractive transaction based PoS model for merchants introduced offering

zero rental for merchants generating high volume and value.

19.7 **Internet Banking:** The internet banking application is updated with new features by adapting to latest market trend. Services such as Bill payment through BBPS and applying for IPO have been added.

19.8 **Social media:**

- Bank's official pages were launched in Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and Instagram under project Union Connect in 2016.
- With continuous moderation and monitoring of comments and activities, your Bank is maintaining Facebook page rating as "Very Responsive with 98% response rate and 5 minutes response time" and Twitter handle rating as "immediate response" and "Responsive 24/7".

20 **Risk management – A proactive approach towards identifying and mitigating risk:**

20.1 Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. Your Bank constantly endeavour to ensure that business function partners with the risk management function to enhance shareholder value and ensure judicious use of available capital.

20.2 Risk Management is a Board driven function in the bank with the Risk Management Committee (RMC) at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The Board of Directors of the Bank approves the Risk strategy and Risk policies for the Bank. The RMC supervises implementation of the risk strategy and policies, reviews the level and direction of risk, prudential ceilings, portfolio diversification and monitors the risk reporting. The risk strategy and policies are effectively communicated to all branches and offices of the Bank.

20.3 Your Bank addresses Credit, Market and Operational risk through appropriate policies, organization structure, risk management techniques, adequate systems, procedures, monitoring and reporting mechanisms. It has a well defined risk appetite statement and the independent risk function to ensure that the Bank operates within its risk appetite.

Credit Risk Management:

20.4 **Credit Risk Management Committee (CRMC):** CRMC oversees the credit risk function in the Bank. In line with its asset quality management objective, Bank strives to maintain a strong asset quality through disciplined credit risk management. Bank has well defined credit appraisal mechanism and risk assessment practices in place for identification, measurement and monitoring. Bank has various instruments for credit risk management, which include credit risk management policies, Credit approval Committee, Prudential exposure limits, Risk Rating system, Risk based pricing and Portfolio Management.

20.5 Your Bank has well defined and comprehensive internal rating / scoring models for retail and Corporate Credit risk Assessment. Also, Bank has set up a centralized rating pool at Central Office to improve the rating quality, create a robust rating data base for better administration of rating models. For better management of risk assessment, Centralized rating pool is given the final responsibility for finalization of credit rating of the corporate borrowers whose rating process was initiated at the branch level. Apart from internal credit rating models, Bank has introduced dynamic rating of listed entity and credit risk review framework for MSME and corporate borrowers as per EASE guidelines.

20.6 Bank has a standardized and well defined approval process for all advances. It adopts a committee approach for credit sanctions and has central approval committees at various levels.

20.7 **RWA computation Methodologies:** Credit RWA for loan & advances is computed under the Standardized Approach prescribed by RBI.

Market Risk Management:

20.8 **Asset Liability Committee (ALCO):** ALCO puts in place Asset Liability Management Policy, Treasury Policy and Market Risk Management Policy to mitigate market risk in the banking and trading books. ALCO has also streamlined respective policies in view of proposed amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with your Bank from FY 20-21 to bolster holistic market risk management.

20.9 The ALCO meets regularly to review the size, mix, tenor and composition of various assets and liabilities. ALCO also decides on the pricing of Assets and Liabilities. ALCO does the identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. Bank ensures proactive liquidity management, market risk management, stress testing and also put in place contingency funding plan. ALCO has implemented External Benchmark based pricing (EBLR) for asset products in line with the regulatory guidelines during the financial year and also harmonized different asset and liability products available with Andhra Bank and Corporation Bank. It has also devised a unified pricing structure for the amalgamated entity.

20.10 **Liquidity management strategies:** Bank has adopted the liquidity risk management guidelines issued by RBI pursuant to the Basel III framework on liquidity standards. Bank monitors liquidity risk through liquidity coverage ratio & structural liquidity position on daily basis.

20.11 **Market Risk Capital Charge computation Methodologies:** Market risk capital is computed under the Standardized Measurement Method (SMM).

Operational Risk Management:

20.12 The comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational risk. The bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank of India guidelines. All new products introduced by the bank pass through a New Product Approval Process to identify and address operational risk issues. Variations in existing products as well as risks in outsourcing activities are also reviewed. The Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last thirteen years and it is analyzed for taking corrective measures so that these losses do not recur. Process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for assessing the residual risks in the processes of the various products of the Bank. Key Risk Indicators have been identified for various processes and the threshold limits have been fixed.

20.13 Your Bank is currently following the Basic Indicator (BIA) for capital computation under Operational Risk. The Bank has received approval from RBI for adoption of

"The Standardized Approach (TSA)" for Operational Risk on parallel run basis since March 2015. However, RBI have issued guidelines for discontinuance of submission of the operational risk capital charge calculations for banks under parallel run. Due to revision in Basel III framework by Basel Committee on Banking Supervision, for Operational Risk Capital calculation, 'Standardized Measurement Approach' has been proposed. The Bank will be migrating to this approach, once necessary guidelines are issued by the regulator. Till such time, Basic Indicator Approach (BIA) will continue to be used to calculate the capital charge under Operational Risk.

20.14 As a good corporate governance measure, the Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. Recognizing the importance of Business Continuity Planning (BCP), for minimizing the adverse effects of business disruption and system failure, the Bank has also put in place a BCP policy which provides a blueprint detailing a wide range of responses under disruptive environment to protect the interest of its staff, customers and assets of the Bank.

Group Risk Management

20.15 Your Bank has participated in diversified financial services like banking, securities and capital markets, insurance and retail asset businesses. Bank has put

in place a framework / policy for assessment of risks in its Group entities, internal controls and mitigation measures, and capital assessment, under normal and stressed conditions with the assistance of a reputed external Consultant. The bank through its Group Risk Management Policy, aims to achieve a group-wide approach to ensure that key aspects of risk that have a group-wide impact are considered in its conduct of business.

Fraud Risk Management

20.16 Your Bank has a Board approved Fraud Risk Management Policy in place. Bank has Fraud Review Council, Operational Risk Management Committee, Credit Risk Management Committee, Audit Committee of the Board and Special Committee of Board for Monitoring of Fraud Cases to examine the cases of frauds/ attempted frauds and to put in place systems and procedures for prevention of frauds. Apart from reporting all the frauds cases of Rs. 1.00 lakh & above to the Board, the Bank also reports all the fraud cases of Rs. 1.00 crore & above to the Special Committee of Board for Monitoring of Fraud.

20.17 Your Bank has implemented Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRM) for monitoring of transactions for prevention / early detection of frauds.

21 Compliance

21.1 Your Bank has implemented a robust compliance system along with a well documented compliance policy. The focus of compliance function is ensure adherence to regulatory, statutory, compliance with fair practice codes and other prescribed codes, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.

Your Bank conducts regular Compliance Test Checks on Customer Service, KYC-AML checks including B Category branches and Credit Process Audit conducted across the Regions pan India.

21.2 Your Bank has established a compliance package to monitor, control & follow up communications received from Regulators/ Ministry. Periodic compliance test checks put in place for effective implementation of mandatory guidelines. The role & responsibility of compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. Your Bank has a well established reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through self certification process; compliance certificate is submitted by branches to the higher offices.

22 Audit

22.1 Your Bank has put in place a well defined Audit Policy for risk based internal audit, management audit, concurrent audit, information security audit and foreign branches audit which have been revamped time and again by the Audit Committee of Board.

22.2 Regular Audit and IS audit of 3767 branches was conducted during FY 2019-20. Extensive Audit has been conducted by Specialized IS Auditors in 7 Central Office Verticals, 2 FGMOs, 4 Regional Offices and 20 Branches. Number of 'High Risk' branches reduced from 58 branches in the FY 2018-19 to 31 branches in FY 2019-20. Income Leakage of Rs.127 Crore was detected. 52 Branches were rated "Extremely High Risk" due to detection of Fraud at these Branches and no branch is rated under "Very High Risk".

- The offsite monitoring system has been improved with the implementation of newly developed software both at Central OMC (Offsite Monitoring Cell) and Regional OMCs.
- Your Bank made all audit modules live such as Risk Based Internal Audit, Management Audit, Concurrent Audit, Information System Audit, Audit of Currency Chests, Service Branches etc.
- The Audit Committee of Board of Directors (ACB) met 13 times and the Audit Committee of Executives (ACE) met 6 times during the year.

23 Cyber Security

23.1 Your Bank has created separate vertical at Central Office for overseeing Cyber Security functions (CISO Office).The CISO head reports to the Executive Director of the Bank. The Bank has deployed dedicated skilled team and technological Security Solutions to proactively help Bank in identifying any abnormality in network both internal as well as perimeter.

23.2 Your Bank has created Cyber Security Governance structure comprising of policies and Committees at executive and Board level to oversee the development of Cyber Security posture of the Bank. Your Bank has formulated Cyber Security Policy & Information Security Policy and developed respective Standard Operating Procedures. Bank has also developed Cyber Play book to handle the incident response.

23.3 **Cyber Security Awareness Program (CCSAP):** Your Bank has developed CCSAP program to enhance the level of cyber security awareness among its customers and employees, which has led to an increase in the overall cyber resilience.

New Initiatives:

23.4 **Cyber Security Operation Centre (CSOC):** Cyber-Security Operation Centre (C-SOC) is being implemented to monitor, assess and defend Bank's information systems.

23.5 **Cyber Threat Hunting Programme:** Your Bank has instituted Cyber Threat Hunting Programme and performs mock drill at a regular periodicity in a systematic manner for detecting, understanding or recovering from a cyber attack.

23.6 Bank is also availing the threat intelligence services from global threat intel service providers. They provide the various threat intelligence services such as compromised card or credential details, mule IP, mule Email ids, Mule accounts etc.

24 Technology Up gradation:

24.1 Information Technology aims to have in place a responsive, resilient and secure IT ecosystem leveraging latest technologies. Your Bank is adopting the centralization /automation /integration of internal business processes in order to enhance quality of IT services. It is taking substantial measures in securing the IT assets of the Bank.

Your Bank is also thriving to streamline the banking services for customers with cutting edge technology. Your bank has undertaken migration of Core Banking from version 7.x to 10.x, mobile application for Union Parivaar (HRMS), Central KYC mobile application to centralize the multiple KYC submission process, E-Learning mobile application, implementation of UPI 2.0 solution and integration of transaction channels.

As a part of business process transformation, your Bank has envisaged leadership and innovations in providing hassle free services to its staff by launching HRMS mobile application. This application helps in immediate sanctioning and disbursement of perks and allowances.

Various measures have been taken for digitization of business process and boosting administrative efficiency like Bandwidth upgradation for all branches to minimum 2 Mbps and for all offices to minimum 4 Mbps.

Your Bank has also focused on expansion of centralized account opening under Document Management System, multilingual SMS for transactions in 5 regional languages which helped your Bank to deliver better products to the end users through various channels.

Your Bank is in process of implementing PSB Reforms Enhanced Access and Service Excellence (EASE) Agenda for transformation into digital and smart data-driven Next Gen Banking. Further, your Bank has embarked on initiatives namely APIM solution for facilitating real-time transaction processing.

In order to enhance IT Security and to secure information assets, your Bank has implemented various security solutions and is in the process of implementing Automated data classification solution to improve the treatment of sensitive data by way of automatic tagging. Your bank has taken measures to improve governance with greater transparency.

Your Bank is rapidly transitioning towards data-driven decision-making by preparing roadmap for adoption of AI, ML and Analytics based solution. Your Bank is in process for Adoption of latest technologies like Software Defined WAN (SD-WAN), Block Chain, Robotic Process Automation, Artificial Intelligence (AI)/ Machine Learning (ML) and open banking to help Bank becoming a next generation bank as well as Bank of masses.

As part of Business Continuity Planning & Disaster Recovery Management strategy, Bank has

implemented DR automation solution for critical applications hosted on Bank's on-premise private cloud infrastructure, thus encouraging Bank's readiness in responding to exigent situation.

In view of amalgamation your Bank has prepared implementation plan with timelines for smooth and seamless IT Landscape Integration. Product harmonization completed in Core Banking for all 3 Banks for liability products with charges for day zero of amalgamation i.e. 01.04.2020.

25 Vigilance:

25.1 Banking organizations, being custodians of public money, maintain the highest standards of honesty, integrity, probity and transparency. Vigilance function in the Banks helps in striving for zero tolerance for corruption and thereby enhancing the image of the organization.

25.2 **Vigilance Awareness Initiatives:** Our Bank conducts Preventive Vigilance Visits which are surprise visits to branches by vigilance officials, the very purpose of which is to sensitize the staff about the importance of following the laid down rules and procedures by the Bank from time to time. In F.Y. 2019-20, 2345 visits were conducted. In view to cover more branches under PVV and have an overall thorough supervision across the field, we have expanded our vigilance set-up and comprise of 11 Zonal Vigilance Cells and 18 Regional Vigilance Cells.

In addition to the PVV, an offsite surveillance system is adopted by the Bank which helps in detection of abnormal transactions irregularities etc. and thereby initiate corrective action. During the year, 3367 alerts were raised under off-site surveillance, which were referred to the controllers for taking appropriate corrective actions.

Control Returns also sent regularly to various statutory and regulatory bodies (CVC, RBI, MOF, CBI etc) as demanded by them to enable them to exercise a general check and supervision over our vigilance cases and anti-corruption work.

In view of CVC directions, our Bank observes the Vigilance Awareness Week every year during October – November by conducting variety of internal and outreach vigilance awareness programmes for the staff members, school-going children, rural strata of the society and all citizens of the country. This year, Vigilance Awareness Week was observed under the theme, 'Integrity – A way of life', with the message that integrity be inculcated as an essential trait in our lives and thus ensure betterment of our society and nation.

26 Outlook

26.1 Banking today is standing at the juncture of both opportunities and uncertainties. While the former is based upon the hope of economic revival, latter is more evident from the on-going crisis and related setbacks. The hope of opportunity is however arising from the swift and timely actions taken by the regulators. Also, to chalk out a major difference between the current crisis and a similar one of 2008, it is the systematic resilience that has provided the hope for revival.

During FY 2019-20 the Bank has undertaken various structural changes in the form of amalgamation, EASE and digital integrations. While managing with internal reforms, the Bank has successfully acted upon the industry needs.

Going forward, the first half of the FY 2020-21 is expected to remain sluggish in terms of business growth and new opportunities. Nonetheless, gradual recovery is expected from second half with timely roll-out of fiscal policy measures and revival in business sentiments. Also, post COVID world would provide opportunity for the institutions to evolve differently and setting a 'new normal'.

For and on behalf of the board of directors

(Kewal Handa)
Chairman

Place: Mumbai
Date: July 4, 2020

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 Union Bank of India is committed to good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding their wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

1.3 To implement the best practices, the Board has framed a Code Of Corporate Governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:

- Functioning of Board and its various Committees
- Compliance (Regulatory and Policy)
- Relation with shareholders
- Disclosures by Bank and its Directors
- Corporate Social Responsibility and
- Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct for Directors & Senior Management, Prohibition of Insider Trading, Related Party Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.

1.4 The Bank being a listed entity complies with the Corporate Governance provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent that it does not violate statues and guidelines or directives issued by the relevant authorities applicable to the Bank.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

2.2 The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc.

2.3 The Board has constituted various sub-committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Committees meets at periodical intervals.

2.4 As on 31st March, 2020, the Board comprised of four whole-time Directors viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and three Executive Directors appointed by the Government of India besides nine Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.5 Two posts of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year.

2.6 **Composition of the Board of Directors as on 31st March, 2020 is as under:**

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank $	Holding of Bank's shares	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank / Other Listed Companies and Area of Expertise)
1	Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director (Independent Non-Executive)	06-07-2017	ACB BCPE CSCB CSRC ITSC RMC SCMF SRC NRC STCB	Nil	7	3	Nominated as a Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from the date of notification of his appointment i.e. upto 05.07.2020 or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of following other listed companies: i. Mukta Arts Limited ii. Clariant Chemicals (India) Limited iii. Greaves Cotton Limited iv. R M Drip & Sprinklers Systems Ltd. Area of Expertise: Management & Finance

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank $	Holding of Bank's shares	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies and Area of Expertise)
2	Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO (Executive)	01-07-2017	CAC-I, CDRCF CESD, CSCB CSRC, DPPC EDC, HRSC MCB, RCNCB&WD ReMC, SCMF STCB	6725	0	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on or after 01.07.2017 i.e. upto 30.06.2020 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
3	Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director (Executive)	20-09-2018	CAC-I, CDRCF CESD, CSCB CSRC, HRSC ITSC, MCB ReMC, RMC, SRC	6725	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post i.e. upto 19.09.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Cost Accounting, Banking & Finance
4	Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director (Executive)	02-11-2018	ACB, CAC-I CDRCF, CESD CSCB, CSRC HRSC, ITSC MCB, ReMC RMC, SCMF, SRC	6725	2	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post or till attaining the age of Superannuation i.e. upto 30.09.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
5	Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director (Executive)	01-03-2019	CAC-I, CDRCF CESD, CSCB CSRC, HRSC ITSC, MCB ReMC, RMC, SRC	Nil	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post i.e. upto 28.02.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking & Finance
6	Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director (Non-Executive)	22-07-2016	ACB, BCPE CSCB, DPPC EDC, HRSC ITSC, ReMC SCMF	Nil	2	0	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders. He is also Director on the Board of United India Insurance Co. Ltd. Area of Expertise: Management & Finance
7	Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director (Non-Executive)	26-04-2019	ACB, DPPC EDC, MCB	Nil	1	0	Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders. Area of Expertise: Banking & Finance
8	Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director (Independent Non-Executive)	06-02-2018	ACB, CSCB ITSC, NRC SRC	Nil	4	2	Nominated as a Chartered Accountant Director by Central Government u/s 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 05.02.2021 or until further orders, whichever is earlier. He is also director on the Board of Machino Plastics Limited. Area of Expertise: Finance & Valuation, Audit

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank $	Holding of Bank's shares	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies and Area of Expertise)
9	Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director (Independent Non-Executive) #	21-10-2019	NRC, SCMF	Nil	0	0	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 1 year from the date of notification i.e. 21.10.2019 or until the amalgamation of the Bank i.e. 31.03.2020 or until further orders, whichever is earliest. Area of Expertise: Economics & Risk Management
10	Dr. Madhura Swamina-than, Part-Time Non-Official Director (Independent Non- Execu-tive)	27-12-2017	CESD, HRSC NRC, RMC SCMF	Nil	0	0	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 26.12.2020 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Economics
11	Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director (Independent Non-Executive)	28-06-2018	BCPE, MCB RCNCB&WD RMC, SRC	100	1	0	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Information Technology
12	Shri K. Kadiresan, Shareholder Director (Independent Non-Executive)	28-06-2018	CESD, CSCB ITSC, MCB RMC	200	0	0	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Insurance & Management
13	Dr. Jayadev M., Shareholder Director (Independent Non-Executive)	28-06-2018	CSCB, CSRC HRSC, MCB RCNCB&WD STCB	200	0	0	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Banking & Risk Management

Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director completed his tenure on the Board on 24.04.2019 and was re-nominated w.e.f. 21.10.2019.

$ Abbreviations of Committee Names

ACB	-	Audit Committee of the Board
BCPE	-	Board Committee for Performance Evaluation
CAC -I	-	Credit Approval Committee - I
CDRCF	-	Committee of Directors for Raising of Capital Fund
CESD	-	Committee to decide on Election of Shareholders Directors – Voting by PSBs
CSCB	-	Customer Service Committee of the Board
CSRC	-	Corporate Social Responsibility Committee

DPPC	-	Disciplinary Proceedings & Promotion Committee
EDC	-	Election Dispute Committee
HRSC	-	HR Sub-Committee of the Board
ITSC	-	IT Strategy Committee
MCB	-	Management Committee of the Board
NRC	-	Nomination & Remuneration Committee
RCNCB&WD	-	Review Committee for Non Cooperative Borrowers & Willful Defaulters of the Bank
ReMC	-	Recovery Management Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
SCMF	-	Special Committee on Monitoring of Frauds of Rs. 1 crore & above
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
STCB	-	Share Transfer Committee of the Board

2.7 **Appointments/Cessations during the Financial Year 2019-20:**

Appointments: A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2019-20 is as under:-

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry Date of Current Term	Nature of Expertise	Brief Resume
1.	Shri Arun Kumar Singh	56	26.04.2019	Till further order	Banking & Finance	Shri Arun Kumar Singh is currently Regional Director, Reserve Bank of India at Jaipur since April 2019 and is fulfilling his Central Banking responsibilities in the area of currency management, financial inclusion, financial literacy, banking / non-banking development, Government banking, etc. in the state of Rajasthan. Shri Singh has done his Graduation in Economics and MBA in Finance and HR. He is also a Certified Associate of the India Institute of Banking (CAIIB).
2.	Dr. K. Ramesha	63	21.10.2019	31.03.2020	Economics & Risk Management	Dr. K Ramesha with first-class Masters and Doctorate in Economics started his career as Lecturer with Department of Economics, University of Mysore in the early eighties and subsequently worked for Kerala Agricultural University as Assistant Professor. Dr. Ramesha's tenure on the Board has ended on 31.03.2020.

Cessations: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2019-20:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
1.	Shri Anil Kumar Misra	RBI Nominee Director	26.04.2019	Shri Arun Kumar Singh has been appointed as RBI Nominee Director by the Central Govt. w.e.f. 26.04.2019 vice Shri Anil Kumar MIsra.
2.	Dr. K. Ramesha	Part-Time Non-Official Director	1st Term – 24.04.2019 2nd Term - 31.03.2020	Completion of Tenure.

2.8 **Inter-se relationship of Directors:**

There is no inter se relationship amongst the Directors.

2.9 **Committee Membership of Directors:**

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 Committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he was a Director during the year 2019-20.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he was a Director as on 31.03.2020 are given here under:

Sr. No.	Name & Designation of Director	Name of Company	Name of Committee	Member/ Chairman
1	Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1.Mukta Arts Limited 2.Mukta Arts Limited 3.Greaves Cotton Limited 4.Clariant Chemicals (India) Limited 5.R M Drip & Sprinklers Systems Ltd. 6.Union Bank of India 7. Union Bank of India	ACB SRC ACB ACB SRC ACB SRC	Chairman Chairman Chairman Member Member Member Member
2	Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	1. Union Bank of India	SRC	Member
3	Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	1. Union Bank of India 2. Union Bank of India	SRC ACB	Member Member
4	Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	1. Union Bank of India	SRC	Member
5	Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director	1. Union Bank of India 2. United India Insurance Co. Ltd.	ACB ACB	Member Member
6	Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	1. Union Bank of India	ACB	Member
7	Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	1. Machino Plastics Ltd. 2. Machino Plastics Ltd. 3. Union Bank of India 4. Union Bank of India	ACB SRC SRC ACB	Member Member Chairman Chairman
8	Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1. Union Bank of India	SRC	Member

2.10 **Details of Familiarization Programmes attended by Directors:** The details of training programmes attended by Directors of the Bank are made available on Bank's website under the following link:

http://www.unionbankofindia.co.in/english/familarisation.aspx

2.11 In terms of requirement of Schedule V of the Listing Regulations, a Practicing Company Secretary has certified that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the SEBI / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

2.11 The Board of Directors of the Bank confirms that the independent directors of the Bank fulfil the conditions specified in Listing Regulations and are independent of the management.

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on **Friday, 28th June, 2019** where the following directors were present:

Sr. No.	Name of Director	Designation
1.	Shri Kewal Handa	Chairman and Part-Time Non-Official Director
2.	Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO
3.	Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director
4.	Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director

Sr. No.	Name of Director	Designation
5.	Shri Manas ranjan Biswal	Executive Director
6.	Shri Rajiv Kumar Singh	Chartered Accountant Director, Chairman of the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee of the Board

4. BOARD MEETINGS

Details of Board Meetings held during the Financial Year 2019-20:

Sr. No.	Date of the Board Meeting	Total No. of Directors on the Board	No. of Directors present in the meeting
1.	18-04-2019	13	11
2.	14-05-2019	12	10
3.	15-05-2019	12	12
4.	18-06-2019	12	12
5.	24-07-2019	12	10
6.	02-08-2019	12	10
7.	23-08-2019	12	10
8.	09-09-2019	12	11
9.	18-09-2019	12	10
10.	23-10-2019	13	11
11.	14-11-2019	13	11
12.	06-09-2019	13	13
13.	10-01-2020	13	11
14.	10-02-2020	13	11
15.	25-02-2020	13	11
16.	05-03-2020	13	10
17.	17-03-2020	13	12
18.	27-03-2020	13	12

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as below:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	18	18
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	18	18
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	18	18
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	18	18
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	18	18
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	18	14
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	1	0
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	17	14
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	18	18
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	10	10
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	18	12
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	18	15
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	18	9
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	18	16

5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under -

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Risk Management Committee (RMC)
4. Special Committee on monitoring of Frauds of Rs.1.00 crore and above (SCMF)
5. Recovery Management Committee of the Board (ReMC)
6. Customer Service Committee of the Board (CSCB)
7. HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)
8. Stakeholders Relationship Committee (SRC)
9. IT Strategy Committee (ITSC)
10. Nomination & Remuneration Committee (NRC)
11. Disciplinary Proceedings & Promotion Committee (DPPC)
12. Share Transfer Committee of the Board (STCB)
13. Review Committee for Non Cooperative Borrowers & Willful Defaulters of the Bank (RCNCB & WD)
14. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

15. Credit Approval Committee-I (CAC - I)
16. Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)
17. Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
18. Election Dispute Committee (EDC)
19. Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs (CESD)

5.1 Management Committee of the Board (MCB)

5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended), the Management Committee of the Board as on 31.03.2020 consists of –

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors,
- RBI Nominee Director nominated under Section 9(3)(c) and
- Three other Non-Executive Directors under Section 9 (3) (e), (f), (h) & (i) nominated by the Board on rotation basis.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.1.2 Functions:

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning/review of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure beyond the powers of Credit Approval Committee-I, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

5.1.3 Attendance of MCB Meetings:

During the year 2019-20, 22 meetings of MCB were held and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	22	22
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	22	20
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	22	20
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	22	21
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	1	0
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	21	17
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	5	4
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	21	8
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	22	21
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	17	17

5.2 Audit Committee of the Board (ACB)

5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The ACB consists of following members –

- Executive Director in-charge of Internal Inspection and Audit
- Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and
- Two Non Executive Directors of which one should ordinarily be Chartered Accountant Director nominated u/s 9(3)(g).

Other Executive Director/s can be invitee/s to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Committee.

Company Secretary acts as secretary to the ACB in terms of Regulation 18(1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

5.2.2 **Functions:**

The ACB reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides directions as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e. the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
   - Inter-branch adjustment accounts
   - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
   - Arrears in balancing of books at various branches
   - Frauds
   - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of guidelines of RBI and SEBI.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
6. In addition to the above, the functions of the Audit Committee includes the role of the Audit Committee and review of information by audit committee as defined under Part – C of Schedule II – Corporate Governance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

5.2.3 **Attendance of ACB Meetings:**

The Committee met 13 times during the year 2019-20. These meetings were held on 18.04.2019, 14.05.2019, 17.06.2019, 23.07.2019, 02.08.2019, 20.08.2019, 09.09.2019, 14.11.2019, 07.12.2019, 10.02.2020, 10.02.2020, 05.03.2020 and 16.03.2020. Attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	13	13
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	13	13
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	13	8
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	1	0
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	12	10
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	13	13

5.3 **Risk Management Committee (RMC)**

5.3.1 **Composition:**

The Bank had constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Board of Directors shall constitute a Risk Management Committee (RMC) in top 500 listed entities determined on the basis of market capitalization. Considering the similarity in functions, the Board in its meeting dated 06.12.2019 changed the name of Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM) to Risk Management Committee (RMC).

The Committee consists of the following members:

- Chairman
- Managing Director & CEO,
- Executive Directors and
- Three Non-Executive Directors.

Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman & Part Time Non Official Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.3.2 **Functions:**

The Committee is constituted to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

5.3.3 **Attendance of RMC Meeting:**

The Committee has held 5 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	5	5
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	5	5
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	5	5
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	5	5
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	5	5
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	1	1
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	5	4
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	4	3
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	4	2
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	1	1

5.4 **Special Committee of the Board of Directors for monitoring of Fraud of Rs.1.00 crore and above (SCMF)**

5.4.1 **Composition:**

Special Committee of the Board of Directors for monitoring of frauds of Rs. 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow–up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of Rs. 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors:

- Chairman
- Managing Director & CEO
- Two members from the Audit Committee of the Board
- Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman & Part Time Non Official Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.4.2 **Functions:**

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of Rs 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

5.4.3 **Attendance of SCMF Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	4	4
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	1

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	3	2
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	0
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	2	2

5.5 **Recovery Management Committee of the Board (ReMC)**

5.5.1 **Composition:**

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Government of India Nominee Director

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.5.2 **Functions:**

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

5.5.3 **Attendance of ReMC Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meetings held during their tenure	No of Meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	4	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	4

5.6 **Customer Service Committee of the Board (CSCB)**

5.6.1 **Composition:**

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India to look after the customer service in Bank. The Committee Comprises of following members:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Four Non-Executive Directors

In addition, Internal Ombudsman and Two Experts also participate as special invitees in these meetings.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.6.2 **Functions:**

The Committee is undertaking the following tasks:

i. To make suggestions on improving the quality of customer services.

ii. To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.

iii. To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

5.6.3 **Attendance of CSCB Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	4	4

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	4	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	0
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	4	4
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	4	3
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	3	2
Shri S. Ravindranath, Special Invitee	4	3
Shri S. Jagannathan, Special Invitee	4	4
Shri Vijay Jasuja, Internal Ombudsman	4	2

5.7 **HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)**

5.7.1 **Composition:**

The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and any two Directors nominated by the Board. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.7.2 **Functions:**

To oversee & review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank on HR.
   - Overall manpower plan and skills gap identification.
   - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
   - Succession planning.
2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
   - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
   - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
   - Reward and incentives
   - Promotions
   - Deployment
4. Training
   - Specialist business skills training
   - General retraining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

5.7.3 **Attendance of HRSCB Meetings:**

The Committee has held 5 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	5	5
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	5	5
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	5	5
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	5	5
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	5	3
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	5	4
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	1	0
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	4	4
Shri T. V. Rao, Outside Expert	5	4
Shri R. R. Nair, Outside Expert	5	1

5.8 **Stakeholders Relationship Committee (SRC)**

5.8.1 **Composition:**

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Stakeholders Relationship Committee (SRC) has

been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors.

Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Committee.

5.8.2 **Functions:**

1. Monitoring and resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.
2. Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
3. Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
4. Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company.

5.8.3 **Attendance of SRC Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2019-20. These were held on 18.06.2019, 20.08.2019, 07.12.2019 and 16.03.2020 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	4	4
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	4	4
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	3
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	3	3
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	2	2

5.8.4 **Name & Designation of Compliance Officer**

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Mangesh Mandrekar has been appointed as Company Secretary and designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

5.8.5 **Details of Shareholder Complaints during the year 2019-20:**

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2020 vis-à-vis 31.03.2019 is as under:-

Sr. No.	Particulars	For F.Y. ended 31.03.20	For F.Y. ended 31.03.19
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	0	0
b.	No. of shareholders complaints received during the year	106	276
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	106	276
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	0	0

5.9 **IT Strategy Committee (ITSC)**

5.9.1 **Composition:**

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Three Non-Executive Directors, one of whom shall be Independent Director
- One Outside IT Expert
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director is the present Chairman of the Committee.

5.9.2 **Functions:**

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.

- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.
- To act as Board level Sub-Committee on Digital Transactions to advice, guide and monitor enhancing digital transactions of the Bank.

5.9.3 **Attendance of ITSC Meetings:**

The Committee has held 6 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	6	6
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	6	6
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	6	6
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	6	5
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	6	3
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	5	5
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	2	1
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	4	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	1	1
Shri Ishraq Ali Khan, GM DIT	6	6
Shri G. Shivakumar, Special Invitee	6	4

5.10 **Nomination & Remuneration Committee (NRC)**

The Bank earlier had two separate Committees viz. Nomination Committee and Remuneration Committee constituted in terms of earlier guidelines issued by RBI and MOF. MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised that in place of separate Nomination Committee of the Board and Remuneration Committee of the Board, the Bank may constitute a single committee named Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions entrusted to the said two committees and having composition as specified vide RBI's communication RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No. 9/29.67.001/2019-20, dated 02.08.2019

Thus, pursuant to the above mentioned MOF guidelines, the Board of Directors approved the constitution of a single Nomination and Remuneration Committee (NRC) in place of two separate Committees in line with RBI guidelines w.e.f. 06.12.2019.

5.10.1 **Composition:**

Reserve Bank of India vide circular no. RBI/DBR/2019-20/71 dated 02.08.2019 has issued

Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019. In terms of Para 4.1 of the said directions, the bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Composition of the Committee is as under :

- Non-Executive Director nominated under section 9(3)(g) of the Act
- Three Non-Executive Directors nominated under section 9(3)(h) of the Act

As per the guidelines, the Non-Executive Chairman may also be nominated on the Committee but shall not chair the Committee.

Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director is the present Chairman of the Committee.

5.10.2 **Functions:**

To undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

5.10.3 **Attendance of Nomination & Remuneration Committee Meetings:**

The Nomination Committee (before reconstitution) has held one meeting during the year 2019-20. This was held on 18.06.2019 and attendance details are as under:

Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	1	1
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	1	1

No meeting of Remuneration Committee (before reconstitution) was held during the year 2019-20.

Further, NRC has not met after reconstitution during the year 2019-20.

5.11 Disciplinary Proceedings & Promotion Committee (DPPC)

The Bank earlier had two separate Committee viz. Directors Promotion Committee (DPC) and Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/ Non-Vigilance (DPC-V).

MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number.

The Board of Directors with a view to rationalize its Committees and considering the MOF guidelines dated 24.10.1990 and basic composition, decided to merge Directors' Promotion Committee and Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/ Non-Vigilance w.e.f. 06.12.2019.

5.11.1 Composition:

The Board of Directors has approved the constitution of the Committee as below –

- Managing Director & CEO
- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director

Independent members / Outside experts to be inducted while conducting interview for the promotion process from Scale VI to VII and Scale VII to VIII.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.11.2 Functions:

- To conduct Promotion Process from TEGS VI to TEGS VII and TEGS VII to TEGS VIII,
- consider appeals of Executives in TEGS VI & VII against non-promotions to TEGS VII & VII respectively,
- to consider promotions to TEGS VII & VIII in cases where Sealed Cover Procedure is adopted
- To review Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.
- To review APAR marks of Top Executives upon their representation within 15 days from the date of disclosure.
- To review the appeal against the Regular Departmental Action for major penalty for General Managers

5.11.3 **Attendance of DPC Meetings:**

No meeting of the Committee was held during the year 2019-20.

5.11.4 **Attendance of DPC–V Meetings:**

The Committee has held 3 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	3	3
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	3	3
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	3	3

5.11.5 **Attendance of DPPC Meetings:**

The Committee has held 1 meeting during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director	1	1

5.12 **Share Transfer Committee of the Board (STCB)**

5.12.1 **Composition:**

The Committee earlier consisted of Executive Directors, Chief Compliance Officer/Chief Financial Officer and General Manager / Deputy General Manager / Asst. General Manager - Board Secretariat.

The Committee has been reconstituted by the Board w.e.f. 25.02.2020 as under:

- Managing Director & CEO or in absence, Executive Director in charge of Board Secretariat
- Two Non-Executive Directors

5.14.2 **Functions:**

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

5.12.3 **Attendance of STCB Meetings:**

During the year, the STCB (before reconstitution) met 25 times and attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc. STCB didn't meet post reconstitution during the year 2019-20:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	25	25
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	25	25
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	25	22
Attendees by Designation		
Chief Compliance Officer/ Chief Financial Officer	25	22
Dy. General Manager/Asst. General Manager-Board Secretariat	25	25

5.13 **Review Committee for Non Cooperative Borrowers and Willful Defaulters (RCNCB&WD)**

The Bank earlier had two separate Committee viz. Review Committee for Classification of Non-Cooperative Borrower (RCNCB) and Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB). MOF vide its communication F. No. 16/19/2019-BO.1 dated 30.08.2019 advised to review in its Board the need for continuation of Board committees set up at the bank's own initiative and the possibility of their functions being discharged by another Board committee or the Board, with a view to rationalise their number. The Board of Directors with a view to rationalize its Committees and based on the composition of the above two committees, decided to merge the same and to constitute a single Committee for identification of Wilful Defaulters and classification of Non-Cooperative Borrowers namely Review Committee for Non Cooperative Borrowers and Willful Defaulters with the following composition w.e.f. 06.12.2019 –

- Managing Director & CEO

- Two Independent Directors

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.13.1 **Functions:**

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be non-cooperative. The order shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.
- On a half–yearly basis review the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their return to credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.
- Review & confirm the orders passed by Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Willful Defaulters.
- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.

5.13.2 **Attendance of RCNCB (before reconstitution) Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2019-20.

5.13.3 **Attendance of RCWDB (before reconstitution) Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	3	3
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	3
Shri K. Kadiresan, Shareholder Director	1	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	2	2

5.13.4 **Attendance of RCNCB&WD Meetings:**

The Committee has held 1 meeting during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	1	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	1	1

5.14 **Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)**

The objective of the Corporate Social Responsibility Committee shall be to assist the Board and the Bank in fulfilling its Corporate Social Responsibility.

5.14.1 **Composition:**

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors
- One Part-Time Non-Official Director nominated under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- One Shareholder Director elected under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.14.2 **Functions:**

1. Formulating and recommending the CSR Policy to the Board of Directors and indicating activities to be undertaken.
2. Approval of projects to be undertaken either through Union Bank Social Foundation Trust or such other entity/organisation as approved by the Committee in terms of CSR Policy.
3. Reviewing usage of delegated authority by GM/ED/MD & CEO on quarterly basis. Reviewing performance of Union Bank Social Foundation Trust on quarterly basis.

5.14.3 **Attendance of CSRC Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	4
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	4	4
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	4	4
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	4	4
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	3	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1
Dr. Jayadev M., Shareholder Director	3	3
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1

5.15 **Credit Approval Committee-I (CAC-I)**

5.15.1 **Composition:**

As per the guidelines of Ministry of Finance, Government of India, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs.400 crore and group exposure upto Rs. 800 crore in case of our Bank and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board.

The composition of CAC-I is as under:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- General Manager In-charge of the Credit
- General Manager In-charge of the Finance/ Chief Financial Officer and
- General Manager In-charge of the Risk Management

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.15.2 **Functions:**

All credit related matters including approval/ review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, etc. within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

5.15.3 **Attendance of CAC-I Meetings:**

The Committee has held 23 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	23	23
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	23	19
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	23	22
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	23	21
Attendees by Designation		
General Manager In-charge of the Credit	23	23
General Manager In-charge of the Finance/CFO	23	19
General Manager In-charge of the Risk Management	23	23

5.16 **Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)**

5.16.1 **Composition:**

As per the approval given by the Board the committee is constituted to complete the necessary formalities for raising of capital funds. The Committee consists of MD & CEO and Executive Directors.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.16.2 **Functions:**

The Committee is authorized to complete the necessary formalities for raising of capital funds and to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and/or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), calling the issue open at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

5.16.3 **Attendance of CDRCF Meetings:**

The Committee has held 6 meetings during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee	6	6
Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director	6	5
Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director	6	6
Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director	6	5

5.17 **Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)**

5.17.1 **Composition:**

inistry of Finance vide communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 advised the Bank to constitute a Board Committee for Performance Evaluation of Managing Directors & CEO, Executive Directors in charge of internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of internal control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the bank.

As per above mentioned MOF communication dated 30.08.2019 & 14.11.2019 the Board Committee for Performance Evaluation is to be constituted with the approval of the Board with following members-

1. Non-Executive Chairman (NEC)
2. Government nominee Director, and
3. One Longest Served Shareholder Director.

In case of vacancy in the office of NEC, the Chairman of Audit Committee of the Board shall be a member of the Committee in place of NEC.

5.17.2 **Functions:**

To appraise, review and accept the Annual Performance Appraisal Reports of the Managing Director and CEOs, Executive Directors and General Managers.

5.17.3 **Attendance of BCPE Meetings:**

The Committee has held 1 meeting during the year 2019-20 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	1	1
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	1	1

5.18 **Election Dispute Committee (EDC)**

5.18.1 **Composition:**

In terms of Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998, If any doubt or dispute arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Shareholder Director; such doubt or dispute shall be referred for the decision of Election Dispute Committee. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO or in his absence, Executive Director
- Any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.18.2 **Functions:**

The Election Dispute Committee shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

5.18.3 **Attendance of EDC Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2019-20.

5.19 **Committee to decide on Election of Shareholders Directors – Voting by Public Sector Banks (CESD)**

5.19.1 **Composition:**

The Public Sector Banks are holding Equity Shares in other Companies including Financial Institutions and other Public Sector Banks. As per the guidelines of the Government of India,

the Public Sector Banks have to constitute a Committee of the Board headed by Managing Director & CEO to take decision on supporting the candidates in the election of the Shareholder Directors of other Companies, Public Sector Banks and Financial Institutions. The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Two other members nominated by the Board

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.19.2 **Functions:**

After considering all factors viz. qualification, experience, profile and background of various candidates, to take a decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

5.19.3 **Attendance of CESD Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2019-20.

6. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time of meeting	Venue	Special Resolution
15th Annual General Meeting	23rd June, 2017 at 11.30 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/Rights /QIP/ Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.4,950 crore (including premium, if any).
Extraordinary General Meeting	16th March, 2018 at 11:00 a.m.	Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021	Issue of 31,28,19,803 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.144.62 including premium of Rs.134.62 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs. 4,524 Crore.
16th Annual General Meeting	27th June, 2018 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/Rights /QIP/ Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.6,850 crore (including premium, if any).
Postal Ballot	14th February, 2019	--	To create, grant offer, issue and allot up to 8,00,00,000 (Eight crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "Union Bank - ESPS") in one or more tranches, to eligible employees.

Nature of Meeting	Date & Time of meeting	Venue	Special Resolution
Extraordinary General Meeting	26th March, 2019 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	Issue of 52,15,62,658 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.78.84 including premium of Rs.68.84 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs. 4,112 Crore.
17th Annual General Meeting	28th June, 2019 11:00 a.m.	--	To raise Capital through FPO/Rights /QIP/ Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.4,900 crore (including premium, if any).
Postal Ballot $$	14th November, 2019	--	To create, offer, Issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) to Government of India aggregating to Rs. 11,768 Crore for cash on Preferential Basis at an issue price (inclusive of premium) to be determined in accordance with regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018

$$ Details of Postal Ballot dated 14th November, 2019:

- Shri Vinay Angane, Practicing Company Secretary appointed as Scrutinizer to scrutinize the postal ballots e-votes in a fair transparent manner.
- Procedure of Postal Ballot and E-Voting as prescribed under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 was followed.
- Voting Pattern –

Particulars	Number of Valid Voters			Number of Valid Votes contained in			%
	Postal Ballot forms	e-Voters	Total	Postal Ballot Forms	e-Votes	Total	
Assent	521	447	968	24,55,63,975	1,30,96,58,128	1,55,52,22,103	99.48
Dissent	64	10	74	80,90,032	2,960	80,92,992	0.52
Total	585	457	1,042	25,36,54,007	1,30,96,61,088	1,56,33,15,095	100.00

7. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/circulars issued by RBI, GoI and SEBI.

As per SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statues, the provisions of corporate governance shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Listing Regulation. Compliance with respect to non-mandatory requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

7.1 **Remuneration of Directors:**

Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

Sitting Fees:

In terms of clause 17(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the sitting fees is paid by the Public Sector Bank to its Non-Official Directors except Govt. Nominee Director & RBI Nominee Director for attending meeting of its Board or any Committees thereof as decided by the Central Government. Accordingly, Central Government vide communication No.15/1/2011-BO.I dated 18th January, 2019 has prescribed the following rates of sitting fees payable to all Non-Official Directors on the Board of Public Sector Banks:

a)	Board Meetings	:	Rs.40,000/- per meeting
b)	Committee Meetings	:	Rs.20,000/- per meeting
c)	For Chairing Board Meetings	:	Rs.10,000/- per meeting [in addition to (a) above]
d)	For Chairing Committee Meetings	:	Rs.5,000/- per meeting [in addition to (b) above]

The above information is also available on Bank's website under following link:
http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx

Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

7.2 **Disclosure on Material Significant Related Party Transactions:**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

7.3 **Disclosure of Pecuniary Relationship or Transactions:**

The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal course of banking business and the sitting fees paid to them for attending Board and Committee meetings.

7.4 **Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.:**

Preferential Issue: The Bank has obtained approval of shareholders through the Postal Ballot on 14.11.2019 for allotment of Equity Shares aggregating to Rs. 11,768 crores to Government of India (GOI) on preferential basis. The Bank received Rs. 6,216 crores from GOI on 27.09.2019 and Rs. 5,552 crores on 30.09.2019 as capital infusion in the form of share application money pending allotment. The Bank allotted 1,65,98,02,538 equity shares on 30.11.2019 to GOI at an issue price of Rs. 70.90 (including premium of Rs. 60.90) per share.

Bonds: The Bank has not issued any Bonds during the year 2019-20.

7.5 **Penalties or Strictures:**

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

7.6 **Whistle Blower Policy:**

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link –

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

The Audit Committee of the Board periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee of the Board.

7.7 **Policy for determining Material Subsidiary:**

In compliance with Regulation 46(2)(h) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

However as on date there is no material subsidiary of the Bank.

7.8 **Related Party Transaction Policy:**

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

The Bank didn't have any materially significant related party transactions that had potential conflict with the interest of the Bank at large during the FY 2019-20.

7.9 **Dividend Distribution Policy:**

The Bank has formulated Policy for declaration of dividend for the year 2019-20. The said policy can be accessed via following link

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

7.10 **Management Discussion and Analysis:**

The same has been given separately in the Annual Report.

7.11 **Compliance Reports on Corporate Governance:**

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to the BSE & NSE within stipulate timeline.

7.12 **Dissemination of Information on Website:**

The Bank has disseminated the required information under clause (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its website www.unionbankofindia.co.in.

7.13 **Details of Fees paid to Statutory Auditors:**

Total fees for all services paid by the Bank and its subsidiaries, on a consolidated basis, to Statutory Auditor during Financial Year 2019-20 is Rs. 48.26 Crore.

7.14 **Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:**

a. number of complaints filed during the financial year 2019-20 : 10 (Ten)

b. number of complaints disposed of during the financial year 2019-20 : 9 (Nine)

c. number of complaints pending as on end of the financial year 2019-20 : 1 (One)

7.15 **Branch Network:**

- The Bank has well diversified branch network.
- As on 31.03.2020, the Bank had 4,281 domestic branches and 3 overseas branches at Hong Kong, Sydney and Dubai, in addition to representative office in Abu Dhabi. State wise position of branches in India is shown in the Map.
- The Bank operates in the UK through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd.
- Nearly 59% of the branches are located in rural and semi-urban centres.
- The Bank had 27 extension counters, 59 satellite offices and 48 service branches in addition to its regular bank branches as of 31.03.2020.

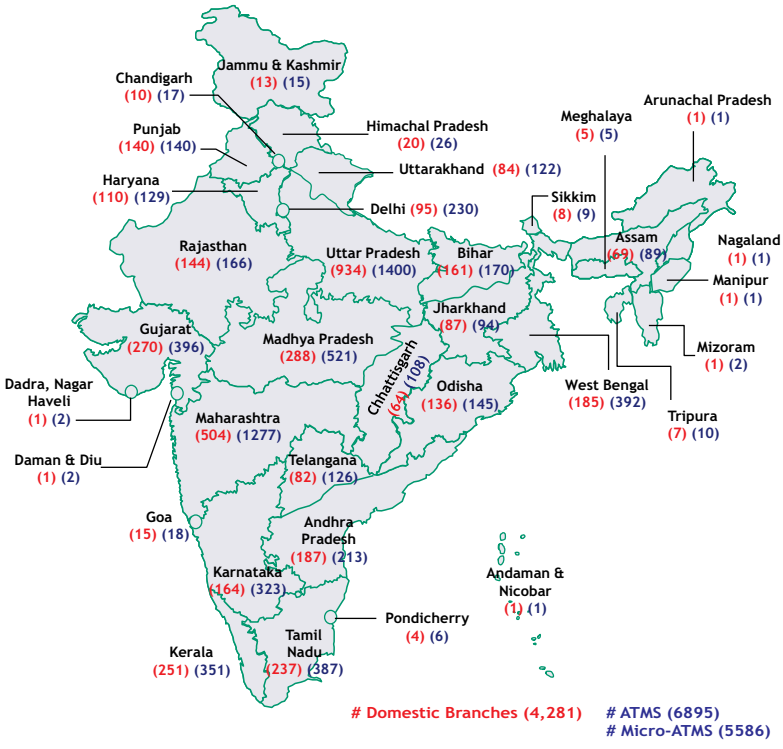

7.16 Credit Rating

List of all credit ratings obtained along with revisions during the financial year 2019-20, for all debt instruments or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad:

List of all credit ratings obtained along with revisions during the financial year 2019-20, for all debt instruments or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad:

Ratings of major agencies					
Rating Agency		**Basel III**		**Basel II**	
	Additional Tier 1	**Tier 2**	**Lower Tier II**	**Upper Tier II**	**Outlook**
Brickwork	BWR AA	BWR AA+	-	BWR AA+	Under watch with developing implications
CRISIL	-	CRISIL AA+	CRISIL AA+	CRISIL AA+	Rating watch with developing implications
CARE	CARE AA-	-	CARE AA+	CARE AA	Credit watch with developing implications
India Ratings	IND AA	IND AA+	-	-	Rating watch Evolving

Moody's - Rating report dated June 04, 2020:

Category	Rating
Union Bank of India	
Outlook	Rating(s) Under Review for possible downgrade
Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3
Bank Deposits	Baa3/P-3

Category	Rating
Baseline Credit Assessment	ba3
Adj. Baseline Credit Assessment	ba3
Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)
Senior Unsecured MTN	(P)Baa3
Subordinate MTN	(P)Ba3
Jr Subordinate MTN	(P)B1
Union Bank of India, Hong Kong Branch	
Outlook	Rating(s) Under Review for possible downgrade
Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3
Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)
Senior Unsecured	(P)Baa3
Subordinate MTN	(P)Ba3
Jr Subordinate MTN	(P)B1

Standard & Poor's- Rating Date: 12.08.2016 (last review date 17.04.2020)

Category	Rating
Local Currency LT	BB+
Local Currency ST	B
Foreign Currency LT	BB+
Foreign Currency ST	B
Outlook: Stable	

7.17 Performance Evaluation of Directors:

The Bank in terms of MOF guidelines conducts performance evaluation of Whole Time Directors and all Non-Executive Directors on a yearly basis.

7.18 Independent Auditor's Certificate on Corporate Governance:

In terms of provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Compliance certificate from the Independent Auditors regarding compliance of conditions of corporate governance is annexed with the Directors' Report.

8 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), The Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

9 SHAREHOLDERS' INFORMATION

9.1 Financial Year – 1st April to 31st March

9.2 Listing of Equity Shares & Bonds - The Bank's equity shares are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

BSE Limited (BSE), Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE), Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2020-21 has been paid to both the Stock Exchanges before 30th April, 2020.

The Bank has issued Unsecured Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2020 are as under:

ISIN NO.	Series	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)
INE692A09233	Bond Series XV-A (Upper Tier II)	500	28.06.2010	28.06.2025	8.48% Upto 10 years Stepped upto 8.98% after 10th year, if call option not exercised.
INE692A09241	Bond Series XVI-B (Lower Tier II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%
INE692A09266	Bond Series XVII-A (Basel III Compliant Tier II Bonds)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%
INE692A09274	Bond Series XVIII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%
INE692A08011	Bond Series XIX (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter till maturity.
INE692A08029	Bond Series XX (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1000	15.09.2016	Perpetual	9.50% Call option may be exercised after completion of 10 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
INE692A08037	Bond Series XXI (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1000	04.11.2016	Perpetual	9.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
INE692A08045	Bond Series XXII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	750	24.11.2016	24.11.2026	7.74%
INE692A08052	Bond Series XXIII Tr-1 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	250	29.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
INE692A08060	(Bond Series XXIII Tr-2 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	750	30.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
INE692A08078	(Bond Series XXIII Tr-3 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	500	31.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
INE692A08086	Bond Series XXIV (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	500	03.05.2017	Perpetual	9.08% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.
	TOTAL	**10,050**			

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee upfront for 2020-21 to the Stock Exchange.

9.3 **Dividend:**

Reserve Bank of India vide its circular dated 17.04.2020, has directed all Commercial and Cooperative Banks that no dividend payout shall be made from the profits pertaining to financial year ended 31.03.2020 until further instructions. Thus, the Board of Directors has not proposed any dividend this year to conserve capital to retain their capacity to support the economy.

9.4 **Particulars of AGM:**

Board Meeting for considering Accounts	Tuesday, 23rd June, 2020
Date, Time & Venue of AGM	Tuesday, 4th August, 2020 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting)
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before Sunday, 13th July, 2020 by email
Dates of Book Closure	Wednesday, 29th July, 2020 to Tuesday, 4th August, 2020 (both days inclusive)
Opening & Closing of E-Voting	Saturday, 1st August, 2020 (9:00 AM IST) to Monday, 3rd August, 2020 (5:00 PM IST)

9.5 **Financial Calendar:**

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2020-21 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2020	By August 10, 2020
For the quarter ending September 30, 2020	By November 10, 2020
For the quarter ending December 31, 2020	By February 10, 2021
For the year ending March 31, 2021	By May 15, 2021

9.6 **Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances:**

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08.06.2018 & SEBI Press Release dated 03.12.2018, physical transfer of shares is not permitted after 31.03.2019, thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed **Datamatics Business Solutions Limited** as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its CentralOffice, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaints.

Registrar & Share Transfer Agent (RTA)	Debenture Trustee	Company Secretary
Datamatics Business Solutions Ltd. Unit: Union Bank of India Plot No. B-5,Part B Crosslane, MIDC Andheri (East), Mumbai-400 093. Tel No: 022 - 66712001-6 Fax No: 022 – 66712011 Email: ubiinvestors@datamaticsbpm.com	**IDBI Trusteeship Services Limited** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400001 Tel- (022) 40807001 Fax- (022) 66311776 Email: adityakapil@idbitrustee.com	**Investor Services Division** Union Bank of India 12th Floor, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021. Tel-(022) 2289 6636 Fax-(022) 22025238 E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

9.7 **Other Communications:**

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The Bank sent Half-yearly Communication through email to all the shareholders whose email id is registered with the Bank / DP.

9.8 **Dematerialisation of shares:**

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692A01016.**

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2020 are as under:

Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of shareholding
Physical	52,497	1,12,44,511	0.33
Demat			
NSDL	1,36,411	36,31,98,579	10.61
CDSL	1,16,893	3,04,83,75,762	89.06
TOTAL	**3,05,801**	**3,42,28,18,852**	**100.00**

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit, no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

The Bank has sent various communications to its shareholders holding shares in physical form to dematerialize the same. As a result, 1,970 shareholders dematerialized their 5,04,350 shares held in physical form during the year 2019-20.

9.9 **Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges:**

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)
Apr-2019	100.30	82.40	130,60,908	100.40	82.75	1806,44,027	39,487.45	38,460.25
May-2019	86.10	69.25	183,63,107	86.15	69.20	2546,69,958	40,124.96	36,956.10
Jun-2019	83.70	70.70	141,01,830	83.75	70.75	1727,38,987	40,312.07	38,870.96
Jul-2019	86.55	66.15	171,92,653	86.60	66.25	2209,25,258	40,032.41	37,128.26
Aug-2019	67.95	57.60	141,33,217	67.75	57.60	2035,75,230	37,807.55	36,102.35
Sep-2019	62.00	52.10	165,41,463	61.95	51.80	2081,21,398	39,441.12	35,987.80
Oct-2019	58.40	48.05	184,88,036	58.40	48.10	2126,33,550	40,392.22	37,415.83
Nov-2019	65.70	50.80	186,17,537	65.80	50.85	2775,25,678	41,163.79	40,014.23
Dec-2019	63.95	53.20	143,93,331	63.70	53.20	2964,20,745	41,809.96	40,135.37
Jan-2020	55.55	49.25	34,73,918	55.60	49.10	807,91,103	42,273.87	40,476.55
Feb-2020	52.35	36.90	97,17,117	52.40	36.80	609,45,853	41,709.30	38,219.97
Mar-2020	40.00	24.00	175,80,463	40.00	24.40	768,27,317	39,083.17	25,638.90
Closing Price as on 31.03.20	₹ 28.75			₹ 28.70			-	
Market Capitalization	₹ 9,840.60 crore			₹ 9,823.49 crore			-	

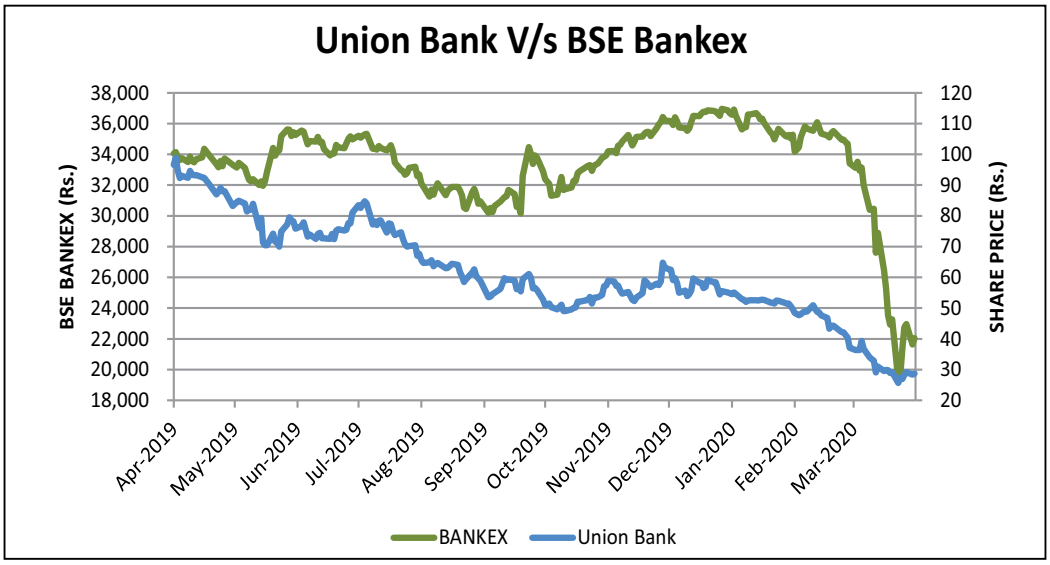

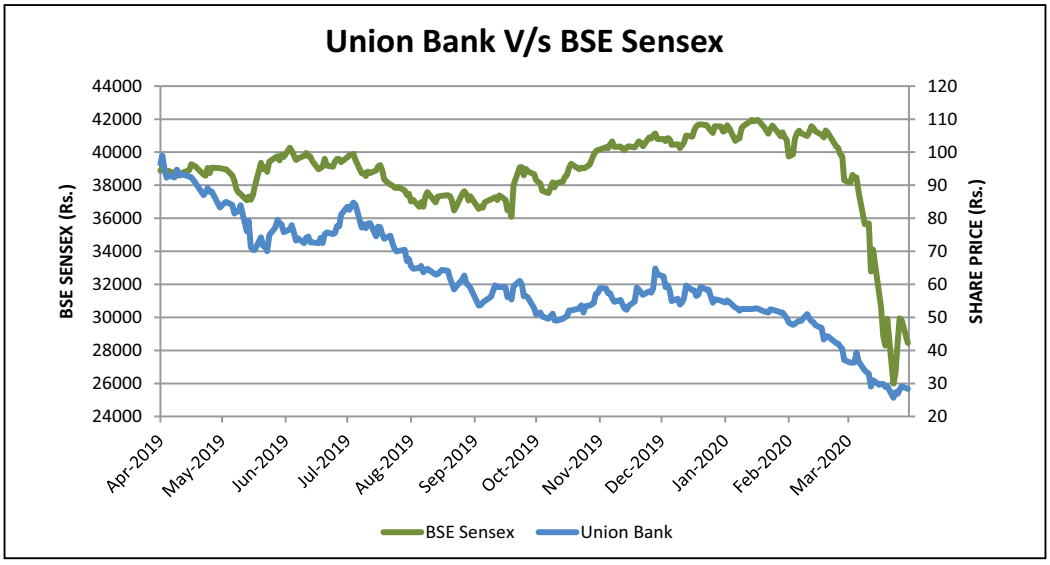

* Source-BSE Website (www.bseindia.com)

9.9 **Distribution of Shareholding:**

The Government of India is holding 296.93 crores equity shares of Rs.10 each aggregating to Rs.2969.28 crores in the total issued & subscribed capital of Rs.3,422.82 crores. The distribution of shareholding as of 31.03.2020 vis-a-vis 31.03.2019 is as under:

Shareholding	As of 31.03.2020				As of 31.03.2019			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Upto 500	2,43,784	79.72	3,49,49,201	1.02	2,22,055	80.38	3,17,05,940	1.80
501 to 1000	25,786	8.43	1,90,07,210	0.56	22,339	8.09	1,61,45,628	0.92
1001 to 2000	10,372	3.39	1,55,12,686	0.45	8,178	2.96	1,21,47,587	0.69
2001 to 3000	13,821	4.52	3,37,78,233	0.99	13,151	4.76	3,20,61,696	1.82
3001 to 4000	4,580	1.50	1,61,74,126	0.47	4,168	1.51	1,47,19,636	0.84
4001 to 5000	2,501	0.82	1,17,00,838	0.34	2,221	0.80	1,03,89,418	0.59

Shareholding	As of 31.03.2020				As of 31.03.2019			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
5001 to 10000	4,033	1.32	2,64,50,108	0.77	3,480	1.26	2,23,48,850	1.27
10001 & above	924	0.30	3,26,52,46,450	95.40	659	0.24	1,62,34,97,559	92.09
Total	**3,05,801**	**100.00**	**3,42,28,18,852**	**100.00**	**2,76,251**	**100.00**	**1,76,30,16,314**	**100.00**

The face value of Bank's share is ₹ 10/-.

9.11 **Shareholding pattern:**

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31.03.2020 vis-a-vis 31.03.2019 is as follows:

Category of shareholder	As of 31.03.2020		As of 31.03.2019	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Promoter				
Government of India	2,96,92,79,777	86.75	1,30,94,77,239	74.27
Institutional Investors				
Mutual Funds & UTI	8,20,22,624	2.40	9,77,26,053	5.54
Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions)	1360,49,448	3.97	13,41,36,958	7.61
FIIs & Foreign Mutual Funds	4,42,41,259	1.29	5,55,60,754	3.15
Others				
Private Corporate Bodies	1,62,77,129	0.48	1,68,96,063	0.96
Indian Public	17,31,41,991	5.06	14,78,97,197	8.39
NRIs/OCBs/Qualified Foreign Investor	18,06,624	0.05	13,22,050	0.08
Total	**3,42,28,18,852**	**100.00**	**1,76,30,16,314**	**100.00**

9.12 **List of Top 10 Shareholders of the Bank:**

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2020 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	President of India (Government of India)	2,96,92,79,777	86.75
2	Life Insurance Corporation of India	11,33,18,095	3.31
3	HDFC Trustee Company Ltd - A/C HDFC Mid - Capopportunities Fund	5,24,36,308	1.53
4	ICICI Prudential Balanced Advantage Fund	2,79,90,865	0.82
5	The New India Assurance Company Limited	74,57,257	0.22
6	Vanguard Total International Stock Index Fund	69,11,939	0.20
7	General Insurance Corporation of India	51,58,427	0.15
8	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds	50,65,330	0.15
9	Pimco Equity Series Pimco Rae Fundamental Emerging Markets Funds	48,22,978	0.14
10	Jupiter India Fund	43,10,206	0.13

9.13 **Unclaimed /Unpaid Dividend:**

The amount of dividend that remained unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. The list of dividends declared so far and proposed date of transfer for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Proposed Date of Transfer
Dividend for 2012-13	80%	06-08-20
Interim Dividend 2013-14	27%	18-02-21
Final Dividend 2013-14	13%	05-08-21
Dividend for 2014-15	60%	05-08-22
Dividend for 2015-16	19.50%	08-08-23

The shareholders who have not claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

9.14 **Unclaimed Shares:**

a) In Physical Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 (erstwhile Clause 5A-II of the listing agreement) i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank opened a Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2019 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2019-20	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2019-20	NIL	NIL
Balance as on 31.03.2020 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Demat Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 (erstwhile clause 5A-I of listing agreement) i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2019 lying in Demat Suspense Account	220	26,905
Shareholders approached for transfer during the financial year 2019-20	4	491
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2019-20	4	491
Balance as on 31.03.2020 lying in Demat Suspense Account	216	26,414

The voting rights on above mentioned 26,414 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

10 EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS

Sr. No.	Discretionary Requirement	Extent of Compliance
1.	**Board** A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Shri Kewal Handa has been appointed as Non-Executive Chairman of the Board of Bank and office of Chairman is maintained at Central Office of the Bank.
2.	**Shareholders' Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Half-yearly communication is sent to all the shareholders.
3.	**Modified opinion(s) in Audit Report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There has been no modified opinion in audit report during the year under review.
4.	**Reporting of Internal Auditor** The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	As per the Board approved Risk Based Internal Audit Policy, the Internal Auditors report directly to the General Manager, Central Audit & Inspection Department. However, details with latest position of Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed before the Audit Committee of the Board.

For and on behalf of the board of directors

(Kewal Handa)
Chairman

Place: Mumbai
Date: 4th July, 2020

DECLARATION ON CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Directors and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2019-20.

For Union Bank of India

(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date : 26th June, 2020

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members,
Union Bank of India
Union Bank Bhavan,
12th Floor, Central Office,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai 400 021

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Union Bank of India** (hereinafter referred to as "The Bank") having Central Office situated at 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever applicable) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank, as stated below, for the financial year ending on March 31, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of the Director	Director Identification Number	Date of Appointment in Bank
1.	Shri Kewal Handa	00056826	July 06, 2017
2.	Shri Rajkiran Rai G.	07427647	July 01, 2017
3.	Shri Gopal Singh Gusain	03522170	September 20, 2018
4.	Shri Dinesh Kumar Garg	*N.A.	November 02, 2018
5.	Shri Manas Ranjan Biswal	08162008	March 01, 2019
6.	Dr. Madnesh Kumar Mishra	07584386	July 22, 2016
7.	Shri Arun Kumar Singh	*N.A.	April 26, 2019
8.	Shri Rajiv Kumar Singh	03060652	February 06, 2018
9.	Dr. Madhura Swaminathan	08048538	December 27, 2017
10.	Dr. K. Ramesha (Dr. Ramesha Krishnappa)	07534830	October 21, 2019
11.	Dr. Uttam Kumar Sarkar	07266221	June 28, 2018
12.	Shri K. Kadiresan	*N.A.	June 28, 2018
13.	Dr. Jayadev M.	03574167	June 28, 2018

*The Bank was established under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Union Bank of India (Shares and Meeting) Regulations, 1988 and hence is not a Company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply on the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN.

Ensuring the eligibility for the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For JMJA & Associates LLP,
Practising Company Secretaries

CS Mansi Damania
Designated Partner
FCS: 7447 | COP: 8120
UDIN: F007447B000330858

Place: Mumbai
Date: June 10, 2020

To

The Board of Directors

Union Bank of India

Mumbai

Re: Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee -

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India	For Union Bank of India
(Prafulla Kumar Samal) General Manager & CFO	**(Rajkiran Rai G.)** Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 23rd June, 2020

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

President of India/Members of Union Bank of India

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Union Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2020, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to Standalone Financial Statements including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are returns of 20 branches including 1 treasury branch, 18 Regional Offices audited by us, 2636 branches audited by statutory branch auditors and 2 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from 1626 branches, 45 regional offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.49 percent of advances, 15.45 percent of deposits, 5.98 percent of interest income and 13.81 percent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2020;

   b. true balance of loss in case of Profit and loss account for the year ended on that date; and

   c. true and fair view of the cash flows in case of cash flows statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion:

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4. a. We draw your attention to Note 1.4.6 of schedule 18- Notes to Accounts to the standalone financial statements which describes that the extent to which the COVID-19 Pandemic will impact the bank's operations will depend on future developments, which are highly uncertain.

   b. We draw your attention to Note 3.1 of schedule 18- Notes to Accounts to the standalone financial statements which explains the impact of the harmonization of provision for the year ended on March 31, 2020, on account of divergence in asset classification across Union Bank of India, Andhra Bank and Corporation Bank as per extant IRACP norms.

   Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matters	How the Matter was addressed in our report
1.	**Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting**	
	The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively. Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements. We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following: • Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines; • Provisioning on the advance portfolio; • Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets; • Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts; • Recording Investment transactions • Interest expense on deposits and other liabilities;	Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included: • Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action; • Carrying out independent alternative audit procedures like substantive testing in areas were deficiencies were noticed; • Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis; • Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits; • Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.
2.	**Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements.**	
	Loans & Advances and Investments are the largest class of assets forming 84.88% of the total assets as on March 31, 2020. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines). The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses.	Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions. Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. These included: • We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments;

		• System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI); • Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems; • Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments • We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms. • We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis. • We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor. • We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert. • Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress. • We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same. • Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying our substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system.
3.	**Recognition and measurement of Deferred tax**	
	The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 7,35,68,800 (in '000) as on March 31, 2020. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to: • Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

		• Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.
4.	**COVID-9 Pandemic**	
	Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches / Regional & Zonal Offices/ Verticals at the Corporate Office of the bank. As we could not gather audit evidence in person/physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches /Regions & Zones/ Verticals / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/ Local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches/Regions/Zones/ Verticals/ Corporate Offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium including the designated audit portal of the bank, emails and remote access to CBS and closing package. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures (based on regulatory and ICAI advisories) as follows: • Conducted verification of necessary records/ documents/CBS/closing package and other application software electronically through remote access/emails/in respect of some of the Branches/ Regions/Zones/Verticals/Corporate Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. • Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates, returns from branches and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank • Making enquires and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. • Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face to-face interaction with the designated officials.

Other Information:

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Highlights for the year, Directors' Report including annexures to Directors' Report, Key Financial Ratios, Business Responsibility Report and Corporate Governance Report included in the Annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures).

   Our opinion on Standalone financial statements does not cover the other information and the Basel III disclosures, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with the audit of the Standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action necessitated by the circumstances and the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's Financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

   - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.

   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

   - Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

     Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other matters:

9. We did not audit the financial statements of 2638 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of Rs. 417,84,28,080 (in '000) as at March, 31 2020 and total revenue of Rs. 40,65,23,562 (in '000) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

   Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 8 and 9 above and also subject to the limitations of disclosure required therein and as required by sub section 3 of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory

    b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. **We further report that:**

    a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

    b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

    c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. As required by letter no. DOS.ARB.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a. In our opinion the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

    b. In our opinion, there are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c. On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e. As the bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on May 19, 2020, we do not provide any comment in this regard.

For C N K & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/ W-100036

MANISH SAMPAT
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 101684

For Kirtane & Pandit LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/ W-100057

Sandeep D Welling
Partner
Membership No.044576

For R S Patel & Co.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

Rajan B Shah
Partner
Membership No.101998

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/ W-100035

Sanjay Kothari
Partner
Membership No.048215

For B M Chatrath & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

Anand Chatrath
Partner
Membership No. 052975

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2020

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**3,42,28,189**	1,76,30,163
Reserves and Surplus	2	**30,36,28,257**	24,72,39,911
Deposits	3	**4,50,66,84,524**	4,15,91,52,695
Borrowings	4	**52,48,62,533**	42,86,38,249
Other Liabilities and Provisions	5	**13,74,29,182**	8,77,27,404
TOTAL		**5,50,68,32,685**	4,94,03,88,422
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**20,11,82,983**	20,79,64,637
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**34,98,79,210**	22,24,95,100
Investments	8	**1,52,41,38,968**	1,26,04,66,426
Advances	9	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530
Fixed Assets	10	**4,76,25,172**	3,76,22,928
Other Assets	11	**23,35,12,283**	24,25,17,801
TOTAL		**5,50,68,32,685**	4,94,03,88,422
Contingent Liabilities	12	**1,88,20,23,590**	1,98,40,56,968
Bills for Collection		**21,68,26,909**	19,44,12,306
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Balance Sheet

For and on behalf of the Board of Directors

(DHIRENDRA JAIN)
Deputy General Manager

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
General Manager & CFO

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJ KIRAN RAI G.)
Managing Director & CEO

(KEWAL HANDA)
Chairman

(ARUN KUMAR SINGH)
Director

(RAJIV KUMAR SINGH)
Director

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

(K.KADIRESAN)
Director

(JAYADEV M.)
Director

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/W-100036

MANISH SAMPAT
Partner
Membership No. 101684
PLACE - MUMBAI

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/W-100057

SANDEEP D WELLING
Partner
Membership No.044576
PLACE - PUNE

FOR R S PATEL & CO.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
Partner
Membership No.101998
PLACE - AHMEDABAD

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

SANJAY KOTHARI
Partner
Membership No.048215
PLACE - MUMBAI

FOR B M CHATRATH & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

ANAND CHATRATH
Partner
Membership No. 052975
PLACE - KOLKATA

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2020

STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
I. INCOME			
Interest Earned	13	**37,23,11,238**	34,06,66,589
Other Income	14	**5,26,07,868**	4,47,39,467
TOTAL		**42,49,19,106**	38,54,06,056
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**25,79,43,716**	23,85,17,482
Operating Expenses	16	**7,51,64,147**	7,16,76,254
Provision And Contingencies		**12,07,89,008**	10,46,86,803
TOTAL		**45,38,96,871**	41,48,80,539
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR		**(2,89,77,765)**	(2,94,74,483)
ADD : PROFIT/(LOSS) BROUGHT FORWARD		**(8,40,02,080)**	(5,40,61,795)
TOTAL		**(11,29,79,845)**	(8,35,36,279)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer To Statutory Reserve		**-**	-
Transfer To Capital Reserve		**37,46,900**	4,65,801
Transer To Revenue And Other Reserves		**-**	-
Transfer To Special Reserve [Sec36(I)(viii)]of the Income Tax Act,1961]		**-**	-
Balance in Profit and Loss Account		**(11,67,26,745)**	(8,40,02,080)
TOTAL		**(11,29,79,845)**	(8,35,36,279)
EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (FV of ₹ 10)	18	**(12.49)**	(25.08)
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Profit and Loss Account

For and on behalf of the Board of Directors

(DHIRENDRA JAIN)
Deputy General Manager

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
General Manager & CFO

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJ KIRAN RAI G.)
Managing Director & CEO

(KEWAL HANDA)
Chairman

(ARUN KUMAR SINGH)
Director

(RAJIV KUMAR SINGH)
Director

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

(K.KADIRESAN)
Director

(JAYADEV M.)
Director

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/W-100036

MANISH SAMPAT
Partner
Membership No. 101684
PLACE - MUMBAI

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/W-100057

SANDEEP D WELLING
Partner
Membership No.044576
PLACE - PUNE

FOR R S PATEL & CO.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
Partner
Membership No.101998
PLACE - AHMEDABAD

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

SANJAY KOTHARI
Partner
Membership No.048215
PLACE - MUMBAI

FOR B M CHATRATH & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

ANAND CHATRATH
Partner
Membership No. 052975
PLACE - KOLKATA

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2020

SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE 1 - CAPITAL :		
I. Authorised :		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	**3,00,00,000**	3,00,00,000
(Previous Year 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each)		
II. Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 2,96,92,79,777 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government	**2,96,92,798**	1,30,94,772
(Previous Year 130,94,77,239 Equity Shares)		
ii. 4,53,53,90,75 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public	**45,35,391**	45,35,391
(Previous Year 4,53,53,90,75 Equity Shares)		
TOTAL	**3,42,28,189**	1,76,30,163

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :

I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	**6,67,06,110**		6,67,06,110	
Addition during the year	**-**	**6,67,06,110**	-	6,67,06,110
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	**1,28,49,561**		1,23,83,760	
Addition during the year	**37,46,900**	**1,65,96,461**	4,65,801	1,28,49,561
III. Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	**2,23,48,100**		2,34,18,775	
Addition during the year	**1,04,48,077**		-	
Deduction during the year	**10,54,713**	**3,17,41,464**	10,70,675	2,23,48,100
IV. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	**15,12,99,685**		11,05,04,372	
Addition during the year	**10,10,81,975**		4,08,58,775	
Deduction during the year	**1,19,871**	**25,22,61,789**	63,462	15,12,99,685
V. Revenue Reserves :				
i) Revenue and other Reserves :				
As per last Balance Sheet	**4,80,51,955**		5,02,01,980	
Addition during the year	**22,88,911**		15,18,975	
Deduction during the year	**2,64,05,552**		36,69,000	
TOTAL	**2,39,35,314**		4,80,51,955	
ii) Special Reserve u/s Sec 36 (1) (viii) of the Income Tax Act,1961				
As per last Balance Sheet	**2,87,50,000**		2,87,50,000	
Addition during the year	**-**		-	
TOTAL	**2,87,50,000**		2,87,50,000	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	**12,36,580**		13,78,776	
Addition during the year	**4,941**		25,230	
Deduction during the year	**8,77,657**		1,67,426	
TOTAL	**3,63,864**	**5,30,49,178**	12,36,580	7,80,38,535
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(11,67,26,745)**		(8,40,02,080)
TOTAL		**30,36,28,257**		24,72,39,911

SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

		As on 31st March 2020		As on 31st March 2019	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :					
A)					
I.	**Demand Deposits**				
	i) From Banks	**40,29,165**		48,93,222	
	ii) From Others	**26,01,20,865**	**26,41,50,030**	26,02,40,725	26,51,33,947
II.	**Savings Bank Deposits**		**1,339,582,532**		1,23,62,77,873
III.	**Term Deposits**				
	i) From Banks	**5,50,64,197**		4,93,85,326	
	ii) From Others	**2,84,78,87,765**	**2,90,29,51,962**	2,60,83,55,549	2,65,77,40,875
	TOTAL		**4,50,66,84,524**		4,15,91,52,695
B)					
	i) Deposits of branches in India		**4,47,01,90,636**		4,13,09,92,220
	ii) Deposits of branches outside India		**3,64,93,888**		2,81,60,475
	TOTAL		**4,50,66,84,524**		4,15,91,52,695
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :					
A)	**Borrowings : Capital Instruments**				
	I. Perpetual Bonds		**4,00,00,000**		4,20,00,000
	II. Upper Tier II Capital		**50,00,000**		1,50,00,000
	III. Lower Tier II Capital		**5,55,00,000**		5,55,00,000
B)	**Borrowings in India**				
	I. Reserve Bank of India	**-**		9,00,00,000	
	II. Other Banks	**2,01,26,890**		-	
	III. Other Institutions and Agencies	**20,25,29,807**	**22,26,56,697**	4,37,24,431	13,37,24,431
C)	**Borrowings Outside India**		**20,17,05,836**		18,24,13,818
	TOTAL		**52,48,62,533**		42,86,38,249
Secured Borrowings included in (B) I above			**16,98,30,000**		9,00,00,000
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :					
I.	Bills Payable		**90,91,800**		1,17,12,584
II.	Interest Accrued		**1,85,18,721**		1,77,62,774
III.	Others (Including Provisions)		**10,98,18,661**		5,82,52,046
	TOTAL		**13,74,29,182**		8,77,27,404
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:					
I.	Cash in hand (including foreign currency Notes & Gold)		**2,00,43,578**		1,24,69,951
II.	Balances with Reserve Bank of India In Current Account		**18,11,39,405**		19,54,94,686
	TOTAL		**20,11,82,983**		20,79,64,637

SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

			As on 31st March 2020		As on 31st March 2019
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :					
I.	**Balances with banks in India**				
i)	a)	In Current Accounts	**17,58,362**	6,47,718	
	b)	In Other Deposit Accounts	**8,09,64,725**	6,89,63,177	
ii)		Money at Call and short notice			
	a)	with Banks	**30,00,000**	7,52,49,277	
	b)	with Other Institutions	**20,00,00,000**	-	14,48,60,172
			28,57,23,087		
II.	**Outside India**				
i)		In Current Accounts	**27,89,811**	21,46,551	
ii)		In other Deposit Accounts	**6,13,66,312**	7,54,88,377	
iii)		Money at call & Short Notice	**-**	-	7,76,34,928
		TOTAL	**34,98,79,210**		22,24,95,100
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :					
I.	**Investments in India**				
i)		Government Securities	**1,05,63,08,142**		94,40,67,258
ii)		Shares	**1,11,28,494**		1,47,17,138
iii)		Debentures and Bonds	**34,03,94,322**		22,63,24,673
iv)		Subsidiaries and joint ventures / Associate	**26,73,168**		26,73,168
v)		Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt etc.)	**8,44,29,894**		4,64,19,714
		TOTAL	**1,49,49,34,020**		1,23,42,01,951
II.	**Investments outside India**				
i)		Govt. Securities (Incl. Local Auth.)	**1,65,79,156**		1,50,78,531
ii)		Shares	**4,032**		4,032
iii)		Other Investments (Bonds)	**25,67,460**		46,88,562
iv)		Subsidiaries and Joint Ventures	**1,00,54,300**		64,93,350
		TOTAL	**2,92,04,948**		2,62,64,475
		TOTAL	**1,52,41,38,968**		1,26,04,66,426
III.	**i)**	**Investments in India**			
		Gross Value	**1,51,94,38,271**		1,25,78,21,627
		Provision for Depreciation	**2,45,04,251**		2,36,19,676
		Net Value	**1,49,49,34,020**		1,23,42,01,951
	ii)	**Investments outside India**			
		Gross Value	**2,92,19,128**		2,63,26,886
		Provision for Depreciation	**14,180**		62,410
		Net Value	**2,92,04,948**		2,62,64,476
		TOTAL	**1,52,41,38,968**		1,26,04,66,427

SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

			As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net):				
A.	i)	Bills purchased and discounted	**2,77,71,181**	4,47,52,240
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**1,42,93,65,230**	1,31,55,57,669
	iii)	Term Loans	**1,69,33,57,658**	1,60,90,11,621
		TOTAL	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530
B.	i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	**2,64,30,42,762**	2,55,72,10,141
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**10,75,94,614**	13,46,07,182
	iii)	Unsecured	**39,98,56,693**	27,75,04,207
		TOTAL	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530
C.		Sectoral Classification of Advances		
	I.	Advances in India:		
		i) Priority Sector	**1,14,41,37,429**	1,15,60,83,212
		ii) Public Sector	**46,20,71,183**	28,92,46,543
		iii) Banks	**3,11,101**	1,90,01,838
		iv) Others	**1,34,72,31,537**	1,36,59,84,959
		TOTAL	**2,95,37,51,250**	2,83,03,16,552
	II.	Advances Outside India:		
		i) Due From Banks	**5,02,64,366**	2,41,18,998
		ii) Due from Others	**-**	-
		a) Bills Purchased and Discounted	**30,46,970**	69,12,500
		b) Syndicated loans	**1,78,35,409**	22,66,668
		c) Others	**12,55,96,074**	10,57,06,812
		TOTAL	**19,67,42,819**	13,90,04,978
		TOTAL	**3,15,04,94,069**	2,96,93,21,530

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS:

A.	**TANGIBLE ASSETS**				
	I. Premises				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**3,86,62,060**		3,83,20,510	
	Additions during the year (including revaluation)	**1,04,97,364**		4,00,330	
	Deduction during the year	**54,782**		58,780	
		4,91,04,642		3,86,62,060	
	Less: Depreciation till date	**1,24,83,397**	**3,66,21,245**	1,10,42,983	2,76,19,077
	II. Capital Work in Progress				
	At cost as per last Balance Sheet	**4,35,688**		3,34,918	
	Additions during the year	**1,33,300**		2,59,414	
	Deductions during the year	**35,058**	**5,33,930**	1,58,644	4,35,688
	III. Land				
	At cost as per last Balance Sheet	**6,95,420**		6,95,313	
	Additions during the year (including revaluation)	**72,931**		107	
	Deductions during the year	**26,092**		-	
		7,42,259		6,95,420	
	Less : Depreciation till date	**69,969**	**6,72,290**	62,192	6,33,228

SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

	As on 31st March 2020		As on 31st March 2019	
IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)				
a) Assets given on lease				
At cost as per last Balance Sheet	**2,65,352**		2,65,352	
Less: Depreciation till date	**2,65,352**	**-**	2,65,352	-
b) Others				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	**2,79,07,536**		2,59,41,320	
Additions during the year	**28,66,289**		23,56,196	
Deductions during the year	**4,02,191**		3,89,980	
	3,03,71,634		2,79,07,536	
Less: Depreciation till date	**2,12,21,816**	**91,49,818**	1,92,67,959	86,39,577
B. INTANGIBLE ASSETS				
Computer Software				
At cost as per last Balance Sheet	**25,73,008**		23,34,889	
Additions during the year	**7,71,877**		2,40,654	
Deduction during the Year	**-**		2,535	
	33,44,885		25,73,008	
Amortisation till date	**26,96,996**	**6,47,889**	22,77,650	2,95,358
TOTAL		**4,76,25,172**		3,76,22,928
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :				
I. Inter-Office Adjustments (Net)		**1,51,98,653**		1,12,10,982
II. Interest Accrued		**2,54,32,328**		2,43,77,408
III. Deferred Tax Assets (Net)		**7,35,68,800**		5,17,20,800
IV. Stationery and stamps		**37,137**		37,293
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims		**390**		390
VI. Others		**10,42,25,545**		12,27,53,989
VII. Tax Paid/ Tax deducted at source (Net of provision)		**1,50,49,430**		3,24,16,939
TOTAL		**23,35,12,283**		24,25,17,801
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :				
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts		**3,27,49,359**		3,10,49,729
II. Liability for partly paid Investments		**5,920**		5,920
III. Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		**1,06,54,22,734**		1,20,82,01,442
IV. Guarantees given on behalf of Constituents				
a) In India	**28,37,44,747**		35,77,58,253	
b) Outside India	**12,75,79,781**	**41,13,24,528**	62,08,491	36,39,66,744
V. Acceptances, endorsements and other obligations		**31,99,80,156**		33,45,46,514
VI. Disputed Tax demands under appeals	**3,91,43,693**		3,48,24,520	
VII. Amout transferred to DEAF Scheme 2014	**1,33,97,200**		1,14,62,100	
		5,25,40,893		4,62,86,620
TOTAL		**1,88,20,23,590**		1,98,40,56,969

SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDLONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000')

		For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest/Discount on advances/bills	**25,07,86,979**	23,77,19,210
II.	Income on Investments	**10,57,28,598**	9,00,33,427
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	**1,20,02,836**	1,20,12,726
IV.	Others	**37,92,825**	9,01,226
	TOTAL	**37,23,11,238**	34,06,66,589
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	**56,33,245**	60,00,565
II.	Profit on sale of investments (Net)	**1,46,32,588**	57,37,192
III.	Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets (Net)	**(39,448)**	29,650
IV.	Profit on exchange transactions (Net)	**55,70,186**	56,49,040
V.	Miscellaneous Income	**2,68,11,297**	2,73,23,020
	TOTAL	**5,26,07,868**	4,47,39,467
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :			
I.	Interest on Deposits	**24,02,69,067**	22,08,91,673
II.	Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	**83,87,571**	85,44,655
III.	Others	**92,87,078**	90,81,154
	TOTAL	**25,79,43,716**	23,85,17,482
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :			
I.	Payments to and provisions for employees	**3,35,86,186**	3,15,09,285
II.	Rent, Taxes and Lighting	**61,87,457**	60,30,253
III.	Printing and Stationery	**5,05,737**	5,37,202
IV.	Advertisement and Publicity	**5,86,817**	4,76,485
V.	Depreciation on Bank's property	**41,12,569**	36,80,394
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	**14,204**	11,038
VII.	Remuneration to Managing/Executive Director	**11,410**	10,589
VIII.	Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	**3,98,656**	4,91,116
IX.	Law Charges	**6,05,738**	4,74,027
X.	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**15,60,186**	12,18,547
XI.	Repairs and maintenance	**11,94,863**	11,89,184
XII.	Insurance	**57,92,455**	43,28,443
XIII.	Other expenditure	**2,06,07,869**	2,17,19,691
	TOTAL	**7,51,64,147**	7,16,76,254

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2019-2020

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: SCHEDULE 17

1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated. These are prepared following the Going Concern concept, in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. Revenue Recognition

i) Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned (including Third Party Product's income), rent on Safe Deposit Lockers, commission including commission on government business & biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.

b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

vi) Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.

4. Cash Flow Statements

Cash Flow statement of the Bank is prepared as per AS-3. Cash Flow statement is mainly classified as:

a) Cash flow from Operating Activities

b) Cash Flow from Investing Activities

c) Cash Flow from Financial Activities

Cash and Cash Equivalents include cash in hand and ATMs, Balances with RBI, Balances with other Banks and Money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency.)

5. Investments

5.1. In conformity with the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

5.1.1. Government Securities

5.1.2. Other Approved Securities

5.1.3. Shares

5.1.4. Debentures & Bonds

5.1.5. Investments in Subsidiaries & Joint Ventures and

5.1.6. Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines contained in Master Circular DBR.No.BP.BC.6/21.04.141 /2015-16 dated 1st July 2015 into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

5.2. As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

5.2.1 Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

5.2.1.1 The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

5.2.1.2 Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

5.2.1.3 Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at historical cost.

5.2.1.4 Diminution, other than temporary, in the value of its investment in subsidiaries/joint ventures, which are included in HTM shall be provided for.

5.2.2 Securities held in "AFS" and "HFT" categories

5.2.2.1 Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit & Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

5.2.2.2 Valuation of securities is arrived at as follows:

a	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
b	State Development Loans, Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
c	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at ₹1/- per Company.
d	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
e	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
f	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
g	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
h	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
i	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

5.3 Interbank/RBI Repo and Interbank/ RBI Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

5.4 As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

5.4.1 From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

5.4.2. From HTM category to AFS/HFT category,

5.4.2.1. If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost / book value.

5.4.2.2. If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

5.4.3. From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

5.5. The non-performing investments are identified and depreciation / provision is made as per the extant RBI guidelines.

5.6. Profit / Loss on sale of investments in any category are taken to the Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

5.7. Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

5.8. As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

5.9. Derivative Contracts

5.9.1. The Interest Rate Swap which hedges interest

bearing Asset or Liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.

5.9.2. Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. Profit if any, is ignored.

5.9.3. In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

6. Advances

6.1 All advances are classified under four categories:

6.1.1. Standard,

6.1.2. Sub-standard,

6.1.3. Doubtful and

6.1.4. Loss assets.

Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of Master Circular DBR.BP.BCNo.2/21.04.048/2015-16 dated 01st July 2015 as under:

6.2 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:

6.2.1 6.2.1.In respect of term loans, interest and/or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

6.2.2 In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90days, or if there are no credits continuously for90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period.

6.2.3 In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

6.2.4 In respect of agricultural advances for short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons.

6.2.5 In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

6.2.6 In respect of MSME accounts where RBI dispensation benefit is passed on the Bank will adhere to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning norms as spelt out RBI circular DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 dated 7th February, 2018 and DBR.No.BP. BC.108/21.04.048/2017/18 dated 6th June, 2018.

6.2.7 In respect of MSME accounts which will be restructured in terms of RBI Circular DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January, 2019 and kept in standard category, the Bank shall maintain a provision of 5% in addition to the provision already held. Reversal of said provision shall be made in accordance with the said circular.

6.3 NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

6.3.1 Sub-standard: A loan asset that has remained nonperforming for a period less than or equal to 12 months,

6.3.2 Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months,

6.3.3 Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

6.4 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-Standard Assets:	i. A general of 15% of the total outstanding ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio; However, iii. Unsecured Exposure, ab-initio, in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20% (instead of 25% as stated above)
Doubtful-Secured Portion	i. Upto one year – 25% ii. One to three years – 40% iii. More than three years – 100%
Doubtful-Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

6.5 Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer, Provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in Sundry /claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

6.6 In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

6.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs.

6.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

6.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

6.10 The general provision on Standard Advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

7. Fixed Assets and Depreciation

7.1 Premises and Other Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost comprises of purchase price, eligible borrowing costs and directly attributable costs of bringing the Asset to its working condition for the intended use less trade discounts and rebates. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from and shall be credited to Revenue Reserves and shall not be routed through Profit and Loss account in terms of revised AS-10 on "Property, Plant and Equipment".

7.2 Application Software is capitalized and clubbed under Intangible assets. Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer hardware and on ATM is provided on Straight Line Method (SLM) at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

7.3 Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments(UPS)	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

7.4 Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

7.5 Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.

7.6 No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

7.7 Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

8. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS-28 on "Impairment of Assets" issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account. The carrying costs of assets are reviewed at each Balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

9. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy of creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter Cyclical Provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

10. Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency position and booking Profits / Losses:

10.1 Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit & Loss Account.

10.2 Income & Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

10.3 Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit & Loss account.

10.4 Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

10.5 Representative Offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

11. Accounting for Non–Integral Foreign operations

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI. In terms of AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

a) Integral Operations and

b) Non Integral Operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations by:

i) Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per the local laws of the respective countries or as per RBI guidelines whichever is higher.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.

b) Depreciation on Fixed Assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

c) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as Contingent Liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the close of the year.

d) Income & Expenditure are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarters.

e) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

12. Employee Benefits

A. Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

B. Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/ losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into

i) Treasury Operations,

ii) Corporate and Wholesale Banking,

iii) Retail Banking Operations and

iv) Other Banking Operations.

14. Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight- line basis over the lease term.

15. Earnings per Share

The Bank reports the basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

16. Taxation

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In terms of AS 29-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may not be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2019-2020

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS:

1. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

1.1 CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2020. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 11.50% with minimum CET I of 8.00% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 2.50%) and minimum Tier I CRAR OF 9.50% as at March 31, 2020. However, RBI vide its circular no RBI/2019-20/188 DOR. BP. BC. No. 45/21.06.201/2019-20 dated March 27, 2020, has extended till September 2020 for achievement of ratios as mentioned above due to deferment of implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from March 31, 2020 to September 2020.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III	9.40	8.02
ii)	Tier I Capital ratio (%) Basel III	10.75	9.48
iii)	Tier II Capital ratio (%) Basel III	2.06	2.30
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III	12.81	11.78
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	86.75	74.27
vi)	Amount of Equity Capital raised : (Rs in crore)	11,767.99	4,680.32
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (Rs in crore)	Nil	Nil
Viii)	Amount of Tier II Capital raised : (Rs in crore)	Nil	Nil
	of which Debt capital instruments : (Rs in crore)	Nil	Nil

NOTE:

1. The Government of India infused Rs. 11767.99 Crore for which the Bank has issued and allotted 1,65,98,02,538 equity shares having Face Value of Rs 10/- each at a premium of Rs. 60.90 per share, on preferential basis, to the Government of India on 30th November, 2019.

1.2 INVESTMENTS

The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	1,54,865.74	1,28,414.85
	(a) In India	1,51,943.83	1,25,782.16
	(b) Outside India	2,921.91	2,632.69
ii)	Provisions for Depreciation	2,451.85	2,368.21
	(a) In India	2,450.43	2,361.97
	(b) Outside India	1.42	6.24
iii)	Net Value of Investments	1,52,413.89	1,26,046.64
	(a) In India	1,49,493.40	1,23,420.19
	(b) Outside India	2,920.49	2,626.45
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	2,368.21	2,770.25
ii)	Add: Provisions made during the year	474.16	178.04
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	390.52	580.08
iv)	Closing balance	2,451.85	2,368.21

1.2 (A) REPO Transactions (In face value terms)

The following tables set forth for the periods indicated, the details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively including transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2020
A	Securities sold under Repo				
i)	Government securities	4.86	17,082.93	7,920.58	16,983.00
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-
B	Securities purchased under Reverse Repo				
i)	Government securities	10.49	30,294.00	5,267.25	20,000.00
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-

1.2 (B) Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities**	Extent of Unlisted Securities**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	3,009.43	549.97	-	717.46	0.58
ii)	FIs	1,632.27	7.52	-	-	-
iii)	Banks	1,948.25	1,848.86	-	-	-
iv)	Private Corporate	12,713.19	5,808.94	803.34	14.52	36.79
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	1,272.74	1,272.74	-	-	-
vi)	Others	27,323.89	23,772.92	-	-	-
vii)	Provision held towards depreciation	(2,450.12)	-	-	-	-
	Total**	**45,449.66**	**32,865.95**	**803.34**	**731.98**	**37.37**

**(1) Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

a) Shares

b) Debentures & Bonds

c) Subsidiaries / Joint Ventures

d) Others

(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Shares	1,112.85	1,472.11
Debentures and Bonds	34,039.43	22,632.47
Subsidiaries and Joint Ventures	1,272.74	916.65
Others	9,024.64	5,110.83
TOTAL	**45,449.66**	**30,132.06**

ii. Non performing Non-SLR investments

The movement in gross non performing investments in securities other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance	2234.04	2,347.70
Additions during the year	425.62	149.42
Reductions during the year	432.60	263.08
Closing balance	2227.06	2,234.04
Total provisions held	**1858.95**	**2,024.27**

1.2 (C) Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2019 - 20 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. The market Value of Investment held in HTM category as at March 31, 2020 was Rs. 1,08,814.44 Crore and was higher than the book value thereof as at that date. The 5 per cent threshold to above will exclude:

a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

1.3 DERIVATIVES

1.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	The notional principal of swap agreements	14190.00	14,610.43
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	352.76	136.95
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book*	8.56	2,404.30

*MTM of IRS deals plus interest accrued on hedging deals.

Note:

I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Reciprocal Loan Arrangements.

II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) A) Interest Rate Futures Buy Sell	 670.93 660.50	 3,194.44 3,208.46
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2020 (instrument-wise)	Nil	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

1.3.3 Disclosures on Risk Exposures in Derivatives

a) Qualitative disclosure:

The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

a) In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

I) Front Office—Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.

II) Mid-Office---Risk Management, Accounting Policies and Management

III) Back Office- Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses over limit, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the

open position limits, deals size limits, stop-loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to counterparty Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

b) Quantitative Disclosure:

(₹ in crore)

Quantitative Disclosure					
		31-03-2020		31-03-2019	
Sr. No	**Particular**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
(a)	For hedging	515.60	5,450.00	644.85	7,870.72
(b)	For trading	1,063.28	8,740.00	1,695.51	6,740.00
(ii)	Marked to Market Positions				
a	Asset (+)	44.16	154.95	26.09	55.90
b	Liability (-)	-37.60	-159.30	23.12	-41.99
(iii)	Credit Exposure (*)	145.87	473.81	154.19	265.95
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				(₹ in Lacs)
a	On hedging derivatives	0.00	10,075.10	0.00	13,615.92
b	On trading derivatives	0.00	297.00	10.66	154.82
v)	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year				(₹ in Lacs)
A	Maximum				
	a. On hedging	0.00	13,595.57	0.00	15,113.41
	b. On trading	10.56	1,124.30	15.81	2,435.22
B	Minimum				
	a. On hedging	0.00	10,011.88	0.00	12,250.94
	b. On trading	0.00	1.08	10.63	6.33

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

1.4 ASSETS QUALITY

1.4.1 Non Performing Assets

The details of movement of gross non performing assets (NPAs), net NPAs and provisions are given below:

(₹ in crore)

Sr No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	5.49	6.85
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance	**48,729.15**	49,369.93
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	**14,021.70**	13,453.04
	(c) Increase in balance of existing NPA	**889.74**	123.68
	Sub-total (A)	**63,640.59**	**62,946.65**
	(d) Less:-		
	(i) Up-gradations	**1,870.54**	1,938.45
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**4,267.27**	4,508.51
	(iii) Technical/Prudential Write-offs	**7,019.94**	4,898.40
	(iv) Write-offs other than (iii) above	**1,397.54**	2,872.14
	Sub-total (B)	**14,555.29**	14,217.50
	(e) **Closing balance (A-B)**	**49,085.30**	**48,729.15**
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	20,332.42	24,326.31
	(b) Additions during the year	3,097.26	2,141.32
	(c) Reduction during the year	6,126.54	6,135.21
	(d) Closing Balance	**17,303.14**	**20,332.42**
iv)	Movement of provisions for NPAs (Excluding provisions on Standard Assets)		
	(a) Opening balance	28,396.73	25,043.63
	(b) Provisions made during the year	11,814.18	11,435.40
	(c) Provision increased in restructured accounts	(-)30.86	(-)356.06
	(d) Write-off/write-back of excess Provisions	8,397.88	7,726.24
	(e) Closing balance	**31,782.17**	**28,396.73**

Provision includes provision in lieu of diminution in fair value of restructured advances classified as NPAs. Opening and closing balances of provision for NPAs also include ECGC claims received/ recoveries in suit filled accounts and held pending adjustment of Rs. 208.92 Crore (Previous year Rs. 202.87 Crore) and Rs. 13.02 crore (Previous year Rs. 6.48 Crore) respectively.

1.4.2 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR. BP. BC. No. 32/21.04.018/2018-19 dated 1 April 2019, has prescribed certain additional disclosure to be made under "Notes to Accounts" for the reference period i.e. FY 2019-20. As part of Risk Based Supervision (RBS) exercise for the year ended 31st March, 2019 the RBI had pointed out divergence in respect of Bank's asset classification and provisioning in certain accounts. In conformity with the RBI circular DBR. BP. BC. No. 32/21.04.018/2018-19 dated 1 April 2019 and SEBI Circular issued on 18th July, 2017, 17th July, 2019 & 31st October 2019, the below table outlines divergences in asset classification and provisioning:

SN	Particulars	Rs. in Crore
1	Gross NPA as on 31st March, 2019 as reported by the Bank	48,729
2	Gross NPA as on 31st March, 2019 as assessed by the RBI	49,318
3	Divergence in Gross NPA (2-1)	589
4	Net NPA as on 31st March, 2019 as reported by the Bank	20,332
5	Net NPA as on 31st March, 2019 as assessed by the RBI	20,921
6	Divergence in Net NPA (5-4)	589
7	Provision for NPA as on 31st March, 2019 as reported by the Bank	28,397
8	Provision for NPA as on 31st March, 2019 as assessed by the RBI	29,984
9	Divergence in Provisioning (8-7)	1,587
10	Reported Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2019	(2,947)
11	Adjusted (Notional) Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2019 after taking into account divergence in provisioning	(3,978)

The Bank has duly recorded the impact of the above in its working results for the quarter and half year ended 30th September, 2019.

1.4.3 Particulars Of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sr. No.	Asset Classification/Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism				
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on 01-04-2019 (Opening Figures for FY-2019)-20	No. of Borrowers	1	1	18	5	25	5544	15	307	34	5900
		Amount Outstanding	52.90	20.05	1518.94	1910.00	3501.89	275.23	15.11	604.76	128.43	1023.52
		Provision there on	3.69	0.66	10.23	0.00	14.58	10.62	0.03	10.86	0.02	21.54
2	Fresh Restructuring during the FY-2019-20	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	30153	7490	34	8	37865
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.31	162.14	2.20	0.86	940.52
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79	7.82	0.10	0.04	37.75
3	Up-gradations to restructured standard category during the FY 2019-20	No. of Borrowers	0				0	23				23
		Amount Outstanding	0.00				0.00	0.98				0.98
		Provision there on	0.00				0.00	0.03				0.03
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2019-20 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2019-20	No. of Borrowers	0				0	152				152
		Amount Outstanding	0.00				0.00	17.34				17.34
		Provision there on	0.00				0.00	0.23				0.23
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2019-20	No. of Borrowers		0	0	0	0		6617	17	6	6640
		Amount Outstanding		0.00	0.00	0.00	0.00		157.17	0.74	0.37	158.29
		Provision there on		0.00	0.00	0.00	0.00		7.74	0.01	0.02	7.77
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2019-20	No. of Borrowers	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	432.12	1429.69	1861.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Restructured Accounts as on 31.03.2020	No. of Borrowers	1	0	11	7	19	36038	6693	307	42	43080
		Amount Outstanding	52.17	0	708.92	829.32	1590.40	1017.08	160.30	483.41	150.85	1811.65
		Provision there on	3.69	0	0.08	0.00	3.77	39.80	7.77	7.39	0.02	54.98

(₹ in crore)

Sr. No.	Asset Classification		Others					Total				
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on 01-04-2019 (Opening Figures for FY-2019-20)	No. of Borrowers	865	1165	2138	334	4502	6410	1181	2,463	373	10427
		Amount Outstanding	988.64	422.08	4845.39	768.28	7024.39	1,316.76	457.23	6969.09	2806.71	11549.80
		Provision there on	8.78	4.63	68.70	0.59	82.70	23.09	5.32	89.79	0.62	118.81
2	Fresh Restructuring during the FY-2019-20	No. of Borrowers	1	0	0	0	1	30154	7490	34	8	37686
		Amount Outstanding	316.61	0.00	0.00	0.00	316.61	1091.93	162.14	2.20	0.86	1257.13
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79	7.82	0.10	0.04	37.75
3	Up-gradations to restructured standard category during the FY 2019-20	No. of Borrowers	21				21	44				44
		Amount Outstanding	0.58				0.58	1.56				1.56
		Provision there on	0.03				0.03	0.06				0.06
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2019-20 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2019-20	No. of Borrowers	154				154	306				306
		Amount Outstanding	5.98				5.98	23.32				23.32
		Provision there on	0.23				0.23	0.46				0.46
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2019-20	No. of Borrowers		288	12	0	300		6905	29	6	6940
		Amount Outstanding		193.68	168.51	0.00	362.19		350.86	169.25	0.37	520.48
		Provision there on		0.66	0.02	0.00	0.68		8.40	0.04	0.02	8.45
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2019-20	No. of Borrowers	0	0	6	1	7	0	0	8	3	11
		Amount Outstanding	0.00	0.00	1032.76	39.03	1071.79	0.00	0.00	1464.88	1468.72	2933.66
7	Restructured Accounts as on 31.03.2020	No. of Borrowers	287	290	2830	315	3722	36236	6983	3148	364	46821
		Amount Outstanding	1006.24	193.35	3868.55	1012.49	6080.64	2075.49	353.66	5060.88	1992.66	9482.69
		Provision there on	8.52	0.66	36.35	0.00	45.54	52.01	8.43	43.83	0.02	104.29

1.4.4 As per RBI Circular No RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 January 1, 2019, Banks and NBFCs shall make appropriate disclosures relating to the MSME accounts restructured:

(₹ in crore)

No. of accounts restructured	Amount	Provision Held (@5%)
40790	**1040.87**	**43.12**

1.4.5 As per RBI Circular No RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11/02/2020, actual position of accounts restructured in terms of One time policy on Restructuring of MSME Sector Advance:

(₹ in crore)

No. of accounts restructured	Amount	Provision Held (@5%)
1977	**82.69**	**4.06**

1.4.6 Outbreak of COVID-19 Pandemic has impacted credit and recovery segments of banking business. Though there has been an impact on recovery, loan default risk has been largely minimized on account of grant of moratorium on repayment of loans and other measures to reduce the interest burden by Reserve Bank of India.

Bank has continued its operation through its branches and Digital products even during current scenario of COVID-19 and the with partial relaxation of lockdown norms by Central and State Governments, full-fledged banking operations resumed in most of the branches after following safety norms.

There may be an impact on revenue of the Bank during 1st and 2nd quarter of the FY 2020-21 due to slow down of economic activity. With the measures being given by Government of India and State Governments, normalcy is expected to be restored by 3rd and 4th quarter of the current financial year. Nevertheless, the management believes that no adjustments are required in the financial results as the Bank is adequately capitalized and has sufficient liquidity to take care of its present and future operations and there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumptions.

As per RBI Circular No RBI/2018-19/100 DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020, actual position of relief extended under COVID19 Regulatory Package is as under:

(₹ in crore)

Amount Outstanding in SMA/Overdue Category where Moratorium / Deferment extended	Amount outstanding in Accounts where Asset classification benefit extended	Provision made in Q4 FY2019-20*	Provision Adjusted During March 19-20 against Slippage and the residual provision
25935.03	**2512.42**	**124.77**	**Nil**

*Excluding FITL accounts having outstanding of ₹ 17.02 Crore which are fully provided.

In respect of the above, accounts interest income aggregating Rs 137.52 Crore has been reckoned.

1.4.7 The bank has made an additional provision in terms of RBI circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets amounting to Rs 386.97 Crore.

1.4.8 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A) Details of Sales

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	No. of Accounts	4	7
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC		
	a) NPA Accounts	37.04	797.65
	b) Written-off accounts	0.00	0.00
	c) SMA accounts	Nil	Nil
iii)	Aggregate consideration		
	a) NPA Accounts	117.29	782.74
	b) Written-off accounts	4.20	11.12
	c) SMA accounts	Nil	Nil
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	Nil	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.		
	a) NPA Accounts	80.25	(14.91)
	b) Written-off accounts	4.20	11.12
	c) SMA accounts	Nil	Nil

1.4.9 1- Book Value of Investments in Security Receipts backed by NPA

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Security Receipts issued within past 5 years	308.21	321.05	0	0	308.21	321.05
Security Receipts issued more than 5 years ago but within past 8 years	242.77	245.46	0	0	242.77	245.46
Security Receipts issued more than 8 years ago	0	0	10.60	10.60	10.60	10.60
Total	550.98	566.51	10.60	10.60	561.58	577.11

2 Book Value of Investments in Security Receipts backed by SMA

(₹ in crore)

Particulars	Backed SMAs sold by the bank as underlying		Backed by SMAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Book Value of Investment in Security Receipts	155.56	341.84	Nil	Nil	155.56	341.84

1.4.10 Details of non performing financial assets purchased / sold

a) Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b. aggregate outstanding	NIL	NIL
2	a. Of these number of accounts retructuured during the year	NIL	NIL
	b. aggregate outstanding	NIL	NIL

(b) Detaisl of non performing financial assets sold (Other than ARC's)

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	No. of accounts sold	NIL	NIL
2	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	Aggregate outstanding received	NIL	NIL

1.4.11 Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Provision towards Standard Assets	1943.69	1464.27

The provision on Standard Assets held by the Bank as on 31st March, 2020 is Rs 1943.69 crore (previous year Rs 1464.27 crore)

1.4.12 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No of Accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on 31.03.2020		Amount outstanding as on 31st March 2020 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending.		Amount outstanding as on 31st March 2020 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place.	
Classified as	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1.4.13 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in crore)

Period	No of Borrowers taken up for flexibly Structuring	Amount of Loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring (Yrs)	After applying flexible structuring (Yrs)
Previous Year 2018-19	Nil	Nil	-	Nil	Nil
2019-20	Nil	Nil	-	Nil	Nil

1.4.14 Disclosures on Change in Ownership outstanding SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No of Accounts where banks have decided to effect change in ownership	Outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / Invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sales of promoters equity	
Classified as	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1.4.15 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No of project loan accounts where Banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31st March 2020		
	Classified as Standard	Classified as Standard Restructured	Classified as NPA
Nil	Nil-	Nil	Nil

1.4.16 Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2020

(₹ in crore)

Accounts where S4A has been applied		Aggregate Amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
Asset Classification	Number of Accounts		In Part A	In Part B	
Standard Accounts	**1**	**13.02**	**13.02**	**13.02**	**6.97**
NPAs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.5 BUSINESS RATIOS

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	6.82	6.85
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.96	0.90
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.68	1.51
iv)	Return on Assets	(0.53)	(0.59)
v)	Average Business (Deposits plus advances) per employee **(Rs in crore)**	20.06	18.79
vi)	Net Profit per employee **(Rs in crore)**	(0.08)	(0.08)

1.6 ASSET LIABILITY MANAGEMENT

The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2020 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioral studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality
- Foreign Currency On-balance sheet Assets & Liabilities

Current Year 2019-20

(₹ in crore)

MATURITY PATTERN	DEPOSITS	ADVANCES	INVESTMENT/ SECURITIES	BORROWING	FOREIGN CURRENCY ASSESTS	FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
NEXT DAY	2,684.77	5,206.85	29,337.34	351.85	3,471.89	1,760.66
2-7 DAYS	11,862.50	6,232.11	3,630.41	448.24	987.99	481.01
8-14 DAYS	9,490.51	4,535.93	393.70	1,016.45	1,126.78	377.90
15-30 DAYS	12,365.95	7,424.37	1,367.17	720.67	3,257.45	1,814.17
31 DAYS - 2 MONTHS	13,481.26	2,304.49	4,461.56	688.06	3,469.33	1,773.43
>2 MONTHS - 3 MONTHS	15,861.28	8,525.10	17,458.76	557.47	2,353.64	1,240.03
> 3 MTHS - 6 MONTHS	42,821.54	36,556.79	5,029.33	2,662.39	5,324.97	4,395.36
> 6 MTHS - 1 YEAR	51,922.11	21,829.25	4,365.40	8,664.92	6,006.15	8,669.47
> 1 YEAR - 3 YEARS	55,805.55	1,36,492.92	14,065.90	22,865.18	13,220.98	14,643.41
> 3 YEARS - 5 YEARS	39,816.16	40,058.36	9,328.59	7,261.02	6,704.37	8,239.02
> 5- YEARS	**1,94,556.81**	**45,883.26**	**62,975.74**	**7,250.00**	**2,826.81**	**259.78**
TOTAL	**4,50,668.45**	**3,15,049.41**	**1,52,413.90**	**52,486.25**	**48,750.36**	**43,654.24**

Note – Regulatory Covid 19 moratorium announced by RBI vide RBI/2019-20/186 DOR No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated 29th March 2020 has been effected for the term loans and working capital facilities and schedule inflows has been shifted to 3-6 months bucket.

Previous Year 2018-19

(₹ in crore)

MATURITY PATTERN	DEPOSITS	ADVANCES	INVESTMENT/ SECURITIES	BORROWING	FOREIGN CURRENCY ASSESTS	FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
NEXT DAY	1,798.85	3,982.85	14,538.74	1,275.44	4,491.09	3,176.95
2-7 DAYS	7,814.46	7,993.48	2,288.99	186.89	2,393.06	239.13
8-14 DAYS	6,975.17	7,285.90	-	9,000.00	310.28	75.04
15-30 DAYS	6,209.31	11,278.69	2,528.21	1,010.47	2,508.35	1,196.44
31 DAYS - 2 MONTHS	13,284.97	8,553.18	3,294.74	1,514.38	3,000.27	2,883.75
>2 MONTHS - 3 MONTHS	16,894.28	6,608.69	1,435.06	2,044.53	1,783.37	1,537.63
> 3 MTHS - 6 MONTHS	26,052.96	12,055.80	2,192.29	2,109.37	5,781.76	3,437.78
> 6 MTHS - 1 YEAR	62,814.38	19,885.19	6,941.06	4,124.40	4,475.32	5,925.14
> 1 YEAR - 3 YEARS	58,027.85	1,34,362.82	13,089.13	8,424.38	9,322.71	11,557.92
> 3 YEARS - 5 YEARS	38,211.22	39,391.16	20,883.14	4,723.98	3,318.24	3,357.25
> 5- YEARS	**1,77,831.84**	**45,528.89**	**58,855.26**	**8,450.00**	**2,100.99**	**266.11**
TOTAL	**4,15,915.27**	**2,96,932.15**	**1,26,046.64**	**42,863.82**	**39,485.43**	**33,653.13**

1.7 EXPOSURES

1.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2020	31.03.2019
a)	Direct exposure	39,297.40	35,466.65
i)	Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; -Out of the above individual housing loans up to Rs.20 lakh	29,441.16 12,589.00	29,293.65 13,373.77
ii)	Commercial Real Estate – lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	8,153.42 (1,817.94)	5,314.02 (1,731.82)
iii)	CRE RH	1,702.83	858.98
iv)	LRD (Lease Rental Discounting) w/w CRE w/w Other than CRE	2,438.95 (1,817.94) (621.01)	2,113.83 (1,731.82) (382.01)
v)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	 Nil Nil	 Nil Nil
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	16,866.09	18,783.06
	Total Exposure to Real Estate Sector	**56,163.50**	**54,249.71**

1.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1,028.85	1,304.63
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	2.90	3.90
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	293.13	293.23
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.55	0.59
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	594.73	594.67
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	310.98	1,296.17
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	Nil	Nil
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	Nil	Nil
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckon for compliance with the capital market exposure.	840.23	377.98
	Total exposure to Capital Market	**3,071.23**	**3871.17**

1.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Net Exposure 31.03.2020	Provision held 31.03.2020	Net Exposure 31.03.2019	Provision held 31.03.2019
Insignificant	12,463.67	Nil	8,093.66	Nil
Low	7,570.31	Nil	7,537.68	Nil
Moderate	220.16	Nil	346.92	Nil
High	9.79	Nil	5.48	Nil
Very High	Nil	Nil	-	Nil
Restricted	Nil	Nil	-	Nil
Off-credit	1.05	Nil	-	Nil
Total	**20,264.98**	**Nil**	**15,983.74**	**Nil**

As per Country Risk Policy 2019-20, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more of its total assets.

1.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank. (Capital fund Rs 37917.27 crore)

(₹ in crore)

Sr. No		Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.20	Position as % of Capital Fund
1.	Single Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- Individual borrower exposure limit is 20% of Tier-I Capital Fund. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- Group Exposure Limit – 25%
- Additional exposures can be taken with the permission of the Board

1.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc.	Nil	Nil
Estimated value of such intangible collateral securities	Nil	Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road/Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular No. OD. BP. BC. No. 83/08.12. 014 / 2012-13 dated 18 March 2013.

1.8 DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI:

Penalties imposed by RBI during FY 2019-20	
Nos of Penalty	2
Amount of Penalty	1.60 Crore

2. DISCLOSURES AS PER ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

2.1 REVENUE RECOGNITION (AS 9)

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.3 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies which however, is not considered to be material.

2.2 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

(A) Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

(B) Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2019-20, the Bank has contributed Rs 120.24 crore (Previous Year Rs 100.20 crore) to NPS.

ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2020.

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation :**				
	Liability at the beginning of the year	1,222.64	12,158.43	1,244.88	11,803.32
	Interest Cost	95.24	945.93	97.47	915.94
	Current Service Cost	59.54	90.78	57.96	103.65
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	Actuarial (gain)/loss on obligation –due change	86.88	(578.22)	3.20	(36.24)
	In the financial assumption Actuarial (gain) / loss on obligations	25.87	938.90	7.91	125.22
	Liability at the end of the year	1,291.94	12,746.69	1,222.64	12,158.43
ii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,202.14	12,308.84	1,302.00	12,115.00
	Expected return on Plan Assets	93.65	957.63	101.95	940.12
	Contributions	114.25	74.59	Nil	Nil
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,219.01	12,607.16	1202.14	12,308.84
	Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	112.75	360.68	11.11	88.98
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized	105.55	285.45	24.14	81.80
iii)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	93.65	957.63	101.95	940.12
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	7.20	75.23	(13.03)	7.18
	Actual return on Plan Assets	100.85	1032.86	88.92	947.30

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
v)	**Expenses recognized in the Income Statement:**				
	Current Service Cost	59.54	90.78	57.96	103.65
	Interest Cost	1.59	(11.70)	(4.48)	(24.18)
	Expected Return on Plan Assets				
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial (Gain) or Loss	Nil	Nil	Nil	Nil
	Expenses Recognized in P & L	105.55	285.45	24.14	81.80
		166.68	364.53	77.62	161.27
vi)	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	20.50	(150.41)	(57.12)	(311.68)
	Expenses as above	166.68	364.53	77.62	161.27
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(114.25)	(74.59)	Nil	Nil
	Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet	72.93	139.53	20.50	(150.41)
vii)	**Other Details :**				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 20, 00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	37,323	13,839	37,267	15,154
	Salary Per Month	193.54	89.29	113.20	91.04
	Contribution for next year	144.39	213.65	80.04	Nil
viii)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	64.14	198.34	74.78	203.33
	Corporate Bonds/FDR	88.78	1,004.11	132.71	1.539.48
	Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	State Govt.	161.47	995.87	166.50	735.89
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	35.33	322.26	107.32	1.329.07
	Insurer Managed Funds	869.29	10,086.58	720.83	8.501.07
	Total	1,219.01	12,607.16	1,202.14	12.308.84

(₹. in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
Liability at the end of the year	1,291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72	1,110.33
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03	1,251.27
Difference	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
On plan liability (Gain) / Loss	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)	Nil
On plan Assets (Loss) / Gain	7.20	(13.03)	10.64	42.42	29.80

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
Liability at the end of the year	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15	9,619.00
Fair value of Plan Assets at the end of the year	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89	9,525.70
Difference	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
On plan liability (Gain) / Loss	938.90	1,25.22	(37.82)	793.17	1,399.16
On plan Assets (Loss) / Gain	75.23	7.18	(21.39)	526.25	155.11

	Principal actuarial assumption used (%)	2019-20		2018-19	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	Discount Rate Prev.	7.79	7.78	7.83	7.76
	Rate of return on Plan Assets Prev.	7.79	7.78	7.83	7.76
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	6.84	6.79	7.79	7.78
	Rate of Return on Plan Assets Current	6.84	6.79	7.79	7.78
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(C) Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	**31.03.2020**	31.03.2019
1.	Pension	**364.53**	161.27
2.	Leave Travel Concession	**(3.44)**	(3.92)
3.	Leave Encashment	**116.76**	36.06
4.	Sick Leave	**Nil**	Nil

2.3 SEGMENT REPORTING (AS-17)

(₹ in crore)

Business Segment		**Standalone**	
		Year Ended	
		(Audited)	**(Audited)**
		31.03.2020	31.03.2019
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	14,211.20	11,440.18
2	Retail Banking Operations	11,272.83	11,128.91
3	Corporate /Wholesale Banking	16,628.94	15,401.50
4	Other Banking Operations	688.87	646.77
5	Unallocated	18.15	187.49
	Total Segment Revenue	**42,819.99**	**38,804.85**
	Less Inter-segment Revenue	(328.08)	(264.24)
	Income from operations	**42,491.91**	**38,540.61**
(b)	**Segment Results (i.e. Profit/ (Loss) Before Tax)**		
1	Treasury Operations	3,666.03	2,767.14
2	Retail Banking Operations	823.26	947.37
3	Corporate /Wholesale Banking (before exceptional item)	(6,403.83)	(8,114.53)
4	Add Exceptional Item	(2509.98)	-
	Corporate /Wholesale Banking (after exceptional item)	(8913.81)	-
5	Other Banking Operations	378.74	285.87
6	Unallocated	18.15	187.49
	Total Profit Before Tax	**(4,027.63)**	**(3,926.66)**
(c)	Provision for Tax	(1129.85)	(979.21)
(d)	**Net Profit/(Loss) After Tax**	**(2,897.78)**	**(2,947.45)**
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	2,11,741.01	1,75,059.13
2	Retail Banking Operations	1,24,530.01	1,27,310.28
3	Corporate/Wholesale Banking	2,00,931.74	1,78,851.72
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	13,480.51	12,817.71
	Total Assets	**5,50,683.27**	**4,94,038.84**
(f)	**Segment Liabilities**		
1	Treasury Operations	2,01,928.03	1,68,754.95

Business Segment		Standalone	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2020	31.03.2019
2	Retail Banking Operations	1,19,538.72	1,23,368.05
3	Corporate /Wholesale Banking	1,92,878.19	1,73,313.47
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	2,552.68	2,115.36
	Total Liabilities	**5,16,897.62**	**4,67,551.83**
1	**Treasury Operations**	9,812.98	6,304.18
2	**Retail Banking Operations**	4,991.29	3,942.23
3	**Corporate/Wholesale Banking**	8,053.55	5,538.25
4	**Other Banking Operations**	0.00	0.00
5	**Unallocated**	10,927.83	10,702.35
	Total Capital Employed	**33,785.65**	**26,487.01**

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. Previous period figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Quarter's / Year's classification/ presentation.

2.4 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

2.4.1 List of Related Parties

a) Subsidiaries

- Union Asset Management Company Private Limited
- Union Trustee Company Private Limited
- Union Bank of India (UK) Limited

b) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited

c) Associate

- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2019-20
Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	N.A.
Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director	N.A.
Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director	N.A.
Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director	N.A.

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 6 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

2.4.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
CEO and Managing Director	0.33	0.30
Executive Directors	0.81	0.75
Total	1.14	1.05

2.5 "Leases" – Premises taken on Operating Lease (AS 19)

The data of Liability of Premises taken on Non-Cancellable operating lease is as under:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Not later than 1 year	14.87	16.03
Later than 1 year and not later than 5 year	84.59	64.92
Later than 5 years	127.20	121.29
Total	**226.66**	**202.24**

2.6 EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below: (₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Number of Equity shares at the beginning of the year	1,76,30,16,314	1,16,85,73,381
Number of Equity shares issued during the year	1,65,98,02,538	59,44,42,933
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	3,42,28,18,852	1,76,30,16,314
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	2,32,08,18,806	1,17,50,87,824
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	2,32,08,18,806	1,17,50,87,824
Net Profit/(Loss) Rs in Crore	(2897.77)	(2947.45)
Basic Earnings per share (Rs)	(12.49)	(25.08)
Diluted Earnings per share (Rs)	(12.49)	(25.08)
Nominal Value per share (Rs)	10	10

2.7 PROVISION FOR TAXES:

2.7.1 Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
	Deferred Tax Assets		
1	Employee Benefits (Leave Encashment)	294.57	253.83
2	Depreciation on Fixed Assets	112.05	61.38
3	On account of other provisions	9,239.00	7,243.21
4	On account of unabsorbed losses	0.00	127.13
	Total	**9,645.63**	**7,685.55**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Accrued interest on securities	806.32	763.39

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
2	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	1,004.64	1,004.64
3	Depreciation on Investment	477.79	745.44
	Total	2,288.75	2,513.47
	Net Deferred Tax Asset	**7,356.88**	**5,172.08**
	Net Deferred Tax Liability	**Nil**	**Nil**

2.7.2 Direct Tax

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Provision for Income Tax (Including Deferred tax)	(1,129.85)	(979.21)

2.8 INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS – 27)

Investments include Rs.65 Crores (Previous year Rs. 65 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. it is jointly controlled entity.

2.9 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

2.10 CONTIGENT LIABILITIES (AS – 29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

3. ADDITIONAL DISCLOSURE

3.1 Provisions and Contingencies

(₹ In crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2020	31.03.2019
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	372.37	(404.37)
Provision towards NPA	9,304.20	11,435.39
Provision towards Harmonization (refer note below)	2,509.98	Nil
Provision/(Reversal) towards Standard Assets	505.74	140.26
Net Provision made towards Income Tax (IT)/Wealth Tax/ deferred tax liability (DTL)	(1,129.85)	(979.21)
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	4.16	410.91
- Restructured Advances	(16.76)	(356.06)
- Others	529.05	221.76
TOTAL	**12,078.89**	**10,468.68**

Note - The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India has been effected w.e.f. April 1, 2020 in terms of GOI Notification CG-DL-E-04032020-216535 G.S.R.154 (E) dated March 4, 2020. Accordingly, the Bank, as a prudential measure, has made harmonization provisioning in its Books of Accounts for the position as on 31st March, 2020 with regard to impact of divergence in Asset Classification across Union Bank of India, Andhra Bank and Corporation Bank as per extant IRACP norms. The Bank has made an additional harmonization provision amounting to Rs 2509.98 Crore and the same is included in the total NPA provision.

3.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ In crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Opening Balance	293.20	2,93.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	Nil	Nil
iv)	Closing balance	293.20	2,93.20

3.3 DRAW DOWN FROM RESERVES:

During the year 2019-20, bank has drawn Rs 2640.56 crore form other reserves & Rs 11.99 Crore from share premium account. The detail is as under:

1- Rs 367.91 Crore for payment of Interest on AT-I Bonds.

2- Unamortized portion of Frauds amounting to Rs 2272.65 Crore debited to other reserves.

3- Rs 11.99 Crore for expenditure towards allotment of shares to Government of India was debited from share premium account.

3.4 DISCLOSURE OF COMPLAINTS:

A Customer Complaints

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	9,713	835
(b)	No. of complaints received during the year	3,53,594	4,56,303
(c)	No. of complaints redressed during the year	3,60,390	4,47,425
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	2,872	9,713

B Complaints pertaining to ATM card issued by the Bank

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	Nil	57
(b)	No. of complaints received during the year	1,19,500	2,00,859
(c)	No. of complaints redressed during the year	1,19,500	2,00,916
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	Nil	Nil

Out of the above, details of complaints specifically attributable to acquiring bank:

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	Nil	77
(b)	No. of complaints received during the year	54,644	65,847
(c)	No. of complaints redressed during the year	54,644	65,924
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	Nil	Nil

C Awards passed by the Banking Ombudsman

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	3	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	1	8
(c)	No. of Awards implemented during the year	3	5
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1	3

D Complaints pertaining to Third Party Products/Business

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	4
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	29	30
(c)	No. of Awards implemented during the year	29	32
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2	2

3.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoC's) issued

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Letter of Comfort outstanding at beginning of the year	0.00	4,373.42
Add : Issued during the year	0.00	0.00
Less: Expired during the year.	0.00	4,373.42
Outstanding at the end of the year	0.00	0.00

3.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Provision Coverage ratio (%)	73.64	66.24

3.7 DISCLOSURE OF – BANCASSURANCE BUSINESS:

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2020	31.03.2019
1.	Life Insurance Policies	89.95	84.71
2.	Non Life Insurance Policies	14.43	13.43
3.	Health Insurance	11.79	10.95

3.8 CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs:

3.8.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Deposits of twenty largest depositors	45,012.97	38,921.89
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	9.99%	9.35%

3.8.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Advances of twenty largest borrowers/customers	30224.02	27915.00
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.26%	8.57%

3.8.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	56458.23	56065.45
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers. (Total Exp=FB:427225.23 +NFB:89303.41+Investments:47318.54+DERIVATIVES:6478.06 =570325.23 Crs)	9.90%	10.86%

3.8.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposures to top four NPA accounts	6522.21	5,964.54

3.9 SECTOR-WISE ADVANCES

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Current Year (FY 2019-20)			Current Year (FY 2018-19)		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	49,609.81	5,880.39	11.85	48,970.82	3,994.09	8.16
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	20,480.16	4,429.81	21.63	19,909.99	3,188.31	16.01
3	Services	49,937.32	8,066.84	16.15	47,294.20	6,558.02	13.87
4	Personal loans	16,848.64	723.53	4.29	17,654.57	491.03	2.78
	Sub-total (A)	**1,36,875.93**	**19,100.57**	**13.95**	**1,33,829.58**	**14,231.45**	**10.63**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	58,979.67	15,904.60	26.97	54,905.30	20,069.29	36.55
3	Services	99,677.26	12,515.69	12.56	88,179.22	13,194.48	14.96
4	Personal loans	51,388.33	1,564.44	3.04	48,477.71	1,233.93	2.55
	Sub-total (B)	**2,10,045.26**	**29,984.73**	**14.28**	**1,91,562.23**	**34,497.70**	**18.01**
	Total (A+B)	**3,46,921.19**	**49,085.30**	**14.15**	**3,25,391.81**	**48,729.15**	**14.98**

Note - Previous year figures are regrouped wherever necessary.

Sub sectors where the outstanding advance exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for the FY 2019-20 are as under: **NIL**

3.10 TReDS EXPOSURE

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020
TReDS Exposure in terms of DBR.No.FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated 30th July 2015 (Para 8).	362.27

3.11 MOVEMENT OF NPA

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Gross NPA (Opening Balance)	48,729.15	49,369.93
Additions (Fresh NPAs) during the year	14,021.70	13,453.04
Increase in balance of existing NPA	889.74	123.68
Sub-total (A)	**63,640.59**	**62,946.65**
Less:-		
(i) Up-gradations	1,870.54	1,938.45
(ii)Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	4,267.27	4,508.51

(iii) Write-Offs	8,417.48	7,770.54
Sub-total (B)	**14,555.29**	**14,217.50**
Gross NPA as on 31st March 2019 (closing balance) (A-B)	**49,085.30**	**48,729.15**

3.12 STOCK OF TECHNICAL WRITE-OFFS

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	11,496.15	7,411.75
ii)	Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	6,760.22	4,898.40
iii)	Sub-total (A)	18,256.37	12,310.15
iv)	Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	1,705.93	814.00
v)	Closing balance (A-B)	16,550.44	11,496.15

3.13 In term In terms of RBI Circular DOR.No.BP.BC.62/21.04.048/2019-20 dated 17th April, 2020 on Covid-19 Regulatory Package – Review of Resolution Timelines under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets the Bank has extended Resolution Period in respect of NIL accounts having aggregate exposure of NIL Crore.

3.14 OVERSEAS ASSETS, NPAS AND REVENUE

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Assets	27,867.10	21,756.88
Total NPAs	2,221.59	1,174.72
Total Revenue	853.72	1,037.01

3.15 There is no Off – Balance Sheet SPVs sponsored by the Bank.

3.16 UNAMORTIZED PENSION AND GRATUITY LIABILITIES

(₹. In crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Pension		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil

3.17 DISCLOSURES RELATING TO SECURITISATION

As on March 31, 2020 Bank does not have any Special Purpose Vehicles (SPVs) sponsored for securitization transactions.

3.18 CREDIT DEFAULT SWAPS:

The Bank has not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2019-20.

3.19 INTRA GROUP EXPOSURES

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total amount of Intra group exposure	1,44,559.87	1,46,005.02
Total amount of Top 20 Intra group exposure	81,900.07	78,839.63
Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers (Total Expo. = 515822.54 crs)	14.36%	15.28%
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon	Nil	Nil

3.20 TRANSFERS TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance amounts transferred to DEAF	1146.21	973.77
Add: Amount transferred to DEAF during the Year	224.70	202.65
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	31.19	30.21
Closing balance of Amount transferred to DEAF	1339.72	1146.21

3.21 UN-HEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURES

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Policy on Unhedged Foreign Currency Exposure of Clients 2019-20. While framing the policy, Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Total provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 2020 is Rs. 18.44 Crores.

3.22 Compliance to the Provision of MSME Development Act, 2006

Bank is complying with the extant provisions of MSME Development Act, 2006 and there has been no reported cases of any delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small and Medium Enterprises.

4. LIQUIDITY COVERAGE RATIOS (LCR)

4.1 LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$$\text{LCR} = \frac{\text{HQLA}}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$$

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

According to RBI, the LCR has been introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019.

	January 1, 2015	January 1, 2016	January 1, 2017	January 1, 2018	January 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

HQLA:

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

HQLA is categorized into two a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are further sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1 assets are stock of HQLA without any haircut. Level 1 Assets mainly comprise Cash including excess CRR, Excess SLR, MSF (2% of NDTL) & FALLCR (14.50% of NDTL). RBI has increased FALLCR limit over a period and the same is 14.50% w.e.f. 1st December 2019 till 31st March 2020 (15% w.e.f 1st April, 2020).

Due to COVID 19 related liquidity issues, RBI on 27th March 2020 has:-

- Enhanced Marginal Standing Facility (MSC) from 2% to 3% of NDTL till 30th June 2020
- Reduced CRR limit from 4% to 3% for 1 year (till 26th March 2021)

A haircut of 15% is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise of securities with 20% risk weight. A 50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets should not be more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%..

Net Cash Outflows

The total net cash outflow is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows. In order to determine cash outflows, the Bank, in terms of RBI guidelines , segregates its deposits into various customer segments, viz Retail (which include deposits from Natural Persons), Small Business Customers (those with total aggregated funding upto Rs. 5 crore) and deposits from Non Financial Customers (NFC) and Other Legal Entity Customers (OLE). Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in, up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

Brief about LCR of the Bank

The Bank during the three months ended March 31, 2020 maintained average HQLA of Rs. 1,16,654.42 crores. Level 1 assets are the main drivers of HQLA for the bank. They contribute to 92.86% of the total stock of HQLA. Based on daily averages for the quarter ended 31st March 2020, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 58% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets constitute 7.14% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Bank's exposure is mainly in Indian Rupee. Unsecured wholesale funding constitute major portion of total funding sources. Retail deposits and deposits from small business customers contributed around 26% and 5% of the total weighted cash outflows, respectively. Deposits from non-financial corporate contributed around 37% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients. Inflows by various counterparties contribute to around 69% of the total weighted cash inflows.

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2019 quarter. The average of the daily observation of 68 data points is calculated. The average LCR for the quarter ended 31st March, 2020 is 177.01% as against 156.87% for the quarter ended March 2019, and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 100% for the calendar year 2020. Annual average LCR is 185.42% which is the average of quarterly average LCR of the Bank during the FY 2019-20.

4.2 Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

Yearly LCR Disclosure - Audited					
		FY 2019-20		FY 2018-19	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	1,18,142.43	1,16,567.89	83,558.34	81,945.45
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	2,71,641.75	23,490.24	2,56,504.76	22,375.80
	(i) Stable deposits	73,478.75	3,673.94	65,493.52	3,274.68
	(ii) Less stable deposits	1,98,163.00	19,816.30	1,91,011.24	19,101.12
3	Unsecured wholesale funding, of which:	77,683.92	39,110.65	93,799.91	46,891.01
	(i) Operational deposits (all counter parties)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	77,683.92	39,110.65	93,799.91	46,891.01
	(iii) Unsecured debt				
4	Secured wholesale funding	2,053.63	18.28	3,025.60	696.68
5	Additional requirements, of which	35,949.66	6,187.03	25,866.39	3,092.88
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.07	0.07	70.89	70.89
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) Credit and liquidity facilities	35,949.59	6,186.96	25,795.50	3,021.99

6	Other contractual funding obligations	2,302.24	2,302.24	3,158.25	3,158.25
7	Other contingent funding obligations	36,172.42	1,085.32	42,197.40	1,265.99
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**	4,25,803.61	72,193.76	4,24,552.31	77,480.62
CASH INFLOWS					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	5,434.75	0.00	2,952.84	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	2,731.18	2,731.18	3,622.77	3,622.77
11	Other cash inflows	9,257.43	6,595.25	14,465.45	10,214.13
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	**17,423.36**	**9,326.43**	**21,041.07**	**13,836.90**
		Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**	
13	**TOTAL HQLA**		**1,16,567.89**		**81,945.45**
14	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		**62,867.33**		**63,643.71**
15	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		**185.42%**		**128.76%**

5 FIXED ASSETS

a) Documentation formalities are yet to be completed in respect of one(P.Y. two) immovable properties held by the Bank at written down value of Rs 1.82 crore (P.Y. Rs. 1.98 crore.) in respect of which steps have already been initiated.

b) Land and Buildings revalued as on 31.3.1995 & 30.11.2007 at fair market value as determined by an approved valuer have further been revalued as on 31.03.2020 at fair market value by approved valuer. The resultant increase in value thereof on such revaluation amounting to Rs 456.59 crore as on 31.3.1995 and Rs 1290.68 crore as on 30.11.2007 and Rs. 1044.81 crore as on 31.03.2020 have been credited to Revaluation Reserve. As per AS-10 (Revised), the depreciation on revalued portion is recouped from revaluation reserve resulting in decrease in revaluation reserve by Rs. 105.47 crore for the year ended March 31, 2020.

6. FRAUD CASES DETECTED/REPORTED

(₹.in Crore)

Frauds Detected during the Year	No. of cases of Frauds detected	Amount involved in such frauds	Amount outstanding as on 31/03/2020	Provision made as of 31/03/2020	Unamortized provision as of 31/03/2020
Total	415	9196.98	8595.02	6322.38	2272.65

7. BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS

(i) Confirmation/ Reconciliation of balance with foreign banks and other banks has been obtained/ carried out.

(ii) Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

(iii) Pending final clearance of the (i) and (ii), the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8. ROADMAP FOR IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS)

The RBI vide DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. Further, in terms of DO.DBR.BP.No.2535 /21.07.001/2017-18 dated 13th September 2017, the Bank is submitting Proforma Ind-AS financial statements to the RBI on quarterly basis. Latest Proforma financials for the quarter ended 31st December 2019 was submitted to RBI on 18th February 2019. However, by virtue of Circular No RBI/2018-19/146 DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March, 2019, RBI has deferred Ind-AS implementation till further notice.

9. CORPORATE TAXATION:

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred Tax Assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred Tax Assets/ Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

10. INVESTMENTS

i) Profit of Rs. 575.95 crore (previous year Rs. 71.60 crore) on sale of "Held to Maturity" category securities has been taken to profit and loss account initially.

(ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in Significant Accounting Policy No.4 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to Rs. 291.33 crore (previous year Rs. 238.47 crore)

(iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to Rs. 1,869.08 crore (previous year Rs. 1,682.61 crore)

11. Climate Control

Union Bank of India has a policy in place in name of "Sustainable Development and Business Responsibility Policy" which is reviewed every year and last reviewed by the Board on 25.02.2020. Through this policy, the Bank is committed to make effort to protect and restore the environment. Bank has taken various Go-Green initiatives like Electric Conservations, avoid usage of plastic bottles for packaged drinking water, Employee Engagement Activities etc.

12. During the current year, there are no material prior period item and change in accounting policy (as per AS 5) and no discontinued operations (as per AS 24).

13. The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(DHIRENDRA JAIN)
Deputy General Manager

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
General Manager & CFO

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJ KIRAN RAI G.)
Managing Director & CEO

(KEWAL HANDA)
Chairman

(ARUN KUMAR SINGH)
Director

(RAJIV KUMAR SINGH)
Director

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

(K.KADIRESAN)
Director

(JAYADEV M.)
Director

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/W-100036

MANISH SAMPAT
Partner
Membership No. 101684
PLACE - MUMBAI

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/W-100057

SANDEEP D WELLING
Partner
Membership No.044576
PLACE - PUNE

FOR R S PATEL & CO.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
Partner
Membership No.101998
PLACE - AHMEDABAD

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

SANJAY KOTHARI
Partner
Membership No.048215
PLACE - MUMBAI

FOR B M CHATRATH & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

ANAND CHATRATH
Partner
Membership No. 052975
PLACE - KOLKATA

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2020

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**		
	Net Profit Before Tax	(4,02,762)	(3,92,666)
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	41,126	36,804
	Provision for Investments	37,653	654
	Provision for Non Performing Assets (Net)	11,81,418	11,43,540
	Provision for Standard Asset	48,499	(24,317)
	Provision for Staff Related Expenditures	90,261	13,695
	Provision for other items (Net)	5,805	913
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	394	(297)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	58,220	1,07,501
	Dividend received from Joint Venture company	(81)	0
	Sub Total	**10,60,532**	**8,85,827**
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	34,75,318	7,41,364
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	73,449	57,488
	(Increase) / Decrease in Investments	(26,38,769)	(2,22,813)
	(Increase) / Decrease in Advances	(29,91,467)	(19,25,091)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	1,34,860	(1,68,181)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	1,31,890	(93,188)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**(7,54,186)**	**(7,24,594)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**		
	Purchase of Fixed Assets	(38,587)	(30,981)
	Proceeds from Sale of Fixed Assets	1,507	1,758
	(Increase)/Decrease in Investment in Subsidiary	(35,610)	(7,084)
	Dividend received from Joint Venture company	81	0
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(72,609)**	**(36,307)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :**		
	Proceeds from Issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)	11,75,601	4,67,397
	Proceeds from issue of Capital Instruments	0	0
	Repayments of Capital Instruments	(1,20,000)	(1,54,000)
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	10,82,243	(1,27,695)
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(1,05,025)	(64,324)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**20,32,819**	**1,21,378**
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	**12,06,025**	**(6,39,523)**
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	**43,04,597**	**49,44,120**
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	**55,10,622**	**43,04,597**

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	20,79,646	21,01,647
	Balances with Banks and Money at call	22,24,951	28,42,473
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**43,04,597**	**49,44,120**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	20,11,830	20,79,646
	Balances with Banks and Money at call	34,98,792	22,24,951
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**55,10,622**	**43,04,597**

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2020. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Charterted Accountants of India and with the requirments of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 23rd June, 2020 to the members.

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.101961W/W-100036

(MANISH SAMPAT)
PARTNER
(M.No.101684)

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.105215W/W-100057

(SANDEEP D WELLING)
PARTNER
(M.No.044576)

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.107758W

(RAJAN B SHAH)
PARTNER
(M.No.101998)

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 101169W/W-100035

(SANJAY KOTHARI)
PARTNER
(M.No. 048215)

FOR B M CHATRATH & CO LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 301011E/E300025

(ANAND CHATRATH)
PARTNER
(M.NO.052975)

Place: MUMBAI.

Date: 23rd June 2020

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Board of Directors

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Union Bank of India ('the Bank'), and its subsidiaries (the parent and its subsidiaries together referred to as "the group") its associate and jointly controlled entity which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2020 and the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the consolidated financial statements).

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our audit and on consideration of the report of other auditors on separate financial statements of Subsidiaries and Joint Venture and on the matters referred to in paragraph 9 below, the accompanying consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

a. true and fair in case of Consolidated Balance Sheet of the state of affairs of the Group as at March 31, 2020;

b. true balances of loss in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

c. true and fair view of the cash flows in the case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion:

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act')and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4. a. We draw your attention to Note 15 to the consolidated financial statements which describes that the extent to which the COVID-19 Pandemic will impact the bank's operations will depend on future developments, which are highly uncertain.

   b. We draw your attention to Note 7.2 to the consolidated financial statements which explains the impact of the harmonization of provision for the year ended on March 31, 2020, on account of divergence in asset classification across Union Bank of India, Andhra Bank and Corporation Bank as per extant IRACP norms.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matters	How the Matter was addressed in our report
1.	**Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting**	
	The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively. Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements. We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following: • Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines; • Provisioning on the advance portfolio; • Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets; • Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts; • Recording Investment transactions • Interest expense on deposits and other liabilities;	Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included: • Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action; • Carrying out independent alternative audit procedures like substantive testing in areas were deficiencies were noticed; • Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis; • Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits; • Reliance on external vendor inspection reports wherever made available.

2.	**Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements.**	
	Loans & Advances and Investments are the largest class of assets forming 84.95% of the total assets as on March 31, 2020. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines). The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses.	Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions. Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. These included: • We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments; • System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI); • Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems; • Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments • We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms. • We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis. • We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor. • We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert. • Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress. • We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same. • Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying our substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system.

3.	**Recognition and measurement of Deferred tax**	
	The Bank has recognised a net deferred tax asset of 7,35,68,800 (in '000) as on March 31, 2020. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to: • Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22-"Accounting for Taxes" on Income; • Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, management representations, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy. • Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future.
4.	**COVID-19 Pandemic**	
	Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches / Regional & Zonal Offices/ Verticals at the Corporate Office of the bank. As we could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches /Regions & Zones/ Verticals / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/ Local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches/Regions/Zones/ Verticals/ Corporate Offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium including the designated audit portal of the bank, emails and remote access to CBS and closing package. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures (based on regulatory and ICAI advisories) as follows: • Conducted verification of necessary records/ documents/CBS/closing package and other application software electronically through remote access/emails/in respect of some of the Branches/ Regions/Zones/Verticals/Corporate Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. • Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates, returns from branches and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank • Making enquires and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. • Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face to-face interaction with the designated officials.

Other Information:

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The information comprises the information included in key financial indicators, Director's Report, Management Discussion and Analysis, Corporate Governance Report and Risk Management, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures).

   Our opinion on consolidated financial statements does not cover the other information and the Basel III disclosures, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with the audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action necessitated by the circumstances and the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that gives a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   These consolidated financial statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 -"Consolidated Financial Statements", AS 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and AS 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the ICAI and the guidelines issued by the RBI.

   In preparing the Consolidated Financial Results, respective Board of Directors of the Group Entities is responsible for assessing the respective Group Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

   Those Board of Directors of the Group Entities are also responsible for overseeing the respective Group Entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to

fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other matters:

8. We did not audit the financial statements of 3 subsidiaries and 1 Joint Venture included in the consolidated financial statement, whose financial statements reflect total assets of Rs. 5,99,49,023 (in thousand) as at March 31, 2020 and total revenue of Rs. 82,91,880 (in thousand) and net cash inflows amounting to Rs. 2,54,700 (in thousands) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose report has been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and joint venture is based solely on the report of such auditors.

   The consolidated financial statements also includes the Group's share of loss of Rs.8,00,591 (in thousands), as considered in the consolidated financial statement in respect of an associate, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the associate, is based solely on such unaudited financial statements as certified by the management of that associate. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Bank's Management, these financial statements are not material to the Group.

   The entities of the Group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 Notes to Accounts which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.

   Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 8 and 9 above and also subject to the limitations of disclosure required therein and as required by sub section 3 of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

For C N K & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/ W-100036

MANISH SAMPAT
Partner
Membership No. 101684

For Kirtane & Pandit LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/ W-100057

Sandeep D Welling
Partner
Membership No.044576

For R S Patel & Co.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

Rajan B Shah
Partner
Membership No.101998

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/ W-100035

Sanjay Kothari
Partner
Membership No.048215

For B M Chatrath & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

Anand Chatrath
Partner
Membership No. 052975

Place: Mumbai
Date: 23 June, 2020

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule Number	As on 31st March, 2020	As on 31st March, 2019
Capital	1	**3,42,28,189**	1,76,30,163
Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company	1A	**10,40,035**	10,40,035
Share Application Money	1B	**-**	-
Reserves and Surplus	2	**30,46,25,800**	24,96,86,320
Minority Interest	2A	**-**	-
Deposits	3	**4,52,43,61,458**	4,17,50,48,090
Borrowings	4	**52,71,40,581**	43,27,55,957
Other Liabilities and Provisions	5	**16,36,94,456**	10,96,44,782
TOTAL		**5,55,50,90,519**	4,98,58,05,347
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**20,11,89,238**	20,80,03,964
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**35,12,98,743**	22,36,26,807
Investments	8	**1,54,25,14,860**	1,28,39,12,095
Advances	9	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041
Fixed Assets	10	**4,77,54,993**	3,77,44,558
Other Assets	11	**23,55,58,383**	24,47,16,882
TOTAL		**5,55,50,90,519**	4,98,58,05,347
Contingent Liabilities	12	**1,89,11,29,374**	1,99,23,22,620
Bills for Collection		**21,68,26,909**	19,44,12,306
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

For and on behalf of the Board of Directors

(DHIRENDRA JAIN)
Deputy General Manager

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
General Manager & CFO

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJ KIRAN RAI G.)
Managing Director & CEO

(KEWAL HANDA)
Chairman

(ARUN KUMAR SINGH)
Director

(RAJIV KUMAR SINGH)
Director

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

(K.KADIRESAN)
Director

(JAYADEV M.)
Director

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/W-100036

MANISH SAMPAT
Partner
Membership No. 101684
PLACE - MUMBAI

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/W-100057

SANDEEP D WELLING
Partner
Membership No.044576
PLACE - PUNE

FOR R S PATEL & CO.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
Partner
Membership No.101998
PLACE - AHMEDABAD

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

SANJAY KOTHARI
Partner
Membership No.048215
PLACE - MUMBAI

FOR B M CHATRATH & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

ANAND CHATRATH
Partner
Membership No. 052975
PLACE - KOLKATA

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2020

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

		Schedule Number	For the year ended 31.3.2020	For the year ended 31.3.2019
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**37,47,92,188**	34,31,36,675
	Other Income	14	**5,78,92,725**	5,04,17,077
	TOTAL		**43,26,84,913**	39,35,53,752
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**25,83,68,112**	23,89,60,929
	Operating Expenses	16	**8,18,78,753**	7,85,61,749
	Provision And Contingencies		**12,28,46,342**	10,53,65,154
	TOTAL		**46,30,93,208**	42,28,87,832
III.	**Consolidated Net Profit/(Net Loss) before Minority Interest and Share of Profit in Associate**		**(3,04,08,295)**	(2,93,34,080)
	Add:-Share of profit / loss in Associate		**(8,00,591)**	1,10,586
	Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year before deducting Minority Interest		**(3,12,08,886)**	(2,92,23,494)
	(Less):-Minority Interest		**-**	-
	Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year attributable to the group		**(3,12,08,886)**	(2,92,23,494)
	Add : Profit/(Loss) Brought Forward		**(8,40,02,080)**	(5,40,61,797)
	Amount Available for Appropriation		**(11,52,10,966)**	(8,32,85,291)
IV.	**Appropriation**			
	Transfer To Statutory Reserve		**-**	-
	Transfer To Capital Reserve		**37,46,900**	4,65,801
	Transer To Revenue And Other Reserves		**(22,22,996)**	2,50,988
	Dividend Tax			
	Transfer To Special Reserve [Sec36(l)(viii)]of the Income Tax Act,1961]		**-**	-
	Balance in Profit and Loss Account		**(11,67,34,870)**	(8,40,02,080)
	TOTAL		**(11,52,10,966)**	(8,32,85,291)
	Earnings per share (Basic and Diluted in Rs.) of FV of Rs.10/- each	18	**(13.45)**	(24.87)
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit & Loss A/c

For and on behalf of the Board of Directors

(DHIRENDRA JAIN)
Deputy General Manager

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
General Manager & CFO

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJ KIRAN RAI G.)
Managing Director & CEO

(KEWAL HANDA)
Chairman

(ARUN KUMAR SINGH)
Director

(RAJIV KUMAR SINGH)
Director

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

(K.KADIRESAN)
Director

(JAYADEV M.)
Director

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/W-100036

MANISH SAMPAT
Partner
Membership No. 101684
PLACE - MUMBAI

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/W-100057

SANDEEP D WELLING
Partner
Membership No.044576
PLACE - PUNE

FOR R S PATEL & CO.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
Partner
Membership No.101998
PLACE - AHMEDABAD

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

SANJAY KOTHARI
Partner
Membership No.048215
PLACE - MUMBAI

FOR B M CHATRATH & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

ANAND CHATRATH
Partner
Membership No. 052975
PLACE - KOLKATA

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2020

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

	As on 31st March, 2020	As on 31st March, 2019
SCHEDULE 1 - CAPITAL:		
I. Authorised :		
i. 30,00,00,00,00 Equity Shares of Rs.10 each (P.Y.30,00,00,00,00 Equity Shares of Rs.10 each)	**3,00,00,000**	3,00,00,000
II. Issued, Subscribed & Paid up :		
i. 2,96,92,79,777 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government (Previous Year 130,94,77,239 Equity Shares)	**2,96,92,798**	1,30,94,772
ii. 4,53,53,90,75 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public (Previous Year 4,53,53,90,75 Equity Shares)	**45,35,391**	45,35,391
	3,42,28,189	1,76,30,163
SCHEDULE 1A - PREFERENCE SHARE CAPITAL ISSUED BY SUBSIDIARY COMPANY :		
10,40,03,544 Participatory Non-Redemable Compulsorily convertible Preference Shares of Rs. 10 Each (Issued by Union Asset Management Company Private Limited, a subsidiary company) to Dai Ichi Life Holdings Inc on May 17 2018 for a tenure of 20 years)	**10,40,035**	**10,40,035**
TOTAL	**10,40,035**	**10,40,035**

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :

I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	**6,67,06,110**		6,67,06,110	
Addition during the year	**-**	**6,67,06,110**	-	6,67,06,110
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	**1,28,49,561**		1,23,83,760	
Addition during the year	**37,46,900**	**1,65,96,461**	4,65,801	1,28,49,561
III. Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	**2,23,48,099**		2,34,18,775	
Addition during the year	**1,04,48,077**		-	
Deduction during the year	**10,54,713**	**3,17,41,463**	10,70,676	2,23,48,099
IV. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	**15,18,14,744**		11,07,36,572	
Addition during the year	**10,10,81,975**		4,11,53,104	
Deduction during the year	**1,19,871**	**25,27,76,848**	74,932	15,18,14,744

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

			As on 31st March, 2020		As on 31st March, 2019
V.	**Revenue Reserves :**				
	i) Revenue and other Reserves :				
	As per last Balance Sheet	**4,95,62,378**		5,14,63,438	
	Addition during the year	**65,913**		17,83,612	
	Deduction during the year	**2,64,07,222**		36,84,672	
		2,32,21,068		4,95,62,378	
	ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
	As per last Balance Sheet	**2,87,50,000**		2,87,50,000	
	Addition during the year	**-**		-	
		2,87,50,000		2,87,50,000	
	iii) Foreign Currency Translation Reserve"				
	As per last Balance Sheet	**16,57,508**		14,35,492	
	Addition during the year	**7,88,869**		3,89,442	
	Deduction during the year	**8,77,657**		167,426	
	Total	**15,68,720**	**5,35,39,788**	16,57,508	7,99,69,886
VI.	**Balance in Profit and Loss Account**		**(11,67,34,870)**		(8,40,02,080)
	TOTAL		**30,46,25,800**		24,96,86,320
SCHEDULE 2 A Minority Interest					
Opening Balance				-	-
Add/(Less):- Increase/(Decrease) during the year				-	-
Total Minority Interest				-	-
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :					
I.	**Demand Deposits**				
	i) From Banks	**40,29,164**		48,93,222	
	ii) From Others	**26,08,99,292**	**26,49,28,456**	26,08,18,398	26,57,11,620
II.	**Savings Bank Deposits**		**1,33,97,54,267**		1,23,63,78,180
III.	**Term Deposits**				
	i) From Banks	**5,50,64,197**		4,93,85,326	
	ii) From Others	**2,86,46,14,537**	**2,91,96,78,734**	2,62,35,72,964	2,67,29,58,290
	TOTAL		**4,52,43,61,458**		4,17,50,48,090
	Deposits of branches in India		**4,46,98,15,910**		4,13,05,46,355
	Deposits of branches outside India		**5,45,45,549**		4,45,01,735
	TOTAL		**4,52,43,61,459**		4,17,50,48,090

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

		As on 31st March, 2020		As on 31st March, 2019
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A. Borrowings: Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds	**4,00,00,000**		4,19,96,235	
II. Upper Tier II Bonds	**50,00,000**		1,50,00,000	
III. Tier II Bonds	**5,55,00,000**	**10,05,00,000**	5,55,00,000	11,24,96,235
B. Borrowings in India				
i. Reserve Bank of India	**-**		9,00,00,000	
ii. Other Banks	**2,01,26,890**		-	
iii. Other Institutions and Agencies	**20,25,29,807**	**22,26,56,697**	4,37,24,431	13,37,24,431
C. Borrowings Outside India		**20,39,83,884**		18,65,35,291
TOTAL		**52,71,40,581**		43,27,55,957
"Secured Borrowings included in (B) I above"		**16,98,30,000**		9,00,00,000
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :				
I. Bills Payable		**90,91,800**		1,17,12,584
II. Interest Accrued		**1,87,68,475**		1,76,87,750
III. Other (Including Provisions)		**13,58,34,180**		8,02,44,448
TOTAL		**16,36,94,456**		10,96,44,782
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :				
I. Cash in Hand (including foreign currency Notes & Gold)		**2,00,49,833**		1,25,09,278
II. Balances with Reserve Bank of India In Current Account		**18,11,39,405**		19,54,94,686
TOTAL		**20,11,89,238**		20,80,03,964
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :				
I. **In India**				
i). Balances with Banks				
a) In Current Accounts		**18,05,138**		8,41,356
b) In Other Deposit Accounts		**8,18,56,025**		6,96,10,177
ii) Money at Call & Short notice				
a) With Banks		**30,00,000**		7,52,49,276
b) With Other Institutions		**20,00,00,000**		-
		28,66,61,163		14,57,00,809
II. **Outside India**				
i) In Current Accounts		**32,71,268**		24,37,621
ii) In other Deposit Accounts		**6,13,66,312**		7,54,88,377
iii) Money at Call & Short notice		**-**		-
		6,46,37,580		7,79,25,998
TOTAL		**35,12,98,743**		22,36,26,807

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

	As on 31st March, 2020	As on 31st March, 2019
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	**1,06,39,73,894**	95,14,01,238
ii) Other Approved Securities	**33,24,311**	29,13,256
iii) Shares	**1,50,40,400**	1,83,96,592
iv) Debentures and Bonds	**34,96,85,608**	23,36,80,999
v) Subsidiaries and Joint Ventures / Associate	**13,33,044**	21,33,636
vi) Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt, Etc.)	**8,66,98,811**	5,06,38,028
TOTAL	**1,52,00,56,068**	1,25,91,63,749
II. Investments outside India		
i) Govt. Securities (including Local Authorities)	**1,97,96,374**	1,84,14,343
ii) Shares	**4,032**	4,032
iii)Other Investments (Bonds)	**26,58,385**	63,29,971
iv) Subsidiaries and Joint Ventures	**-**	-
TOTAL	**2,24,58,791**	2,47,48,346
TOTAL	**1,54,25,14,859**	1,28,39,12,095
III. Investments in India		
Gross Value	**1,54,45,60,320**	1,28,27,83,425
Less: Provision for Depreciation	**2,45,04,251**	2,36,19,676
Net Value of Investment in India	**1,52,00,56,069**	1,25,91,63,749
IV Investments outside India		
Gross Value	**2,24,72,971**	2,48,10,756
Less: Provision for Depreciation	**14,180**	62,410
Net Value of Investment outside India	**2,24,58,791**	2,47,48,346
TOTAL	**1,54,25,14,860**	1,28,39,12,095
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)		
I. i) Bills Purchased and Discounted	**2,77,71,181**	4,47,52,240
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**1,43,15,38,030**	1,31,36,34,224
iii) Term Loans	**1,71,74,65,092**	1,62,94,14,577
TOTAL	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041
II i) Secured by Tangible Assets (includes Advance against Book Debts)	**2,66,12,07,087**	2,57,76,13,096
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**10,79,52,661**	13,46,07,182
iii) Unsecured	**40,76,14,554**	27,55,80,763
TOTAL	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041
A. Advances in India		
i) Priority Sector	**1,14,41,37,430**	1,15,60,83,212
ii) Public Sector	**46,20,71,183**	28,92,46,543
iii) Banks	**36,40,361**	1,90,01,837
iv) Others	**1,34,72,57,818**	1,36,18,56,830
TOTAL	**2,95,71,06,792**	2,82,61,88,422

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

	As on 31st March, 2020	As on 31st March, 2019
B. Advances outside India		
i) Due From Banks	**5,02,64,366**	2,41,18,998
ii) Due From Others	**-**	-
a) Bills Purchased and Discounted	**30,46,970**	69,12,500
b) Syndicated loans	**1,78,35,410**	22,66,668
c) Others	**14,85,20,764**	12,83,14,453
TOTAL	**21,96,67,510**	16,16,12,619
TOTAL	**3,17,67,74,302**	2,98,78,01,041

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

A. TANGIBLE ASSETS				
I. Premises				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	**3,87,33,046**		3,83,91,626	
Additions during the year (Including Revaluation)	**1,05,09,663**		4,00,960	
Deductions during the year	**54,782**		59,540	
	4,91,87,927		3,87,33,046	
Less: Depreciation till Date	**1,25,38,799**	**3,66,49,128**	1,10,87,147	2,76,45,899
II. Capital Work in Progress				
At cost as per last Balance Sheet	**4,41,727**		3,40,815	
Additions during the year	**1,73,445**		2,86,702	
Deductions during the year	**72,057**	**5,43,115**	1,85,790	4,41,727
III. Land				
At cost as per last Balance Sheet	**6,95,419**		6,95,313	
Additions during the year (Including Revaluation)	**72,931**		106	
Deductions during the year	**26,092**		-	
	7,42,258		6,95,419	
Less: Depreciation till Date	**69,969**	**6,72,289**	62,192	6,33,227
IV. Other Fixed Assets				
(including Furniture and Fixtures)				
a) Assets given on Lease				
At cost as per last Balance Sheet	**2,65,352**		2,65,352	
Addition during the year	**-**		-	
Deductions during the year	**-**		-	
	2,65,352		2,65,352	
Less: Depreciation till Date	**2,65,352**	**-**	2,65,352	-

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

		As on 31st March, 2020		As on 31st March, 2019
b) Others				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	**2,81,49,974**		2,61,63,736	
Additions during the year	**28,94,675**		23,82,689	
Deductions during the year	**4,12,490**		3,96,451	
	3,06,32,159		2,81,49,974	
Less: Depreciation till Date	**2,14,26,833**	**92,05,326**	1,94,54,804	86,95,170
B. INTANGIBLE ASSETS				
Computer Software				
At cost as per last Balance Sheet	**27,87,339**		25,20,414	
Additions during the year	**8,07,761**		2,69,796	
Deductions during the year	**5,312**		2,871	
	35,89,788		27,87,339	
Amortisation till Date	**29,04,654**	**6,85,135**	24,58,804	3,28,535
TOTAL		**4,77,54,993**		3,77,44,558

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :			
I.	Inter-Office Adjustments (Net)	**1,51,98,653**	1,12,10,982
II.	Interest Accrued	**2,60,94,473**	2,50,57,040
III.	Deferred Tax Assets (Net)	**7,35,68,800**	5,18,92,547
IV.	Stationery and Stamps	**37,137**	37,293
V.	Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	**390**	390
VI.	Others	**10,54,20,089**	12,39,33,737
VII.	Tax paid/Tax deducted at source (Net of Provisions)	**1,51,13,899**	3,24,59,951
VIII.	Goodwill on account of consolidation	**1,24,942**	1,24,942
	TOTAL	**23,55,58,383**	24,47,16,882

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :			
I.	Claims against the Bank not acknowledged as debts	**3,27,51,216**	3,10,51,486
II.	Liability for partly paid Investments	**5,920**	5,920
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**1,07,31,67,076**	1,21,33,87,376
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents		
	i) In India	**28,37,44,747**	35,77,58,253
	ii) Outside India	**12,75,88,034**	62,16,444
V.	Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**32,11,51,392**	33,45,46,514
VI.	Other items of Contingent Liability	**20,550**	28,78,539
VII.	Disputed Tax demands under Appeals	**3,93,03,240**	3,50,15,988
VIII.	Amount transfered to DEAF Scheme 2014	**1,33,97,200**	1,14,62,100
	TOTAL	**1,89,11,29,374**	1,99,23,22,620

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in 000's)

		For the year ended 31st March, 2020	For the year ended 31st March, 2019
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest/Discount on Advances/Bills	**25,15,29,336**	23,86,85,708
II.	Income on Investments	**10,73,57,712**	9,14,87,668
III.	Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds	**1,20,56,370**	1,20,62,072
IV.	Others	**38,48,771**	9,01,227
	TOTAL	**37,47,92,188**	34,31,36,675
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	**54,57,357**	58,13,676
II.	Profit on Sale of Investments - (Net)	**1,42,00,368**	64,04,735
III.	Profit/ (Loss) on Fixed Asset - (Net)	**(39,448)**	29,650
IV.	Profit on Exchange Transactions - (Net)	**55,70,186**	56,49,040
V.	Miscellaneous Income	**3,27,04,262**	3,25,19,976
	TOTAL	**5,78,92,725**	5,04,17,077
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :			
I.	Interest on Deposits	**24,04,91,500**	22,10,04,369
II.	Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing	**84,40,287**	88,06,906
III.	Others	**94,36,324**	91,49,654
	TOTAL	**25,83,68,112**	23,89,60,929
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :			
I.	Payments to and Provisions for Employees	**3,46,38,509**	3,23,72,266
II.	Rent, Taxes and Lighting	**62,89,256**	61,39,982
III.	Printing and Stationery	**5,11,944**	5,43,293
IV.	Advertisement and Publicity	**6,68,012**	6,12,089
V.	Depreciation on Bank's Property	**41,71,977**	37,38,197
VI.	Directors' Fees, Allowances and Expenses	**46,646**	41,781
VII.	Remuneration to Managing / Executive Director	**11,410**	10,589
VIII.	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**4,11,311**	4,99,558
IX.	Law Charges	**6,90,230**	5,59,406
X.	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**15,76,962**	12,36,173
XI.	Repairs and Maintenance	**12,68,087**	12,58,143
XII.	Insurance	**56,09,563**	41,99,079
XIII.	Other Expenditure	**2,59,84,845**	2,73,51,193
	TOTAL	**8,18,78,753**	7,85,61,749

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated. These are prepared following the Going Concern concept, in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting and reporting policies of the Bank used in the preparation of these financial statements conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period.

Significant Accounting Policies

3. Basis of consolidation

a) Bank is having three subsidiaries M/s Union Asset Management Company Private Limited, M/s Union Trustee Company Private Limited and M/s union Bank of India (UK) Limited, one Joint Venture with M/s Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. and one associate M/s Kashi Gomti Samyut Gramin Bank. The consolidated financial statements are prepared on the basis of:

i) Audited Accounts of the parent bank (Union Bank of India)

ii) Consolidation of Subsidiaries: Line by Line aggregation of the Income/Expenditure/ Assets/Liabilities of the subsidiaries with the respective line item of the parent bank, after eliminating all intra-group transactions, unrealized profits/loss in terms of AS 21 on Consolidated Financial Statements issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

iii) Consolidation of Associates: The Investment in Associate is accounted for consolidation as per Equity Method in terms of AS 23 on Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statement issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

iv) Consolidation of Joint Ventures: Line by Line consolidation is done with proportionate share in Joint Venture in terms of AS-27 on Financials Reporting in Interest of Joint Venture issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

b) In case of Domestic Associate/Subsidiaries and Joint Venture, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries and Joint Venture have not been carried out due to practical difficulties on the basis of data provided by associates/ subsidiaries and Joint Venture as the amounts are not material.

c) The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.

d) Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and

ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.

iii) The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses

4. Revenue Recognition

a) Banking entities

i) me and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.

b) On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

vi) Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.

b) Non Banking entities

Life Insurance

i. Premium Income

Premium (net of Service Tax/GST) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii. Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii. Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv. Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

v. Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi. Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

i. Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.

ii. Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.

iii. Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.

iv. Dividend income is recognized when right to receive is established.

5. Investments

i) Classification

In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further categorized in accordance with the RBI guidelines into:

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) Basis of Valuation

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

b) Investment in Regional Rural Banks is valued at carrying cost.

c) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost

d) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

e) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

f) Valuation of other securities is arrived at as follows:

a	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
b	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
c	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at Rs 1/- per Company.
d	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA Guidelines
e	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
f	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
g	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
h	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Rs 1/- per VCF
I	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

a) From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

b) From HTM category to AFS / HFT category,

- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
- If the security is originally placed at a premium, at an amortized cost.

c) From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

d) The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guideline.

vi) Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

6. Derivative Contracts:

The Interest Rate Swap (IRS) which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

(i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

(ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7. Advances

i) Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

iii) The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

8. Fixed Assets, Depreciation

i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation as adjusted for impairment, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

Pursuant to revised Accounting Standard 10-Property Plant and Equipment effective from 01.04.2017, depreciation on revalued portion of the fixed assets is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve and not through Profit & Loss Account.

ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:-

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	– Furniture and Fittings	10 %
	– Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/Strong rooms etc.	15 %
	– Transport Vehicles	20 %
	– Uninterrupted Power Supply Equipments (UPS)	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

iii) Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

iv) Depreciation on additions to assets made up to 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

vii) Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

viii) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

9. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as under

a) Integral Operations and

b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

a) Translation in respect of Integral Operations

i) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

ii) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

iii) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year

iv) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

v) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or

losses are recognized in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non Integral Operations

i) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter

ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12. Employee Benefits

A. Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

B. Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

ii. Defined Benefit Plan:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into

13.1 Treasury Operations,

13.2 Corporate and Wholesale Banking,

13.3 Retail Banking Operations and

13.4 Other Banking Operations

14. Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15. Earnings Per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted

earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

16. Taxation

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22 on "Accounting for taxes on Income" issued by ICAI. Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

1. The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2020
Union Asset Management Company Private Limited	India	100%
Union Trustee Company Private Limited	India	100%
Union Bank of India UK Limited	United Kingdom	100%

2. The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Limited (Non- Banking)	India	25.10%

3. The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Bank Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%

The Value of the investment made by the Bank is Rs 1272.75 Crore as on 31st March 2020 which is treated as long term investment.

4. The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2020.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, Union Asset Management Company Private Limited, Union Trustee Company Private Limited, Union Bank of India (UK) Limited and unaudited financials of Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2020.

6. Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

   Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

7. **DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES**

7.1. A. Capital

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2020. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 11.50% with minimum CET I of 8.00% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 2.50%) and minimum Tier I CRAR OF 9.50% as at March 31, 2020. However, RBI vide its circular no RBI/2019-20/188 DOR. BP. BC. No. 45/21.06.201/2019-20 dated March 27, 2020, has extended till September 2020 for achievement of ratios as mentioned above due to deferment of implementation of the last tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from March 31, 2020 to September 2020.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr.No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III	9.33	8.10
ii)	Tier I Capital ratio (%) Basel III	10.67	9.56
iii)	Tier II Capital ratio (%) Basel III	2.04	2.30
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III	12.71	11.86
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	86.75	74.27
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	11767.99	4680.32
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	Nil	Nil
viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	Nil	Nil
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	Nil	Nil

7.2 Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2020	31.03.2019
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	372.37	(404.37)
Provision towards NPA	9462.39	11525.80
Provision towards Harmonization (refer note below)	2509.98	-
Provision(Reversal) towards Standard Assets	508.09	138.26
Net Provision made towards Income Tax/Deferred tax	(1110.39)	(999.75)
Other Provision and Contingencies:		
– Shifting Loss	4.16	410.91
– Restructured Advances	(16.76)	(356.06)
– Others	554.79	221.73
TOTAL	**12284.63**	**10536.52**

Note - The amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India has been effected w.e.f. April 1, 2020 in terms of GOI Notification CG-DL-E-04032020-216535 G.S.R.154 (E) dated March 4, 2020. Accordingly, the Bank, as a prudential measure, has made harmonization provisioning in its Books of Accounts for the position as on 31st March, 2020 with regard to impact of divergence in Asset Classification across Union Bank of India, Andhra Bank and Corporation Bank as per extant IRACP norms. The Bank has made an additional harmonization provision amounting to Rs 2509.98 Crore and the same is included in the total NPA provision.

7.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Opening Balance	293.20	293.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	Nil	Nil
iv)	Closing balance	293.20	293.20

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

(A) Short Term Employment Benefits:

The undiscounted amounts of short term employee benefits (e.g. medical benefits) payable wholly within twelve months of rendering the service are treated as short term and recognized during the period in which the employee rendered the service.

(B) Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans:

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2019-20, the Bank has contributed Rs 120.24 crore (Previous Year Rs 100.20 crore) to NPS.

ii. Defined Benefit Plans:

Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit plans. These are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit & Loss account.

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation :**				
	Liability at the beginning of the year	1,222.64	12,158.43	1,244.88	11,803.32
	Interest Cost	95.24	945.93	97.47	915.94
	Current Service Cost	59.54	90.78	57.96	103.65
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	Actuarial (gain)/loss on obligation –due change In the financial assumption	86.88	(578.22)	3.20	(36.24)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	25.87	938.90	7.91	125.22
	Liability at the end of the year	1,291.94	12,746.69	1,222.64	12,158.43

	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,202.14	12,308.84	1,302.00	12,115.00
	Expected return on Plan Assets	93.65	957.63	101.95	940.12
	Contributions	114.25	74.59	Nil	Nil
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(198.23)	(809.13)	(188.78)	(753.46)
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,219.01	12,607.16	1,202.14	12,308.84
	Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period	112.75	360.68	11.11	88.98
	Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets	(7.20)	(75.23)	13.03	(7.18)
	Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized	105.55	285.45	24.14	81.80
iii)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	93.65	957.63	101.95	940.12
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	7.20	75.23	(13.03)	7.18
	Actual return on Plan Assets	100.85	1032.86	88.92	947.30
v)	**Expenses recognized in the Income Statement:**				
	Current Service Cost	59.54	90.78	57.96	103.65
	Interest Cost	1.59	(11.70)	(4.48)	(24.18)
	Expected Return on Plan Assets				
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial (Gain) or Loss	105.55	285.45	24.14	81.80
	Expenses Recognized in P & L	166.68	364.53	77.62	161.27
vi)	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(20.50)	(150.41)	(57.12)	(311.68)
	Expenses as above	166.68	364.53	77.62	161.27
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	(114.25)	(74.59)	Nil	Nil
	Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet	72.93	139.53	20.50	(150.41)

	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
vii)	**Other Details :** Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%. Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 20, 00,000 or as per the Bank scheme. Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence. Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	37,323	13,839	37,267	15,154
	Salary Per Month	193.54	89.29	113.20	91.04
	Contribution for next year	144.39	213.65	80.04	Nil
viii)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	64.14	198.34	74.78	203.33
	Corporate Bonds/FDR	88.78	1,004.11	132.71	1539.48
	Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	State Govt.	161.47	995.87	166.50	735.89
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	35.33	322.26	107.32	1329.07
	Insurer Managed Funds	869.29	10,086.58	720.83	8501.07
	Total	1,219.01	12,607.16	1,202.14	12,308.84

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
Liability at the end of the year	1,291.94	1,222.64	1,244.88	1,114.72	1,110.33
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,219.01	1,202.14	1,302.00	1,333.03	1,251.27
Difference	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(72.93)	(20.50)	57.12	218.31	140.94

(₹ in crores)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
On plan liability (Gain) / Loss	25.87	7.91	(142.26)	(13.96)	Nil
On plan Assets (Loss) / Gain	7.20	(13.03)	10.64	42.42	29.80

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
Liability at the end of the year	12,746.69	12,158.43	11,803.32	11,231.15	9,619.00
Fair value of Plan Assets at the end of the year	12,607.16	12,308.84	12,115.00	11,214.89	9,525.70
Difference	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	(139.53)	150.41	311.68	(16.26)	(93.30)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	**31.03.20**	**31.03.19**	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**
On plan liability (Gain) / Loss	938.90	125.22	(37.82)	793.17	1,399.16
On plan Assets (Loss) / Gain	75.23	7.18	(21.39)	526.25	155.11

	Principal actuarial assumption used (%)	2019-20		2018-19	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
	Discount Rate Prev.	7.79	7.78	7.83	7.76
	Rate of return on Plan Assets Prev.	7.79	7.78	7.83	7.76
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	6.84	6.79	7.79	7.78
	Rate of Return on Plan Assets Current	6.84	6.79	7.79	7.78
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(C) Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crores)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2020	31.03.2019
1.	Pension	364.53	161.27
2.	Leave Travel Concession	(3.44)	(3.92)
3.	Leave Encashment	116.76	36.06
4.	Sick Leave	Nil	Nil

9. SEGMENT REPORTING (AS-17)

9.1 Business Segments:

(₹ in crores)

Business Segment		Consolidated Year Ended (Audited)	
		31.03.2020	31.03.2019
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	14,211.20	11,440.18

Business Segment		Consolidated	
		Year Ended	
		(Audited)	
		31.03.2020	31.03.2019
2	Retail Banking Operations	11,272.83	11,128.91
3	Corporate /Wholesale Banking	16,628.94	15,401.50
4	Other Banking Operations	688.87	646.77
5	Unallocated	794.73	1002.26
	Total Segment Revenue	**43,596.57**	**39,619.62**
	Less Inter-segment Revenue	(328.08)	(264.24)
	Income from operations	**43,268.49**	**39,355.38**
(b)	**Segment Results (i.e. Profit/(Loss) before Tax)**		
1	Treasury Operations	3,666.03	2,767.14
2	Retail Banking Operations	823.26	947.37
3	Corporate /Wholesale Banking (Before Exceptional item)	(6,403.83)	(8,114.53)
	Add: Exceptional item	(2,509.98)	-
	Corporate /Wholesale Banking (After Exceptional item)	(8,913.81)	-
4	**Other Banking Operations**	**378.74**	**285.87**
5	Unallocated	(105.44)	180.99
	Total Profit/(Loss) Before Tax	**(4,151.22)**	**(3,933.16)**
(c)	**Provision for Tax**	(1,110.39)	(999.75)
(d)	**Net Profit/(Loss) After Tax**	(3,040.83)	(2933.41)
	Add: Share of profit in Associate	(80.06)	11.06
	Consolidated Net Profit/(Loss)	(3120.89)	(2922.35)
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	2,11,741.01	1,75,059.13
2	Retail Banking Operations	1,24,530.01	1,27,310.28
3	Corporate/Wholesale Banking	2,00,931.74	1,78,851.72
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	18,306.29	17,359.41
	Total Assets	**5,55,509.05**	**4,98,580.54**
(f)	**Segment Liabilities**		
1	Treasury Operations	2,01,928.03	1,68,754.95
2	Retail Banking Operations	1,19,538.72	1,23,368.05
3	Corporate /Wholesale Banking	1,92,878.19	1,73,313.47
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	7,174.70	6,308.42
	Total Liabilities	**5,21,519.64**	**4,71,744.89**
(g)	**Capital Employed (Segment Assets-Segment Liabilities)**		

Business Segment		Consolidated	
		Year Ended	
		(Audited)	
		31.03.2020	31.03.2019
1	Treasury Operations	9,812.98	6,304.18
2	Retail Banking Operations	4,991.29	3,942.23
3	Corporate /Wholesale Banking	8,053.55	5,538.25
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	11,131.59	11,050.99
	Total Capital Employed	**33,989.41**	**26,835.65**

Notes:

1. *The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.*
2. *Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.*
3. *Previous periods figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Quarter's/Year's classification/ presentation.*

10. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

10.1 List of Related Parties

a) Subsidiaries

- Union Asset Management Company Private Limited
- Union Trustee Company Private Limited
- Union Bank of India (UK) Limited

b) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited

c) Associate

- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2019-20
Shrie Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	N.A.
Shri Gopal Singh Gusain	Executive Director	N.A.
Shri Dinesh Kumar Garg	Executive Director	N.A.
Shri Manas Ranjan Biswal	Executive Director	N.A.

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

10.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Chairman and Managing Director	0.33	0.30
Executive Directors	0.81	0.75
Total	**1.14**	**1.05**

11. EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Number of Equity shares at the beginning of the year	**1,76,30,16,314**	1,16,85,73,381
Number of Equity shares issued during the year	**1,65,98,02,538**	59,44,42,933
Number of Equity shares outstanding at the end of the year	**3,42,28,18,852**	1,76,30,16,314
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share	**2,32,08,18,806**	1,17,50,87,824
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share	**2,32,08,18,806**	**1,17,50,87,824**
Net Profit/(Loss) Rs in Crore	**(3120.88)**	**(2922.36)**
Basic Earnings per share (Rs)	**(13.45)**	**(24.87)**
Diluted Earnings per share (Rs)	**(13.45)**	**(24.87)**
Nominal Value per share (Rs)	**10**	**10**

12. PROVISION FOR TAXES:

Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
	Deferred Tax Assets		
1	Employee Benefits (Leave Encashment)	294.57	253.83
2	Depreciation on Fixed Assets	112.05	61.38
3	On account of other provisions	9,239.00	7,243.21
4	On account of unabsorbed losses and Tax Credits	0.00	144.31
	Total	**9,645.63**	**7,702.73**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Accrued interest on securities	806.32	763.39
2	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	1,004.64	1,004.64
3	Depreciation on Investment	477.79	745.44
	Total	**2,288.75**	**2,513.47**
	Net Deferred Tax Asset	**7,356.88**	**5,189.26**
	Net Deferred Tax Liability	**Nil**	**Nil**

13 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

14 Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

15 Outbreak of COVID-19 Pandemic has impacted credit and recovery segments of banking business. Though there has been an impact on recovery, loan default risk has been largely minimized on account of grant of moratorium on repayment of loans and other measures to reduce the interest burden by Reserve Bank of India.

Bank has continued its operation through its branches and Digital products even during current scenario of COVID-19 and the with partial relaxation of lockdown norms by Central and State Governments, full-fledged banking operations resumed in most of the branches after following safety norms.

There may be an impact on revenue of the Bank during 1st and 2nd quarter of the FY 2020-21 due to slow down of economic activity. With the measures being given by Government of India and State Governments, normalcy is expected to be restored by 3rd and 4th quarter of the current financial year. Nevertheless, the management believes that no adjustments are required in the financial results as the Bank is adequately capitalized and has sufficient liquidity to take care of its present and future operations and there would not be any significant impact on Bank's performance in future and going concern assumptions.

16 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

For and on behalf of the Board of Directors

(DHIRENDRA JAIN)
Deputy General Manager

(PRAFULLA KUMAR SAMAL)
General Manager & CFO

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJ KIRAN RAI G.)
Managing Director & CEO

(KEWAL HANDA)
Chairman

(ARUN KUMAR SINGH)
Director

(RAJIV KUMAR SINGH)
Director

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
Director

(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

(K.KADIRESAN)
Director

(JAYADEV M.)
Director

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN: 101961W/W-100036

MANISH SAMPAT
Partner
Membership No. 101684
PLACE - MUMBAI

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
Chartered Accountants
FRN: 105215W/W-100057

SANDEEP D WELLING
Partner
Membership No.044576
PLACE - PUNE

FOR R S PATEL & CO.
Chartered Accountants
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
Partner
Membership No.101998
PLACE - AHMEDABAD

For M G B & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

SANJAY KOTHARI
Partner
Membership No.048215
PLACE - MUMBAI

FOR B M CHATRATH & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

ANAND CHATRATH
Partner
Membership No. 052975
PLACE - KOLKATA

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2020

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**		
	Net Profit Before Tax	(4,23,128)	(3,92,210)
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	41,720	37,382
	Provision for Investments	37,653	654
	Provision for Non Performing Assets (Net)	11,97,237	11,52,581
	Provision for Standard Asset	48,735	(24,520)
	Provision for Staff Related Expenditures	90,261	13,695
	Provision for other items (Net)	8,379	913
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	394	(297)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	58,220	1,07,501
	Share of Profit in Associate	8,006	(1,106)
	Sub Total	**10,67,475**	**8,94,593**
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	34,93,134	7,21,638
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	97,640	1,01,419
	(Increase) / Decrease in Investments	(26,23,681)	(2,90,189)
	(Increase) / Decrease in Advances	(30,69,474)	(19,37,834)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	1,34,887	(1,74,279)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	1,31,890	(93,188)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**(7,68,129)**	**(7,77,840)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**		
	Purchase of Fixed Assets	(39,384)	(31,545)
	Proceeds from Sale of Fixed Assets	1,663	1,834
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(37,721)**	**(29,711)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :**		
	Proceeds from Issue of Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company Including Share Premium (Net)	0	13,343
	Proceeds from issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net)	11,75,601	4,67,284
	Proceeds from issue of Capital Instruments	0	0
	Repayments of Capital Instruments	(1,19,962)	(1,54,000)
	(Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments	10,63,809	(86,480)
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(1,05,025)	(64,324)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**20,14,423**	**175,823**
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	**12,08,572**	**(6,31,728)**
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	**43,16,308**	**49,48,036**
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	**55,24,880**	**43,16,308**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	2,080,040	2,101,735
	Balances with Banks and Money at call	2,236,268	2,846,301
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**4,316,308**	**4,948,036**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	2,011,892	2,080,040
	Balances with Banks and Money at call	3,512,987	2,236,268
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**5,524,880**	**4,316,308**

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

(BIRUPAKSHA MISHRA)
Executive Director

(MANAS RANJAN BISWAL)
Executive Director

(DINESH KUMAR GARG)
Executive Director

(GOPAL SINGH GUSAIN)
Executive Director

(RAJKIRAN RAI G.)
MANAGING DIRECTOR & CEO

(KEWAL HANDA)
CHAIRMAN

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2020. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Charterted Accountants of India and with the requirments of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 23rd June, 2020 to the members.

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.101961W/W-100036

(MANISH SAMPAT)
PARTNER
(M.No.101684)

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.105215W/W-100057

(SANDEEP D WELLING)
PARTNER
(M.No.044576)

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.107758W

(RAJAN B SHAH)
PARTNER
(M.No.101998)

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 101169W/W-100035

(SANJAY KOTHARI)
PARTNER
(M.No. 048215)

FOR B M CHATRATH & CO LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 301011E/E300025

(ANAND CHATRATH)
PARTNER
(M.NO.052975)

Place: MUMBAI.

Date: 23rd June 2020

RISK MANAGEMENT

Disclosures under Basel III Capital Regulations and Pillar III

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link:

https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx

Business Responsibility Report-2019-20

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Company Details:

S.NO	Parameter	Details
1	Name of the company	**UNION BANK OF INDIA**
2	Year of Registration	1919
3	Corporate Identity Number	Not Applicable
4	Corporate Address Website Email id	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021 Tel: 022-22892000 www.unionbankofindia.com busrespnsehead@unionbankofindia.com
5	Financial Year	2019-20

II. Products/Services

1. Sector(s) that the company is engaged:

S.No	Sectors
A	Banking Services
B	Government Business
C	Merchant Banking
D	Agency Business – Insurance, Mutual Funds, Wealth Management etc.

2. Services Provided:

The bank's products and services can be categorized under the following three heads:

a) Deposits: Current Deposits, Savings Bank Deposits, Term Deposits, Recurring Deposits

b) Loans & Advances:

S.No	Details
1	Retail Loans: Union Home, Union Mile, Union Education, Union Mortgage, etc.
2	Agriculture Loans: Union Green Card, Term Loans etc
3	MSME Loans: Union Trade, Union Trade Plus, Union Enterprise, Union Nari Shakti etc
4	Corporate Loans: Working Capital Loans, Project/Term Loans etc.

c) Other Products:

Cash Management Services	Remittances Services
Insurance Services	SDV Lockers
Mutual Funds	Merchant Banking
Credit/Debit Card	Wealth Management

III. Operations:

Total Number of locations where business activity is undertaken by the company:

1. Number of National Locations (As on 31.03.2020) :

Field General Manager Offices	:	11
Regional Offices	:	63
Branches (Domestic)	:	4281
ATMs	:	6872

2. Number of International Locations: Overseas 3 branches at Hong Kong, Dubai and Sydney. Bank is having a fully owned subsidiary at London.

IV. Employees:

S.No	Particulars	Number
1	Number of permanent employees	37218
2	Contractual employees	22
3	Temporary employees	-
4	Percentage of Women	24.66%
	a. On the governance structure	6.25%
	b. In Top Management (Business & Function Heads)	6.93%

V. Associate Entities:

Name	**Union AMC Pvt Ltd**	**Star Union Daichi**	**Union Bank London Pvt Ltd**	**Kashi Gomti Samyukta Gramin Bank-**
Organization Form	Limited	Limited	Limited	RRB,Scheduled Bank
Main Objectives/Purpose	Distribution of Mutual Funds	Selling of Life Insurance Products	Banking	Banking
Amounts/ Sources of funds	100%	25.10%	100%	15%

VI. Contact Details of Nodal Officer for this Report:

Director responsible for implementation of the BR policy/policies:

DIN Number	
Name	**Shri Dinesh Kumar Garg**
Designation	**Executive Director**

Details of the BR head:

DIN Number (if applicable)	Not Applicable
Name	**Mr. Shailesh Kumar Singh**
Designation	**General Manager, GBOD, Central Office**
Telephone number	**022-22896666**
e-mail id	gm.gbod@unionbankofindia.com

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

S No.	Questions	Corporate Governance	Products & Services	Employee Welfare	Stakeholder Interest	Human Rights	Environment Protection	Public Policy Advocacy	Inclusive Growth	Customer Focus
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and Management Processes										
1	Name of the Policy/policies that covers each principle	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Core Elements related to the policy/policies cover	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Policy/Policies relating to each principles that has been translated into guidelines and procedures	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		Yes, the Banks Sustainable Development and Business Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.								
4	Extent to which manpower, planning, and financial resources have been allocated for the implementation of the policy/policies relating to each principle.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	National and International codes and standards adopted mapped to various principles	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Governance, Leadership, and oversight									
7	Names of the above policies that have been approved by the Board/Top Management	1. Code of Corporate Governance 2. Products & Services 3. Employee Welfare 4. Environment policy 5. Customer Rights policy 6. Sustainable Development & Business Responsibility Policy								
8	Name of the specified committee(s) of the Board/ Director/Officer and processes to oversee the implementation of the policy/policies	All the policies are approved by the Board and various sub-committees of Board like Audit Committee of Board/ Management Committee of Board/Risk Management Committee etc. oversee the implementation of policy.								
9	The process of Board/Top Management to review performance against the above policy and incorporating inputs (100 words)	The bank has separate Departments that are issuing guidelines under the Business Responsibility Policies to be followed by the Operating units. The performance is reviewed periodically by the Board from time to time.								

PRINCIPLE 1 - CORPORATE GOVERNANCE

S.No	Essential Indicators	
1.	Month/year of last review by Governance structure/top management of performance of the business across the principles and Core elements of the Guidelines?	Reviewed on 25.02.2020
2.	**% Coverage of leadership** team by awareness programmes on the guidelines: a. In reporting year b. Total to date	 36.63% 1526
3.	% of suppliers and distributors (by value), in the year: a. Covered by awareness programmes for the guidelines? b. Had responsible/sustainable business policies in place?	Not applicable
4.	Number of meetings/dialogues with minority shareholders that were organized in the year?	2
5.	Number of complaints received on any aspect of the NGRBC in the year from: a. Shareholders/investors b. Lenders	nil
6.	Number of the above complaints pending resolution at close of year?	nil
7.	Value of non-disputed fines/penalties imposed on your business by regulatory and judicial institutions in the year?	160.00 lacs
8.	Number of complaints/cases of corruption and conflicts of interest that were registered in the year?	Nil
9.	Details of unmet obligations(fiscal, social, etc.) arising out of any benefits or concessions provided by the Central, state or local governments(100 words) .	nil

S.No	Leadership Indicators	
1.	% coverage of all employees by awareness programmes for the guidelines: a. In reporting year b. Total to date	 36.63% 1526
2.	**% of suppliers and distributors(by value) covered by social and environmental audits:** a. In reporting year b. Total to date	Not applicable
3.	Was report on responsible business conduct made, in the year: a. As per mandatory/global reporting frameworks. b. Available in the public domain c. Assured by a third party	Yes, During May,2019 Yes Yes Not applicable

4.	Details of non-disputed fines/penalties imposed on your business by regulatory and judicial institutions in the year available in public domain.	RBI has imposed penalty for failure to ensure compliance with requirement to maintain basic Cyber Hygiene and Security controls as stipulated by RBI extant directions. For violation of directions observed in the account of M/s Rotomac Group Companies.
5.	Provide examples(up to three) of corrective action taken on the above fines/penalties imposed.	Now, streamlined Cyber Hygiene and Security Controls are in place. Field functionaries have been advised to follow guidelines of RBI strictly .
6.	Provide examples (up to three) of corrective action taken on the complaints/cases of corruption and conflicts of interest to prevent recurrence.	NIL

PRINCIPLE 2 – PRODUCTS & SERVICES

S.No	Essential Indicators	
1.	List top three goods/services (revenue in the year) which incorporate environmental and social concerns, risks, and/or opportunities in their design.	This Principle is mainly applicable to manufacturing companies. Bank is offering services & products which do not attract social and environmental risks.
2.	Details of investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts (top three by value**).**	
3.	% of input material and services (by value), in the year, sourced from suppliers adhering to internal or external sustainability standards/ codes/policies/labels.	
4.	% of total raw material consumed in the year(by value) that considered of material that was recycled or reused(provide details in 50 words): a. <5% b. between 5% and 25% c.>25%	
5.	Describe the process in place to safely collect, reuse, recycle and dispose of your products at end-of-life(100 words)	

S.No	Leadership Indicators	
1.	**For goods and services that incorporated environmental and social concerns**, give details of: a. Resource use(energy,water,raw material) per unit produced in the year b. Reduction in resource use covering sourcing, production, and distribution in the year. c. Sustainability standards/codes/labels adhered to. d. Product life cycle assessment completed.	Basically this Principle is applicable to Manufacturing Companies. Bank is offering of certain Services & Products which do not attract social and environmental risks.
2.	**Information on the impacts of your products across the value chain communicated to:** a. To which stakeholder groups? b. By which channels for each group? c. At what frequency?	
3.	**Provide examples(up to three)** on how the feedback received from stakeholders is used for improvements?	

PRINCIPLE 3 – EMPLOYEE WELFARE

S.No.	Essential Indicators	
1	Complaints received on cases arising out of discrimination: Number received in the year	10
2	No. of the above complaints pending resolution at the end of the year?	1
3	% of permanent employees who are members of employee association(s) recognized by the management?	92.54%
4	% of your establishments/ value chain that has been audited in the year for: a. Child labour b. Forced/ Involuntary Labour	None
5	No. of cases of child labour in your establishments/ value chains identifies to date: a. Resolved b. Pending resolution	None
6	No. of cases of forced / Involuntary labour identified to date a. Resolved b. Pending resolution	None
7	% of your employees that were paid above the legal minimum wage in the last year	100%
8	Ratio of the highest salary paid to the lowest salary paid amongst your permanent employees?	10:1
9	No. of cases of delay in payment of wages during the year a. Resolved b. Pending resolution	Nil

10	No. of complaints related to harassment to date: as on 31.03.2019 a. Resolved b. Pending resolution	a. Resolved -9 b. Pending Resolution - 1
11	No. of following occurred during the year: a. Accidents at the workplace b. Fatalities caused c. Disability caused	a. 8 b. 0 c. 5
12	% of employees (all categories) trained on health & safety issues & measures: a. In the year b. Total to the date	100%
13	% of employees provided training & skill upgradation: a. In the year b. Total to the date	a. 77.7 % b. 100 %

S.No.	Leadership Indicators	
1	Categories of employees (list upto three) supported by affirmative action, and has there been any change from previous year?	No
2	% of non permanent employees that are linked to any standing platform/association	None
3	% of children identified as employed in your establishments/ value chain that have been remediated: a. In reporting year b. Total to date	None
4	% of forced / involuntary labour identified in your establishments/ supply remediated: a. In reporting year b. Total to date	None
5	% of suppliers (by value) that paid minimum wages to their employees last year	None
6	Examples of steps taken (up to three) to prevent adverse consequences to the complainant in the case of harassment cases	1. Training & Sensitization 2. Proper action Against accused.
7	% of supply chain partners (by value) that were assessed for adherence to health & safety practices	100%
8	% of accident affected persons integrated back into employment	Not Applicable
9	Describe the work-life balance issues (up to three) that were brought up by employees (100 words)	None
10	Examples (up to three) of identifies work-life balance topics that have been implemented	None

PRINCIPLE 4 – STAKEHOLDERS INTEREST

S.No.	Essential Indicators	
1	**List stakeholder groups** that have been identified as key to your business?	For the Bank, stakeholder management is of vital importance as it helps the Bank to deliver its commitments and succeed as a business. Bank actively engages with stakeholders groups such as customers, shareholders, investors, employees, NGOs and Society.
2	**Positions/Departments/functions** responsible for **engagement** with each stakeholder category identified above?	Various Verticals/ Departments of bank
3	**Number of stakeholder groups that were formally engaged** on environment and social; issues in the last year?	Large number of public across the country during conducting of awareness programmes on environment and social issues.
4	**% of input material and services** (by value), in the year, that were procured from local, and small vendors/producers?	Nil

S.No.	Leadership Indicators	
1	**Frequency** of engagement with each stakeholder group?	Continuously
2	**Examples** (up to three) of how the business has **incorporated inputs from stakeholders**.	Feedback through monthly meetings, call centre, Social Network and other channels
3	**List of the vulnerable and marginalized groups** in each stakeholder group	N.A.
4	**Examples of decision and actions** taken by the business to **address the interests of vulnerable/marginalized groups**.	N.A.

PRINCIPLE 5 – HUMAN RIGHTS

S.No.	Essential Indicators	
1	% Of employees that have been provided training on human rights issues: a. In the Year b. Total to date	**77.69%**
2	Employee categories that are covered by the human rights policies of the business – Permanente/Contractual/ Casual.	**Permanent**
3	Number of business agreements and contracts with third party partners that were reviewed in the year, to avoid complicity with adverse human rights impacts in the previous year.	**1**
4	Stakeholder groups governed by the grievance committee for human rights issues.	**75(Sexual Harassment Committee)**

5	Number of stakeholders that reported grievances and/or complaint: a. Received in the year b. Pending resolution	a. **10** b. **1**

S.No.	Leadership Indicators	
1	% of contractual employees and vbalue chain partners that have been made aware/ provided training on human rights issue: a. In the Year b. Total to date	**NIL**
2	External Stakeholder group and reperesentatives that are covered by the human rights policies of the business?	**NIL**
3	Stakeholder groups that have been made aware of grievance mechanisms for human rights issues: a. During the year. b. Total to date	**NIL**
4	List (upto three) corrective actions taken to eliminate complicity with adverse human rights impact in the last year.	**NIL**
5	Provide (Upto two) examples of business process being modified/introduced as a result of addressing human right grievance/complaints.	**NIL**
6	Provide details of scope and coverage of any human rights due – diligence conducted during the year.	**NIL**

PRINCIPLE 6 – ENVIRONMENT PROTECTION

S.No.	Essential Indicators	
1	**Material risks of potential or actual adverse impacts upon the environment** and communities by the business: a. Identified in the year b. Mitigation and adaptation measures put in place for the above environment risks?	Bank strived to develop financial products and services that directly or indirectly lead to long term environment benefit and social development.
2	**Good practices (up to three) in reduction, recycling, and reuse** initiatives that contributed to lowering the adverse environmental footprint of your business activities.	During 2019-20, Bank has taken the following Go-Green initiatives : -Avoiding use of packaged drinking water -Installation of E-Waste Collection Bin -Electric conservation by switching off lights, fans, etc. while not in use.
3	**Examples of any collective action** by your business with other businesses / NGOs / government agencies / international partners / development institutions undertaken to address any of the environmental risks opportunities identified above.	UBSFT has approved 8 projects involving an amount of Rs.40.42 lacs during the year 2019-20 under various sectors like Education, Health care, Community Development, etc.
4	**Details of any adverse orders** in respect of any show cause / legal notice from CPCB/NGT/SPCB received during the year.	Nil

S.No.	Leadership Indicators	
1	**Information on environmental impact assessments** undertaken in the year: a. Have the results been communicated in the public domain? b. Provide details of any actions taken to mitigate any negative social impacts.	The Bank has undertaken several initiatives to reduce adverse environmental footprint. Yes. Through Customers meet, local special melas, festive and other important days of large gathering of public. Bank has implemented various activities related to environment and its awareness, during the year through all its branches and administrative offices across country.
2	Risk management strategies and measures for each material environmental risk identified for the business: a. Details of measures (100 words) b. Targets and achievements values	1. The Bank strives to develop and offer financial products and services that, directly or indirectly, lead to long-term environmental benefit and social development. 2. The Bank has been implementing good lending practices by prohibiting the lending to the industry which produces the ozone depleting substances. 3. The Bank also has the policy to discourage the funding to the industries / sectors which cause damage to the environment like iron ore mining, Newspaper Print, generation of Hydro Power etc. Since it is an ongoing activity no separate targets are fixed at this juncture.
3	**Details of your specific contribution to India's Nationally Determined Contributions** (submitted at UNFCCC COP21 in 2015)	Nil
4	**New businesses-products-services created** to address the material environmental risks identified: a. Information on businesses created (100 words) b. % of revenue contributed by these	Not applicable
5	Details of good practices cited in reduction, recycling, and reuse initiatives benchmarked against industry best practice (100 words)	The Bank has undertaken several initiatives to reduce advese environmental footprint. Some of the other environment friendly initiatives taken by the Bank are: • Installation of energy efficient systems such as CFL fittings and LED fittings. • Installations of LED signage. • Installation of Air Conditioners with BEE certification & Car with CNG • Rain water harvesting in Bank's building which helps in the conservation and recharging of ground water level. • Installation of Solar Power System in our branches.

PRINCIPLE 7 – PUBLIC POLICY ADVOCACY

S.No.	Essential Indicators	
1	**Review public policy advocacy positions** by the governance structure for consistency with Principles of these guidelines: a. Frequency b. Month/Year of last review	Union Bank of India practices pro-active advocacy with an aim to bring about a positive impact in the business eco-system and communities. Proactive advocacy for Union Bank of India is not just about lobbying the Government for securing certain benefits for industry, but is also about advocating certain best practices for benefit of the society at large. Yearly 2020
2	**Names of trade and industry chambers and associations** that you have are a member/ affiliate of.	• Indian Banks' Association (IBA) • Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) • The Associated Chambers of Commerce and Industry(ASSOCHAM) • Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) • Confederation of Indian Industry (CII) • Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)
3	**Details of any adverse orders** received from regulatory authorities for **anti-competitive conduct** by your business.	Nil
4	**Monetary contribution** (if any) that has been made to **political parties**.	Nil

S.No.	Leadership Indicators	
1	The **public policy positions** available in the **public domain**.	Yes,Refer www.unionbankofindia.co.in
2	**Examples** (up to three) of any **policy changes** in the past year as a **result of your advocacy** efforts.	Nil
3	**Details of corrective action for anti-competitive conduct**, taken by the business based on adverse orders from regulatory authorities.	Nil

PRINCIPLE 8 – INCLUSIVE GROWTH

S.No.	Essential Indicators	
1.	Social impact assessments of your business operations conducted: a. Number completed in the year ? b. Number conducted by an independent external agency.	Nil 3- BCG, BCSBI, CRISIL
2.	Examples of products, technologies, processes or programmes [up to three] that contribute to the benefit of the vulnerable and marginalized sections of society .	Pradhan Mantri Mudra Yojana Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Beema Yojana Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana Atal Pension Yojana
3.	With respect to projects during the year for which R& R is applicable: a. Number of persons that were affected displaced by these projects? b. Gross amount paid out to project- affected and displaced persons?	Not applicable
4.	Grievances / Complaints received from local community: a. Number received during the year b. Number pending resolution	353549 2872
5.	Details of Investments [top three by value] in regions which are underdeveloped [100 words]	Nil
6.	Examples of goods & services up to 3] that incorporate local traditional knowledge.	Not applicable
7.	Details of adverse orders or judgements in intellectual property rights disputes related to traditional knowledge during year [100 words].	Not applicable
8.	Summary of the key themes covered By CSR. Initiatives [as per section 135 of companies Act 2013] or linked to the CSR Policy of the business [up to 100 words]	UBSFT has approved 8 projects involving an amount of Rs.40.42 lacs during the year 2019-20 under various sectors like Education, Health care, Community Development, etc. (Details are given below under CSR activities undertaken by Bank).

S.No	Leadership Indicators	
1.	With respect to these Social impact assessments: a. Result made available in the public domain. b. Details of any actions taken to mitigate any negative social impacts [100 words]	Yes Not applicable
2.	**Numbers benefitting from such beneficial products , technologies or processes .**	Large number of public

3.	With respect to Projects during the year for which R & R is applicable: a. Was the R & R package developed in consultation with project -affected people? b. Information on gross amounts, made available in public domain.	Not applicable
4.	Channels/ platforms used to communicate information regarding resolution of grievances/complaints from communities.	Email, Internet, SMS, Social Network, publicity, UBSFT campaign in Rural Area for financial literacy.
5.	Examples [up to three] of economic and social value addition in these underdeveloped regions [100 words]	Not applicable
6.	Examples where benefits of this local traditional knowledge being used by the business are shared with the community.	Not applicable
7.	Number of beneficiaries covered under your CSR projects [as per section 135 of Companies ACT 2013] disaggregated by the vulnerable and marginalized group categories.	Large amount of public covered under Education, Healthcare , Community Welfare and Disability sectors.
8.	Examples of how the impact of your community initiatives contributes to local and national development indicators?	To a great Extent

RBI defines Financial Inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups at an affordable cost from mainstream financial institutions. The Bank had drawn a three year Financial Inclusion Plan 2016-19 approved by the Board with a Vision "To reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an "ongoing basis" to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal Financial Institutions".

1. **Financial Literacy:**

   Our bank has established total 32 Financial Literacy Centers which include 14 in Lead Districts and 18 in Non Lead Districts. Various camps are organized by FLCs and branches as per Govt. Direction from time to time. The Bank has been undertaking various activities for spreading awareness about PMJDY through its 32 FLC Centers and Rural Branches.

2. **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)**

   The Government of India launched India's largest Financial Inclusion Programme- Pradhan Mantri Jan DhanYojana in Aug'14 with the aim to provide access to basic Financial Services to all households in the country. The programme consists of an integrated approach using six pillars: Universal access, Basic Banking Accounts with overdraft facility, Accident Insurance and Rupay Debit Card, Financial Literacy, Credit Guarantee Fund, Micro Finance and lastly unorganized sector pension schemes.

3. **Rural Self Employment Training Institute (RSETI):**

   Bank has established 14 RSETIs in 14 lead districts of the country, with the objectives of providing intensive short-term residential self-employment training programs with free food and accommodation to rural youth. RSETIs are functioning at

   - Uttar Pradesh: Azamgarh, Bhadohi, Chandauli, Ghazipur, Jaunpur, Mau, Varanasi
   - Bihar: Khagaria, Samastipur
   - Madhya Pradesh: Rewa, Sidhi, Singrauli
   - Kerala: Ernakulum, Idukki- Kerala

   As of March 2020, total number of candidates trained in our RSETIs is 83718, out of which 56386 candidates have been settled with settlement rate of 67%.

4. **Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):**

- Under PMMY our Bank extends finance to the micro enterprises which are in the business of manufacturing, trading

and service sector in rural, urban & metro areas.

- PM MUDRA Yojana opens door to various new & existing entrepreneurs to avail credit from banking channel. This leads to increased customer base for credit to the bank.

5. Position of Mudra Loan: 01.04.2019 to 31.03.2020:				(Amt in Cr)
Loan Category	Sanctioned		Disbursed	
	A/Cs	Amount	A/Cs	Amount
Shishu	53256	135.38	53256	113.76
Kishore	121434	2628.16	121434	2342.04
Tarun	21306	1637.96	21306	1423.55
Total	195996	4401.50	195996	3879.35

7. Performance under Stand up India Scheme:				(Amt in Cr)
Sr. No.	**CATEGORY**	**Cumulative Progress Since 05.04.2016 to 31.03.2020**		
		Sanctioned		**Disbursement**
		No. of A/cs	Amt	Amt
1	SC (Only Male and Female)	115	17.56	15.48
2	ST (Only Male and Female)	50	6.39	6.01
3	Woman Entrepreneurs	1247	257.85	215.78
4	Total	1412	281.80	237.27
5	Minority	205	34.85	29.11

8. Position of Social Security Schemes as on 31st Mar, 2020:

Scheme Name	**Male Customers**	**Female Customers**	**Total Enrollments**
Atal Pension Yojna	**454176**	**218684**	**672860**
Pradhan Mantri Jeevan Beema Yojna	**966659**	**615391**	**1582050**
Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojna	**2522078**	**1776023**	**4298101**
Total	**3942913**	**2610098**	**6553011**

PRINCIPLE 9 – CUSTOMER FOCUS

S.No	**Essential Indicators**	
1.	Examples [up to three] where adverse impacts of goods and services of your business have been raised in public domain.	Nil
2.	% by value of goods and services of the business that carry information about: a. Environmental and social parameters relevant to the product. b. Safe and responsible usage.	Nil
3.	Number of consumer complaints in respect of data privacy: a. Received during the year. b. Pending resolution.	Nil
4.	Number of consumer complaints in respect of advertising: a. Received during the year. b. Pending resolution.	Nil

5.	Number of consumer complaints in respect of delivery of essential services: a. Received during the year. b. Pending resolution.	 353549 2872

S.No	Leadership Indicators	
1.	Corrective actions taken on adverse impacts of goods and services of your business: a. Details [100 words] b. Communicated in the public domain .	Not applicable
2.	List of national – international product labels/certifications being used by the business.	Not applicable
3.	Channels platforms where information on goods and services of the business can be accessed.	Email, Internet, SMS, Social Network
4.	Steps taken to inform and educate vulnerable and marginalized consumers about safe and responsible usage of products [100 words].	Not applicable
5.	On complaints received in respect of data privacy and advertising indicate what corrective actions were taken to ensure that these do not get repeated [100 words].	Not applicable
6.	Process in place to inform consumers of any risks of disruption/ discontinuation of essential services [100 words].	Not applicable

MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES SECTOR

MSMEs contribute significantly to the GDP, Employment and social equity of India. They are the 2nd largest employer after agriculture. MSMEs are present in almost all economic activities, ranging from crafts to services and high-end industrial activities. The product range spreads across sectors including handicrafts, handlooms, textiles, garments, leather, plastics, engineering, IT & IT enabled services, hospitality, tourism, health care and several others

MSME is one of the chosen areas for bank which will have multi fold effect on our country economy. Thereby bank is playing pivotal role in financing to MSME sector since beginning. Further the bank is always in forefront implementing the Govt. launched MSME schemes which are as follows.

1. **Sanction of PSB loans in 59 minutes:**

   Our bank stood one of the best banks who has given in principle sanction to 9337 proposals on line. Of which the final sanction given to 5565 proposals to the tune of Rs.2065.10 crore.

2. **Union Bank of India Partners with A.TReDS LTD for TReDS**

   Union Bank of India has immense pleasure in partnering with receivable Exchange of India Ltd (RXIL), Mynd Solution (P) Ltd (M1 Exchange) A.TReDS LIMITED (invoicemart.com) as A. TReDS (Trade Receivable Discounting System) partner for discounting invoice of MSMEs on digital platform.

   This is an innovative area of finance and due thrust has been given by the Government to help MSMEs, who are the back bone of Indian Economy. Despite, major role being played by MSMEs in country's overall economic growth & employment generation, it continues to face constraints in obtaining adequate finance, particularly in terms of their ability to convert their trade receivables into liquid funds.

   TReDS is a digital platform to help MSMEs to get their trade receivables financed at a competitive rate through an auction mechanism where multiple financiers can bid on invoices accepted by PSUs / Corporate Buyers. TReDS will allow MSMEs to post their receivables on the system and get them financed at competitive rates as per online bidding process. This will not only give them greater access to finance but will also put greater discipline on corporate to pay their dues on time.

   This would be great enabler for MSMEs and incentivize the corporate for prompt payment to MSMEs. At the same time adequate financial support to such MSMEs through this unique online platform with inbuilt hassle free process will be easier for businesses to adopt.

   Bank has crossed financed under TREDS of

Rs.1590.65 crore as of 31st March, 2020.

- SARALs: As part of centralization initiatives under MSME to improve quality, TAT and better customer experience, SARALs which are processing engines for MSME loans are established. During 2019-20, 3 SARAL Lites opened. SARALs are headed by AGMs and SARAL Lites are headed by Chief Managers. At the end of March 2020, total 48 SARALs are fully functional.

The CSR activities undertaken by the Bank in 2019-20

Union Bank of India has been in the forefront in meeting its CSR commitments. Towards this the Bank has established Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) in the year 2006 as an extended arm for carrying out the CSR activities of the Bank. The major CSR activities of the Bank are now being carried out through the UBSFT. Its Board is headed by the Bank's Managing Director & CEO with executive directors as Vice Chairman Trustees, other trustees include the Bank's General Managers and one independent trustee. The UBSFT Board provides directions in accordance with the Bank's thrust areas and undertakes review every quarter. The directions of the Board are executed by the Chief Executive of UBSFT. While the Registered office of UBSFT is at Bengaluru, the administrative office is at Mumbai.

Bank has also formed CSR committee of the directors of the Bank to monitor and guide the CSR activity of the bank so also that of UBSFT on quarterly basis. The committee is Headed by MD & CEO, Executive directors and one part time nonofficial Director nominated under 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970 and one Share holder director elected under section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970.

UBSFT has been incorporated aiming to support initiatives towards Social upliftment & improving lives of underprivileged segments. UBSFT has approved 8 projects involving an amount of Rs.40.42 lacs during the year 2019-20 under various sectors like Education, Health care, Community Development, etc.

The sector wise approval and disbursement of UBSFT during 2019-20 are as under:

Sector wise approval & Disbursements:-

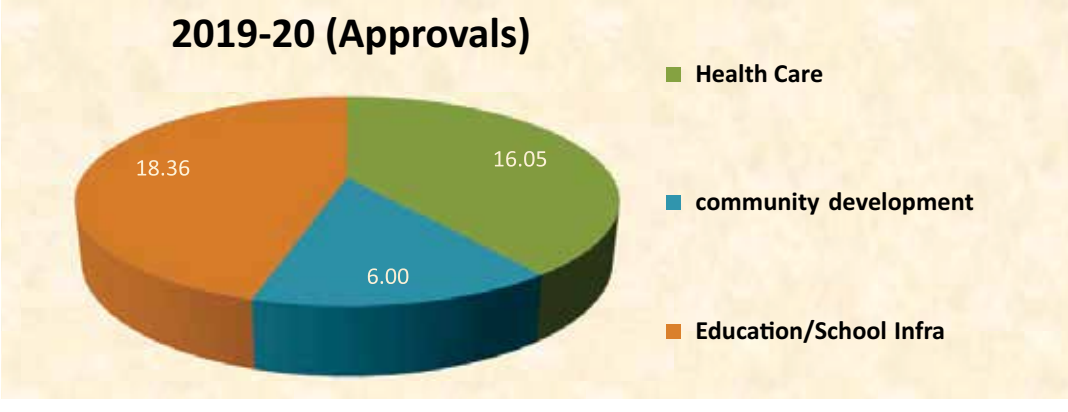

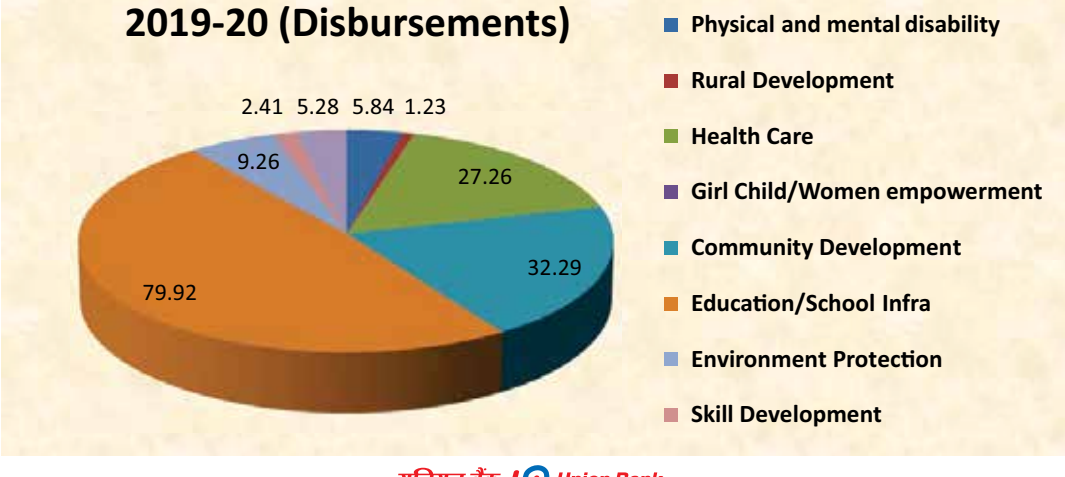

Supported Karnataka Government Polytechnic, Mangalore for setting up of computer lab.

EDUCATION SECTOR

- Supported Nagar Palika Primary School, Kotdwar, for upgrading infrastructure facilities like water tank, water cooler, renovation of kitchen and construction of toilets.

  Supported Nagar PalikaJunior School, Kotdwar, for setting up of infrastructure facilities like water cooler, computers, projector and construction of ladies toilets.

Supported Government college, Kotdwar, for upgrading infrastructure facilities.

HEALTHCARE SECTOR

- Supported Sewa Bharati Society, Bhopal for purchasing an Ambulance for providing emergency medical care to the needy people.
- Supported Karimul Haq Manob Seva Sadan Society for purchasing an Ambulance for providing emergency medical care to the needy people

  Donating Ambulance to Sewa Bharathi Trust at Bhopal on 24.6.2019

COMMUNITY WELFARE

- Supported for providing relief materials to flood affected villagers in Kolhapur & Goa region.
- Supported for providing relief materials to flood affected villagers in Belgavi and near by areas of Belgavi.

New Initiatives during the year: 2019-20

a) Aadhaar Enrollment Centre: - As per UIDAI guidelines, all commercial banks have been instructed by UIDAI to open Aadhaar Enrollment Centre in 10 % of Bank Branches. Accordingly we have opened Aadhaar Enrolment Centre in 430 Branches across India. At present 430 Bank Branches are activated for enrolling Aadhaar.

b) Digital Initiatives by the department:

- The facility for opening PMJDY Account instantly is made live at all BC points.
- All our Bank Mitras can open instant e-KYC PMJDY account of citizens through the Micro ATM, Mobile or Kiosk then & there at BC point and even transaction facility is provided through AePS to such instant accounts.
- Bank Mitras can also enroll customers to Social security schemes viz. APY, PMSBY and PMJJBY.
- Facility has also been provided for customers to apply for overdraft up to Rs.10,000/- through ATMs and BC points.
- SMS are being sent to eligible PMJDY account holders for availing overdraft and enrollment to PMJJY & PMSBY.
- Overall, Bank Mitras are providing 24 digital services under EASE 2.0.

I. Finacle 10.x upgradation

The migration of Core Banking from version 7.x to 10.x was initiated on 01.03.2018 and the project went live in all 4470+ domestic branches/offices and 5 overseas branches/offices of the Bank on 13.05.2019 and 25.11.2019 respectively. Finacle 10 facilitates a comprehensive, integrated and modular solutions that will not only address day to day challenges faced by the branch but will also provide operational agility and improved productivity. Integrated Customer Relationship Management (CRM), Signature Verification System (SVS) and Single Sign on (SSO) are major enhancements in Finacle10. Customer creation, Account Inquiry & Trade Finance set of menus has also undergone complete change.

II. HRMS (Union Parivar) Mobile Application

Bank has launched HRMS mobile application on android and iOS platform on 17.07.2019 for its valuable employees with all employee related essential modules like leave application, applying perks, claiming tour/travel bills etc. This application is secured with OTP based login authentication (PF no./

Password and SMS OTP) to enable the employees for 24*7 access to carry out their day-to-day HR related activities. Bank's retired employees can also access this mobile app for pension details and medical insurance scheme.Bank users can have easy access to the modules namely Assets & liabilities management, Briefcase reimbursement, career planning, cleaning expense, college fee reimbursement, conveyance allowance, course fee reimbursement, entertainment reimbursement, festival advance application etc.

III. Following new features added in Mobile Banking Application: U-Mobile as a part of continuous enhancement process and NPCI guidelines:

- Implementation of Virtual Keypad.
- Credit Card module, BBPS and Bharat QR, Fastag recharge added.
- Implementation of "Apply for New A/c" link for non-Union Bank Customers.
- Integration of OCRM with U-Mobile to raise customer complaints/service requests through mobile.
- Implementation of Quick pay- Instant fund transfer option to facilitate the instant transfer of money at the ease of fingertips.
- Generation of Housing loan interest certificate in real time

IV. C- KYC mobile application

Central KYC mobile application was launched on 24.12.2019 to replace the existing multiple KYC submission process while opening savings bank account, life insurance etc. into one-time centralized process.

V. E-Learning mobile application

Bank has launched E-Learning mobile application on android platform for its valuable employees to provide on-demand availability of Bank related courses and latest technology trends. It is more cost effective than traditional learning as it providesconsistent delivery of knowledge through digital mode of communication.

VI. Application Programming Interface Management (APIM) solution

Bank has implemented APIM solution for facilitating real-time transaction processing through Finacle using Application Programming Interface which is available in Finacle 10 solution. Bank has successfully implemented following through APIM:

- Rajasthan State Beverages Corporation Ltd: Integration of Rajasthan State Beverages Corporation Ltd. for challan-based tax collection through advanced Application Programming Interface Management (APIM) solution carried out on 19.12.2019. Customers would be able to get the payment against challan obtained from Rajasthan State Beverages Corporation on a real time basis.
- Haj Fee Collection Service: Haj fee collection service was also successfully integrated with Finacle through APIM solution.
- Debit Card Management System (DCMS): Debit card activation, which usually took 24-48 hours to activate a debit card, made real-time using APIM integration with Finacle. Now each debit card, when allocated to customer, can be activated in real-time basis.

VII. UPI 2.0

UPI 2.0 in mobile banking application was implemented w.e.f. 29.06.2019. It will ensure advanced security control and better reconciliation of UPI transactions.

VIII. Enterprise Fraud Risk Management solution (EFRM)

Bank has implemented EFRM solution and all the transaction channels i.e. Internet Banking, ATM, Mobile Banking, BC channels are integrated with Bank's Enterprise Fraud Risk Management Solution for better tracking of transaction and to monitor the transactional and behavioral patterns of the customers for detecting any frauds.

IX. Implementation of various EASE agendas in various payment channels-

- CBS
- ATM
- Mobile Banking
- Internet Banking
- Financial Inclusion (FI)

X. Following new functionalities at Business Correspondent (BC) are implemented:

- Cash deposit through Debit Card at BC point.
- Request for cheque book, cheque status enquiry and stop payment of cheque at BC point.
- NEFT made live through BC channel as a part of EASE agenda.
- Enablement of Bharat Bill Payment System (BBPS)

XI. Zonal CBS helpdesk: Zonal helpdesk at 4 locations

i.e. Delhi, Lucknow, Kolkata and Bengaluru have been implemented with 5 General Banking officers well versed with Finacle 10 functionalities in order to provide prompt support to the branches and offices w.e.f. 29.06.2019.

XII. Multi-lingual SMS to Customers

Implementation of multilingual SMS for transactions in 5 regional languages i.e. Hindi, Marathi, Gujrati, Kannada and Punjabi w.e.f. 21.11.2019 to enable easier accessibility for all segments of customers.

XIII. Following innovations are implemented in SWIFT:

- Invoice validation through SWIFT- Invoice validation service from GSTN through SWIFT India was made live w.e.f. 17.07.2019.
- Global Payments Innovation (GPI)
- Payment Control System (PCS) - PCS is a real-time solution that screens payment messages safely from within SWIFT's secure network to detect, prevent and validate Swift payment messaging activity and it also provides an additional layer of control for the banks. It helps Banks to detect and prevent high risk payments and mitigates business disruption and financial losses in the event of cyber fraud.
- LAU (Local Authentication Utility) - This is the encryption utility between CBS and SWIFT system to achieve integrity and confidentiality during transmission of the message. LAU is also implemented between Treasury System and SWIFT System.
- DCS (Data Center Security Solution) - This solution has been implemented in SWIFT servers to ensure file integrity.

XIV. Aadhaar Vault

In accordance with the guidelines issued by UIDAI, Bank is in process to implement Aadhaar Data Vault system for storing Aadhaar number and any connected Aadhaar data on a separate secure system.

XV. JCB Cards enablement at Bank's ATM terminals

Bank's ATM Switch was successfully integrated with NPCI for acceptance of JCB (Japan Credit Bureau) cards w.e.f 22.07.2019.

XVI. EMV certification of ATM switch successfully completed.

XVII. AEPS 2.5 implementation carried out in FI Gateway to strengthen the security.

XVIII. MAC-ing implementation with NPCI

In order to strengthen the security between Bank and NPCI, ATM MAC-ing between NPCI and Bank's switch has been implemented w.e.f. 28.06.2019 to ensure integrity of messages exchanged between Bank and NPCI.

Government Business Initiatives :

1. Government e-Market Place (GeM) - Future of Business
   - ➢ Bank has signed an "MOU" with Government e-Marketplace (GeM), Ministry of Commerce and Industry. GeM is a one stop portal to facilitate online procurement of common use "Goods & Services" required by Govt. Departments/ Organizations and PSUs. It aims to enhance transparency, efficiency and speed in public procurement.
   - ➢ It is a completely paperless, cashless and system driven platform empowering our "Prime Minister's Dream of Digital India" and "Ease of Doing Business".
   - ➢ As per the guidelines of "Ministry of Finance", it is mandatory for all the Government organizations to procure the goods and services through GeM platform only.
   - ➢ Major services at GeM web portal are:

• Collection of Registration Fees	• E- Performance Bank Guarantee
• Earnest money Deposit	• Security Deposit
• State GeM Pool Accounts	• Payment Gateways

2. Small Deposit Schemes- Following Government schemes brought under digital modes:
   - Public provident Fund Scheme (PPF): Account opening, linking and operation made online in Mobile Banking
   - Sukanya Samridhi Yojna (SSY): Account opening, linking and operation made online in Mobile Banking.
   - National Pension System (NPS): Account opening through e-NPS live in Mobile Banking.
3. **PG and BHIM UPI & QR:** As per CBDT guidelines, every organization having turnover of more than Rs 50 crores has to provide facility for collection using BHIM UPI & QR and Rupay Card. Bank has facilitated many organizations specially government institutions like HIL, GNIDA and NHPC by providing Payment Gateway and BHIM-UPI/QR services for online collection.

4. **Fund Management System:** We have integrated with many Government organizations for the collection & payment through system based module in real time basis without any manual intervention. It is a major source of Non-Interest Income for the Bank as improve CASA at the same time.

5. **On-boarding Gram Panchayats on Digital Platform:** Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Government of India, Delhi instructed that all the Gram Panchayats (GPs) in the states will be required to make their payments to vendors /service providers through Digital Signature Certificate (DSC) enabled system with the PRIA Soft and PFMS online payment systems towards effective monitoring and ensuring transparency/ accountability. Our Bank has taken major initiative and on-boarded more than 9000 Gram Panchayat on PFMS platform this year.

IMPORTANT EVENTS DURING 2019-20

Union Bank of India celebrates 101st Foundation Day

Union Bank of India, one of the most trusted Public-Sector Banks in the country, celebrated its 101st Foundation Day on 11th November 2019, at The National Centre for Performing Arts (NCPA), Mumbai. Hon'ble Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur was present as Chief Guest to commemorate such a significant milestone that marks more than a century of providing impeccable Banking services to millions of Customers across the country. Other dignitaries in attendance were Shri Rajiv Kumar, Finance Secretary, Government of India & Shri Ravi Mittal, Additional Secretary, Department of Financial Services.

Throughout the hundred years of its operations, Union Bank of India has extended credit across a vast array of industries and sectors such as exports, agriculture, trading, infrastructure and other specific business categories. Bank's operations are spread across 4281 Branches pan-India, with a client base of over 70 Million Customers.

Speaking on the momentous occasion, Shri Anurag Singh Thakur, Hon'ble Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs said, "I extend my heartfelt congratulations to Union Bank of India upon completing 100 glorious years of service. In the current landscape, with constant innovation and technological advancements, the need for systematic, efficient and transparent Banking Operations have become the need of the hour. Union Bank of India has set a benchmark in this regard.

Elaborating on the key factors that have enabled Union Bank of India to remain such a longstanding player in the Banking ecosphere, Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Union Bank of India said, "While Union Bank has continued to have a brilliant run, year on year, it would not have been possible without the support from all our Stakeholders. We thank our Customers who have placed their trust in us over the course of 100 years and our dedicated team of 38000 Staff members for their immense contribution. Our core values help us embrace every opportunity with unwavering zeal, and we ensure that we build on them to evolve with time. This milestone is a testament to our tireless efforts of proactively adopting new innovations, while keeping our core beliefs intact."

The Banking system in India has witnessed several developments in recent times, resulting in a paradigm shift – from being largely standardized in operations and procedures, to now offering a personalized, and customer-centric user experience, enabled by cutting edge technology. It's constant innovation to make products and services more flexible, engaging and convenient are all centered on creating a superior Customer experience. Through this multi-faceted, customer-first approach, Union Bank of India continues to build on its rich legacy, while helping to re-imagine the future of Banking in India.

Union Bank of India launched following three products to commemorate the occasion:

1. **Union Sampurna -** for doubling farmers' income, a comprehensive technology oriented ecosystem for overall development of Rural & Semi-urban area and provide one stop solution for farm sector.

2. **E-Way Bills -** Invoice validation service, an important pillar of GST regime. Digital system ensures quality underwriting, speedier disbursements and overall ease of doing business in country.

3. **ATM GEO LOCATOR** within its mobile banking app, UMobile, which provides real time status of its ATMs. UMobile user can locate active ATMs within three different distance range, (0-3km), (3-5km) and (5-10km).

MOU with CIFL for Co-origination:

(Shri Rajkiran Rai G, MD&CEO, Union Bank of India with Shri Keshav Porwal, MD, CIFL)

Bank has announced signing of MOU with M/s Capital India Finance Ltd. (CIFL), a professionally managed NBFC under Co-origination Model for Lending to Priority Sector as per RBI defined model.

This arrangement will entail joint contribution of Credit at the facility level, by both the Lending Partners viz. Union Bank of India and CIFL. It is envisaged that the benefit of low cost funds from Banks and lower cost of operations of NBFC would be passed on to the Borrower through adoption of the blended products to suit the requirements of Borrowers. This arrangement will also entail increase in the Credit off-take in respective market and offer timely delivery of Credit at significantly lower cost.

The Co-origination Model would be a great enabler for assisting the Priority Sector and will incentivize the Banks and NBFC to join hands for lending through this method.

Partnership with Bankbazaar.com:

(Shri Rajkiran Rai G, MD&CEO, Union Bank of India with Shri Adhil Shetty, CEO Bank Bazaar.com)

The Bank has entered into partnership agreement with **BankBazaar.com** for digital sourcing of Housing **Loan Business**. The partnership is in line with the growing trend of financial services moving to the Digital space. With its presence on, **Bank Bazaar,** a leading **Fintech player**, Union Bank of India increases its reach beyond the traditional brick and mortar physical channels. Union Bank intends to offer the same level of services that have been associated with their brand for the last 100 years thorough this Digital Channel.

International Day of Persons with Disabilities:

Bank observed International Day of Persons with Disabilities at its Head Office in Mumbai. As an extension of its equal opportunity policy, Bank carried out activities to spread awareness among all employees about the difficulties faced by persons with disabilities in their day-to-day life, and the support that must be extended to make the workplace accessible and inclusive.

A pop-quiz on disability related issues and solutions was rolled out for employees while they reported to work today, and an 'experience counter' was set up to popularize various assistive tools. Assistive technologies like JAWS, and TalkBack were on display along with accessible sports equipment and games such as Braille playing cards, special chess boards and ringing cricket balls.

Bank also conducted a pan-India online quiz to create awareness and garner support for the cause.

Go Green Campaign :

Bank marked its centenary year celebrations by Going Green and launching series of green initiatives to reduce the carbon foot prints and create a positive impact on the environment. A Go Green campaign was inaugurated on the 73rd Independence Day celebration which included a Green Pledge, floating of an e-Magazine and plantation of trees through all 63 regions across the country. The event was launched through "ECOTHON" a green march led by Shri RajkiranRai G. MD & CEO, Union Bank along with his team from the Corporate Office at Nariman Point to

Marine Drive.

Installation of E- Waste Collection Bins:

As part of its ongoing Centenary Year Celebrations Bank installed E-Waste Collection Point at its Mumbai Main Branch, Corporate Office, Nariman Point, Mumbai. Going ahead, Union Bank of India has plans to install such E-Waste Collection Point at all its major Offices and Branches.

Celebration of International Women's Day on 8th March 2020 :

(in the Photo shown From left - Padmashri Dr. Indira Hinduja-Renowned Gynecologist & Infertility Specialist, Ms. P V Bharathi, MD & CEO e-Corporation Bank, Shri Rajkiran Rai G, Managing Director & CEO, Union Bank of India, Ms. Swati Mayekar-Chartered Accountant & Social Worker Par Excellence and Ms. Neeraja - Eminent Writer & Poetess)

Bank celebrated International Women's Day with gaiety and fervor at a glittering function held at Mumbai. On the occasion of International Women's Day, Union Bank of India felicitated Women Achievers who excelled in their professions. The women achievers who were felicitated are Padmashri Dr. Indira Hinduja-Renowned Gynecologist & Infertility Specialist, Ms. Swati Mayekar-Chartered Accountant & Social Worker Par Excellence and Ms. Neeraja - Eminent Writer & Poetess.

A special book, specially dedicated to women named "Union Agarsar", a bimonthly in house magazine of the Bank was also launched.

AWARDS & ACCOLADES RECEIVED DURING THE YEAR 2019-20

i. Infosys Finacle Client **Innovation Award 2020-**Application Programming Interface Management technology.

ii. Bank bagged prestigious Indian Banks' Association (IBA) award under the category of **"The Best Digital Financial Inclusion initiatives 2018/19- Large Bank".**Union Bank received this award consecutively for the 5th time for its efforts under Financial Inclusion and use of Technology in providing customer centric services and products to encourage the use of Digital Banking and deepening Digital Financial Inclusion in un-penetrated and under-penetrated geography of the country.

iii. **"Economic Times BFSI Excellence Award-2019"** for Best Financial Inclusion Initiative amongst PSBs.

iv. **ABP News BFSI Award 2019**- for Bank with Leading FI initiatives.

v. **Skoch Order of Merit Award 2018**- for Financial Inclusion Initiatives.

"BFSI- Award for Digital Financial Inclusion Initiative" by Governance Now.

Knowledge Management Leadership Award: Bank won the prestigious "Knowledge Management Leadership Award" for Use of Best Training Methods announced by Asia Pacific HRM Congress.

केंद्रीय कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

लाभांश अधिदेश फॉर्म

{यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो पंजीयक को प्रस्तुत करें और यदि शेयर डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक रुप में है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें}

प्रिय महोदय,

विषय: बैंक खाता विवरण अद्यतन करने हेतु निर्देश

1.	प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम	
2.	फोलिओ क्र. (यदि शेयर डिमैटीरियलाइज्ड नहीं किए गए हैं)	
3.	डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि शेयर डिमैटीरिलाइज्ड किए गए हैं)	
4.	बैंक खाते का विवरण	
4.1	बैंक का नाम	
4.2	शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	
4.3	पूर्ण अंकों सहित खाता क्र. (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.4	खाते का प्रकार (एसबी / सीडी / सीसी)	
4.5	आईएफएससी (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.6	एमआईसीआर कूट क्र. (9 अंक) (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है. यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण संव्यवहार में विलंब होता है अथवा संव्यवहार नहीं होता है तो मैं उपयोगकर्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा. मैं समझता हूँ/समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को भौतिक रूप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

(_____)
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक:

संलग्न :

1. **पैन की स्वत: अनुप्रमाणित प्रति और**
2. **मूल निरस्त चेक का पन्ना या खाताधारक का नाम दर्शाता सक्रिय बैंक खाते का अनुप्रमाणित बैंक का पासबुक**

पंजीयक का पता : डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.
दूरभाष क्र.: 022-66712001- 6
ई-मेल आईडी : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

Dividend Mandate Form

{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and
to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/electronic form}.

Dear Sirs,

Subject: Instruction to update the Bank Account Details

1.	First/Sole Shareholder's Name	
2.	Folio No. (If shares are not dematerialized)	
3.	DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
4.	Particulars of Bank Account	
4.1	Bank Name	
4.2	Branch Name & Address with City PIN Code	
4.3	Complete Account No. (as appearing on the Cheque Book)	
4.4	Account Type (Saving/Current/Cash Credit)	
4.5	IFSC (as appearing on the Cheque Book)	
4.6	MICR Code (9 digit) (as appearing on the Cheque Book)	

DECLARATION

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through electronic means.

Yours Faithfully,

(_____)
Signature of the First/Sole Shareholder

Place :
Date :

Encl.:
1. **Self attested copy of PAN and**
2. **A original cancelled cheque leaf or attested Bank passbook of an active bank account showing name of account holder**

Address of the Registrar: Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,Crosslane,
MIDC, Andheri (East),
Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail Id: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टों तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रुप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

वे अपनी सहमति इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें:

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
दूरभाष क्र.: 022-66712001- 6
ई-मेल आईडी: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to : Register an email ID their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
दूरभाष क्र.: 022-66712001- 6
ई-मेल आईडी : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/हम _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेस के अधीन हरित पहल उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते हैं. मेरे/हमारे पास बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर _____
ई-मेल आईडी _____@_____
मोबाईल नं. _____

मैं/हम इस आशय से वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि किसी तकनीकी/अन्य कारणों से मेरा/हमारा ई-मेल आईडी हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

_____
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

Date :

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number:_____
Email ID _____@_____
Mobile No. _____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

_____
Signature of the First/Sole Shareholder

Enjoy 24x7 access to your Bank.

Umobile banking app

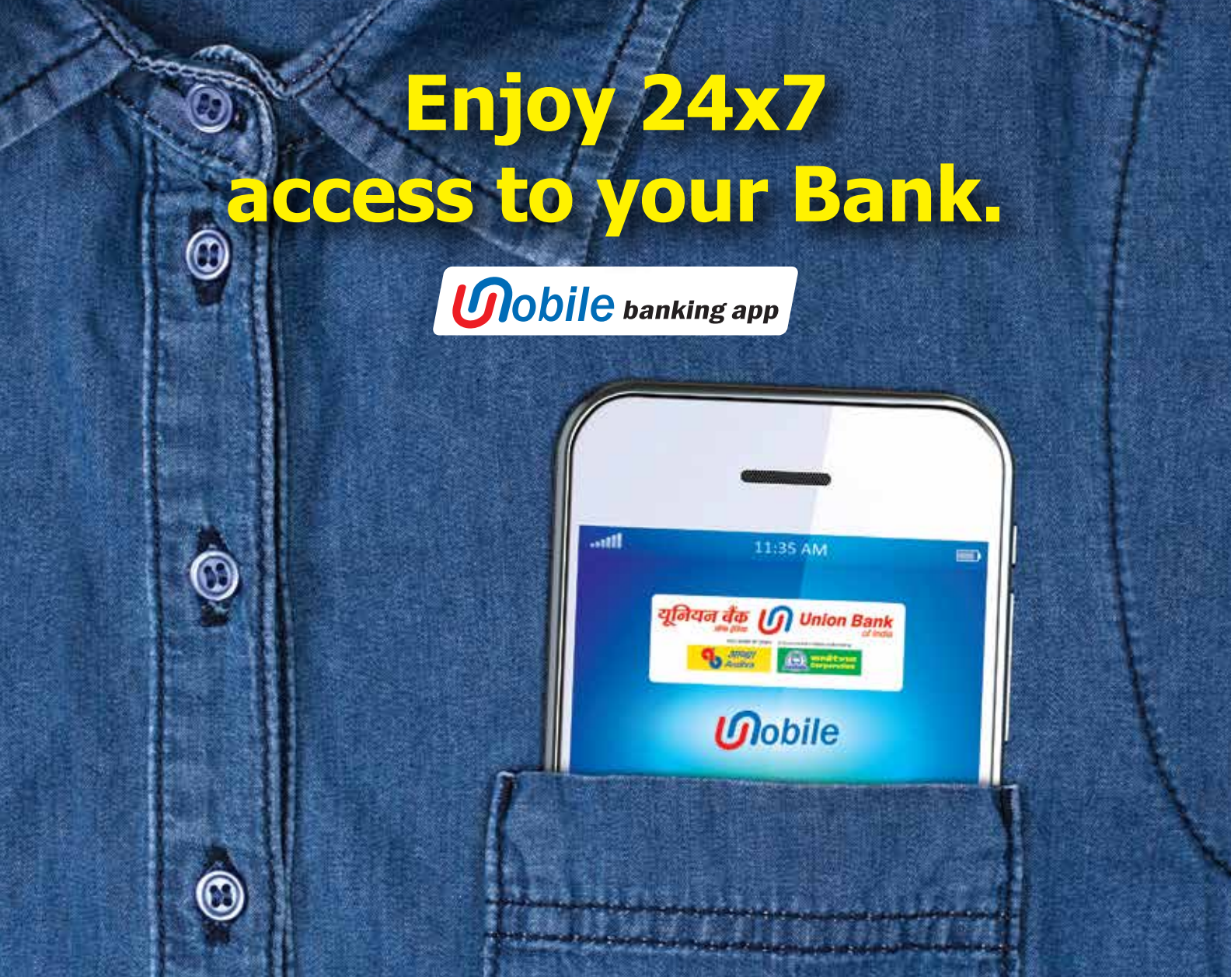

Take your Bank along with you with U-Mobile - the One Stop app for all your banking needs.

- Enjoy anywhere, anytime banking
- IMPS, UPI fund transfer facilities
- Debit card control features
- Quick fund transfer upto ₹ 5000 without adding Payee
- DTH, mobile recharges and bill payments / reminders through BBPS

Conditions Apply

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

Helpline Nos.: **1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555** | **www.unionbankofindia.co.in**

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

Helpline Nos.: **1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555** | **www.unionbankofindia.co.in**

@unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube @unionbankofindia